26वाँ वार्षिक प्रतिवेदन

(2020-2021)

RRECL

राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

RRECL

26वाँ

वार्षिक प्रतिवेदन

2020—21

राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

ई—166, युधिष्ठिर मार्ग, सी—स्कीम, जयपुर

अनुक्रमणिका

	पृष्ठ संख्या
निगम की जानकारी	1
नोटिस	2
निदेशकों का प्रतिवेदन	9
• अनुलग्नक– I – एमजीटी–9	25
• अनुलग्नक– II – सीएसआर रिपोर्ट	32
वैधानिक अंकेक्षकों का प्रतिवेदन	36
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट	62
तुलन–पत्र	66
लाभ व हानि विवरण	68
नकद प्रवाह विवरण	70
वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां	72
समेकित लेखों पर वैधानिक अंकेक्षकों का प्रतिवेदन	101
समेकित लेखों पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट	118
समेकित वित्तीय	123
सहायक कम्पनी – राजस्थान सोलरपार्क डवलपमेन्ट कम्पनी का वार्षिक प्रतिवेदन	168

राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड
(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

निदेशक मण्डल
(20.12.2021 को)

	डॉ. सुबोध अग्रवाल, आई.ए.एस (डी.आई.एन. 06940604)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
	श्री आनन्द कुमार, आई.ए.एस (डी.आई.एन. 06881382)	निदेशक
	डॉ. डी.एन. पाण्डे, आई.एफ.एस.(डी.आई.एन. 08634139)	निदेशक
	श्री नरेश कुमार ठकराल, आई.ए.एस (डी.आई.एन. 08621460)	निदेशक
	श्री एन.एस. निर्वान (डी.आई.एन. 09361461)	पूर्णकालिक निदेशक
	श्री नरेन्द्र सुवालका (डी.आई.एन. 09367814)	निदेशक
मुख्य वित्त अधिकारी	श्री ललित वर्मा	
कम्पनी सचिव	श्रीमती गजल सक्सेना (एम.न0. एफ 8244)	
पंजीकृत कार्यालय	ई–166, युधिष्ठिर मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर–302001 सीआईएनः U4010RJ1995SGC009847 टेलीफोन न. 0141–2225859 ई–मेलः rrec2016@gmail.com वेबसाइटः www.energy.rajasthan .gov.in/rrecl	
वैधानिक अंकेक्षक	माथुर एण्ड कम्पनी चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस, जयपुर	
लागत अंकेक्षक	मेहता एन एण्ड एसोसिएट्स कॉस्ट एकाउन्टेन्टस, जयपुर	
आंतरिक अंकेक्षक	सुनिता सुल्तानिया एण्ड कम्पनी चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस, जयपुर	
बैंकर्स	पंजाब नेशनल बैंक एचडीएफसी बैंक एक्सिस बैंक इण्डसइंड बैंक	

राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

नोटिस

यह सूचना दी जाती है कि राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड के सदस्यों की 26वीं वार्षिक साधारण सभा सोमवार, 20 दिसम्बर, 2021 को सांय 04.15 बजे कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय ई–166, युधिष्ठर मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर पर निम्नलिखित कार्य सम्पादन करने के लिये आयोजित होगीः–

सामान्य व्यवसाय

1. **31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए कम्पनी के वित्तीय विवरण प्राप्त करना, विचारित करना एवं ग्रहण करना।**

   संशोधन (संशोधनों) सहित या रहित, निम्न सामान्य प्रस्ताव को विचारित करना एवं स्वीकृत करनाः

   "संकल्प लिया कि 31 मार्च, 2021 को कम्पनी का अंकेक्षित तुलन–पत्र, उसी तिथि को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए लाभ एवं हानि विवरण पत्र, रोकड़ प्रवाह विवरण पत्र, उन पर टिप्पणियों के साथ, उन पर वैधानिक अंकेक्षकों का प्रतिवेदन, वर्ष के लिए निदेशकों का प्रतिवेदन तथा प्रबंधन के उत्तर के साथ वित्तीय विवरणों को एतद्द्वारा प्राप्त किया जाता है एवं अंगीकृत किया जाता है।"

   'भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को पृथक रूप से वितरित किया जायेगा।

2. **वर्ष 2020–21 के लिए अन्तिम लाभांश के भुगतान की घोषणा करना**

   संशोधन सहित या रहित, निम्न सामान्य प्रस्ताव को विचारित करना एवं स्वीकृत करनाः

   "संकल्प लिया कि वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए मण्डल द्वारा की गयी अनुशंषा के अनुसार अंशों के प्रदत्त मूल्य के 10 प्रतिशत की दर से लाभांश यथा अन्तिम लाभांश के रूप में प्रदत्त करने की एतद्द्वारा पुष्टि की जाती है एवं स्वीकृत किया जाता है।"

3. **अंकेक्षकों की नियुक्ति**

   संशोधन (संशोधनों) सहित या रहित, निम्न सामान्य प्रस्ताव को विचारित करना एवं स्वीकृत करनाः

   आगे यह भी संकल्प लिया है कि मै. माथुर एण्ड कम्पनी, चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस, जयपुर को वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिये कम्पनी के वैधानिक अंकेक्षक के रूप में नियुक्ति की एतद्द्वारा पुष्टि की जाती है एवं कम्पनी के निदेशक मण्डल को अंकेक्षण शुल्क निर्धारित करने के लिए एतद्द्वारा अधिकृत किया जाता है।"

विशेष व्यवसाय

4. **वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए लागत अंकेक्षकों के पारिश्रमिक का अनुसमर्थन करना**

संशोधन (संशोधनों) सहित या रहित, निम्न प्रस्ताव को यथा सामान्य प्रस्ताव के विचार करना एवं यदि उचित समझा जाये, तो पारित किया जाना :

यह संकल्प लिया कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 के प्रावधान एवं अन्य सभी प्रावधान तथा कम्पनी (अंकेक्षण एवं अंकेक्षक) नियम, 2014 (कोई वैधानिक संशोधन (संशोधनों) या उक्त समयावधि के लिए पुनः अधिनियमन सहित) के अनुसरण में, मै. मेहता एन. एसोसिएटस् को कम्पनी लागत अंकेक्षक के रूप में वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए कम्पनी के लागत लेखा का अंकेक्षण करने एवं लागत अंकेक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये पच्चीस हजार रूपये एवं लागू कर राशि अतिरिक्त का पारिश्रमिक भुगतान करने का एतदद्वारा पुष्टि की जाती है।

राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड के
निदेशक मण्डल की आज्ञा से

गजल सक्सेना
कम्पनी सचिव

पंजीकृत कार्यालयः
ई–166, युधिष्ठिर मार्ग,
सी–स्कीम, जयपुर

दिनांक 16 दिसम्बर, 2021

टिप्पणियां:

1. सभा में उपस्थित रहने एवं मतदान करने को अधिकृत सदस्य अपने स्थान पर उपस्थित रहने एवं मतदान करने के लिये प्रतिनिधि को नियुक्त करने के लिये अधिकृत है। उक्त प्रतिनिधि का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। यदि प्रतिनिधि की नियुक्ति की जाती है तो कम्पनी के पास यथावत रूप से पूर्ण संलग्न छदम् प्रारूप वापिस आ जाना चाहियें।

2. कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में सभा के समय के कम से कम 48 घंटे पहले प्रतिनिधि का प्रपत्र जमा करा दिया जाना चाहिये।

3. वार्षिक साधारण सभा की तिथि तक कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में कार्यालय अवधि के दौरान सूचना में निर्दिष्ट सभी प्रपत्र निरीक्षण के लिये उपलब्ध रहेगें।

4. कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के प्रावधानों के अनुसरण में व्याख्यात्मक विवरण इसके साथ संलग्न है।

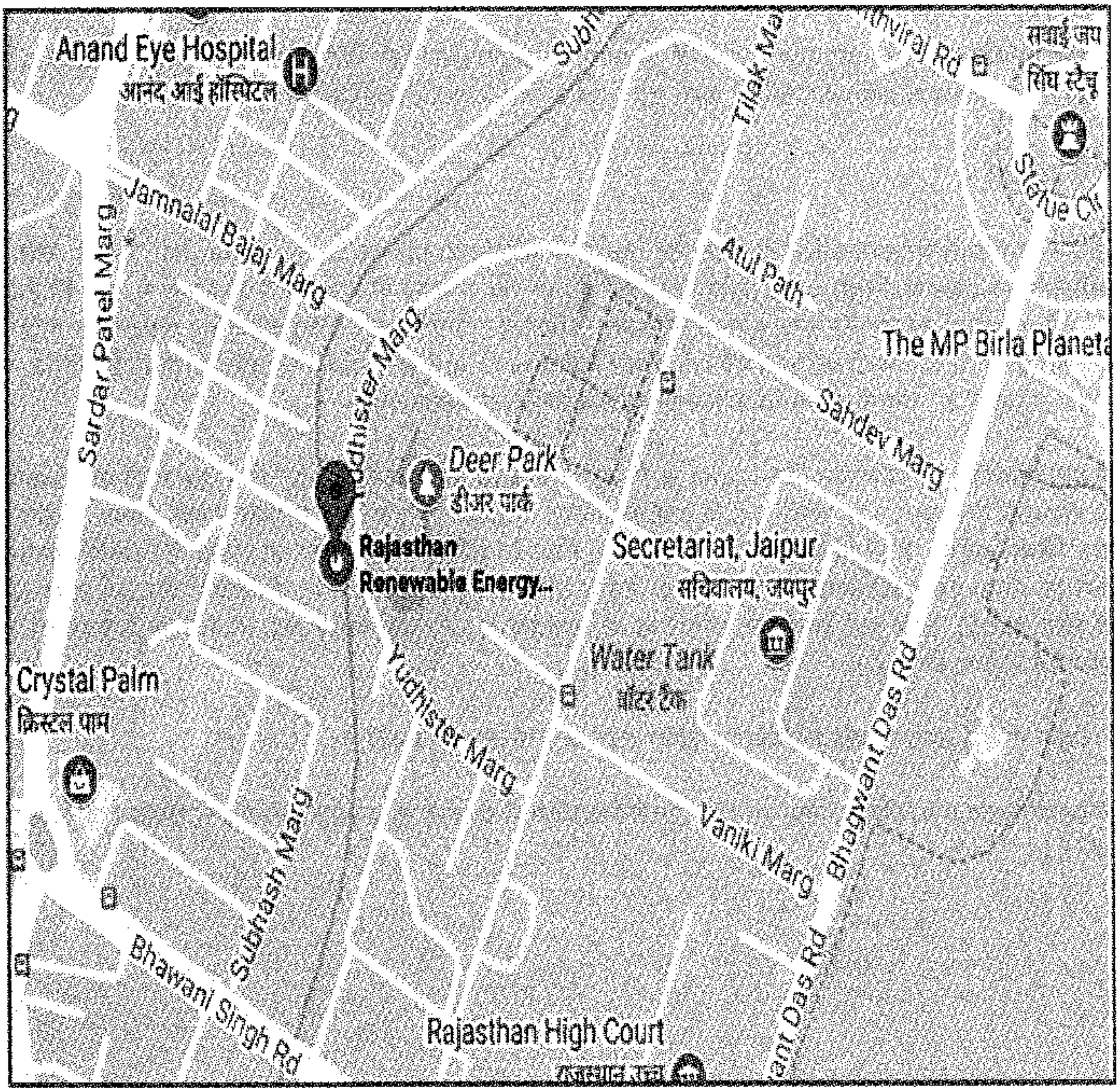
Anand Eye Hospital
आनंद आई हॉस्पिटल
Jamnalal Bajaj Marg
Sardar Patel Marg
Yudhister Marg
Tilak Ma
Atul Path
The MP Birla Planeta
Sahdev Marg
Deer Park
डीअर पार्क
Rajasthan
Renewable Energy...
Secretariat, Jaipur
सचिवालय, जयपुर
Water Tank
वॉटर टैंक
Crystal Palm
क्रिस्टल पाम
Yudhister Marg
Vaniki Marg
Bhagwant Das Rd
Subhash Marg
Bhawani Singh Rd
Rajasthan High Court

सूचना का अनुलग्नक

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 102(1) के अनुसरण में व्याख्यात्मक विवरण

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 102(1) के प्रावधानों के अनुरूप साथ ही नोटिस में उल्लिखित मद संख्या 4 के संबंध में सभी तात्विक तथ्यों को निर्दिष्ट करते हुये निम्नलिखित व्याख्यात्मक विवरण

मद संख्या 4

कार्पोरेट मामलात मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली ने अधिसूचना दिनांक 30 जून, 2014 द्वारा कम्पनी (लागत अभिलेखे एवं अंकेक्षण) नियम, 2014 विहित किये गये है। उपरोक्त नियमों के नियम 3 के अनुसरण में, कुछ निश्चित वर्ग की कम्पनियों को उनकी लेखा पुस्तकों में लागत अभिलेखें सम्मिलित करना आवश्यक है। अग्रतर, नियम 4 में प्रावधान है कि यदि कम्पनी का मूल्य एक सौ पचास करोड़ रूपये या उससे अधिक या कुल कारोबार 25 करोड़ या उससे अधिक है तो कम्पनी के लागत अभिलेखों का अंकेक्षण होना आवश्यक है।

कम्पनी (अंकेक्षण एवं अंकेक्षक) नियम, 2014 के नियम 14 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(3) के प्रावधानों के अनुसरण में, उपधारा 2 के अधीन अंकेक्षण, निदेशक मण्डल द्वारा नियुक्त पेशेवर लागत लेखाकार द्वारा किया जायेगा। जिसका पारिश्रमिक सदस्यों द्वारा निर्धारित तरीके से तय किया जा सकता है। आपकी कम्पनी ने मैसर्स मेहता एन. एसोसिएटस् को कम्पनी के लागत अभिलेखों का अंकेक्षण करने के लिये वित्तीय वर्ष 2021—22 के लिए 25,000 रूपये एवं लागू कर अतिरिक्त के अंकेक्षण शुल्क/पारिश्रमिक पर सदस्यों के अनुसमर्थन के अध्यधीन नियुक्त किया है।

निदेशक मण्डल उपरोक्त सामान्य प्रस्ताव पारित करने के लिये समर्थन करता है।

निदेशकों, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक एवं/या उनके रिश्तेदारों में से कोई भी उपरोक्त प्रस्ताव से संबंधित या हितबद्ध नहीं है।

प्रपत्र संख्या एमजीटी–11
प्रतिनिधि प्रपत्र

{कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 105(6) एवं कम्पनी (प्रबंध एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 19(3) के अनुसरण में}

सीआईएनः U40101RJ1995SGC009847

सदस्य (सदस्यों) का नाम :

पंजीकृत पता : ई–166, युधिष्ठिर मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर।

ई–मेल आईडी : rrec2016@gmail.com

फोलियो नं. / ग्राहक आईडीः

डीपी आईडीः

मैं / हम आरआरईसी लिमिटेड के .... प्रत्येक 10 रूपये के साम्या अंशों के सदस्य होते हुये, निम्न को

(1) नाम ....
पता...
ई–मेल आईडी......................................
हस्ताक्षर.................................... या उसके न होने पर

(2) नाम ....
पता...
ई–मेल आईडी......................................
हस्ताक्षर.................................... या उसके न होने पर

(3) नाम ....
पता...
ई–मेल आईडी......................................
हस्ताक्षर.................................... या उसके न होने पर

अपनी / हमारी ओर से प्रतिनिधि के रूप में कम्पनी की 26वीं वार्षिक साधारण सभा जो सोमवार दिनांक 20 दिसम्बर, 2021 को ई–166, युधिष्ठिर मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर पर सायं 4.15 बजे आयोजित हो रही है, में भाग लेने और मतदान (मतदान होने पर) करने के लिये एवं ऐसे संकल्पों, जो कि नीचे इंगित है, के संबंध में किसी स्थगन के लिए एतदद्वारा नियुक्त करता हूँ :

1. 31 मार्च, 2021 को अंकेक्षित तुलन–पत्र, उस तिथि को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिये लाभ एवं हानि विवरण एवं उस पर निदेशक मण्डल तथा अंकेक्षकों के प्रतिवेदन का अंगीकरण।
2. वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिये अन्तिम लाभांश के भुगतान की घोषणा।
3. वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिये मैसर्स माथुर एण्ड कम्पनी, चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस की नियुक्ति एवं उनके पारिश्रमिक का निर्धारण।
4. वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिये लागत अंकेक्षकों के पारिश्रमिक का अनुसमर्थन।

एक रूपया का रेवेन्यू स्टाम्प लगाए

वर्ष 2021 के .... दिन................ को हस्ताक्षर किये।

सदस्य (सदस्यों) के हस्ताक्षर ....

प्रोक्सी धारक (प्रोक्सी धारकों) के हस्ताक्षर ....

टिप्पणी: प्रतिनिधि का यह प्रपत्र यथावत् रूप से पूरा किया हुआ कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में सभा के समय के कम से कम 48 घंटे पहले जमा करा देना चाहिये।

निदेशकों का प्रतिवेदन

सदस्यगण,
राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड

आपके निदेशकों को 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुये वित्तीय वर्ष के लिये अंकेक्षित लेखों के साथ कम्पनी के व्यवसाय एवं संचालन पर 26वां वार्षिक प्रतिवेदन तथा स्वतंत्र अंकेक्षकों एवं भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिये आपकी कम्पनी की मुख्य विशिष्टिताएं निम्न प्रकार हैः

वित्तीय तथ्य

एकल

वर्ष 2020–21 की कुल आय 13048.72 लाख रूपये हुई, जबकि गत वर्ष यह 13502.46 लाख रूपये थी।

गत वर्ष के कर पूर्व लाभ 3101.86 लाख रूपये के मुकाबले इस वर्ष कर पूर्व लाभ 2757.30 लाख रूपये रहा। कम्पनी ने अवधि के लिए 2022.23 लाख रूपये का लाभ अर्जित किया।

समेकित

वर्ष 2020–21 की कुल आय 16262.04 लाख रूपये हुई, जबकि गत वर्ष यह 15817.79 लाख रूपये थी।

गत वर्ष के कर पूर्व लाभ 3153.35 लाख रूपये के मुकाबले इस वर्ष कर पूर्व लाभ 4515.66 लाख रूपये रहा। कम्पनी ने अवधि के लिए 3295.24 लाख रूपये का लाभ अर्जित किया।

वित्तीय परिणाम

वित्तीय वर्ष 2020–21 एवं गत वर्ष के लिए कम्पनी के वित्तीय परिणामों की तुलनात्मक स्थिति निम्न प्रकार हैः

(रूपये लाखों में)

	2020-21	**2019-20**
संचालन से प्राप्त आय	10709.50	11006.72
अन्य आय	2339.21	2495.74
कुल राजस्व	**13048.72**	**13502.46**
व्यापारिक स्कंध का क्रय	7616.79	7525.82
इन्वेन्ट्रीयों में परिवर्तन	-	-
वित्त लागत	-	-
कर्मचारी लाभार्थ व्यय	866.13	935.48
मूल्यह्रास	612.73	1172.46

अन्य व्यय	1195.76	766.84
कुल व्यय	**10291.41**	**10400.6**
अपवादात्मक, असाधारण मदें तथा कर पूर्व लाभ	**2757.30**	**3101.86**
अपवादात्मक मदें	-	-
डुबत एवं संदिग्ध ऋणों के लिये प्रावधान	-	-
असाधारण मदें	-	-
कर पूर्व लाभ	**2757.30**	**3101.86**
कर व्यय (चालू कर एवं आस्थगित कर)	(735.07)	(765.64)
निरन्तर संचालन अवधि के लिए लाभ / (हानि)	**2022.23**	**2336.22**
अनिरन्तर संचालन से लाभ / (हानि)	-	-
अवधि के लिए लाभ / (हानि)	**2022.23**	**2336.22**

लाभांश

कम्पनी वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए प्रदत्त मूल्य के 10 प्रतिशत की दर से अंतिम लाभांश की सिफारिश करती है। लाभांश का भुगतान वार्षिक साधारण सभा में सदस्यों की स्वीकृति के अधीन किया जायेगा।

आरक्षित कोष या निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा निधि में अन्तरण

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कम्पनी ने आरक्षित कोष में किसी भी राशि का अन्तरण नहीं किया है।

अंशपूंजी

कम्पनी की अधिकृत पूंजी 16 करोड़ रूपये है जिसमें 14 करोड़ रूपये की साम्या अंश पूंजी और 2 करोड़ रूपये की संचयी शोधनीय पूर्वाधिकार अंश पूंजी है, जो वित्तीय वर्ष 2020–21 में अपरिवर्तनीय रही। कम्पनी की प्रदत्त अंश पूंजी 12,94,10,780/–रूपये है, जो वित्तीय वर्ष 2020–21 में अपरिवर्तनीय रही।

प्रचालन निष्पादन

(I) वाणिज्यिक क्रियाकलाप

वित्तीय वर्ष 2020–21 में गत वर्ष के 406.24 लाख यूनिट की तुलना में आपकी कम्पनी का विद्युत उत्पादन 336.65 लाख यूनिट रहा। विभिन्न विद्युत उत्पादन इकाईयों का उत्पादन एवं विक्रय निम्न प्रकार रहा:

(यूनिट लाखों में)

	चालू वर्ष	गत वर्ष
2.25 मेगावाट देवगढ़ पवन ऊर्जा संयंत्र	14.50	10.90
2.10 मेगावाट फलौदी पवन ऊर्जा संयंत्र	16.46	18.43
25 मेगावाट जैसलमेर पवन ऊर्जा संयंत्र	245.91	287.44
10.2 मेगावाट आकल पवन ऊर्जा संयंत्र	12.14	26.43
100 किलोवाट गौरीर पवन ऊर्जा संयंत्र	-	-
10.20 मेगावाट पोहरा जैसलमेर	32.98	48.17
0.1.00 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र फागी	14.66	14.87
कुल	**336.65**	**406.24**

(II) प्रोन्नयन क्रियाकलाप

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान आपकी कम्पनी ने भारत सरकार/नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय/राजस्थान सरकार के कार्यक्रमों के अधीन विभिन्न योजनाओं/परियोजनाओं के क्रियान्वयन में मुख्य भूमिका निभाई है। इसका विवरण निम्नानुसार हैः–

प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा अवाम उत्थान महाभियान (पीएम कुसुम) घटक–ए।

पीएम कुसुम योजना–ए का शुभारम्भ माननीय प्रधानमंत्री द्वारा दिनांक 08.03.2019 को किया गया था और दिनांक 22.07.2019 को नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) द्वारा कार्यान्वयन के लिए अंतिम दिशा–निर्देश जारी किये गये थे। योजना विकेन्द्रीकृत सौर ऊर्जा और 2 मेगावाट तक के अन्य नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन संयंत्रों के विकास की परिकल्पना करती है जो सीधे ही वितरण कम्पनी के 33/11 केवी या 66/11 केवी या 110/11 केवी सब–स्टेशनों से जोड़े जा सकते है। इसके अतिरिक्त इस योजना का उद्देश्य सौर या अन्य नवीकरणीय ऊर्जा आधारित विद्युत संयंत्रों के लिए उनकी बंजर और बेकार भूमि का उपयोग करके किसानों की आय में वृद्धि करना है। व्यक्तिगत किसानों/किसानों के समूह/सहकारी समितियों/पंचायतों/किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ)/जल उपयोगकर्त्ता संघों (डब्ल्यूयूए) और विकासकर्त्ताओं को योजना में भाग लेने की अनुमति दी गयी है।

एमएनआरई ने कुसुम घटक–ए के अन्तर्गत राजस्थान को वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिये 325 मेगावाट और वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिये 875 मेगावाट क्षमता आवंटित की है।

राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (आरईआरसी) ने इस योजना के अन्तर्गत सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए 725 मेगावाट क्षमता के लिए 3.14 रूपये प्रति यूनिट का टैरिफ निर्धारित किया है। डिस्कॉमों की ओर से राउविनि ने राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम को पीएम कुसुम घटक–ए के कार्यान्वयन के लिए नामित किया है। राविविआ ने 722 मेवा क्षमता के

623 सौर उर्जा उत्पादकों को अधिनिर्णय पत्र दिया। प्रतिवेदन की तिथि तक 12.5 मेगावाट की समग्र क्षमता की कुल 11 परियोजनाये प्रारम्भ हो गयी है। योजना का कार्यान्वयन प्रक्रियाधीन है।

पवन ऊर्जा परियोजना

वर्ष 2020—21 के दौरान विभिन्न डवलपर्स/ऊर्जा उत्पादकों से राजस्थान में विभिन्न स्थानों पर 5000 मेगावाट क्षमता के पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के प्रस्ताव प्राप्त हुये। वर्ष 2020—21 के दौरान 27.1 मेगावाट क्षमता के पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित एवं प्रारम्भ किये जा चुके है।

बॉयोमास ऊर्जा परियोजना

वर्ष 2020—21 के दौरान, 130.30 मेगावाट क्षमता की 10 बायोमास ऊर्जा परियोजना पंजीकृत की गयी थी परन्तु किसी भी बॉयोमास ऊर्जा संयंत्र को स्थापित एवं प्रारम्भ नहीं किया गया है।

सौर ऊर्जा परियोजनाएं

वर्ष 2020—21 के दौरान 25058.92 मेगावाट क्षमता के 60 सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के प्रस्ताव पंजीकृत हुए है। वर्ष 2020—21 के दौरान 686.51 मेगावाट क्षमता के 24 सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित और प्रारम्भ किए गए है।

एस.पी.वी. रूफ टॉप ऊर्जा उत्पादन योजना

राजस्थान अक्षय उर्जा निगम ने एसपीवी प्रौद्योगिकी को यथा विद्युत स्त्रोत के उन्नत करने एवं राज्य में हरित उर्जा के उपयोग को प्रोत्साहित करने हेतु एसपीवी रूफ टॉप विद्युत उत्पादन योजना को आरम्भ किया है। 20.08.2019 को नवीन एवं नवीकरणीय मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा चरण—II ग्रिड सम्बद्ध सोलर रूफटॉप प्रोग्राम के कार्यान्वयन के लिए परिचालन दिशा—निर्देश जारी किये गये थे, जिसमें सहायिकी (सब्सिडी) सहायता केवल नीचे यथावर्णित आवासीय क्षेत्र तक ही सीमित थी :

आवासीय क्षेत्र का प्रकार	सीएफए (प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया के माध्यम से ज्ञात की गयी लागत या स्थिर बिन्दू लागत का प्रतिशत जो भी कम हो)
आवासीय क्षेत्र (अधिकतम 3 किलोवाट तक)	40 प्रतिशत
आवासीय क्षेत्र (3 किलोवाट से अधिक और 10 किलावाट तक)	3 किलोवाट तक 40 प्रतिशत और 3 किलोवाट से ऊपर एवं 10 किलोवाट तक आरटीएस प्रणाली के लिए 20 प्रतिशत
500केडब्ल्यूपी (10 किलोवाट प्रति घर की दर से) तक की सामान्य सुविधाओं के लिए ग्रुप	20 प्रतिशत

हाउसिंग सोसाइटीज/रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन (जीएचएस/आरडब्ल्यूए) इत्यादि उन जीएचएस/आरडब्ल्यूए में व्यक्तिगत निवासियों द्वारा पहले से ही स्थापित किए गए व्यक्तिगत रूफटॉप संयंत्रों के सहित ऊपरी सीमा के साथ	

ऊर्जा विभाग, राजस्थान सरकार ने डिस्कॉमों की ओर से राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम के माध्यम से इस योजना को लागू करने का निर्णय लिया है। एमएनआरई ने 04.10.2019 को राजस्थान डिस्कॉमों (जेवीवीएन–25 मेगावाट, जेडीवीवीएन–15 मेगावाट एवं एवीवीएनएल–5 मेगावाट) को आवासीय क्षेत्र के अन्तर्गत कुल 45 मेगावाट क्षमता की स्वीकृति दी है। राज्य में सहायिकी कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए डिस्कॉम वार विक्रेताओं के सूचीयन (एम्पेनलमेन्ट) के लिये बोली प्रकिया पूर्ण होने के पश्चात राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम ने 10.06.2020 को दर संविदा जारी की।

दर संविदा के अन्तर्गत 119 सफल बोली लगाने वाले सूचीगत (एम्पेनल्ड) हुये थे जिनमें 25 प्रतिष्ठित विक्रेता और 94 स्टार्ट–अप विक्रेता है। प्रोग्राम सम्पूर्ण राज्य में कार्यन्वित किया जा रहा है। और मार्च 2021 तक 19 मेगावाट क्षमता की सौर रूफ टॉप परियोजनायें नेट मीटरिंग प्रावधानों के अधीन प्रारम्भ हो गयी है।

रेस्को (आरईएससीओ) पद्धति के अन्तर्गत सरकारी भवनों पर रूफ टॉप परियोजनाओं का कार्यान्वयन।

सरकारी भवनों पर रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना निश्चय ही कुछ समय से राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन है। सरकारी भवनों पर रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करके विद्युत पर होने वाले व्यय को यथेष्ट सीमा तक कम किया जा सकता है। सरकारी भवनों पर रूफटॉप सिस्टम को रेस्को पद्धति के अन्तर्गत स्थापित किया जा सकता है, जिसमें भवन के मालिक द्वारा कोई अग्रिम पूंजी निवेश शामिल नहीं है। विद्युत क्रय अनुबंध कार्यान्वयन–भागीदारएवं संबंधित संस्था के मुखिया के मध्य किया जायेगा । कार्यान्वयन–भागीदार को भुगतान विद्युत प्रभारों के भुगतान के लिए उपलब्ध बजट शीर्ष से किया जायेगा। इस योजना के परिणामस्वरूप संबंधित कार्यालय के विद्युत बिल में कमी के कारण काफी बचत होगी।

राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा चयनित कार्यान्वयन–भागीदारों के माध्यम से सरकारी भवनों पर रेस्को पद्धति के अन्तर्गत रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के लिए मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार द्वारा परिपत्र सं. प.20 (28)ऊर्जा/2014 दिनांक 27.08.2019 द्वारा दिशा–निर्देश जारी किये गये हैं। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम ने दो कार्यान्वयन–भागीदारों का चयन किया है और 4.15 रूपये प्रति यूनिट की टैरिफ को ज्ञात किया है। इन 2 फर्मों को 06.12.2019 को 14 मेगावाट क्षमता आवंटित की गयी हैं निर्धारित कमीशनिंग अवधि एलओए दिनांक 06.12.2019 से 24 माह की है। इस योजना में सरकारी भवनों पर रूफटॉप

सौर परियोजनाओं का कार्यान्वयन प्रगति पर है। मार्च, 2021 तक 1.654 मेगावाट क्षमता के 12 संयंत्र अधिष्ठापित हो गये हैं।

सहायक एवं सहयोगी कम्पनियां

कम्पनी ने स्वयं की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी के रूप में 'विशेष प्रयोजन यान' (एसपीवी) का गठन किया है। सोलर पार्कों में सौर ऊर्जा संयंत्रों के विकास को बढ़ावा देना, सहायता करना एवं श्रेष्ठता का सौर केन्द्र, विनिर्माण क्षेत्र, अनुसंधान एवं विकास एवं प्रशिक्षण केन्द्र के क्षेत्र एवं अन्य सुविधाओं के क्षेत्र का सृजन करने सहित विभिन्न चरणों में जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, और बाड़मेर तथा राजस्थान के अन्य जिलों के परिलक्षित क्षेत्रों में शीघ्रता से सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाने के लिये सोलर पार्कों के बुनियादी ढ़ाचे एवं प्रबंधन के एकीकृत और कुशल विकास की योजना, उन्नयन एवं आयोजन के प्रयोजनार्थ राजस्थान सोलर पार्क विकास कम्पनी लिमिटेड नामित कम्पनी को 2 नवम्बर, 2011 को निगमित किया।

कुल 65 मेगावाट क्षमता के 6 सोलर विद्युत संयंत्रों वाला भाडला सोलर पार्क चरण– प्रथम एवं कुल 680 मेगावाट क्षमता के 10 सोलर विद्युत संयंत्रों वाला चरण–द्वितीय को आरएसडीसीएल द्वारा ग्राम भाडला, तहसील बाप, जिला जोधपुर पर विकसित किया गया है। सोलर पार्क एवं अति मेगा सोलर विद्युत परियोजनाओं के विकास के लिये एमएनआरई योजना के अधीन चरण–द्वितीय में सड़क एवं सड़क–प्रकाश व्यवस्था, जल आपूर्ति व्यवस्था, विद्युत निष्क्रमण हेतु ईएचवी प्रणाली तथा कार्यालय भवन और विश्राम ग्रह इत्यादि जैसे सभी आवश्यक आधारभूत ढ़ाचें के साथ विकसित किया गया है। आरएसडीसीएल द्वारा सृजित सामूहिक आधारभूत सुविधाओं का संचालन एवं रख–रखाव भी आरएसडीसीएल द्वारा किया जा रहा है।

अग्रतर, ग्राम–नोख, तहसील पोकरण, जिला जैसलमेर में एक 925 मेगावाट क्षमता के सोलर पार्क की योजना बनायी गयी है और एमएनआरई योजना के अधीन विकसित किया जा रहा है। ईपीसी (3X245 मेगावाट) और डेवलपर (1X190 मेगावाट) पद्धति के अन्तर्गत एनटीपीसी द्वारा नोख सोलर पार्क की 04 सौर ऊर्जा परियोजनायें स्थापित की जायेंगी। दिनांक 20.02.2020 को एनटीपीसी और आरएसडीसीएल के बीच ईपीसी परियोजनाओं के लिये कार्यान्वयन और सहायता अनुबंधों पर हस्ताक्षर किये गये हैं। दिनांक 29.04.2021 को राइजिंग सन के साथ 190 मेगावाट के लिये कार्यान्वयन और सहायता अनुबंधों पर हस्ताक्षर किये गये हैं।

संचालन के अन्तर्गत सहायक कम्पनियों की प्रगति तथा वित्तीय स्थिति पर मंडल की बैठक में विधिवत चर्चा की गयी है।

समेकित वित्तीय विवरण

31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिये अंकेक्षित समेकित वित्तीय विवरणों को सहायक कम्पनी से प्राप्त उसके संबंधित निदेशक मण्डल द्वारा यथा स्वीकृत वित्तीय विवरणों के आधार पर लेखा मानकों एवं यथा प्रयोज्य नियमों के साथ पठित लेखा मानक 21 (एएस 21) ''समेकित वित्तीय विवरण'' के अनुसार तैयार किया गया है।

विद्युत व्यापार लाइसेंस

कम्पनी ने विद्युत अधिनियम, 2003 के अन्तर्गत राजस्थान विद्युत नियामक आयोग (आरईआरसी) से राज्य के भीतर विद्युत ट्रेडिंग के लिए राज्यान्तरिक विद्युत व्यापार लाइसेंस प्राप्त किया जिसे भाडला चरण– प्रथम सोलर परियोजनाओं से उत्पादित विद्युत की ट्रेडिंग के लिये उपयोग किया जा रहा था। आगे, कम्पनी ने जुलाई, 2014 में केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग से विद्युत अधिनियम, 2003 के अन्तर्गत अन्तर्राज्यीय व्यापार लाइसेंस भी प्राप्त किया था परन्तु जैसा कि कम्पनी राज्य के अन्तर्रान्यीय गतिविधियों में संलग्न नही थी सीईआरसी के आदेश द्वारा 16.02.2016 को अन्तर्राज्यीय व्यापार लाइसेंस निरस्त कर दिया गया था।

जनशक्ति

31 मार्च, 2021 को 97 स्वीकृत पदों के विरूद्ध 68 कर्मचारी (33 कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर) कार्यरत थे। प्रबंधन एवं कर्मचारियों के मध्य संबंध निरंतर हार्दिक बने हुये है।

निदेशक एवं मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक

कम्पनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अनुच्छेद संख्या 87(i) और 88, राजस्थान के राज्यपाल को कम्पनी के मण्डल में निदेशकों की नियुक्ति करने के लिये अधिकृत करते है। अनुच्छेद संख्या 87(i) के अनुसार राज्यपाल समय–समय पर नियुक्त किये गये निदेशकों में से एक को मण्डल का अध्यक्ष एवं एक या अधिक निदेशकों को यथा प्रबंध निदेशक एवं/अथवा कार्यपालक निदेशक (निदेशकों) को नियुक्त कर सकते है।

वर्ष 2020–21 के दौरान निम्नलिखित को कम्पनी के यथा निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था :

क्र.सं.	नाम	नियुक्ति की दिनांक
1	डॉ. सुबोध अग्रवाल	02/11/2020
2	श्री आर. के. जैन	02/12/2020

वर्ष 2020–21 के दौरान निम्नलिखित की यथा कम्पनी के निदेशक के रूप में सेवायें समाप्त की गयी:

क्र.सं.	नाम	यथा निदेशक के सेवा समाप्ति की दिनांक
1	श्री वाई.के. रायज़ादा	08/06/2020
2	श्री अजिताभ शर्मा	01/11/2020
3	श्री अनिल गुप्ता	01/11/2020

31 मार्च, 2021 को कम्पनी के निदेशक मण्डल की संरचना निम्न प्रकार है :

क्र.सं.	नाम	पदनाम	डीआईएन
1	डॉ. सुबोध अग्रवाल	अध्यक्ष एवं निदेशक	06940604
2	श्री डी.एन. पाण्डे	निदेशक	08634139
3	श्री सुधीर शर्मा	निदेशक	02879180
4	श्री कमलेश अबुसारिया	निदेशक	08418984
5	श्री आर. के. जैन	निदेशक	07635410

तथापि, वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् कम्पनी के निदेशक श्री सुधीर शर्मा (आईएएस), श्री कमलेश अबुसारिया (आरएएस) एवं श्री आर. के. जैन की कम्पनी के निदेशक मण्डल में यथा निदेशक के रूप में सेवाएं समाप्त हो गयी है।

इस रिपोर्ट पर हस्ताक्षर किये जाने की तिथि को निदेशक मण्डल की संरचना निम्न प्रकार है:

क्र.सं.	नाम	पदनाम	डीआईएन
1.	डॉ. सुबोध अग्रवाल (आईएएस)	अध्यक्ष एवं निदेशक	06940604
2.	श्री आनन्द कुमार (आईएएस)	निदेशक	06881382
3.	श्री डी.एन. पाण्डे (आईएफएस)	निदेशक	08634139
4.	श्री एन. के. ठकराल (आईएएस)	निदेशक	08621460
5.	श्री एन. एस. निर्वान	पूर्णकालिक निदेशक	09361461
6.	श्री नरेन्द्र सुवालका	निदेशक	09367814

मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 203 के प्रयोजनार्थ, 31 मार्च, 2021 को कम्पनी के मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक निम्न है, उनकी नियुक्ति की नियम और शर्तें पहले से ही मण्डल द्वारा अनुमोदित है और/अथवा राजस्थान राज्य सेवा नियमों द्वारा निर्धारित है :

i) डॉ. सुबोध अग्रवाल — अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
ii) श्री के.सी. कुमावत — निदेशक वित्त सह मुख्य वित्त अधिकारी
iii) श्रीमति गजल सक्सेना — कम्पनी सचिव

तथापि, वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् कम्पनी के मुख्य वित्त अधिकारी श्री के.सी. कुमावत की सेवायें यथा कम्पनी के मुख्य वित्त अधिकारी के रूप में समाप्त हो गयी है।

निदेशक मण्डल एवं इसकी समिति (समितियों) की बैठकें :

मण्डल की बैठकें

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान निदेशक मण्डल की छः बैठकें सम्पन्न हुयी थी। मण्डल की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति निम्न प्रकार है:–

मण्डल की बैठक	108	109	110	111	112	113	टिप्पणी
निदेशक का नाम	11/05 /2020	24/07 /2020	17/09 /2020	19/11 /2020	21/12 /2020	17/03 /2021	
श्री अजिताभ शर्मा	हाँ	हाँ	हाँ	–	–	–	01.11.2020 को यथा निदेशक के रूप में सेवा समाप्त
श्री डी.एन. पाण्डे	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	–
श्री अनिल गुप्ता	हाँ	हाँ	हाँ	–	–	–	01.11.2020 को यथा निदेशक के रूप में सेवा समाप्त
श्री एस.के. शर्मा	नहीं	नहीं	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	–
श्री कमलेश अबुसारिया	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	–
श्री वाई.के. रायजादा	नहीं	–	–	–	–	–	08.06.2020 को यथा निदेशक के रूप में सेवा समाप्त
डॉ. सुबोध अग्रवाल	–	–	–	हाँ	हाँ	हाँ	02.11.2020 को यथा निदेशक के रूप में नियुक्ति
श्री आर. के. जैन	–	–	–	–	हाँ	हाँ	02.12.2020 को यथा निदेशक के रूप में नियुक्ति

अंकेक्षण समिति

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के अनुसरण में कम्पनी ने एक अंकेक्षण समिति का गठन किया है जिसमें 31 मार्च, 2021 को निम्नलिखित निदेशक, सदस्यों के रूप में नियुक्त है ;

1. श्री डी.एन. पाण्डे — सदस्य
2. श्री एस.के. शर्मा — सदस्य
3. श्री कमलेश अबुसारिया — सदस्य

वित्तीय वर्ष 2020–21 में अंकेक्षण समिति की तीन बैठकें सम्पन्न हुयी। सदस्यों की उपस्थिति निम्न प्रकार से है:–

क्र. सं.	निदेशक का नाम	24.07.2020 की 46वीं बैठक	19.11.2020 की 47वीं बैठक	21.12.2020 की 48वीं बैठक	टिप्पणी

1	श्री अनिल गुप्ता	हाँ	—	—	01.11.2021 को यथा सदस्य के रूप में सेवा समाप्त
2	श्री डी.एन. पाण्डे	हाँ	हाँ	हाँ	—
3	श्री कमलेश अबुसारिया	हाँ	हाँ	हाँ	—
4	श्री सुधीर शर्मा	—	हाँ	हाँ	12.11.2020 को यथा सदस्य के नियुक्त

सी.एस.आर. समिति

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसरण में कम्पनी ने निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व समिति का गठन किया है जिसमें निम्नलिखित निदेशक सदस्य है:

1. श्री डी.एन. पाण्डे
2. श्री सुधीर कुमार शर्मा
3. श्री कमलेश अबुसारिया

वर्ष के दौरान कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा विद्यमान कम्पनी (कारपोरेट सामाजिक दायित्व नीति) नियम, 2014 को संशोधित करते हुये (कारपोरेट सामाजिक दायित्व नीति) संशोधन नियम, 2021 बनाये गये थे और ये नियम 22 जनवरी, 2021 से प्रवृत्त हुये। इन संशोधित नियमों के अनुसार, कम्पनी द्वारा व्यय की जाने वाली राशि 50 लाख रूपये से अधिक नहीं है तो सी एस आर समिति की आवश्यकता नहीं है। वित्तीय वर्ष में राअउनिलि की सी एस आर राशि 50 लाख रूपये से अधिक नहीं थी, अतः मण्डल द्वारा समिति को विघटित कर दिया गया।

नामितिकरण एवं पारिश्रमिक समिति

कम्पनी (मण्डल की बैठक एवं इसकी शक्तियां) नियम, 2014 के नियम के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 के अनुसरण में कम्पनी ने नामितिकरण एवं पारिश्रमिक समिति का गठन किया है। 31 मार्च, 2021 को समिति में श्री डी.एन. पाण्डे, निदेशक, श्री सुधीर कुमार शर्मा, निदेशक एवं श्री कमलेश अबुसारिया, निदेशक यथा सदस्य है। सरकारी कम्पनी होने से, कम्पनी के वरिष्ठ प्रबंधन की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक या तो उनके मूल संगठन (जहां से वे प्रतिनियुक्ति पर है) के सेवा नियमों द्वारा या राजस्थान राज्य सेवा नियमों द्वारा, जो भी लागू हो, शासित होते है। सरकार पर आधारित होने से वहां अतर्कसंगतता का शायद ही कोई अवसर हो।

स्वतंत्र निदेशक

कम्पनी में स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति का मामला राज्य सरकार के स्तर पर विचाराधीन है।

साधारण सभा

वार्षिक साधारण सभा: समीक्षाधीन अवधि के दौरान कम्पनी की 25वीं वार्षिक साधारण सभा का आयोजन 30 दिसम्बर, 2020 को हुआ था।

मण्डल के कार्य निष्पादन का वार्षिक मुल्यांकन

कम्पनी के संगम अनुच्छेद के अनुसार, कम्पनी के सभी निदेशकों/पूर्ण कालिक निदेशकों/अध्यक्ष की नियुक्ति, पदच्युति, पारिश्रमिक का निर्णय इत्यादि, के संबंध में राजस्थान सरकार को पूर्ण विवेकाधिकार होगा। तद्नुसार, इस रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने की दिनांक को कम्पनी के मण्डल में सभी कार्यकारी निदेशकों को राजस्थान सरकार द्वारा नियुक्त किया गया है एवं राज्य सरकार द्वारा विनिश्चित निबंधनों एवं शर्तों के अनुसार उन्हें पारिश्रमिक का भुगतान किया जा रहा है। गैरकार्यकारी निदेशकों को भी राजस्थान सरकार द्वारा नामित किया जाता है और कोई पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया जाता है।

अंकेक्षक एवं अंकेक्षकों की रिपोर्ट

वैधानिक अंकेक्षक

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139(5) के अनुसरण में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, नई दिल्ली ने वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए कम्पनी के लेखों का अंकेक्षण करने के लिए मैसर्स माथुर एण्ड कम्पनी चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस, जयपुर को अंकेक्षक के रूप में नियुक्त किया है।

वैधानिक अंकेक्षकों ने 31 मार्च 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिये कम्पनी के लेखों का अंकेक्षण कर लिया है। लेखों के लिये प्रासंगिक टिप्पणियों के साथ पठित वैधानिक अंकेक्षकों की रिपोर्ट स्वयं व्याख्यात्मक है और अन्य टिप्पणियों एवं स्पष्टीकरणों की आवश्यकता नहीं है। अंकेक्षक रिपोर्ट के प्रति मण्डल का प्रत्युत्तर संलग्न है।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139(5) के अनुसरण में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने वर्ष 2021–22 के लिये माथुर एण्ड कम्पनी चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस, जयपुर को निगम का वैधानिक अंकेक्षक नियुक्त किया है। अंकेक्षकों का पारिश्रमिक निगम की साधारण सभा अथवा साधारण सभा में जैसा निर्णय लिया जाये, के अनुसार निर्धारित किया जायेगा।

31 मार्च 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिये कम्पनी के वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां प्रतिक्षारत है और उन्हें पृथक रूप से वितरित किया जायेगा।

लागत अंकेक्षक

अधिनियम एवं कम्पनी (अंकेक्षण एवं अंकेक्षक) नियम, 2014 के प्रावधानों के अनुसार निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए कम्पनी द्वारा संधारित लागत अभिलेखों का लागत अंकेक्षण करने के लिए मैसर्स मेहता एन. एण्ड एसोसिएटस् कॉस्ट एकाउन्टेन्टस को कम्पनी

की आगामी वार्षिक साधारण सभा में सदस्यों द्वारा पारिश्रमिक का पुष्टीकरण किये जाने के अध्याधीन कम्पनी के लागत अंकेक्षक के रूप में नियुक्त किया है एवं कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 (1) तथा इसके अधीन बनाये गये नियमों के प्रावधानों के अनुसार, आर. के. भण्डारी एण्ड कम्पनी को कम्पनी के लागत अभिलेखों जो लेखों के अंश होते है, के संधारण के लिये नियुक्त किया है।

आन्तरिक अंकेक्षण एवं नियंत्रण

कम्पनी के आन्तरिक अंकेक्षण के लिए कम्पनी व्यवहारतः अर्हताप्राप्त चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस की नियुक्ति करती है। वर्ष के दौरान आन्तरिक अंकेक्षण कार्य के लिए मैसर्स सुनिता सुल्तानिया एण्ड कम्पनी, चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस फर्म की नियुक्ति की गयी थी। आन्तरिक नियंत्रण पद्धति में सुधार के लिए उनके सुझावों एवं सिफारिशों को कम्पनी द्वारा निरन्तर लागू किया जा रहा है। आन्तरिक अंकेक्षकों की टीका–टिप्पणियों को अंकेक्षण समिति की बैठक में विस्तृत रूप से विवेचन किया गया था एवं अंकेक्षण समिति के निर्देशानुसार व्यापार संचालन तथा आन्तरिक नियंत्रण में पर्याप्त सुधार लाने के लिए निरन्तर उचित कार्यवाही की गयी।

कर्मचारियों का विवरण

कार्पोरेट मामलात मंत्रालय द्वारा जारी की गई अधिसूचना दिनांक 05 जून, 2015 के साथ पठित धारा 197 के प्रावधान एवं इनके अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार, सरकारी कम्पनियों को अधिनियम एवं इनके अधीन सूचित नियमों के अन्तर्गत विहित सीमा से अधिक पारिश्रमिक पाने वाले कर्मचारियों का विवरण मण्डल के प्रतिवेदन में शामिल करने से छूट है। अतः ऐसे विवरण यथा मण्डल के प्रतिवेदन के भाग के शामिल नहीं किये गये है।

ऊर्जा का संरक्षण

आरआरईसी राजस्थान के लिये ऊर्जा दक्षता एवं संरक्षण के डेमों प्रोजेक्टस् के माध्यम से जानकारी देने के लिये, विद्युत संरक्षण अधिनियम, 2001 के प्रावधानों की क्रियान्विति के लिये राज्य नियुक्त एजेंसी के रूप में निरन्तर कार्यरत है। उर्जा का संरक्षण करने के लिये 05 सरकारी अस्पतालों में उर्जा संरक्षण उपायों को कार्यान्वित किया जा रहा है। आरआरईसीएल भी ईसीबीसी बिल्डिंग सैल के माध्यम से उर्जा संरक्षण निर्माण/भवन कोड ईसीबीसी पर विभिन्न सरकारी विभागों, संघों, निजी आर्किटेक्टस्/वास्तुविदों और अभियन्ताओं के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रही है। इसके अतिरिक्त, आरआरईसीएल ने विभिन्न औद्योगिक समूहों में विभिन्न प्रक्रियाओं में उर्जा संरक्षण पर औद्योगिक प्रशिक्षण कार्यशालाओं का भी आयोजन किया है।

कुशल उपयोग एवं ऊर्जा के अधिक संरक्षण के लिए उद्योगों/संस्थापनों/ व्यक्तियों द्वारा किए गए सचेत एवं व्यवस्थित प्रयासों के लिए विशेष राज्य स्तरीय मान्यता देने हेतु आपकी कम्पनी ने वर्ष 2009 से राजस्थान ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार (रिका) देना प्रारम्भ किया है। ऊर्जा उपयोग के सभी प्रमुख क्षेत्रों में ऊर्जा संरक्षण के लिए प्रेरणा, पुनरावृत्ति और

जागरूकता पैदा करने के लिए यह योजना बनाई है। इस दिशा में विभिन्न उद्योगों/संस्थापनों/व्यक्तियों को उपलब्धियों के लिये ट्रॉफी/प्लेक (शील्ड) तथा प्रमाण–पत्र के रूप में 36 पुरस्कार एवं प्रमाण–पत्र के रूप में 13 को सम्मान दिया गया है। ऊर्जा संरक्षण का संदेश सामान्य जनता एवं विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में प्रचारित करने हेतु 14 दिसम्बर, 2020 को ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया गया था।

अग्रतर, उर्जा दक्षता ब्यूरों, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा घोषित राज्य उर्जा दक्षता सूचकांक–2020 में, राजस्थान को यथा "फ्रंट रनर" (अग्रणी) राज्य वर्गीकृत किया है। राजस्थान सहित केवल दो राज्य है जिन्हें "फ्रंट रनर" घोषित किया गया है। राजस्थान में उर्जा दक्षता में किये गये विभिन्न कार्यों के आधार पर राजस्थान को अग्रणी घोषित किया गया है।

प्रोद्योगिकी संलयन

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कम्पनी किसी भी निर्माण प्रक्रिया में लिप्त नहीं थी, अतः समीक्षाधीन अवधि के दौरान किसी प्रोद्योगिकी को आयात करने की आवश्यकता नहीं थी।

कम्पनी में पृथक से कोई अनुसंधान एवं विकास की गतिविधियां नहीं है, अतः कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3) (एम) के अनुसार अनुसंधान एवं विकास के अधीन प्रोद्योगिकी संलयन के संबंध में सूचना शून्य है।

विदेशी मुद्रा अर्जन और निर्गम

कम्पनी राज्य में अक्षय ऊर्जा स्रोतों के प्रचार–प्रसार कार्य में संलग्न है। वर्ष 2020–21 के दौरान विदेशी मुद्रा अर्जन एवं निर्गम शून्य रहा।

वार्षिक विवरणी का सारांश

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) एवं कम्पनी (प्रबंध एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12(1) के अनुसरण में यथा अपेक्षित एमजीटी 9 में वार्षिक विवरणी का सारांश इस वार्षिक विवरणी के एक भाग के रूप में अनुलग्नक–1 पर है। यह www.energy.rajasthan.gov.in/rrecl पर भी उपलब्ध है।

सूचना का अधिकार

पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को बढ़ावा देने के लिये, "सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005" के अनुरूप आपकी कम्पनी में उचित तंत्र स्थापित किया गया है। अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत, आवेदको/नागरिकों को अपेक्षित सूचना उपलब्ध कराने के लिए आपकी कम्पनी ने इसके कार्यालयों पर सहायक राज्य लोक सूचना अधिकारियों/राज्य लोक सूचना अधिकारियों/अपील प्राधिकारियों को नामनिर्दिष्ट किया है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत यथा अपेक्षित आवेदनों का समय पर निपटान किया गया था।

अन्य वैधानिक प्रकटीकरण

जैसा कि समीक्षाधीन वर्ष के दौरान निम्न मदों में कोई संव्यवहार नहीं किया गया अतः आपके निदेशकों ने व्यक्त किया है कि निम्नलिखित मदों के संबंध में कोई प्रकटीकरण या रिपोर्टिंग आवश्यक नहीं है:

1. अधिनियम के अध्याय–V के अन्तर्गत समाविष्ट जमाओं से संबंधित विवरण।
2. लाभांश, मतदान या अन्य विभिन्न अधिकारों के साथ समता अंशों का निर्गमन।
3. किसी योजना के अन्तर्गत कर्मचारियों के अंशों (स्वीट इक्विटी अंशों सहित) का निर्गमन।
4. नियामकों/न्यायालयों/न्यायाधिकरणों द्वारा कोई महत्वपूर्ण अथवा सारवान आदेश पारित नहीं किए गए हैं, जो कम्पनी की चालू समुत्थान प्रास्थिति एवं भविष्य में इसके संचालन को प्रभावित करें।
5. व्यवसाय की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं हैं।
6. वित्तीय वर्ष की समाप्ति एवं इस प्रतिवेदन की दिनांक के मध्य कोई तात्विक परिवर्तन एवं प्रतिबद्धताएं नहीं है जिससे कि कम्पनी की वित्तीय स्थिति प्रभावित हो रही हो।
7. कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के प्रावधानों के अनुसार, कम्पनी ने ऋण तथा गारंटी नहीं दी है एवं निवेश भी नहीं किया हैं।
8. कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 178(3) के अन्तर्गत निदेशकों की नियुक्ति, प्रबंधकीय पारिश्रमिक का भुगतान, निदेशकों की अर्हतायें, सकारात्मक गुण विशेषता, निदेशकों की स्वतंत्रता एवं अन्य संबंधित मामलों के प्रकटीकरण के प्रावधान एमसीए अधिसूचना दिनांक 05 जून, 2015 के अनुसार सरकारी कम्पनियों के लिये छूट प्राप्त है।
9. कम्पनी अधिनियम की धारा 134 (3) (सीए) के अनुसार प्रकटीकरण लागू नहीं होता है जैसाकि इस संबंध में अंकेक्षकों द्वारा कुछ भी रिपोर्ट नहीं किया गया है।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 की उप–धारा (1) के निबंधनों के अनुसार, महत्वपूर्ण विचारित संबंधित पक्षकारों के साथ कम्पनी द्वारा किये गये अनुबंधों/व्यवस्थाओं का विवरण

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 की उप–धारा (1) के निबंधनों के अनुसार, महत्वपूर्ण विचारित संबंधित पक्षकारों के साथ कम्पनी द्वारा किये गये अनुबंधों/व्यवस्थाओं का विवरण के ब्यौरों के प्रकटीकरण के संबंध में सूचना लेखा टिप्पणियों की टिप्पणी 11 के अन्तर्गत दी गयी है। व्यवसाय के सामान्य तरीके एवं निकटता में कम्पनी का प्रमुख संबंधित पक्षकार संव्यवहार, सामान्यतः इसकी सहायक कम्पनी के साथ है।

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीडन (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) अधिनियम, 2013 के अधीन कम्पनी का दायित्व

कम्पनी लिंग, जाति पंथ या सामाजिक वर्ग के कर्मचारियों के संबंधल में सुरक्षित, स्वस्थ एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण प्रदान करने और बढ़ावा देने के लिये प्रतिबद्ध है। इसके सभी कर्मचारियों को सुरक्षित एवं स्वस्थ कार्यशील वातावरण प्रदान करने के इसके प्रयास में, किसी भी कर्मचारी द्वारा यौन प्रकृति के मौखिक, शारीरिक, मनोवैज्ञानिक आचरण जो कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उत्पीड़न, बाधित या दूसरी के कार्य निष्पादन में हस्तक्षेप करता है या भयभीत अथवा शत्रुतापूर्ण माहौल पैदा करता है, के प्रति शुन्य सहिष्णुता सुनिश्चित करने

के लिये कम्पनी कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीडन (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का पालन कर रही है ताकि प्रत्येक कर्मचारी अपनी अधिकतम क्षमता का अनुभव कर सकें।

यहां पर यह भी कथित है कि कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीडन (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) अधिनियम, 2013 के अधीन कम्पनी ने आन्तरिक शिकायत समिति से संबंधित सभी प्रावधानों की अनुपालना की है। सभी कर्मचारी (स्थायी, संविदात्मक, प्रतिनियुक्ति पर, अस्थायी, प्रशिक्षणार्थी) इस नीति के अन्तर्गत आवृत है।

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) अधिनियम, 2013 की धारा 21 के अन्तर्गत अपेक्षित सूचना नीचे दी गयी है--

क्र.सं.	विवरण	टिप्पणी
1	वर्ष के दौरान एवं प्रतिवेदन की दिनांक तक प्राप्त शिकायतों की संख्या	शून्य
2	वर्ष के दौरान एवं प्रतिवेदन की दिनांक तक निष्पादित शिकायतों की संख्या	शून्य
3	90 दिनों से अधिक अवधि वाले लम्बित मामलों की संख्या	शून्य
4	यौन उत्पीड़न के विरूद्ध कार्यान्वित कार्यशालाओं या जागरूकता कार्यक्रमों की संख्या।	शून्य
5	नियोक्ता द्वारा की गयी कार्यवाही की प्रकृति	शून्य

निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर)

वित्तीय वर्ष 2020--21 में निगमित सामाजिक दायित्व की गतिविधियों के लिए कुल राशि 45,96,511/-- रूपये का प्रावधान किया था। सीएसआर नीति www.energy.rajasthan.gov.in/rrecl पर भी उपलब्ध है। कम्पनी (निगमित सामाजिक दायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 9 के अनुसार जानकारी अनुलग्नक -- II में दी गई है।

जोखिम प्रबंधन नीति

आपकी कम्पनी में जोखिम को ज्ञात करने, निर्धारित करने, उनको कम करने के उपाय तथा उनके उचित और समय पर निगरानी एवं रिपोर्टिंग के लिये तंत्र है। राजस्थान सरकार का पूर्ण स्वामित्व वाला एवं नियंत्रित उपक्रम होने के कारण इसकी कार्यशीलता एवं अस्तित्व पूर्णतः राज्य सरकार की नीतियों एवं अन्य निर्णय जो कम्पनी के संचालन एवं अस्तित्व पर प्रभाव डालते हो, पर निर्भर है।

निदेशकों के उत्तरदायित्व का कथन

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(सी) की आवश्यकता के अनुसरण में आपके निदेशक रिपोर्ट करते है कि:--

1. समीक्षाधीन वर्ष के लिये वार्षिक लेखों को तैयार करने में लेखा मानकों को यथासंभव एवं व्यावहारिक रूप में लागू किया गया था।
2. 31 मार्च 2021 को कम्पनी के मामलात तथा उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के लिए लाभ की सत्य एवं उचित स्थिति दर्शाने के लिए लेखा नीतियों को निरन्तर प्रयुक्त किया है।
3. इस तथ्य का उचित एवं पर्याप्त ध्यान रखा गया है कि कम्पनी की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा ओर धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं का पता लगाने एवं रोकने के लिए समुचित लेखा रिकॉर्ड रखे जायें।
4. वार्षिक लेखे चालू समुत्थान आधार (चालू व्यापार आधार) पर तैयार किए गये हैं।
5. समस्त प्रयोज्य कानूनों (सिद्धांतों) के प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिये उचित प्रणालियां एवं ऐसी प्रणालियां पर्याप्त एवं प्रभावशाली रूप से संचालित थी।

सचिवीय मानकों की अनुपालना पर कथन

कम्पनी ने भारतीय कम्पनी सचिव संस्था, नई दिल्ली द्वारा जारी किये गये सचिवीय मानकों, समय–समय पर यथा संशोधित, के लागू प्रावधानों की अनुपालना की है।

अभिस्वीकृति

आपके निदेशक, अंशधारियों, भारत सरकार, राज्य सरकार, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय एवं भारत सरकार की अन्य एजेन्सियां, राजस्थान सरकार के ऊर्जा विभाग एवं वित्त विभाग एवं अन्य विभाग, भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेन्सी, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, राजस्थान विद्युत एवं विनियामक आयोग, राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड एवं वितरण कम्पनियों से प्राप्त निरन्तर दिशा–निर्देश एवं समर्थन के लिये धन्यवाद ज्ञापित करते है एवं अपना आदर अभिलेखों में अंकित करते है। मण्डल नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, वैधानिक अंकेक्षकों एवं बैंकों द्वारा दिये गये उनके मूल्यवान सहयोग के लिये भी धन्यवाद ज्ञापित करता है। निदेशक मण्डल अपने कर्मचारियों को उनके द्वारा समस्त स्तरों पर दिये गये सबल एवं सहायता के लिये भी अपना आदर अभिलेखों में अंकित करता है, जिसके कारण प्रतिवेदन के अधीन वर्ष के दौरान कम्पनी उत्कृष्ट भूमिका निर्वहन करने में सफल रही।

निदेशक मण्डल के लिये और उनकी ओर से

(डॉ. सुबोध अग्रवाल, आईएएस)
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

दिनांक : 16.12.2021
स्थानः जयपुर।

अनुलग्नक– I

प्रपत्र संख्या एमजीटी–9
वार्षिक विवरणी का उद्धरण

31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष को
(कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 92 (3) एवं कम्पनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12 (1) के अनुसरण में)

1. पंजीयन एवं अन्य ब्यौरे :

1	सीआईएन	U40101RJ1995SGC009847
2	पंजीयन दिनांक	06/04/1995
3	कम्पनी का नाम	राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड
4	कम्पनी का प्रवर्ग / उप–प्रवर्ग	अंशों द्वारा कम्पनी लिमिटेड राज्य सरकार कम्पनी
5	रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता एवं संपर्क हेतु ब्यौरा	ई–166, युधिष्ठिर मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर। दूरभाष: +91 141–2225859 mail id rrec2016@gmail.com Web Site : www.energy.rajasthan.govt.in/rrecl
6	क्या सूचीबद्ध कम्पनी है	नहीं
7	रजिस्ट्रार एवं अन्तरण अभिकर्त्ता का नाम, पता तथा संपर्क हेतु ब्यौरा, यदि कोई है	लागू नहीं है।

2. कम्पनी की मुख्य व्यावसायिक गतिविधियां

कम्पनी के कुल व्यापारावर्त्त के 10 प्रतिशत या अधिक सहायता करने वाली सभी व्यावसायिक गतिविधियों का विवरण :

क्र. सं.	मुख्य उत्पादों / सेवाओं का वर्णन एवं नाम	उत्पाद / सेवा का एनआईसी कोड़	कम्पनी के कुल व्यापारावर्त्त का प्रतिशत
1	गैर पारम्परिक संसाधनों के माध्यम से विद्युत उत्पादन	351 / 351 / 05,06,07	82.07 प्रतिशत

3. नियंत्री, सहायक तथा सहयोगी कम्पनी के विवरण

क्र. सं.	कम्पनी का नाम	सीआईएन / जीएलएन	नियंत्री / सहायक / एसोशिएट	धारित अंशों का प्रतिशत	प्रयोज्य धारा
1	राजस्थान सोलर पार्क डवलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	U40102RJ2011SGC036861	सहायक	100%	2(87)

4. अंश धारण पद्धति
(कुल साम्या का यथा प्रतिशत के साम्या अंश पूंजी का विघटन)

i. श्रेणीवार अंश धारण

अंशधारक का प्रवर्ग		वर्ष के प्रारम्भ में धारित अंशों की संख्या (01 अप्रेल, 2020 को)				वर्ष के अन्त में धारित अंशों की संख्या (31 मार्च, 2021 को)				वर्ष के दौरान परिवर्तन– प्रतिशत में
		डीमेट	भौतिक	कुल	कुल अंशों का प्रतिशत	डीमेट	भौतिक	कुल	कुल अंशों का प्रतिशत	
(ए)	संप्रवर्तक									
(1)	भारतीय									
(ए)	व्यष्टि / हिन्दु अविभक्त कुटुंब			0	0			0	0	0
(बी)	केन्द्रीय सरकार			0	0			0	0	0
(सी)	राज्य सरकार	0	12941078	12941078	100%	0	12941078	12941078	100%	0
(डी)	निगमित निकाय		0	0				0	0	0
(ई)	व्रित्तीय संस्थाऐ / बैंक		0	0				0	0	0
(एफ)	अन्य		0	0				0	0	0
	उप–योग ए (1)	0	12941078	12941078	100%	0	12941078	12941078	100%	0
2	विदेश									
(ए)	अनिवासी व्यष्टि			-	0.00%			-	0.00%	0.00%
(बी)	अन्य व्यष्टि			-	0.00%			-	0.00%	0.00%
(सी)	निगमित निकाय			-	0.00%			-	0.00%	0.00%
(डी)	कोई अन्य			-	0.00%			-	0.00%	0.00%
	उप–योग ए (2)	-	-	-	0.00%	-	-	-	0.00%	0.00%
	योग–ए	0	12941078	12941078	100%	0	12941078	12941078	100%	0
(बी)	पब्लिक अंशधारण									
(1)	संस्थाएं									
(ए)	पारस्परिक निधियां			-	0.00%			-	0.00%	0.00%
(बी)	वित्तीय संस्थाए / बैंक			-	0.00%			-	0.00%	0.00%

(सी)	केन्द्रीय सरकार			-	0.00%			-	0.00%	0.00%
(डी)	राज्य सरकार			-	0.00%			-	0.00%	0.00%
(ई)	जोखिम पूंजी निधियां			-	0.00%			-	0.00%	0.00%
(एफ)	बीमा कम्पनियां			-	0.00%			-	0.00%	0.00%
(जी)	विदेशी संस्थागत विनिधानकर्त्ता			-	0.00%			-	0.00%	0.00%
(एच)	विदेशी साहसी पूंजी कोष			-	0.00%			-	0.00%	0.00%
(आई)	अन्य (निर्दिष्ट करें)			-	0.00%			-	0.00%	0.00%
	उप–योग बी(1)	-	-	-	0.00%	-	-	-	0.00%	0.00%
2	गैर संस्थाएं									
(ए)	निगमित निकाय									
(i)	भारतीय			-	0.00%			-	0.00%	0.00%
(ii)	विदेशी			-	0.00%			-	0.00%	0.00%
(बी)	व्यष्टि									
(i)	एक लाख रूपये तक की अभिहित अंश पूंजी धारक व्यष्टि			-	0.00%			-	0.00%	0.00%
(ii)	एक लाख रूपये से अधिक अभिहित अंश पूंजी धारक व्यष्टि			-	0.00%			-	0.00%	0.00%
(सी)	अन्य (निर्दिष्ट करें)									
	अनिवासी भारतीय			-	0.00%			-	0.00%	0.00%
	विदेशी निगमित निकाय			-	0.00%			-	0.00%	0.00%
	विदेशी राष्ट्रीय			-	0.00%			-	0.00%	0.00%
	समाशोधन सदस्य			-	0.00%			-	0.00%	0.00%
	न्यास			-	0.00%			-	0.00%	0.00%
	विदेशी निकाय – डीआर			-	0.00%			-	0.00%	0.00%
	उप–योग बी(2)	-	-	-	0.00%	-	-	-	0.00%	0.00%
	कुल पब्लिक (बी)	-	-	-	0.00%	-	-	-	0.00%	0.00%
(सी)	**अभिरक्षको द्वारा धारित अंश**			-	0.00%			-	0.00%	0.00%
	सर्वयोग (ए+बी+सी)	0	12941078	12941078	100%	0	12941078	12941078	100%	0

ii. प्रवर्तको का अंशधारण

क्र. सं.	अंशधारक का नाम	वर्ष के प्रारम्भ में अंशधारण			वर्ष के अन्त में अंशधारण			
		अंशों की संख्या	कम्पनी के कुल अंशों का प्रतिशत	कुल अंशो में विल्लंगमित /प्रतिभूत अंशों का प्रतिशत	अंशों की संख्या	कम्पनी के कुल अंशों का प्रतिशत	कुल अंशो में विल्लंगमित/ प्रतिभूत अंशों का प्रतिशत	वर्ष के दौरान अंशधारण में परिवर्तन प्रतिशत में
1	महामहिम राज्यपाल, राजस्थान	12941078	100.00 %		12941078	100.00 %		0.00%

*राजस्थान के महामहिम राज्यपाल के नामांकित व्यक्ति के रूप में अंशधारिता

iii. संप्रवर्तकों के अंशधारण में परिवर्तन (यदि कोई परिवर्तन नहीं है तो कृपया विशेष रूप से उल्लेख करें) :

क्र. सं.	विवरण	वर्ष के प्रारम्भ में अश धारण		वर्ष के दौरान संचति अंशधारण	
		अंशों की संख्या	कुल अंशों का प्रतिशत	अंशों की संख्या	कुल अंशों का प्रतिशत
	वर्ष के प्रारम्भ में	12,941,078	100.00%	12,941,078	100.00%
	वर्ष के दौरान प्रवर्तकों के अंशधारण में तारीखवार वृद्धि/कमी, विशेषरूप से वृद्धि/कमी का उल्लेख करते हुऐ	शून्य			
	वर्ष के अन्त में	12,941,078	100.00%	12,941,078	100.00%

(iv). शीर्ष दस अंशधारकों के अंशधारण की पद्धति

(निदेशकों, संप्रवर्तको तथा जीडीआरएस एवं एडीआरएस के धारकों के अतिरिक्ति)

क्र. सं.	विवरण	दिनांक	कारण	वर्ष के प्रारम्भ में अश धारण		वर्ष के दौरान संचति अंशधारण	
				अंशों की संख्या	कुल अंशों का प्रतिशत	अंशों की संख्या	कुल अंशों का प्रतिशत
1	नाम						
	वर्ष के प्रारम्भ में			शून्य	0.00%	शून्य	0.00%
	वर्ष के दौरान परिवर्तन				0.00%		0.00%
	वर्ष के अन्त में				0.00%		0.00%
2	नाम						
	वर्ष के प्रारम्भ में			शून्य	0.00%	शून्य	0.00%
	वर्ष के दौरान परिवर्तन				0.00%		0.00%
	वर्ष के अन्त में				0.00%		0.00%

(v). निदेशकों एवं मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों की अंशधारिता

क्र. सं.	प्रत्येक निदेशक एवं प्रत्येक मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक का अंशधारण	वर्ष के प्रारम्भ में अंशधारण		वर्ष के दौरान संचित अंशधारण	
		अंशों की संख्या	कुल अंशों का प्रतिशत	अंशों की संख्या	कुल अंशों का प्रतिशत
	वर्ष के प्रारम्भ में	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	वर्ष के दौरान परिवर्तन	कोई परिवर्तन नहीं		कोई परिवर्तन नहीं	
	वर्ष के अन्त में	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

टिप्पणी : आरआरइसी 100 प्रतिशत एक सरकारी कम्पनी है तथा सभी साम्या अंश राजस्थान के माननीय राज्यपाल एवं उनके नामितियों के नाम है।

<u>ऋणग्रस्तता (ऋणिता)</u>

बकाया/प्रोद्भूत ब्याज परन्तु तत्काल भुगतान देय नहीं है सहित कम्पनी की ऋणग्रस्तता

	निक्षेपों के अतिरिक्त प्रतिभूत ऋण	अप्रतिभूत ऋण	निक्षेप	कुल ऋणग्रस्तता
वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में ऋणग्रस्तता				
i. मूल राशि				
ii. ब्याज देय परन्तु अप्रदत्त				
iii. ब्याज प्रोद्भूत परन्तु देय नहीं				
योग (i+ii+iii)				
वित्तीय वर्ष के दौरान ऋणिता में परिवर्तन				
--अभिवृद्धि --कमी				
शुद्ध परिवर्तन				
वित्तीय वर्ष के अन्त में ऋणिता				
i. मूल राशि	—	—		—
ii. ब्याज देय परन्तु अप्रदत्त				
iii. ब्याज प्रोद्भूत परन्तु देय नहीं				
योग (i+ii+iii)	—	—		—

6. निदेशकों एवं मुख्य प्रबंधकीय कार्मिको का पारिश्रमिक

(ए) प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशकों एवं/अथवा मैनेजर का पारिश्रमिक

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	प्रबंध निदेशक/पूर्णकालिक निदेशक/मैनेजर का नाम		कुल राशि
	नाम	डॉ. सुबोध अग्रवाल	श्री अनिल गुप्ता	(लाख रूपये में)

	पद	प्रबंध निदेशक	प्रबंध निदेशक	
1	सकल वेतन			
(ए)	आयकर अधिनियम की धारा 17(1) में अंतर्विष्ट प्रावधानों के अनुसार वेतन	10.53	9.1	19.63
(बी)	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अन्तर्गत परिलब्धियों का मूल्य			
(सी)	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के अन्तर्गत वेतन के बदले में लाभ			
2	स्टाक विकल्प करार			
3	स्वीट साम्या			
4	कमीशन –यथा लाभ का प्रतिशत –अन्य, विशेष रूप से उल्लेख करें			
5	अन्य, कृपया विशेष रूप से उल्लेख करें			
	योग (ए)	10.53	9.1	19.63

(बी) अन्य निदेशकों को पारिश्रमिक

क्र.सं.	पारिश्रमिक का विवरण	निदेशकों के नाम		कुल राशि
1.	स्वतंत्र निदेशक			
	मण्डल समिति की बैठक में उपस्थित होने हेतु शुल्क			
	कमीशन			
	अन्य, कृपया विशेष रूप से उल्लेख करें।			
	योग (1)			
2.	अन्य गैर कार्यपालक निदेशक			
	मण्डल समिति की बैठक में उपस्थित होने हेतु शुल्क			
	कमीशन			
	अन्य, कृपया विशेष रूप से उल्लेख करें।			
	योग (2)			
	कुल (बी)=(1+2)			
	अधिनियम के अनुसार, कुल अधिकतम सीमा			

(सी) प्रबंध निदेशक/मैनेजर/ पूर्णकालिक निदेशकों के अतिरिक्त अन्य मुख्य प्रबंधकीय कार्मिको का पारिश्रमिक

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिका के नाम				कुल राशि
	नाम					(लाख रुपये में)

	पद	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	मुख्य वित्त अधिकारी	कम्पनी सचिव		
1	सकल वेतन		23.47	10.65		34.12
(ए)	आयकर अधिनियम की धारा 17(1) में अंतर्विष्ट प्रावधानों के अनुसार वेतन					
(बी)	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अन्तर्गत परिलब्धियों का मूल्य					
(सी)	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के अन्तर्गत वेतन के बदलें में लाभ					
2	स्टाक विकल्प करार					
3	स्वीट साम्या					
4	कमीशन –यथा लाभ का प्रतिशत –अन्य, विशेष रूप से उल्लेख करें					
5	अन्य, कृपया विशेष रूप से उल्लेख करें					
	योग		23.47	10.65		34.12

7. शास्तियां/अपराधों का प्रशमन

प्रकार	कम्पनी अधिनियम की धारा	संक्षिप्त वर्णन	शास्ति/दंड/अधिरापित प्रशमन शुल्क का ब्यौरा	प्राधिकारी (आरडी/एन सी एलटी/न्यायालय)	की गयी अपील यदि कोई हो (ब्यौरा देवें)
ए. कम्पनी					
शास्ति			शुन्य		
दंड					
प्रशमन					
बी. निदेशक					
शास्ति			शुन्य		
दंड					
प्रशमन					
सी. व्यतिक्रम में अन्य अधिकारी					
शास्ति			शुन्य		
दंड					
प्रशमन					

निदेशक मण्डल के लिये और उनकी ओर से

(डॉ. सुबोध अग्रवाल, आईएएस)
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक
डीआईएन 06940604

अनुलग्नक–II

वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए निगम सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट

1. कम्पनी की सीएसआर नीति के संबंध में संक्षिप्त रूप–रेखा

कार्पोरेट सामाजिक दायित्व की नीति को निदेशक मण्डल द्वारा दिनांक 28.03.2015 को सम्पन्न हुई अपनी बैठक में स्वीकृत किया गया तथा इसका नाम आरआरईसीएल सीएसआर नीति रखा गया एवं यह www.rajasthan.gov.in/rrecl पर उपलब्ध है। कम्पनी, आरआरईसीएल, के दृष्टिकोण के अनुरूप अपने सामाजिक दायित्व के कार्यों से समाज के मूल्यों में वृद्धि करने का प्रयास करती रहेगी तथा समुदायों में अपनी सामुदायिक सेवाओं, अभियानों को चलाती रहेगी ताकि समाज तथा समुदायों का निरन्तर उत्थान हो और इस तरह कम्पनी पर्यावरणीय चिन्ताओं के साथ कार्पोरेट सामाजिक दायित्व निभाने में अपनी भूमिका निभाती रहेगी।

आरआरईसीएल की सीएसआर नीति के उद्देश्य इस प्रकार हैः

(i) अपने सभी हितधारकों के हितों को पहचानते हुए आर्थिक, सामाजिक तथा पर्यावरणीय निरन्तरता से अपना कार्य संचालन करने तथा संगठन में सभी स्तर पर अपनी प्रतिबद्धता को बढ़ाने का संकल्प।

(ii) प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से समुदायों के हित में ऐसे प्रॉजेक्टस्, कार्यक्रम अथवा गतिविधियां करना जिनका परिणाम, एक समयावधि के बाद, जीवन की गुणवत्ता तथा स्थानीय आबादी का आर्थिक स्तर बढ़ने मे हो।

(iii) अपनी सीएसआर पहल के माध्यम से आरआरईसीएल के लिये सामुदायिक सद्भावना को सृजित करना एवं कॉर्पोरेट इकाई के रूप में एक सकारात्मक और सामाजिक रूप से जिम्मेदार छवि को निखारना।

2. सीएसआर समिति की संरचना

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसरण में कम्पनी ने कार्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) समिति का गठन किया है, जिसमें निम्नलिखित निदेशक यथा सदस्य के हैः

1. श्री डी.एन. पाण्डे
2. श्री सुधीर कुमार शर्मा
3. श्री कमलेश अबुसारिया

वर्ष के दौरान कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा विद्यमान कम्पनी (कारपोरेट सामाजिक दायित्व नीति) नियम, 2014 को संशोधित करते हुये (कारपोरेट सामाजिक दायित्व

नीति) संशोधन नियम, 2021 बनाये गये थे और ये नियम 22 जनवरी, 2021 से प्रवृत्त हुये। इन संशोधित नियमों के अनुसार, कम्पनी द्वारा व्यय की जाने वाली राशि 50 लाख रूपये से अधिक नहीं है तो सी एस आर समिति की आवश्यकता नहीं है। वित्तीय वर्ष में राअउनिलि की सी एस आर राशि 50 लाख रूपये से अधिक नहीं थी, अतः मण्डल द्वारा समिति को विघटित कर दिया गया।

3. **वह वेब–लिंक प्रदान करें जहां सीएसआर समिति की संरचना, सीएसआर नीति और बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाएं कम्पनी की वेबसाइट पर प्रकट की गई है:**

- सीएसआर समिति के लिये: www.energy.rajasthan.gov.in/rrecl
  (विव 2021–22 के लिये सीएसआर समिति)
- सीएसआर नीति के लिये: www.energy.rajasthan.gov.in/rrecl
- सीएसआर परियोजनाओं के लिये: www.energy.rajasthan.gov.in/rrecl

4. **कम्पनी (कारपोरेट सामजिक दायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 8 के उप–नियम (3) के अनुसरण में निष्पादित सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव मूल्यांकन का ब्यौरा प्रदान करें, यदि लागू हो (रिपोर्ट संलग्न करें)। –**

- लागू नहीं है – जैसा कि कम्पनी पर ठीक तीन पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों में 10करोड़ रूपये या उससे अधिक का औसत सी एस आर दायित्व नहीं है।

5. **कम्पनी (कारपोरेट सामाजिक दायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 7 के उप–नियम (3) के अनुसरण में मुजरे के लिए उपलब्ध राशि का ब्यौरा और वित्तीय वर्ष के लिए तय की जाने वाली अपेक्षित राशि, यदि कोई है :** शून्य

6. **गत 3 वित्तीय वर्षो का औसत शुद्ध लाभ**– 22,98,25,543/– रूपये

7. (क) **धारा 135(5) के अनुसार कम्पनी का औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशतः** 45,96,511/– रूपये

   (ख) **पिछले वित्तीय वर्षो का सीएसआर परियोजना का कार्यक्रमों या गतिविधियों का अधिशेषः** शून्य

   (ग) **वित्तीय वर्ष के लिए तय की जाने वाली राशि, यदि कोई होः** शून्य

   (घ) **वित्तीय वर्ष के लिए कुल सीएसआर देनदारी (7क+7ख–7ग):** 45,96,511/– रूपये

8.. वित्तीय वर्ष के दौरान सामाजिक दायित्व के कार्यों पर किये गये व्यय का ब्यौरा – 46,51,967/– रूपये

(क) अव्ययित राशि – शून्य
(ख) वित्तीय वर्ष के दौरान जारी परियोंजनाओं के विरूद्ध जिस रूप में राशि व्यय की गयी उसका विस्तृत ब्यौरा निम्न प्रकार है :

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
क्र. सं.	परियोजना का नाम	इस अधिनियम की अनुसूची VII मे कार्यकलापों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र (हा/नहीं)	परियोजना की अवस्थिति		परियोजना अवधि	परियोजना के लिए आवंटित राशि (रूपये मे)	वर्तमान वित्तीय वर्ष में व्यय की गई राशि (रूपये में)	धारा 135 (6) के अनुसार परियोजना के लिए अव्ययित सीएसआर खाते में अंतरिककी गई राशि (रूपये मे)	कार्यान्वयन की रीति – सीधे (हा/नही)	कार्यान्वयन की रीति -- कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
				राज्य	जिला						
1	चिकित्सा अस्पताल की आधारभूत सरचना का विकास	(i)	हाँ	राजस्थान	बीकानेर	3 वर्ष	46.52 लाख	14.50 लाख (शेष कार्य प्रगतिधीन)	–	नही	राजस्थान मेडिकल रिलीफ सोसायटी, बीकानेर
	कुल										

*यह सी.एस.आर. संशोधन नियमों में यथा परिभाषित "जारी गतिविधियां" हैं। उल्लेखित वर्ष में वह वित्तीय वर्ष जिसमें परियोजना प्रारम्भ की गयी थी, शामिल है।

(ग) वित्तीय वर्ष के लिए जारी परियोजनाओं के अलावा अन्य पर व्यय की गई सीएसआर राशि का ब्यौराः शून्य

(घ) प्रशासनिक ऊपरी व्यय में खर्च की गई राशिः शून्य

(ड.) प्रभाव मूल्यांकन पर खर्च की गई राशि, यदि लागू होः लागू नहीं

(च) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशिः 46.52 लाख रूपये

(छ) सेट ऑफ, यदि कोई हो, के लिए अधिक राशिः शून्य

9. (क) पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों के लिए व्ययित अथवा अव्ययित सीएसआर राशि का ब्यौरा

क्र.सं.	पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष	धारा 135(6) के अधीन अव्ययित सीएसआर खाते में अंतरित राशि (रूपये में)	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष (2020.21) में खर्च की गई राशि (रूपये में)	धारा 135 (5) के द्वितीय परन्तुक के अनुसार अनुसूची VII के अधीन यथा–विनिर्दिष्ट किसी निधि में अंतरित राशि, यदि कोई हो।			पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों में खर्च की जाने वाली शेष राशि (रूपये में)
				निधि का	राशि	अंतरण की	

				नाम	(रूपये में)	तारीख	
1	2019–20	–	55,456/–	–	–	–	–
	कुल						

कम्पनी की सी एस आर नीति के अनुसार, राशि को अग्रनीत किया है और जैसा कि प्रावधान लागू नहीं है यथा जारी परियोजना के अग्रनीत नहीं किया है क्योंकि "जारी परियोजनायें" की धारणा सी एस आर संशोधन नियमों से आयी है जो कि वित्तीय वर्ष 2021 से सम्बन्धित है।

(ख) **पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की चालू परियोजनाओं के लिए व्ययित सीएसआर राशि का ब्यौरा:** शून्य

10. **पूंजीगत परिसम्पत्ति के सृजन अथवा अधिग्रहण के मामलें में, वित्तीय वर्ष में सीएसआर व्यय के माध्यम से इस प्रकार सृजित अथवा अधिगृहीत परिसम्पत्ति से संबंधित ब्यौरा प्रस्तुत करें:** कोई भी पूंजीगत परिसम्पत्ति का सृजन अथवा अधिग्रहण नहीं किया गया था।

11. **कारणों को विनिर्दिष्ट करें, यदि कम्पनी धारा 135 के अनुसार औसत शुद्ध लाभ के 2 प्रतिशत को खर्च करने में असफल हुई हो:** वैश्विक महामारी कोविड के कारण, परियोजना के चयन में विलम्ब हो गया और वर्ष के भीतर पूर्ण नहीं हो सका। राशि को अधिनियम 2013 के अनुसार व्यय किया जायेगा।

ह.
अध्यक्ष सीएसआर समिति

ह.
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

माथुर एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस

स्वतंत्र अंकेक्षकों का प्रतिवेदन

राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड के सदस्यगण

एकल वित्तीय विवरणों के अंकेक्षण पर रिपोर्ट

विशेषित अभिमत

हमने **राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड़** (कम्पनी) के एकल वित्तीय विवरणों का अंकेक्षण कर लिया है जिसमें 31 मार्च, 2021 तक के तुलन–पत्र एवं लाभ हानि विवरण एवं उस दिनांक को समाप्त होने वाले वर्ष हेतु रोकड़ प्रवाह विवरण एवं महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सार एवं अन्य विस्तृत सूचनाओं सहित एकल वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां समाविष्ट है (इसके पश्चात् यथा ''एकल वित्तीय विवरणों'' के विनिर्दिष्ट)।

हमारे प्रतिवेदन के 'विशेषित अभिमत' हेतु आधार अनुभाग में वर्णित मामलों के प्रभावों के सिवाय, हमारे अभिमत में एवं हमारी जानकारी के सर्वोत्तम एवं हमें दिये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपरोक्त एकल वित्तीय विवरण कम्पनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') द्वारा अपेक्षित सूचनाओं को चाही गई रीति से उपलब्ध कराते है तथा भारत में साधरणतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धान्तों के अनुरूप 31 मार्च, 2021 को कम्पनी के कार्यकलाप की स्थिति, लाभ एवं उसी तिथि को समाप्त हुए वर्ष के लिए कुल व्यापक आय, साम्या में परिवर्तनों एवं इसके रोकड प्रवाह का सत्य एवं स्वच्छ चित्रण प्रकट करते है।

विशेषित अभिमत हेतु आधार

हम **अनुलग्नक 'ए'** में वर्णित मामलों की ओर ध्यान आकर्षित करते है, जिनके आधार पर हम एकल वित्तीय विवरणों पर विशेषित अभिमत व्यक्त कर रहे है।

हमने, अधिनियम की धारा 143(10) के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट लेखा परीक्षण मानकों के अनुसार, एकल वित्तीय विवरणों के हमारे अंकेक्षण को आयोजित किया है। उन मानकों के अधीन हमारे उत्तरदायित्व को हमारे प्रतिवेदन के एकल वित्तीय विवरण अनुभाग के अंकेक्षण के लिये अंकेक्षकों के उत्तरदायित्व में अग्रतर वर्णित किया गया है। हम नैतिक अपेक्षाओं जो अधिनियम एवं उसके अधीन नियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत एकल वित्तीय विवरणों के हमारे अंकेक्षण के प्रासंगिक है के साथ भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस संस्था द्वारा जारी की गयी आचार संहिता के अनुसार अपने अन्य नैतिक उत्तरदायित्वों को पूरा कर लिया है। हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किये गये अंकेक्षण साक्ष्य पर्याप्त है एवं एकल वित्तीय विवरणों पर हमारे अंकेक्षण अभिमत के लिये एक उचित आधार उपलब्ध कराते है।

वित्तीय विवरणों के अतिरिक्त सूचना एवं उस पर अंकेक्षकों का प्रतिवेदन

अन्य सूचनाओं के लिये कम्पनी का निदेशक मण्डल उत्तरदायी है। अन्य जानकारी में मण्डल का प्रतिवेदन,प्रबन्धन के विचार--विमर्श एवं विश्लेषण, निगमित शासन पर रिपोर्ट और मण्डल के प्रतिवेदन के अन्य अनुलग्नक शामिल है परन्तु इसमें एकल वित्तीय विवरण एवं उन पर हमारे अंकेक्षकों की रिपोर्ट सम्मिलित नहीं है।

एकल वित्तीय विवरणों पर हमारी राय में अन्य सूचनाएं सम्मिलित नहीं है और हम उस पर आश्वासन निष्कर्ष के किसी भी रूप को व्यक्त नहीं करेंगें।

एकल वित्तीय विवरण के हमारे अंकेक्षण के सम्बन्ध में, हमारा उत्तरदायित्व उपरोक्त परिलक्षित अन्य सूचनाओं, जब यह उपलब्ध हो जाती है, को पढ़ना है और ऐसा करने पर, विचार करें कि क्या अन्य सूचनाएं एकल वित्तीय विवरण के साथ तात्विक रूप से असंगत है या हमारे अंकेक्षण के दौरान या अन्यथा अभिप्राप्त हमारा ज्ञान तात्विक रूप से अशुद्ध वर्णन करता प्रतीत होता है।

यदि, हमने जो कार्य निष्पादित किया है उसके आधार पर हम यह निष्कर्ष करते है कि इन अन्य सूचनाओं का सारवान मिथ्या कथन है, तो हमें उस तथ्य की रिपोर्ट करने की आवश्यकता है। रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने की दिनांक तक अन्य सूचनाएं उपलब्ध नहीं है और अतः एकल वित्तीय विवरण एवं उन पर अंकेक्षकों की रिपोर्ट के अतिरिक्त किसी सूचना पर हम रिपोर्ट नही करते है।

एकल वित्तीय विवरणों के लिये प्रबंधन के उत्तरदायित्व

कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 134(5) में नियत मामलों में इन एकल वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में जो कि कम्पनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट लेखा मानकों के साथ--साथ, भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धान्तों के अनुसार, कम्पनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन एवं रोकड़ प्रवाह का सत्य व स्वच्छ परिदृश्य प्रस्तुत करने के लिये कम्पनी का निदेशक मण्डल उत्तरदायी है। इस उत्तरदायित्व में सम्मिलित है, कम्पनी की आस्तियों की सुरक्षा के लिये एवं कपट व अन्य अनियमितताओं को रोकने व ज्ञात करने के लिये अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार यथेष्ट लेखा अभिलेखों का संधारण, उचित लेखा नीतियों का चयन एवं प्रयुक्ति, निर्णय एवं प्राक्कलन करना जो कि युक्तियुक्त एवं विवेकपूर्ण हो, समुचित आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों की रूपरेखा, कार्यान्विति एवं संधारण जिन्हें वित्तीय विवरणों जो कि सत्य एंव स्वच्छ परिदृश्य प्रस्तुत करते है और चाहे कपट या त्रुटि के कारण सारभूत गलत विवरण से मुक्त है की तैयारी एवं प्रस्तुतीकरण से संबंधित, लेखा अभिलेखों की विशुद्धता एवं सम्पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिये प्रभावी रूप से क्रियान्वित थे।

एकल वित्तीय विवरणों को तैयार करने में, निदेशक मण्डल यथा चालू समुत्थान के निरन्तरता हेतु कम्पनी की क्षमता का आंकलन करने, चालू समुत्थान से सम्बन्धित मामलों, जैसाकि लागू होता है, का प्रकटीकरण करने एवं चालू समुत्थान के आधार पर लेखांकन का उपयोग करने, का उत्तरदायित्व है जब तक कि निदेशक मण्डल या तो कम्पनी को समाप्त करने या

संचालन को बन्द करने का आशय रखता है या परन्तु ऐसा करने के लिये कोई वास्तविक विकल्प नहीं है।

निदेशक मण्डल कम्पनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया के निरीक्षण के लिये भी उत्तरदायी है।

वित्तीय विवरण के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षकों के उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समग्र रूप से एकल वित्तीय विवरण सारवान मिथ्या कथन, चाहे कपट या त्रुटि के कारण, से मुक्त है, एवं अंकेक्षक को रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारी राय भी शामिल है। उचित आश्वासन, आश्वासन का एक उच्च स्तर है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि अंकेक्षण मानकों के अनुसार किया गया अंकेक्षण हमेशा विद्यमान सारवान मिथ्या कथन का पता लगाएगा। मिथ्या कथन कपट या त्रुटि से उत्पन्न हो सकते है और यदि व्यक्तिगत या सकल रूप से, सारवान माने जाते है तो उनसे इन एकल वित्तीय विवरणों के आधार पर लिये गये उपयोगकर्त्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की अपेक्षा की जा सकती है।

अंकेक्षण मानकों के अनुसार, अंकेक्षण के अंश के रूप में, हम पेशवर निर्णय लेते है एवं सम्पूर्ण अंकेक्षण के दौरान व्यावसायिक संदेहवाद को बनाये रखते है। हम:

- वित्तीय विवरण के सारवान मिथ्या कथनों की जोखिमों को निश्चित करें और उनका आंकलन करें, चाहे कपट या त्रुटि के कारण, उन जोखिमों के प्रतिक्रियाशील अंकेक्षण प्रक्रियाओं की रूप रेखा बनाये और निष्पादित करे एवं अंकेक्षण साक्ष्य प्राप्त करे जो हमारी राय के लिये आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उचित हो। कपट के परिणामस्वरूप होने वाले सारवान मिथ्या कथन का पता नहीं लगाने का जोखिम त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले जोखिम से अधिक है क्योंकि कपट में दुरभिसंधि, जालसाजी, साशय लोप, दुर्व्यपदेशन, या आन्तरिक नियंत्रण का अधिभावी प्रभाव शामिल हो सकता है।
- अंकेक्षण प्रक्रियाओं की रूपरेखा बनाने के लिये अंकेक्षण के लिये प्रासंगिक आन्तरिक नियन्त्रण का अवबोध जो परिस्थितियों में उपयुक्त है, को प्राप्त करें। कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(3)(i) के अधीन, हम इस बात पर भी अपनी राय व्यक्त करने के लिये उत्तरदायी है कि क्या कम्पनी के पास पर्याप्त वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और ऐसे नियंत्रणों का परिचालन प्रभावशील है।
- उपयोग की गयी लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबन्धन द्वारा किये गये लेखांकन अनुमानों एवं सम्बन्धित प्रकटीकरणों का मुल्यांकन करें।
- चालू समुत्थान आधारित लेखांकन का प्रबन्धन के उपयोग की उपयुक्तता एवं अभिप्राप्त अंकेक्षण साक्ष्य पर आधारित निष्कर्ष करना कि क्या उन घटनाओं या स्थितियों जो कम्पनी की यथा चालू समुत्थान की निरन्तरता की क्षमता पर महत्त्वपूर्ण संदेह डाल सकती हैं, से सम्बन्धित सारवान अनिश्चितता विद्यमान है। यदि हम निष्कर्ष निकालते हैं कि सारवान अनिश्चतता विद्यमान है, तो हमें हमारे

अंकेक्षकों के प्रतिवेदन में एकल वित्तीय विवरण में सम्बन्धित प्रकटीकरणों पर ध्यान आकर्षित करना होगा या, ऐसे प्रकटीकरण हमारी राय को संशोधित करने के लिये अपर्याप्त है। तथापि, भावी घटनाओं या स्थितियों के कारण कम्पनी की यथा चालू समुत्थान की निरन्तरता समाप्त हो सकती है।

- प्रकटीकरण सहित वित्तीय विवरण की समग्र प्रस्तुति, संरचना एवं अन्तर्वस्तु का मुल्यांकन करें, तथा क्या वित्तीय विवरण अन्तर्निहित संव्यवहार और घटनाओं को इस तरह से दर्शातें है जो स्वच्छ प्रस्तुति को पूरा करते है।

वित्तीय विवरणों में मिथ्या कथन की महत्ता की अहमियत इससे है कि वैयक्तिक या सामूहिक, इस बात की संभावना है कि एकल वित्तीय विवरणों के यथोचित जानकार उपयोगकर्त्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते है। हम (प) हमारे अंकेक्षण कार्य–क्षेत्र की योजना करने एवं हमारे कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करने, एवं (पप) वित्तीय विवरणों में कोई भी निश्चित मिथ्याकथन के प्रभाव का मूल्यांकन करने, में मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक तत्वों पर विचार करते है।

हम, अन्य मामलों में आन्तरिक नियंत्रण की कोई भी महत्वपूर्ण कमियों जिन्हें हम अपने अंकेक्षण के दौरान पहचानते हैं, के सहित निष्कर्षों से उन्हें जिनके पास नियमन का प्रभार है, सूचित करते है।

हम उनको जिनके पास नियमन का प्रभार है, एक कथन के साथ उपलब्ध कराते है कि हमने स्वतंत्रता से सम्बन्धित प्रासंगिक नैतिक आवश्यक्ताओं की पालना की है और सभी सम्बन्धों तथा अन्य मामलों जिन्हें हमारी स्वतंत्रता और जहां लागू हो, सम्बन्धित सुरक्षण पर युक्तियुक्त रूप से सोचा जा सकता है, उन्हें सूचित करते हैं।

अन्य कानूनी एवं नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. जैसा कि अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप धारा 11 के निबन्धनों के अनुसार केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किये गये कम्पनी (अंकेक्षकों का प्रतिवेदन) आदेश, 2016 (आदेश) द्वारा अपेक्षित है, हम 'अनुलग्नक–बी' में कथित आदेश के पैरा 3 व 4 में यथा विनिर्दिष्ट मामलों पर, लागू होने की सीमा तक, एक विवरण संलग्न करते है।

2. अधिनियम की धारा 143 (3) द्वारा यथा अपेक्षित, हम रिपोर्ट करते है कि –

ए) हमने वे समस्त सूचनाये एवं स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिये है जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान व विश्वास से हमारे अंकेक्षण के प्रयोजन हेतू आवश्यक थे।

बी) हमारे मत में, कम्पनी ने विधि द्वारा यथापेक्षित समुचित लेखा पुस्तकें जहां तक इन पुस्तकों के हमारे परीक्षण से विदित होता है, रखी हुई है।

सी) इस प्रतिवेदन में व्यवहृत तुलन–पत्र, लाभ–हानि विवरण एवं रोकड़ प्रवाह विवरण लेखा–पुस्तकों से मेल खाते है।

डी) हमारे मत में, पूर्वोक्त एकल वित्तीय विवरण कम्पनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट लेखा मानकों की पालना करते है।

(ई) कार्पोरेट मामलात मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 463(ई) दिनांक 05.06.2015 के अनुसार निदेशकों की अनर्हता से संबंधित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 की उपधारा (2) के प्रावधान सरकारी कम्पनी पर लागू नहीं है।

(एफ) वित्तीय रिपोर्टिंग पर कम्पनी के आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता एवं ऐसे नियंत्रणों की प्रभावशील सक्रियता के संबंध में, 'अनुलग्नक–सी' पर हमारा पृथक प्रतिवेदन देखें।

(जी) कार्पोरेट मामलात मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जी. एस.आर. 463 (ई) दिनांक 05.06.2015 के अनुसार प्रबन्धकीय पारिश्रमिक से संबंधित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 197(16) सरकारी कम्पनियों पर पर लागू नहीं है।

(एच) कम्पनी (अंकेक्षण एवं अंकेक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार अंकेक्षण प्रतिवेदन में सम्मिलित किये जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारे मत में एवं हमारी सूचना के सर्वोत्तम एवं हमें दिये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार :

i- कम्पनी ने अपने वित्तीय विवरणों में लम्बित मुकदमों का इसकी वित्तीय स्थिति पर होने वाले प्रभावों का प्रकटीकरण किया है–देखें वित्तीय विवरणों के बिन्दु सं. 21 व 22 पर उपखण्ड 3, टिप्पणी संख्या 1।

ii- कम्पनी में व्युत्पन्न संविदा सहित दीर्घावधि संविदा जिसमें कोई सारवान पूर्वानुमेय हानियां थी, नहीं थी।

iii- कम्पनी द्वारा निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा निधि में अन्तरित करने वाली कोई राशि नहीं थी जिसे अन्तरित करने की आवश्यकता थी।

3. कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) द्वारा यथा अपेक्षित, हमने 'अनुलग्नक–डी' में कम्पनी के संबंध में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी किये गये निर्देश/उपनिर्देश की अनुपालना पर विवरण दिया है।

माथुर एण्ड कम्पनी के लिये
चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस
एफआरएन : 001952सी
ह.
(अनिल माथुर)
साझेदार
सदस्य संख्या : 070339
यूडीआईएनः 21070339AAAABC9818

स्थान : जयपुर
दिनांक : 17.11.2021

अनुलग्नक–ए

31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड, जयपुर के एकल वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र अंकेक्षकों के प्रतिवेदन का भागरूप/अंगभूत

विशेषित अभिमत हेतु आधार

(हमारी रिपोर्ट के "विशेषित अभिमत हेतु आधार" के अन्तर्गत पैरा में संदर्भित)

1. यह देखा गया है कि नीचे उल्लिखित निम्नलिखित शीर्षो के अन्तर्गत कम्पनी के कई पुराने क्रेडिट शेष है। इन्हें 3 साल से अधिक की अवधि से आगे लाया जा रहा है। उचित विवरणों के अभाव में, हम वित्तीय विवरणों पर इसके परिणामी प्रभाव को व्यक्त करने में असमर्थ है।

अन्य दीर्घावधि दायित्व	राशि (रूपयों में)
अग्रिम राशि जमा (सीए सेवाओं हेतु नियोजन)	10,000
अग्रिम राशि जमा (रेडा)	20,72,829
अग्रिम राशि जमा (आरईपी 11–12) खाता	6,00,000
अग्रिम राशि जमा आरईपी 9–10 खाता	2,00,000
अनुदान हेतु प्राप्तियां	
अक्षय ऊर्जा दिवस अनुदान (एमएनईएस)	13,67,772
अक्षय ऊर्जा दिवस अनुदान 2007	9,82,658
अक्षय ऊर्जा दिवस अनुदान 04–05 खाते	2,67,001
अन्य अनुदान	
वार्षिक कार्य योजना 11–12 (बीईई) अनुदान खाता	55,385
बीईई (प्रवर्तन मशीनरी का संस्थाकीयकरण)	15,00,000
एसडीए परियोजना के लिये पारमर्श सेवा बीईई अनुदान	15,13,333
एमएनईएस जिला सलाह समिति योजना	26,00,000
स्टेच्यू सर्किल पर एसएलएस का प्रदर्शन (बीईई) अनुदान	16,86,000
ऊर्जा संरक्षण अनुदान 08–09 (बीईई) खाता	6,37,955
ऊर्जा संरक्षण अनुदान (बीईई) 09–10 अनुदान खाता	8,11,956
आईजीईए बीईई अनुदान खाता	3,42,517
आरईसी ढ़ाचे के लिये वित्तीय सहायता (एकबार) खाता	7,172
विविध अनुदाने	3,68,400
एमएनआरई अनुदान खाता	21,00,447
ए.एस.एस. 2001–02 के लिये प्रावधान	19,034
सोलर सिटी विकास (जोधपुर) अनुदान खाता	1,75,000
ईसीबीसी व्यवसायिकों का प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण	1,76,800
अधिसूचित पीएटी योजना पर कार्यशाला	2,33,191
106.24 केडब्ल्यूपी एसपीवी ऊर्जा संयंत्र एमएनआरई अनुदान खाता	8,389
प्रचार अनुदान खाता	1,500
राज्य योजना अनुदान (आरईपी) खाता 12–13	59,96,415

आकल जैसलमेर पर 120 मीटर विण्ड मास्ट	59,535
एमएनआरई ऑफ ग्रिड परियोजना 2011–12	36,00,191
प्रचार जानकारी बीईई शीर्ष	5,50,000
उर्जा दक्षता पथ प्रकाश पर आर एण्ड डी परियोजना खाता	14,91,743
2017–18 के लिये एसएमई में उर्जा दक्षता	2,55,918
आरसीएसई के माध्यम से शारदे कन्या छात्रावास	44,08,006
1 किलोवाट का एसआईटीसी (केयर्न्स)	1,19,389
एफ/एस के लिये प्रशिक्षण/कार्यशाला	43,973
आरवीई अनुदान	
आरवीई 11–12 (राज्य अंश) खाता	2,94,88,000
आरवीवी सीएसएस 10–11 एमएनआरई खाता	51,069
आरवीई सीएसएस 9–10 अनुदान खाता	6,53,991
आरईपी अनुदान	
आरईपी (सीएसएस) 09–10 अनुदान खाता	8,67,481
राज्य योजना अनुदान (आरईपी) खाता 13–14 खाता	3,85,920
एसएडीपी अनुदान	
दरगाह ख्वाजा शरीफ के लिये एसएडीपी, अजमेर एमएनआरई	4,55,672
एसएडीपी केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर एमएनआरई	3,10,269
एसएडीपी कार्यक्रम राज भवन जयपुर अनुदान, एमएनआरई	3,80,069
सौर जल तापन अनुदान	
सोलर जल तपन सिस्टम सीएसएस खाता	51,723
एसडब्ल्यूएचएस पूंजी सहायिकी 2013–14	1,77,377
एमएनआरई सेवा प्रभार प्राप्य खाता	1,98,648
भेल खाता	42,464
तकनीकी कृषि इंजीनियरींग कॉलेज, उदयपुर	86,071
पीएमजीवाई (मासिक ऊर्जा बिल) खाता	16,750
अल्पकालीन प्रावधान	
विविध प्राप्ति दायित्व	33,15,601
अन्य चालू दायित्व	
आपूर्तिकर्त्ता के क्रेडिट पर ब्याज	21,97,104
योग	**72940718**

2. कम्पनी ने वित्तीय वर्ष 2011–12 में जयपुर, अजमेर एवं जोधपुर डिस्कॉम को समन्वय समिति द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार बैटरियों की एक मुश्त बदली तथा डिस्कॉमों को 40 सौर ऊर्जा संयंत्र सौंपने से पूर्व उपयुक्त संचालन एंव मरम्मत लागत के लिये 1.00 करोड़ रूपये की राशि का अग्रिम भुगतान किया। इसके अतिरिक्त, दौलतपुरा में 10 मेगावाट ऑफ ग्रिड संयंत्र बनाने के लिये कार्य आदेश के विरूद्ध जयपुर डिस्काम को वित्तीय वर्ष 2018–19 में 4.16 लाख रूपये का भी भुगतान किया। इन अग्रिमों में से, 24.16 लाख रूपये के व्ययों के विवरण अभी तक लम्बित है। डिस्कॉमों द्वारा वर्ष के दौरान किये गये व्ययों के पूर्ण विवरणों के अभाव में, हम अपने विचार अभिव्यक्त करने में और वित्तीय विवरणों पर इसके परिणामी प्रभाव को व्यक्त करने में असमर्थ है।

3. कम्पनी के डेबिट शेष (प्राप्य अनुदान) निम्नलिखित है जो कि लम्बे समय से लम्बित है :

विवरण	राशि (रूपये में)
वार्षिक गतिविधि योजना (2012–13) खाता	46,00,103
सरकारी लक्ष्य प्राप्ति व्यय अनुदान 12–13	27,800
पूर्व बोली सोलर आरपीएफ खाता	1,47,553
पुनः निवेश परिणाम–पारस्परिक बैठक (आईआरईडीए)	4,89,669
आरई राज्य योजना/एमएनआरई सीएसआई (एसपीवी प्रोजेक्ट 10–11)	29,970
स्टॉफ एनर्जी कन्जर्वेशन कोष	42,277
पवन संसाधन निर्धारण अनुदान (सीएसएस) खाता	53,088
सूचना एवं प्रचार अनुदान 12.13 खाता	24,800
आरवीई 11–12 (13 गांव) सीएसएस अनुदान	61,529
एक दिन की पारस्परिक कार्यशाला (पीएटी) एमएनआरई	50,941
ऑफ ग्रिड पीआरओजी 2013–14 (1किवाघं)	78,376
राज्य योजना अनुदान (आरईपी) 11–12 खाता	2,96,334
सोलर जल ऊष्मा प्रणाली (सेमीनार) अनुदान	8,600
ऊर्जा संरक्षण निधि (बीईई) 07–08 खाता	5,27,483
पुनः निवेश परिणाम–पारस्परिक बैठक (इरेडा)	64,38,523
योग	**69,28,192**

लम्बित समायोजन के पूर्ण विवरणों के अभाव में, हम अपने विचार अभिव्यक्त करने में और वित्तीय विवरणों पर इसके परिणामी प्रभाव को व्यक्त करने में असमर्थ है।

4. लम्बे समय से "ऋण एवं अग्रिम" शीर्ष के अन्तर्गत यथा नीचे उल्लिखित बड़ी संख्या में भुगतान प्रकट हो रहे है:

विवरण	राशि (रूपये में)
पी एफ के लिये अग्रिम (वसूलीयोग्य)	1,09,885
राउन्ड टेबल कान्फ्रेन्स के लिये अग्रिम	2,26,892
इण्डिया इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली को अग्रिम	36,000
कार्यपालक अधिकारी नगर पालिका, भरतपुर को अग्रिम	8,50,000
शिवचरण माथुर सामाजिक नीति अनुसंधान को अग्रिम	20,000
मैसर्स वेस्टास पिण्ड टेक इण्डिया प्रा.लि. को अग्रिम	16,90,073
मैसर्स उजास एनर्जी लि. (डी)	2,84,625
अधिशाषी अभियन्ता (पीडब्ल्यूडी), जिला खण्ड, फलोदी को अग्रिम	2,157
पीओ, टीएडी, बांसबाडा निक्षेप कार्य खाता	17,63,710
पीओ, टीएडी, उदयपुर निक्षेप कार्य खाता	65,750
मैसर्स इलयूजन रियल	9,880
आरएसडीसीसी लि. को अग्रिम	70,000
मुख्य कार्यपालक अधिकारी, जोधपुर नगर निगम, जोधपुर को अग्रिम	1,75,000
सीएमएस एचसीएम रिपा, जयपुर को अग्रिम	20,500
आयुक्त, भरतपुर नगरपालिका परिषद को अग्रिम	10,00,000

दिगम्बर जैन मंदिर श्री नेमीनाथ जी, अजमेर को अग्रिम	5,046
जिला कलेक्टर, हनुमानगढ़ को अग्रिम	50,514
जिला कलेक्टर, राजसमन्द को अग्रिम	38,241
जिला कलेक्टर, सीकर को अग्रिम	26,547
जयपुर नगर निगम को अग्रिम (एसएलएस बीईई की स्थापना) खाता	16,86,000
जवाहर कला केन्द्र, जयपुर को अग्रिम	6,000
मैसर्स आरएसटीसी, जयपुर को अग्रिम	72,120
पीएचईडी, शहर खण्ड ॥ (दक्षिण), जयपुर को अग्रिम खाता	15,521
बीएसएनएल को अग्रिम खात	35,000
अधिशाषी अभियन्ता, विद्युत, पीडब्लयूडी, अजमेर को अग्रिम	9,318
राजस्थान के इंजिनियरिंग कॉलेजों को अग्रिम	75,000
प्रबन्ध निदेशक, आरआईएसएल को अग्रिम	85,895
योग	**84,29,674**

इन्हें जल्दी ही समायोजित कर लिया जायेगा। पूर्ण विवरणों के अभाव में, हम अपने विचार अभिव्यक्त करने में और वित्तीय विवरणों पर इसके परिणामी प्रभाव को व्यक्त करने में असमर्थ है।

5. लेखांकन नीतियां:

कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–III की आवश्यकताओं के अनुसार, कम्पनी ने दीर्घकालीन या अल्पकालीन श्रेणी के अन्तर्गत अपनी आस्तियों और दायित्वों के विभाजन के लिये प्रचालन चक्र की लेखाकन नीति को परिभाषित नहीं किया है।

6. स्थिर आस्तियां:

वर्ष के दौरान "8 केडब्ल्यूपीएस ग्रिड सम्बद्ध एसपीवी विद्युत संयंत्र के लिये लाभार्थी का अंश" के कारण भवन शीर्ष के अन्तर्गत 558680/– रूपये की अभिवृद्धि की गयी है। जैसा कि नयी आस्ति की प्रकृति संयंत्र एवं मशीनरी की है, आस्ति को भवन शीर्ष के अन्तर्गत गलत रूप से वर्गीकृत किया गया है। तद्नुसार, मूल्य ह्रास को भी संयंत्र एवं मशीनरी पर प्रयोज्य दर के स्थान पर भवन पर प्रयोज्य दर पर प्रभारित किया गया है। इसलिये, आस्तियों साथ ही स्थिर आस्तियों पर मूल्य ह्रास को सही मूल्यों पर नहीं दर्शाया गया है।

7. संबंधित पक्षकार संव्यवहार:

ए) कम्पनी अधिनियम, 2013 और लेखा मानक–18 के प्रावधानों के अनुसार, समनुषंगी कम्पनी, राजस्थान सोलरपार्क डवलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड से संबंधित, संबंधित पक्षकार और इसके संव्यवहारों का उचित प्रकटीकरण नहीं किया गया है। वर्ष के दौरान कम्पनी इस कम्पनी से एवं को 10.00 करोड रूपये प्राप्त किये और भुगतान किया। तथापि, इसे बिन्दू सं. 11 पर अतिरिक्त

टिप्पणी 3 के अन्तर्गत टिप्पणी सं. 1 के अधीन महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों में विचारित नहीं किया है।

बी) टिप्पणी 17 पर " अन्य चालू आस्तियां" में "अन्य" शीर्ष के अन्तर्गत वर्ष के अन्त में राजस्थान सोलरपार्क डवलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड का 1135011 रु का शेष भी सम्मिलित है। तथापि, संबंधित पक्षकार होने से, इसे पृथक रूप से दर्शाना चाहिये और टिप्पणी 16 के अधीन प्रकट किया जाना चाहिये।

8 नकद एवं नकद समतुल्यः

ए) कम्पनी ने अपने परियोजना अधिकारियों को विभिन्न संयंत्र अवस्थितियों पर अग्रिम धनराशि दी है और वर्ष के अन्त में उन्होने अव्ययित धनराशि को अपने पास ही रख लिया जिसे यथा उनको "अग्रिम" माना गया है। तथापि, यह देखा गया है कि वर्ष के अन्त में उनके द्वारा धारित 627065.50 रु के शुद्ध शेष को बैंक शेष यथा परियोजना अधिकारियों को अग्रिम के अन्तर्गत समूहित किया गया है। इसलिये, नकद एवं नकद समतुल्य को सही रूप से नहीं दर्शाया गया है।

बी) कम्पनी ने विशिष्ट एमएनआरई योजनाओं के लिये पृथक-पृथक बैंक खातों का संधारण नहीं किया है एवं इन्हें सामूहिक बैंक खाते में लिया है इसलिये कथित विशिष्ट योजना कोष में अर्जित ब्याज का पृथक रूप से निर्धारण नहीं किया जा सकता है। अतः कम्पनी का लाभ इस सीमा तक अधिक कथित है। धनराशि निर्धारणीय नहीं है।

सी) वर्ष के दौरान कम्पनी ने एक्सिस बैंक लिमिटेड में अपने बैंक खाते को बन्द कर दिया है। बैंक खाता बन्द करते समय बैंक ने कम्पनी के पक्ष में डीडी जारी की। तथापि, वर्ष के दौरान इसे भुनाया (नकदीकरण) नहीं गया था और यह अतिकालिक हो गया। एक्सिस बैंक का बैंक स्टेटमेन्ट "शुन्य" दर्शाता है और जैसा कि कम्पनी ने उपर उल्लिखित ड्राफ्ट को भुनाया था, लेखा पुस्तकों के अनुसार इसके पास एक्सिस बैंक में 587530 रूपये का शेष है। वित्तीय विवरणों में इसे बैंक शेष शीर्ष के अन्तर्गत नहीं दर्शाया गया है परन्तु टिप्पणी 17 "अन्य चालू आस्तियां" में "अन्य" शीर्ष के अन्तर्गत दर्शाया गया है।

9. अन्यः

यह देखा गया है कि वर्ष के दौरान कम्पनी ने दिसम्बर, 2020 के माह में मैसर्स ज्योति किरन कार्पोरेशन लिमिटेड से 1,94,400/- रूपये का भुगतान प्राप्त किया है। तथापि, इसे कम्पनी द्वारा यथा आय मान्य नहीं किया गया है और वर्ष के अन्त में यथा अग्रिम दर्शाया है।

माथुर एण्ड कम्पनी के लिये
चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस
एफआरएन : 001952सी
ह.
(अनिल माथुर)
साझेदार
सदस्य संख्या : 070339

स्थान : जयपुर

दिनांक : 17.11.2021

अनुलग्नक–बी

31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड, जयपुर के एकल वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र अंकेक्षकों के प्रतिवेदन का भागरूप/अंगभूत

(हमारी सम दिनांक की रिपोर्ट के "अन्य कानूनी एवं विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट" के अन्तर्गत पैरा 1में संदर्भित)

हम रिपोर्ट करते है कि

i) (ए) कम्पनी ने अपनी स्थिर आस्तियों का यथेष्ट विवरण, परिमाणात्मक विवरण एवं आस्ति की प्रास्थिति सहित पूर्ण विवरण सहित उचित अभिलेखों का संधारण किया है। तथापि, रेडा से हस्तान्तरित आस्तियों के लिये रजिस्टर में विवरण नहीं दिये गये है।

(बी) हमें दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार, प्रबंधन द्वारा नियमित अन्तराल पर स्थिर आस्तियों का भौतिक सत्यापन किया जाता ह। ऐसे सत्यापन पर कोई सारवान असंगतियां नहीं पायी गयी है।

(सी) अचल सम्पत्तियों के स्वत्व विलेख कम्पनी के नाम में है सिवाय इसके कि 10/20 किलोवाट पीएमजीवाई संयंत्रों के लिये अर्जित भूमि के स्वत्व विलेख 22 मामलों में उपलब्ध नहीं है एवं देवगढ़ और फलोदी के पवन विद्युत संयंत्र से संबंधित कुल क्रमशः 16.70 हेक्टयर तथा 130 बीघा भूमि का स्वत्व विलेख पूर्ववर्ती रेडा के नाम है।

ii) हमारे मत में एवं हमे दी गई सूचना व स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान कम्पनी के पास कोई इन्वेन्ट्री नहीं है। इसलिए आदेश के खण्ड (ii) का उप पैरा (i) से (iii) के प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं होते है।

iii) कम्पनी ने वर्ष के दौरान कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 189 के अन्तर्गत संधारित पंजिका में सूचीबद्ध कम्पनियों, फर्मों, सीमित दायित्व साझेदारी या अन्य पार्टियों से कोई सुरक्षित या असुरक्षित ऋण नहीं लिया है। तथापि, इसकी पूर्ण स्वामित्व वाली समनुषंगी कम्पनी को ऋण दिया गया है जिसका चालू वर्ष में विधिवत निपटारा हो गया है।

iv) कम्पनी ने गत वर्ष में कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 189 के अन्तर्गत अनुरक्षित पंजिका में आवृत्त समनुषंगी कम्पनी को ब्याज मुक्त ऋण स्वीकृत किया है। हमारे मत में एवं हमे दी गई सूचना व स्पष्टीकरण के अनुसार, कम्पनी ने ऋण स्वीकृतियों, निवेश करने और यथा प्रयोज्य प्रत्याभूतियों एवं प्रतिभूतियों को देने में अधिनियम की धारा 185 एवं 186 के प्रावधानों की पालना की है।

v) हमे दी गई सूचना व स्पष्टीकरण के अनुसार, कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम की धारा 73 से 76 के प्रावधानों या कोई अन्य सुसंगत प्रावधानों और उसके अधीन बनाये गये नियमों के अन्तर्गत कोई निक्षेप स्वीकार नहीं किये है।

vi) कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 148 की उप धारा (1) के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा निर्दिष्ट लागत अभिलेखों का कम्पनी द्वारा संधारण अपेक्षित है। जैसा सूचित किया गया है, कम्पनी ने अपेक्षित लागत लेखे एवं इस संबंध में अभिलेखों का संधारण किया है। तथापि, हमनें चालू वर्ष के लिये इन लागत प्रतिवेदन एवं लागत अभिलेखों की समीक्षा नहीं की है क्योंकि यह तैयार किये जा रहे है और हमें उपलब्ध नहीं कराये गये।

vii) ए) हमें दी गई सूचनाओं एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार और कम्पनी के लेखा–पुस्तकों तथा अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, कम्पनी साधारणतया प्रावधायी निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, माल एवं सेवा कर, सीमा शुल्क, उपकर एवं अन्य अविवादित वैधानिक बकायों को इनके लागू होने तक की परिसीमा तक उचित प्राधिकरणों के पास नियमित रूप से जमा करवाया जा रहा है।

बी) हमें दी गई सूचनाओं एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार और कम्पनी के लेखा–पुस्तकों तथा अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, निम्नलिखित मामलों के सिवाय आयकर, बिक्रीकर, सेवाकर, सीमा शुल्क,उत्पाद शुल्क एवं मूल्य वर्धित कर, किसी विवाद के कारण बकाया नहीं है:—

विवरण	अवधि जिससे राशि संबंधित है	मंच जहां विवाद लम्बित है	मांग की गयी राशि
सेवा पर कर	2008-2009 से 2013-14	केन्द्रीय एक्साइज एवं सर्विस टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल	10,68,46,634/-
आय कर अपील	नि.व. 2016—17	सी.आई.टी. (अपील)	80,84,354/-
आय कर अपील	नि.व. 2017—18	सी.आई.टी. (अपील)	2,50,51,820/-
भविष्य निधि	सितम्बर, 1998 से अक्टूबर, 2001	ईपीएफ अपीलीय प्राधिकारी	1,09,885/-

viii) हमारे मत में एवं हमें दी गयी सूचनाओ एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार, किसी भी वित्तीय संस्थानों, बैंकों, सरकार या डिबेंचर धारकों को बकाया के पुनर्भुगतान में कम्पनी दोषी नहीं रही हैं।

ix) कम्पनी ने वर्ष के दौरान प्रारम्भिक पब्लिक ऑफर या अग्रतर पब्लिक ऑफर (ऋण प्रपत्रों सहित) और किसी अवधि ऋण द्वारा कोई धन इकट्ठा नहीं किया है।

x) हमें दी गई सूचनाओं एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार, वर्ष के दौरान न तो कम्पनी द्वारा और न ही कम्पनी के साथ इसके अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा कोई कपट कम्पनी के ध्यान में आया या प्रकट किया गया है ।

xi) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 197 के प्रावधान लागू नहीं है क्योंकि अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 463 (ई) दिनांक 05.06.2015 के अनुसार सरकारी कम्पनियों को विशिष्ट छूट दी गयी है।

xii) कम्पनी एक निधि कम्पनी नहीं है, अतः इस खण्ड के अन्तर्गत रिपोर्टिंग करना लागू नहीं है।

xiii) हमारे मत में एवं हमें दी गई सूचनाओं एवं स्पष्टीकरण के अनुसार अपने संबंधित पक्षकारों से कम्पनी के संव्यवहार जहां भी लागू है, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 एवं 188 के अनुपालना में है। संबंधित पक्षकारों के संव्यवहारों के लागू लेखा मानकों द्वारा यथा अपेक्षित ब्योरे एकल वित्तीय विवरणों में उचित रूप से प्रकट नहीं किये गये है।

xiv) हमें दी गई सूचनाओं एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार और कम्पनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, कम्पनी द्वारा न ही कोई अधिमानी आवंटन किया गया है न ही किसी अंश या पूर्णतः या अंशतः परिवर्तनीय डिबेंचर का प्लेसमेंट किया गया है।

xv) हमें दी गई सूचनाओं एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार और कम्पनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, कम्पनी ने कम्पनी के निदेशकों से संबंधित व्यक्तियों या निदेशकों से कोई गैर–नकद व्यवहार नहीं किया है।

xvi) हमारे मत में एवं हमें दी गई सूचनाओं एवं स्पष्टीकरण के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45–आईए के अन्तर्गत कम्पनी को पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है।

माथुर एण्ड कम्पनी के लिये
चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस
एफआरएन : 001952सी
ह.
(अनिल माथुर)
साझेदार
सदस्य संख्या : 070339

स्थान : जयपुर
दिनांक : 17.11.2021

अनुलग्नक "सी"

31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड, जयपुर के वित्तीय विवरणों पर कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 143 की उप–धारा 3 के खण्ड (i) के अन्तर्गत आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट

(स्वतंत्र अंकेक्षकों की सम दिनांक की रिपोर्ट के "अन्य कानूनी एवं विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट" के अन्तर्गत पैरा 3(एफ)में संदर्भित)

हमने **राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड (कम्पनी)** की 31 मार्च, 2021 को वित्तीय रिपोर्टिंग पर कम्पनी को उसी दिनांक को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए एकल वित्तीय विवरणों के हमारे अंकेक्षण के साथ–साथ आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अंकेक्षण भी किया गया है।

आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कम्पनी का प्रबंधन भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस संस्था (आई.सी.ए.आई) द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों के अंकेक्षण पर जारी किये गये निदेशन–पत्र में उल्लेखित आन्तरिक नियंत्रण के आवश्यक तत्वों को विचारित करते हुए कम्पनी द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक नियंत्रण के स्थापित मान–दण्डों के आधार पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों को अधिष्ठापित करने एवं जारी रखने के लिये उत्तरदायी है।

इन उत्तरदायित्वों में, कम्पनी अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत यथा अपेक्षित कम्पनी की नीतियों का अनुसरण पालन, इसकी आस्तियों की सुरक्षा, कपटों व त्रुटियों का पता लगाना और उनका निवारण, लेखा अभिलेखों की पूर्णता एवं शुद्धता/यथार्थता एवं विश्वसनीय वित्तीय सूचनाओं की यथासमय तैयारी करने को सम्मिलित करते हुए पर्याप्त आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण जो इसके व्यापार को नियमित रूप एवं दक्षता से चलाने को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से सक्रिय थे की पर्याप्त रूप रेखा, कार्यान्वयन एवं अनुरक्षण सम्मिलित है।

अंकेक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारे अंकेक्षण के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कम्पनी के आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों पर राय व्यक्त करना हमारा उत्तरदायित्व है। आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों के अंकेक्षण के लिये लागू होने की सीमा तक भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस संस्था द्वारा जारी किये गये एवं कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के अधीन विहित समझा जायेगा, निदेशन–पत्र एवं लेखा–परीक्षण के मानकों, दोनों आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों के अंकेक्षण के लिये प्रयोज्य एवं, दोनों भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस संस्था द्वारा जारी किये गये, के अनुसार हमने हमारा अंकेक्षण सम्पादित किया है। इन मानकों एवं निदेशन–पत्र की अपेक्षा है कि हम नीतिपरक आवश्यकताओं की पालना करे एवं अंकेक्षण को इस प्रकार से नियोजित व निष्पादित करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों को अधिष्ठापित एवं अनुरक्षित किया गया था और ऐसे नियंत्रण सभी सारवान/तात्विक मामलों में प्रभावी रूप से क्रियान्वित थे, के बारे में युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त किया जा सकें।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता एवं उनकी सक्रीयता की प्रभावशीलता हेतु अंकेक्षण साक्ष्य प्राप्त करने के लिये प्रक्रिया को क्रियान्वित करना हमारे अंकेक्षण में निहित है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों के हमारे अंकेक्षण में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, जोखिम का निर्धारण करना कि सारवान अपर्याप्तता हैं, एवं परीक्षण करना, एवं निर्धारित जोखिम के आधार पर आन्तरिक नियंत्रण की सक्रिय प्रभावशीलता व रूप रेखा का मूल्यांकन करना सम्मिलित था। वित्तीय विवरणों के सारभूत मिथ्या कथन चाहे कपट के कारण या त्रुटि के कारण, के जोखिम के निर्धारण को सम्मिलित करते हुए प्रक्रिया का चयन अंकेक्षक के निर्णयन पर निर्भर करता है।

हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किये गये अंकेक्षण साक्ष्य पर्याप्त है एवं वित्तीय रिपोर्टिंग पर कम्पनी के आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण पद्धति पर हमारे अंकेक्षण अभिमत के लिये एक उचित आधार उपलब्ध कराते है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कम्पनी का आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण एक प्रक्रिया है जिसे सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धान्तों के अनुसार बाह्य प्रयोजनार्थ वित्तीय विवरणों की तैयारी एवं वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के बारे में युक्तिसंगत आश्वासन उपलब्ध कराने के लिये तैयार किया गया है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कम्पनी के आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण मे वो नितियां व कार्य प्रणालियां सम्मिलित है जो कि (1) उन अभिलेखों के संधारण से संबंधित है जो कि कम्पनी की आस्तियों के व्ययन एवं व्यवहारों को युक्तियुक्त ब्योरे सहित, शुद्ध एवं उचित रूप से दर्शित करते है; (2) युक्तिसंगत आश्वासन देते है कि सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धान्तों के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी की अनुमति के लिये यथा आवश्यक व्यवहारों को दर्ज किया गया है एवं प्राप्तियों व व्ययों को केवल कम्पनी के निदेशकों एवं प्रबंधन के अनुमोदन के अनुसार ही किया जाता हैं; और (3) कम्पनी की आस्तियों का अनधिकृत अर्जन, उपयोग या व्ययन जिनका वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है, का यथासमय पता लगाने एवं निवारण से संबंधित युक्तिसंगत आश्वासन देवें।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों पर अन्तर्निहित परिसीमा

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों पर अन्तर्निहित परिसीमा साथ ही अनुपयुक्त प्रबंधन अथवा मिली भगत की संभावना के कारण, नियंत्रणों की अवहेलना, त्रुटि या कपट के कारण मिथ्या कथन हो सकते है और पता नहीं लगाये जा सकते। साथ ही, भावी अवधियों के लिये वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों के मूल्यांकन के प्रक्षेपण जोखिम के अधीन है क्योकि परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो सकते है, या कार्याविधि अथवा नीतियों की अनुपालना की मात्रा गिर सकती है।

अभिमत

हमारे मत में, नियंत्रण मानदण्डों के उद्देश्यों की उपलब्धि पर कम्पनी में सभी महत्वपूर्ण मामलों में वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण पद्धति विद्यमान है और भारतीय चार्टड एकाउन्टेन्टस संस्था द्वारा अंकेक्षण पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों के जारी किये गये निदेशन--पत्र में उल्लेखित आन्तरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों को विचारित करते हुये कम्पनी द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिये अधिष्ठापित मान--दण्डों के आधार पर ऐसे वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च, 2021 को प्रभावी रूप से सक्रिय थे।

माथुर एण्ड कम्पनी के लिये
चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस
एफआरएन : 001952सी
ह.
(अनिल माथुर)
साझेदार
सदस्य संख्या : 070339

स्थान : जयपुर
दिनांक : 17.11.2021

अनुलग्नक–डी

31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड, जयपुर के एकल वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र अंकेक्षकों के प्रतिवेदन का भागरूप/अंगभूत

अधिनियम की धारा 143(5) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी किये गये निर्देश/उपनिर्देश की अनुपालना

("अन्य कानूनी एवं विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट" के अन्तर्गत पैरा 3 में संदर्भित)

क्र. सं.	निर्देश	अंकेक्षकों का उत्तर	वित्तीय विवरणों पर प्रभाव
1	क्या कम्पनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन संव्यहारों को संसाधित करने की व्यवस्था है? यदि हां, तो वित्तीय निहितार्थ, यदि कोई हो, के साथ लेखों की प्रामाणिकता पर आईटी प्रणाली के अतिरिक्त लेखांकन संव्यवहारों के संसाधन के निहितार्थों का कथन किया जा सकता है।	कम्पनी अपने सभी लेखांकन संव्यवहारों को टेली साफ्टवेयर के माध्यम से कम्प्यूटरीकृत रूप में रिकार्ड और संधारण कर रही है।	वित्तीय विवरणों पर कोई प्रभाव नहीं है।
2	क्या किसी विद्यमान ऋण का कोई पुनर्गठन है या कम्पनी की ऋण के पुनर्भुगतान की असमर्थता के कारण किसी ऋणदाता द्वारा कम्पनी को दिये गये ऋण के अधित्यजन या ऋण/उधारों/ ब्याज इत्यादि के अपलेखन के मामले है? यदि हां, तो वित्तीय प्रभाव बताया जा सकता है।	हमें दी गई सूचना के अनुसार, विद्यमान ऋण का कोई पुनर्गठन है या किसी ऋणदाता द्वारा कम्पनी को दिये गये ऋण के अधित्यजन या ऋण/उधारों/ ब्याज इत्यादि के अपलेखन का मामला नहीं है।	वित्तीय विवरणों पर कोई प्रभाव नहीं है।
3	क्या केन्द्रीय/ राजकीय एजेन्सियों से विशिष्ट योजनाओं के लिये प्राप्त/प्राप्य धनराशि को इसके निबन्धनों एवं शर्तों के अनुसार उचित रूप से लेखाबद्ध/उपयोग किया गया था? विचलन के मामलों की सूची बनायें।	उपलब्ध सूचना के आधार पर और हमें दी गई सूचनाओं एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार, वर्ष के दौरान केन्द्रीय/ राजकीय एजेन्सियों से विशिष्ट योजनाओं के लिये प्राप्त/प्राप्य धनराशि को इसके निबन्धनों एवं शर्तों के अनुसार उचित रूप से लेखाबद्ध/उपयोग किया गया था।	वित्तीय विवरणों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं है।

क्र. सं.	उप निर्देश	अंकेक्षकों का उत्तर	वित्तीय विवरणों पर प्रभाव
1	क्या कम्पनी ने स्वयं की खाली पड़ी भूमि पर अतिक्रमण रोकने के पर्याप्त प्रयास किये हैं। क्या कम्पनी की कोई भूमि अतिक्रमणित है, मुकदमेंबाजी के अधीन है, उपयोग में नहीं ली गयी है या अधिक घोषित की गयी है। विवरण दिया जाये।	जैसाकि प्रबंधन द्वारा स्पष्ट किया गया है कम्पनी ने स्वयं की खाली पड़ी भूमि पर अतिक्रमण/विवाद रोकने/हटाने की दिशा में पर्याप्त कदम उठाती हैं।	वित्तीय विवरणों पर कोई प्रभाव नहीं है।
2	क्या कम्पनी में संविदात्मक निबंधनों के अनुसार राजस्व की वसुली के लिये प्रभावी प्रणाली विद्यमान है एवं प्रयोज्य लेखा मानकों की पालना में राजस्व को लेखा–पुस्तकों में उचित रूप से लेखाबद्ध किया जाता है।	जैसाकि की प्रबंधन द्वारा स्पष्ट किया गया है कम्पनी में संविदात्मक निबंधनों के अनुसार राजस्व की वसुली के लिये प्रभावी प्रणाली विद्यमान है एवं प्रयोज्य लेखा मानकों की पालना में राजस्व को लेखा–पुस्तकों में उचित रूप से लेखाबद्ध किया जाता है।	वित्तीय विवरणों पर कोई प्रभाव नहीं है।

माथुर एण्ड कम्पनी के लिये
चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस
एफआरएन : 001952सी
ह.
(अनिल माथुर)
साझेदार
सदस्य संख्या : 070339

स्थान : जयपुर
दिनांक : 17.11.2021

अंकेक्षकों का प्रतिवेदन

राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड

<table>
<tr><th>क्र. सं.</th><th>आक्षेप</th><th>उत्तर</th></tr>
<tr><td>1</td><td>नीचे उल्लिखित निम्नलिखित सूची/सूचीयों के अन्तर्गत दर्शाये अनुसार कम्पनी के पुराने क्रेडिट शेष 5,29,68,326.50 रूपये है। ये 3 साल से अधिक की अवधि से चले आ रहे है। इस वर्ष के दौरान इनमें से किसी भी राशि का समायोजन नहीं किया गया, तथा न ही इस बात के प्रमाणित साक्ष्य प्रस्तुत किए गए कि इनका मिलान किया गया, तथा किस तिथि को इनकी पुष्टि प्राप्त की गई थी और क्या ये संबंधित पार्टियों से पुर्नभुगतान अथवा भुगतान योग्य है। अतः हम इन मदों के लाभ तथा हानि खाते पर प्रभाव के परिणामों पर अपने विचार व्यक्त करने में असमर्थ है। ये है:
<table>
<tr><th>अन्य दीर्घावधि दायित्व</th><th>राशि (रूपयों में)</th></tr>
<tr><td>अग्रिम राशि जमा (सीए सेवाओं हेतु नियोजन)</td><td>10,000</td></tr>
<tr><td>अग्रिम राशि जमा (रेडा)</td><td>20,72,829</td></tr>
<tr><td>अग्रिम राशि जमा (आरईपी 11–12) खाता</td><td>6,00,000</td></tr>
<tr><td>अग्रिम राशि जमा आरईपी 9–10 खाता</td><td>2,00,000</td></tr>
<tr><td>अनुदान हेतु प्राप्तियां</td><td></td></tr>
<tr><td>अक्षय ऊर्जा दिवस अनुदान (एमएनईएस)</td><td>13,67,772</td></tr>
<tr><td>अक्षय ऊर्जा दिवस अनुदान 2007</td><td>9,82,658</td></tr>
<tr><td>अक्षय ऊर्जा दिवस अनुदान 04–05 खाते</td><td>2,67,001</td></tr>
<tr><td>अन्य अनुदान</td><td></td></tr>
<tr><td>वार्षिक कार्य योजना 11–12 (बीईई) अनुदान खाता</td><td>55,385</td></tr>
<tr><td>बीईई (प्रवर्तन मशीनरी का संस्थाकीयकरण)</td><td>15,00,000</td></tr>
<tr><td>एसडीए परियोजना के लिये पारमर्श सेवा बीईई अनुदान</td><td>15,13,333</td></tr>
</table></td><td>ये शेष पूर्ववर्ती रेडा अवधि में किये गये थे और वर्षों में लौटाये नहीं गये है। समायोजन/वापसी प्रासंगिक मदों की केवल निश्चितता होने पर ही हो सकेगी।

अक्षय ऊर्जा दिवस अनुदान (एमएनईएस)– अंकेक्षित उपयोगिता प्रमाण–पत्र एमएनआरई को भेज दिया गया है।

अक्षय ऊर्जा दिवस अनुदान 04–05 खाते– 271501 रूपये के पुनर्भरण के लिये अंकेक्षित उपयोगिता प्रमाण–पत्र एमएनआरई को भेज दिया गया है। एमएनआरई को स्मरण–पत्र जारी कर दिया गया है।

स्टेच्यू सर्किल पर एसएलएस का प्रदर्शन (बीईई) अनुदान– परियोजना के निष्पादन के लिये जयपुर नगर निगम को 50 प्रतिशत राशि अर्थात् 1686000=00 रूपये का अग्रिम दिया गया था परन्तु यह निष्पादित नहीं किया गया था। कई स्मरणा–पत्रों के बावजूद भी, जयपुर नगर निगम ने न तों राशि वापिस की और न ही उपयोगिता प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराया है।</td></tr>
</table>

एमएनईएस जिला सलाह समिति योजना	26,00,000
स्टेच्यू सर्किल पर एसएलएस का प्रदर्शन (बीईई) अनुदान	16,86,000
ऊर्जा संरक्षण अनुदान 08–09 (बीईई) खाता	6,37,955
ऊर्जा संरक्षण अनुदान (बीईई) 09–10 अनुदान खाता	8,11,956
आईजीईए बीईई अनुदान खाता	3,42,517
आरईसी ढाचे के लिये वित्तीय सहायता (एकबार) खाता	7,172
विविध अनुदाने	3,68,400
एमएनआरई अनुदान खाता	21,00,447
ए.एस.एस. 2001–02 के लिये प्रावधान	19,034
सोलर सिटी विकास (जोधपुर) अनुदान खाता	1,75,000
ईसीबीसी व्यवसायिकों का प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण	1,76,800
अधिसूचित पीएटी योजना पर कार्यशाला	2,33,191
106.24 केडब्ल्यूपी एसपीवी ऊर्जा संयंत्र एमएनआरई अनुदान खाता	8,389
प्रचार अनुदान खाता	1,500
राज्य योजना अनुदान (आरईपी) खाता 12–13	59,96,415
आकल जैसलमेर पर 120 मीटर विण्ड मास्ट	59,535
एमएनआरई ऑफ ग्रिड परियोजना 2011–12	36,00,191
प्रचार जानकारी बीईई शीर्ष	5,50,000
उर्जा दक्षता पथ प्रकाश पर आर एण्ड डी परियोजना खाता	14,91,743
2017–18 के लिये एसएमई में उर्जा दक्षता	2,55,918
आरसीएसई के माध्यम से शारदे कन्या छात्रावास	44,08,006
1 किलोवाट का एसआईटीसी (केयर्न्स)	1,19,389
एफ/एस के लिये प्रशिक्षण/कार्यशाला	43,973
आरवीई अनुदान	
आरवीई 11–12 (राज्य अंश) खाता	2,94,88,000

तथापि बचे हुये शेषों के लिये, प्रबंधन एक अभियान के अधीन इन शेषों के समाधान/समायोजन के लिये अथक प्रयास कर रहा है और चालू वित्तीय वर्ष में इन शेषों के लिये तार्किक निष्कर्ष पर पहुंचने के लिये हम प्रतिबद्ध है।

आरवीवी सीएसएस 10–11 एमएनआरई खाता	51,069
आरवीई सीएसएस 9–10 अनुदान खाता	6,53,991
आरईपी अनुदान	
आरईपी (सीएसएस) 09–10 अनुदान खाता	8,67,481
राज्य योजना अनुदान (आरईपी) खाता 13–14 खाता	3,85,920
एसएडीपी अनुदान	
दरगाह ख्वाजा शरीफ के लिये एसएडीपी, अजमेर एमएनआरई	4,55,672
एसएडीपी केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर एमएनआरई	3,10,269
एसएडीपी कार्यक्रम राज भवन जयपुर अनुदान, एमएनआरई	3,80,069
सौर जल तापन अनुदान	
सोलर जल तपन सिस्टम सीएसएस खाता	51,723
एसडब्ल्यूएचएस पूंजी सहायिकी 2013–14	1,77,377
एमएनआरई सेवा प्रभार प्राप्य खाता	1,98,648
भेल खाता	42,464
तकनीकी कृषि इंजीनियरींग कॉलेज, उदयपुर	86,071
पीएमजीवाई (मासिक ऊर्जा बिल) खाता	16,750
अल्पकालीन प्रावधान	
विविध प्राप्ति दायित्व	33,15,601
अन्य चालू दायित्व	
आपूर्तिकर्त्ता के क्रेडिट पर ब्याज	21,97,104
योग	**72940718**

2	कम्पनी ने वित्तीय वर्ष 2011–12 में जयपुर, अजमेर एवं जोधपुर डिस्कॉम को समन्वय समिति द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार बैटरियों की एक मुश्त बदली तथा डिस्कॉमों को 40 सौर ऊर्जा संयंत्र सौंपने से पूर्व उपयुक्त संचालन एंव मरम्मत लागत के लिये 1.00 करोड़ रूपये की राशि का अग्रिम एवं दौलतपुरा में	आक्षेप के संबंध में यह सूचित किया जाता है कि डिस्कोमों को 1 करोड़ रूपये के दिये गये अग्रिम में से 80 लाख रूपये (एवीवीएनएल से 35 लाख रूपये एवं जेडीवीवीएनएल से 45 लाख रूपये) पहले ही प्राप्त हो

<table>
<tr><td></td><td>10 मेगावाट ऑफ ग्रिड संयंत्र बनाने के लिये कार्य आदेश के विरूद्ध जयपुर डिस्काम को वित्तीय वर्ष 2018–19 में 4.16 लाख रूपये का भुगतान किया। उसमें से 24.16 लाख रूपये के व्ययों के विवरण लम्बित है। डिस्कॉमों द्वारा वर्ष के दौरान किये गये व्यय का पूर्ण विवरण उपलब्ध नहीं है इसलिए लाभ एवं चालू आस्तियां पर इसके प्रभाव यदि कोई हो, के बारे में अपने विचार अभिव्यक्त करने में हम असमर्थ है।</td><td>गये है, तथापि जेडीवीवीएनएल से 10 लाख रूपय एवं जेवीवीएनएल से 14.50 लाख रूपये के उपयोगिता प्रमाण पत्र लम्बित है जिसके लिये प्रबंधन द्वारा आवश्यक प्रयास किया जा रहे है और प्रबंधन लम्बित शेषों के समायोजन के लिये प्रतिबद्ध है।</td></tr>
<tr><td>3</td><td>कम्पनी के डेबिट शेष (प्राप्य अनुदान) निम्नलिखित है जो कि लम्बे समय से लम्बित है :
<table>
<tr><th>विवरण</th><th>राशि (रूपये में)</th></tr>
<tr><td>वार्षिक गतिविधि योजना (2012–13) खाता</td><td>46,00,103</td></tr>
<tr><td>सरकारी लक्ष्य प्राप्ति व्यय अनुदान 12–13</td><td>27,800</td></tr>
<tr><td>पूर्व बोली सोलर आरपीएफ खाता</td><td>1,47,553</td></tr>
<tr><td>पुनः निवेश परिणाम–पारस्परिक बैठक (आईआरईडीए)</td><td>4,89,669</td></tr>
<tr><td>आरई राज्य योजना/एमएनआरई सीएसआई (एसपीवी प्रोजेक्ट 10–11)</td><td>29,970</td></tr>
<tr><td>स्टॉफ एनर्जी कन्जर्वेशन कोष</td><td>42,277</td></tr>
<tr><td>पवन संसाधन निर्धारण अनुदान (सीएसएस) खाता</td><td>53,088</td></tr>
<tr><td>सूचना एवं प्रचार अनुदान 12.13 खाता</td><td>24,800</td></tr>
<tr><td>आरवीई 11–12 (13 गांव) सीएसएस अनुदान</td><td>61,529</td></tr>
<tr><td>एक दिन की पारस्परिक कार्यशाला (पीएटी) एमएनआरई</td><td>50,941</td></tr>
<tr><td>ऑफ ग्रिड पीआरओजी 2013–14 (1किवाघं)</td><td>78,376</td></tr>
<tr><td>राज्य योजना अनुदान (आरईपी) 11–12 खाता</td><td>2,96,334</td></tr>
<tr><td>सोलर जल ऊष्मा प्रणाली (सेमीनार) अनुदान</td><td>8,600</td></tr>
<tr><td>ऊर्जा संरक्षण निधि (बीईई) 07–08 खाता</td><td>5,27,483</td></tr>
<tr><td>पुनः निवेश परिणाम–पारस्परिक बैठक (इरेडा)</td><td>64,38,523</td></tr>
<tr><td>योग</td><td>69,28,192</td></tr>
</table>
शाखा कार्यालयों के लम्बित समायोजन के पूर्ण विवरणों के अभाव में, लाभ एवं</td><td>संबंधित अनुभाग को उपयोगिता प्रमाण–पत्र को लेने के लिये आवश्यक निर्देश जारी कर दिये गये है; इन शेषों के समाधान/समायोजन के लिये सतत् प्रयास किये जा रहे हैं। आरआरईसीएल चालू वर्ष में शेषों के समायाजना के लिये प्रतिबद्ध है।</td></tr>
</table>

	चालू आस्तियां पर इसके प्रभाव यदि कोई हो, के बारे में अपने विचार अभिव्यक्त करने में हम असमर्थ है।	
4	कम्पनी ने निम्नलिखित अग्रिम दिये है जो लम्बे समय से समायोजन के लिये लम्बित है :	संबंधित अनुभाग को उपयोगिता प्रमाण–पत्र को लेने के लिये आवश्यक निर्देश जारी कर दिये गये है, इन शेषों के समाधान/समायोजन के लिये सतत् प्रयास किये जा रहे हैं। आरआरईसीएल चालू वर्ष में शेषों के समायाजना के लिये प्रतिबद्ध है।

विवरण	राशि (रूपये में)
पी एफ के लिये अग्रिम	1,09,885
राउन्ड टेबल कान्फ्रेन्स के लिये अग्रिम	2,26,892
इण्डिया इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली को अग्रिम	36,000
कार्यपालक अधिकारी नगर पालिका, भरतपुर को अग्रिम	8,50,000
शिवचरण माथुर सामाजिक नीति अनुसंधान को अग्रिम	20,000
मैसर्स वेस्टास पिण्ड टेक इण्डिया प्रा.लि. को अग्रिम	16,90,073
मैसर्स उजास एनर्जी लि. (डी)	2,84,625
अधिशाषी अभियन्ता (पीडब्ल्यूडी), जिला खण्ड, फलोदी को अग्रिम	2,157
पीओ, टीएडी, बांसबाडा निक्षेप कार्य खाता	17,63,710
पीओ, टीएडी, उदयपुर निक्षेप कार्य खाता	65,750
मैसर्स इलयूजन रियल	9,880
आरएसडीसीसी लि. को अग्रिम	70,000
मुख्य कार्यपालक अधिकारी, जोधपुर नगर निगम, जोधपुर को अग्रिम	1,75,000
सीएमएस एचसीएम रिपा, जयपुर को अग्रिम	20,500
आयुक्त, भरतपुर नगरपालिका परिषद को अग्रिम	10,00,000
दिगम्बर जैन मंदिर श्री नेमीनाथ जी, अजमेर को अग्रिम	5,046
जिला कलेक्टर, हनुमानगढ को अग्रिम	50,514
जिला कलेक्टर, राजसमन्द को अग्रिम	38,241
जिला कलेक्टर, सीकर को अग्रिम	26,547
जयपुर नगर निगम को अग्रिम (एसएलएस बीईई की	16,86,000

स्थापना) खाता	
जवाहर कला केन्द्र, जयपुर को अग्रिम	6,000
मैसर्स आरएसटीसी, जयपुर को अग्रिम	72,120
पीएचईडी, शहर खण्ड II (दक्षिण), जयपुर को अग्रिम खाता	15,521
बीएसएनएल को अग्रिम खात	35,000
अधिशाषी अभियन्ता, विद्युत, पीडब्लयूडी, अजमेर को अग्रिम	9,318
राजस्थान के इंजिनियरिंग कॉलेजों को अग्रिम	75,000
प्रबन्ध निदेशक, आरआईएसएल को अग्रिम	85,895
योग	**84,29,674**

लम्बित समायोजन के पूर्ण विवरणों के अभाव में, *लाभ एवं चालू आस्तियां पर इसके प्रभाव यदि कोई हो, के बारे में अपने विचार अभिव्यक्त करने में हम असमर्थ है।*

5	**लेखांकन नीतियां:** कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–III की आवश्यकताओं के अनुसार, कम्पनी ने दीर्घकालीन या अल्पकालीन श्रेणी के अन्तर्गत अपनी आस्तियों और दायित्वों के विभाजन के लिये प्रचालन चक्र की लेखांकन नीति को परिभाषित नहीं किया है।	दीर्घावधि और अल्पावधि के आधार पर शीर्ष के सभी वर्गीकरण को संबंधित योजना के प्रावधान और लम्बित शेष की धारणा के अनुसार संबंधित विभाग के परामर्श से किया गया है।
6	**स्थिर आस्तियां:** वर्ष के दौरान "8 केडब्ल्यूपीएस ग्रिड सम्बद्ध एसपीवी विद्युत संयंत्र के लिये लाभार्थी का अंश" के कारण भवन शीर्ष के अन्तर्गत 558680/– रूपये की अभिवृद्धि की गयी है। जैसा कि नयी आस्ति की प्रकृति संयंत्र एवं मशीनरी की है, आस्ति को भवन शीर्ष के अन्तर्गत गलत रूप से वर्गीकृत किया गया है। तद्नुसार, मूल्य ह्रास को भी संयंत्र एवं मशीनरी पर प्रयोज्य दर के स्थान पर भवन पर प्रयोज्य दर पर प्रभारित किया गया है। इसलिये, आस्तियों साथ ही स्थिर आस्तियों पर मूल्य ह्रास को सही मूल्यों पर नहीं दर्शाया गया है।	जैसा कि आरम्भ में रूफ टॉप संयंत्र को भवन शीर्ष में वर्गीकृत किया गया था क्योंकि इस संयंत्र को कैप्टिव उत्पादन के लिये उपयोग किया जा रहा है और भवन से संयुक्त है, इसीलिये आरम्भिक एसपीवी संयंत्र की पूंजीकरण की दिनांक से कम्पनी द्वारा उसी व्यवहार का अनुसरण किया जा रहा है। तद्नुसार, इस वर्ष भी वहीं व्यवहार किया गया है। तथापि, जैसा सुझाव दिया गया है, इसे अगले वर्ष में 'संयंत्र एवं मशीनरी' शीर्ष के अन्तर्गत वर्गीकृत कर लिया जायेगा।

7	**संबंधित पक्षकार संव्यवहारः** ए) कम्पनी अधिनियम, 2013 और लेखा मानक–18 के प्रावधानों के अनुसार, समनुषंगी कम्पनी, राजस्थान सोलरपार्क डवलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड से संबंधित, संबंधित पक्षकार और इसके संव्यवहारों का उचित प्रकटीकरण नहीं किया गया है। वर्ष के दौरान कम्पनी इस कम्पनी से एवं को 10.00 करोड रूपये प्राप्त किये और भुगतान किया। तथापि, इसे बिन्दू सं. 11 पर अतिरिक्त टिप्पणी 3 के अन्तर्गत टिप्पणी सं. 1 के अधीन महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों में विचारित नहीं किया है।	लेखा मानक 18 का पैरा 9 स्पष्ट रूप से प्रावधान करता है कि "अन्य राज्य–नियंत्रित उद्यमों के साथ संबंधित पक्षकार सम्बन्धों और ऐसे उद्यमों के साथ संव्यवहारों के बारे में राज्य–नियंत्रित उद्यमों के वित्तीय विवरणों में किसी प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं है।
	बी) टिप्पणी 17 पर " अन्य चालू आस्तियां" में "अन्य" शीर्ष के अन्तर्गत वर्ष के अन्त में राजस्थान सोलरपार्क डवलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड का 1135011 रू का शेष भी सम्मिलित है। तथापि, संबंधित पक्षकार होने से, इसे पृथक रूप से दर्शाना चाहिये और टिप्पणी 16 के अधीन प्रकट किया जाना चाहिये।	क्योंकि दोनो कम्पनियां राजस्थान की राज्य के स्वामित्व वाली कम्पनियां है, अतः कोई आज्ञापक प्रकटीकरण आवश्यक नहीं है।
8	**नकद एवं नकद समतुल्यः** ए) कम्पनी ने अपने कार्मिक अधिकारियों को विभिन्न संयंत्र अवस्थितियों पर अग्रिम धनराशि दी है और वर्ष के अन्त में उन्होने अव्ययित धनराशि को अपने पास ही रख लिया जिसे यथा उनको "अग्रिम" माना गया है। तथापि, यह देखा गया है कि वर्ष के अन्त में उनके द्वारा धारित 627065.50 रू के शुद्ध शेष को बैंक शेष यथा कार्मिक अधिकारियों को अग्रिम के अन्तर्गत समूहित किया गया है। इसलिये, नकद एवं नकद समतुल्य को सही रूप से नहीं दर्शाया गया है।	भविष्य में उचित ध्यान रखा जायेगा।
	बी) कम्पनी ने विशिष्ट एमएनआरई योजनाओं के लिये पृथक–पृथक बैंक खातों का संधारण नहीं किया है एवं इन्हें सामूहिक बैंक खाते में लिया है इसलिये कथित विशिष्ट योजना कोष में अर्जित ब्याज का पृथक रूप से निर्धारण नहीं किया जा सकता है। अतः कम्पनी का लाभ इस सीमा तक अधिक कथित है। धनराशि निर्धारणीय नहीं है।	इस संबंध में, यह प्रस्तुत है कि प्रत्येक और हर योजना का उपयोगिता प्रमाण–पत्र आरआरईसीएल द्वारा एमएनआरई को भेज दिया गया है एवं वर्तमान में एमएनआरई को प्रस्तुत करने के लिये कोई उपयोगिता प्रमाण–पत्र लम्बित नहीं है। आगे यह भी प्रस्तुत है कि एमएनआरई द्वारा यदि कोई ब्याज की मांग की

		जाती है तो आरआरईसीएल द्वारा उसके पश्चात् ऐसी विशेष योजना पर अर्जित ब्याज की मात्रा निर्धारित करने के पश्चात् अपेक्षित लेखों में प्रभावित किया जायेगा। अतः कम्पनी का लाभ अधिक कथित नहीं है।
	सी) वर्ष के दौरान कम्पनी ने एक्सिस बैंक लिमिटेड में अपने बैंक खाते को बन्द कर दिया है। बैंक खाता बन्द करते समय बैंक ने कम्पनी के पक्ष में डीडी जारी की। तथापि, वर्ष के दौरान इसे भुनाया (नकदीकरण) नहीं गया था और यह अतिकालिक हो गया। एक्सिस बैंक का बैंक स्टेटमेन्ट "शुन्य" दर्शाता है और जैसा कि कम्पनी ने उपर उल्लिखित ड्राफ्ट को भुनाया था, लेखा पुस्तकों के अनुसार इसके पास एक्सिस बैंक में 587530 रूपये का शेष है। वित्तीय विवरणों में इसे बैंक शेष शीर्ष के अन्तर्गत नहीं दर्शाया गया है परन्तु टिप्पणी 17 "अन्य चालू आस्तियां" में "अन्य" शीर्ष के अन्तर्गत दर्शाया गया है।	एक्सिस बैंक का खाता 31 मार्च, 2021 के पहले ही बन्द कर दिया गया था, अतः कमपनी ने इसे एक्सिस बैंक से यथा वसूली योग्य दर्शाया है।
9	**अन्य:** यह देखा गया है कि वर्ष के दौरान कम्पनी ने दिसम्बर, 2020 के माह में मैसर्स ज्योति किरन कार्पोरेशन लिमिटेड से 1,94,400/– रूपये का भुगतान प्राप्त किया है। तथापि, इसे कम्पनी द्वारा यथा आय मान्य नहीं किया गया है और वर्ष के अन्त में यथा अग्रिम दर्शाया है।	क्योंकि प्राप्ति के समय स्त्रोत की पहचान नहीं हुयी थी अतः इसे यथा चालू दायित्व के रिकार्ड किया गया है। उचित स्त्रोत और प्रकृति को प्राप्त करने के पश्चात् चालू वर्ष में अपेक्षित लेखांकन व्यवहार किया जायेगा।

(डॉ. सुबोध अग्रवाल, आईएएस)
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक
डीआईएन 06940604

सत्यमेव जयते

सी.ए.डब्ल्यू–I / वा.ले. / आरआरईसी /2020–21 / के–69 | D- 1168

संख्या / No.........................

भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग

कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II) राजस्थान

जनपथ, जयपुर–302005

INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT-II) RAJASTHAN

JANPATH, JAIPUR - 302005

दिनांक/Date 27 | 01 | 2022

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक,
राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड,
ई–166 युधिष्ठिर मार्ग,
जयपुर 302001

विषय : राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड, जयपुर के वर्ष 2020–21 के एकल एवं समेकित वित्तीय विवरणों पर नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

महोदय,

मुझे इस पत्र के साथ कम्पनी अधिनियम की धारा 143(6)(b) के अन्तर्गत राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड, जयपुर के 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के एकल वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ एवं कम्पनी अधिनियम की धारा 143(6)(b) सपठित धारा 129(4) के अन्तर्गत राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड, जयपुर के 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के समेकित वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ वार्षिक आम सभा के समक्ष कम्पनी अधिनियम की धारा 143 (6) के अनुसार प्रस्तुत करने हेतु जारी करने का आदेश प्राप्त हुआ है।

उपरोक्त अवधि के वित्तीय विवरणों एवं लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की सात प्रतियां, जैसी कि साधारण सभा में रखी जावें तथा स्वीकृत की जावें, कृपया इस कार्यालय को शीघ्र भिजवाने का श्रम करें।

संलग्न: उपरोक्तानुसार

भवदीय,

ओंकार

उपमहालेखाकार
(लेखा परीक्षा प्रबंधन समूह –I)

Phone 0141-2385431-39 Fax : 91-141-2385230 E-mail : agauRajasthan2@cag.gov.in

राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड के 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों पर कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6)(बी) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ।

राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड के 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों को कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अन्तर्गत विर्निदिष्ट वित्तीय प्रतिवेदन ढ़ाचे के अनुरूप तैयार करना कम्पनी प्रबन्धन का उत्तरदायित्व है। कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 (5) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त वैधानिक अंकेक्षक/अंकेक्षकों का उत्तरदायित्व अधिनियम की धारा 143 के अन्तर्गत अधिनियम की धारा 143(10) के अधीन विहित लेखांकन के मानकों के अनुरूप इन वित्तीय विवरणों पर अपना अभिमत स्वतंत्र अंकेक्षक के आधार पर प्रकट करना है। यह उनके अंकेक्षण प्रतिवेदन दिनांक 17 नवम्बर, 2021 द्वारा किया जाना व्यक्त किया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के निमित कम्पनी अधिनियम की धारा 143 (6)(ए) के अन्तर्गत राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड जयपुर के 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों का अनुपूरक अंकेक्षण किया है। इस अनुपूरक अंकेक्षण को स्वतंत्रतापूर्वक वैधानिक अंकेक्षकों के कार्य दस्तावेजों के बिना अभिगमन् किये, निष्पादित किया है तथा मुख्यतः वैधानिक अंकेक्षकों की जाच एवं कम्पनी कार्मिक व कुछ लेखांकन अभिलेखों की चयनित जांच तक सीमित है।

मेरे अनुपूरक अंकेक्षण पर आधारित, अधिनियम की धारा 143 (6)(बी) के अन्तर्गत निम्नलिखित महत्वपूर्ण मामलें, जो मेरे ध्यान में आये हैं और जो मेरे विचार से वित्तीय विवरणों व सम्बन्धित अंकेक्षण प्रतिवेदन को भली–भांति समझने के लिए आवश्यक है, को विशिष्ट रूप से दर्शाना चाहूंगाः–

अ. प्रकटीकरण पर टीका–टिप्पणियां
लेखों की टिप्पणियां

कम्पनी ने अपनी टिप्पणी 21.4 में उल्लेखित किया कि निर्धारण वर्ष 2017–18 के लिये आयकर विभाग ने 2,50,51,820 रूपये की मांग की और इस आदेश के विरूद्व, कम्पनी ने 27.11.2018 को आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील दायर की है। इसकी प्रस्तुति सहीं नहीं है क्योंकि वास्तविक मांग 2,86,03,799 रूपये के लिये थी। परिणामतः कम्पनी (अंकेक्षकों का प्रतिवेदन) आदेश, 2016 की टिप्पणी अपप (बी) में स्वतंत्र अंकेक्षकों द्वारा भी मांग राशि का अशुद्वता से प्रस्तुतीकरण किया गया था।

इसलिये, इस सीमा तक स्वतंत्र अंकेक्षकों का प्रतिवेदन भी अपूर्ण है।

ब. अंकेक्षक के प्रतिवेदन पर टीका–टिप्पणियां

(i) कम्पनी ने निर्धारण वर्ष 2018–19 के लिये 77,07,390 रूपये की विवादित राशि के लिये आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील दायर की। तथापि, इसे तथ्य के बारे में कम्पनी (अंकेक्षकों का प्रतिवेदन) आदेश, 2016 (अनुलग्नक बी) के अन्तर्गत स्वतंत्र अंकेक्षकों द्वारा रिपोर्ट नहीं की गयी है। इसलिये, इस सीमा तक स्वतंत्र अंकेक्षकों का प्रतिवेदन भी अपूर्ण है।

(ii) टिप्पणी सं. 6 में अर्हता के अन्तर्गत स्वतंत्र अंकेक्षकों ने कहा कि 558680 रूपये के संयंत्र और मशीनरी को लेखा शीर्ष 'भवन' के अन्तर्गत गलत तरीके से वर्गीकृत किया गया है। इसलिये, आस्तियों साथ ही स्थिर आस्तियों पर मुल्य ह्रास को सही मुल्य पर नहीं दर्शाया गया है। तथापि, स्वतंत्र अंकेक्षको ने मिथ्याकथन की मात्रा निर्धारित नहीं की है न ही वित्तीय विवरणों पर अर्हता का प्रभाव दिया है।

भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक
के लिए एवं निमित्त
ह.
(अतूर्वा सिन्हा)
महालेखाकार (लेखा परीक्षण–प्प)
राजस्थान, जयपुर।

स्थान – जयपुर
दिनांक –27.01.2022

राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड के 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों पर कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6)(बी) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ।

	महालेखाकार के आक्षेप	प्रबन्धन का उत्तर/स्पष्टीकरण
अ.	**प्रकटीकरण पर टीका–टिप्पणियां** **लेखों की टिप्पणियां** कम्पनी ने अपनी टिप्पणी 21.4 में उल्लेखित किया कि निर्धारण वर्ष 2017–18 के लिये आयकर विभाग ने 2,50,51,820 रूपये की मांग की और इस आदेश के विरूद्व, कम्पनी ने 27.11.2018 को आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील दायर की है। इसकी प्रस्तुति सही नहीं है क्योंकि वास्तविक मांग 2,86,03,799 रूपये के लिये थी। परिणामतः कम्पनी (अंकेक्षकों का प्रतिवेदन) आदेश, 2016 की टिप्पणी अपप (बी) में स्वतंत्र अंकेक्षकों द्वारा भी मांग राशि का अशुद्वता से प्रस्तुतीकरण किया गया था। इसलिये, इस सीमा तक स्वतंत्र अंकेक्षकों का प्रतिवेदन भी अपूर्ण है।	कम्पनी ने 2,86,03,799 रूपये की वास्तविक मांग के स्थान पर 2,50,51,820 रूपये की मांग राशि को प्रकट किया है। यह कम्पनी द्वारा भुलवश हुआ है और कम्पनी ने आयकर अधिनियम की धारा 143(3) के अधीन विभाग द्वारा पारित आदेश के स्थान पर आयकर अधिनियम की धारा 143(1) के आदेश में दर्शायी गयी मांग राशि को प्रकट किया है।
ब.	**अंकेक्षक के प्रतिवेदन पर टीका–टिप्पणियां** (i) कम्पनी ने निर्धारण वर्ष 2018–19 के लिये 77,07,390 रूपये की विवादित राशि के लिये आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील दायर की। तथापि, इसे तथ्य के बारे में कम्पनी (अंकेक्षकों का प्रतिवेदन) आदेश, 2016 (अनुलग्नक बी) के अन्तर्गत स्वतंत्र अंकेक्षकों द्वारा रिपोर्ट नहीं की गयी है। इसलिये, इस सीमा तक स्वतंत्र अंकेक्षकों का प्रतिवेदन भी अपूर्ण है। (ii) टिप्पणी सं. 6 में अर्हता के अन्तर्गत स्वतंत्र अंकेक्षकों ने कहा कि 558680 रूपये के संयंत्र और मशीनरी को लेखा शीर्ष 'भवन' के अन्तर्गत गलत तरीके से वर्गीकृत किया गया है। इसलिये, आस्तियों साथ ही स्थिर आस्तियों पर मुल्य ह्रास को सही मुल्य पर नहीं दर्शाया गया है। तथापि, स्वतंत्र अंकेक्षको ने मिथ्याकथन की मात्रा निर्धारित नहीं की है न ही वित्तीय विवरणों पर अर्हता का प्रभाव दिया है।	कोई टिप्पणी नहीं है।

राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड

31 मार्च, 2021 को तुलन–पत्र

सीआईएनःU40101RJ1995SGC009847

(राशि रूपयों में)

विवरण			देखें टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2021 को समाप्त चालू प्रतिवेदित अवधि के अन्त के आंकड़ें	31 मार्च, 2020 को समाप्त चालू प्रतिवेदित अवधि के अन्त के आंकड़ें
1			2		
I.	साम्या एवं दायित्व				
1	अंशधारकों की निधियां				
	(ए)	अंशपूंजी	2	129,410,780	129,410,780
	(बी)	संचितियाँ एवं अतिरिक्त	3	2,148,799,722	1,959,517,889
	(सी)	शेयर वारंट के तहत् प्राप्त धन राशि			
2	शेयर आवेदन धन राशि लम्बित आवंटन				
3	गैर–चालू दायित्व				
	(ए)	दीर्घावधि उधार राशिया	4		
	(बी)	आस्थगित कर दायित्व (शुद्ध)	5	108,281,046	120,410,116
	(सी)	अन्य दीर्घावधि दायित्व	6	2,200,549,122	1,834,957,806
	(डी)	दीर्घावधि प्रावधान			
4	चालू दायित्व				
	(ए)	अल्पावधि उधार राशियां			
	(बी)	व्यापारिक देयतायें	7		
		एम.एस.एम.ई.			
		एम.एस.एम.ई. के अतिरिक्त		152,081,421	132,078,833
	(सी)	अन्य चालू दायित्व	8	982,681,784	835,487,809
	(डी)	अल्पावधि प्रावधान	9	164,198,060	210,619,821
		योग		**5,886,001,934**	**5,222,483,053**
II	आस्तियां				
	गैर–चालू आस्तियां				
1	(ए)	स्थिर आस्तियां			
		(i) मूर्त आस्तियां	10	480,484,159	540,708,006
		(ii) अमूर्त आस्तियां		856,688	1,044,978

	(iii) प्रगतिरत पूंजी कार्य		-	-
	(iv) विकासाधीन अमूर्त आस्तियां			
	(बी) गैर–चालू निवेश	11	500,000	500,000
	(सी) आस्थगित कर आस्तियां (शुद्ध)			
	(डी) दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिम	12	3,755,591	3,755,591
	(ई) अन्य गैर–चालू आस्तियां	13	-	-
2	**चालू आस्तियां**			
	(ए) चालू निवेश			
	(बी) इन्वेन्ट्रीयां			
	(सी) व्यापारिक प्राप्तियां	14	435,512,638	427,090,173
	(डी) नकद एवं नकद समतुल्य	15	4,609,839,336	3,490,008,292
	(ई) अल्पावधि ऋण एवं अग्रिम	16	260,691,242	466,846,828
	(एफ) अन्य चालू आस्तियां	17	94,362,280	292,529,185
	योग		**5,886,001,934**	**5,222,483,053**
	महत्वपूर्ण लेखां नीतियां एवं लेखों पर टिप्पणियां	1		

हमारी समतिथि के पृथक प्रतिवेदन के अनुसार
माथुर एण्ड कम्पनी के लिये
चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस
एफआरएन सं. 001952सी
ह.
(अनिल माथुर)
साझेदार
सदस्यता संख्या 070339

स्थान : जयपुर
दिनांक : 17.11.2021

राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड
के निदेशक मण्डल के लिये एवं निमित्त

ह.
डॉ. सुबोध अग्रवाल
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन 06940604

ह.
एन.एस. निर्वाण
पूर्णकालिक निदेशक
डीआईएन 09361461

ह.
ललित वर्मा
निदेशक (वित्त) एवं
मुख्य वित्त अधिकारी

ह.
गजल सक्सेना
कम्पनी सचिव
सदस्यता सं. एफ8244

राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड, जयपुर
31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिये लाभ एवं हानि विवरण

(राशि रूपयों में)

	विवरण	देखें टिप्पणी संख्या	1 अप्रेल, 2019 से 31 मार्च, 2021	1 अप्रेल, 2018 से 31 मार्च, 2020
I.	संचालन से राजस्व	18	1,070,950,204	1,100,671,981
II.	अन्य आय	19	233,921,469	249,574,157
III.	**कुल राजस्व (I+II)**		**1,304,871,673**	**1,350,246,138**
IV.	व्यय:			
	उपभोगित सामग्रियो की लागत			
	व्यापारिक स्कन्ध (ऊर्जा) का क्रय	20	761,679,197	752,581,574
	निर्मित माल, प्रगतिरत कार्य एवं व्यापारिक स्कन्ध की इन्वेन्ट्रीयों में परिवर्तन			
	कर्मचारी हित लाभ व्यय	21	86,613,138	93,548,113
	वित्त लागतें	22	-	-
	मूल्य ह्रास एवं परिशोधन व्यय	10	61,272,908	117,245,638
	अन्य व्यय	23	119,576,539	76,684,592
	कुल व्यय		**1,029,141,783**	**1,040,059,917**
V.	**अपवादात्मक एवं असाधारण मदों एवं कर के पूर्व लाभ (III-IV)**		**275,729,890**	**310,186,221**
VI.	अपवादात्मक मदें	24	-	-
VII.	**असाधारण मदों एवं कर के पूर्व लाभ (V-VI-VIA)**			
VIII.	असाधारण मदें		**275,729,890**	**310,186,221**
IX.	**कर पूर्व लाभ (VII- VIII)**			
X	कर व्यय:		**275,729,890**	**310,186,221**
	(1) चालू कर	25		
	(2) पूर्ववर्ती वर्षों के लिये संक्षिप्त प्रावधान		85,339,468	108,000,000
	(3) आस्थगित कर	26	296,581	1,256,753
XI	**निरन्तर संचालनों से अवधि हेतु लाभ(हानि) (IX-X)**		(12,129,070)	(32,693,036)
XII	अनिरन्तर संचालनों से लाभ/(हानि)			
XIII	अनिरन्तर संचालनों के कर व्यय			
XIV	**अनिरन्तर संचालनों से लाभ/(हानि) (कर पश्चात्) (XII-XIII)**			
XV	**अवधि हेतु लाभ(हानि) (XI + XIV)**		**202,222,910**	**233,622,503**

XVI	प्रति साम्या अंश उपार्जन	27		
	(1) मूल		15.63	18.05
	(2) मन्दित		15.63	18.05
	महत्वपूर्ण लेखा नीतियां एवं लेखों पर टिप्पणी	1		

हमारी समतिथि के पृथक प्रतिवेदन के अनुसार
माथुर एण्ड कम्पनी के लिये
चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस
एफआरएन सं. 001952सी
ह.
(अनिल माथुर)
साझेदार
सदस्यता संख्या 070339

स्थान : जयपुर
दिनांक : 17.11.2021

राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड
के निदेशक मण्डल के लिये एवं निमित्त

ह.
डॉ. सुबोध अग्रवाल
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन 06940604

ह.
एन.एस. निर्वाण
पूर्णकालिक निदेशक
डीआईएन 09361461

ह.
ललित वर्मा
निदेशक (वित्त) एवं
मुख्य वित्त अधिकारी

ह.
गजल सक्सेना
कम्पनी सचिव
सदस्यता सं. एफ8244

राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड, जयपुर

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिये नकद प्रवाह विवरण

	विवरण	31.03.2021	31.03.2020
ए	**संचालित गतिविधियों से नकद प्रवाह**		
	करारोपण के पूर्व शुद्ध लाभ	275,729,890	310,186,220
	गैर–नकद मदों के लिये समायोजन		
	मूल्य ह्रास	61,272,908	117,245,638
	निवेशी गतिविधि के अन्तर्गत विचारित ब्याज की आय	(151,250,891)	(117,654,266)
	प्रदत्त ब्याज / पट्टा किराया	-	-
	कार्यशील पूंजी परिवर्तनों के पहले संचालित लाभ	**185,751,907**	**309,777,592**
	निम्न की वृद्धि / कमी के लिये समायोजन		
	चालू दायित्व एवं प्रावधान	486,366,118	15,326,842
	चालू आस्तियां एवं ऋण व अग्रिम	395,900,026	301,119,754
	संचालन से उत्पादित नकद	**1,068,018,051**	**626,224,188**
	प्रदत्त प्रत्यक्ष कर	(85,339,468)	(108,000,000)
	चालू वर्ष	(296,581)	(1,256,753)
	संचालित गतिविधियों से शुद्ध नकद	**982,382,002**	**516,967,435**
बी	निवेश गतिविधियों से नकद प्रवाह		
	स्थिर आस्तियों की अभिवृद्धि	(1,377,911)	(5,717,188)
	स्थिर आस्तियों का निपटान	517,140	
	प्रगतिरत पूंजी कार्य में वृद्धि		
	ब्याज की आय	151,250,891	117,654,266
	निवेशों में वृद्धि		
	निवेशी गतिविधियों में प्रयुक्त शुद्ध नकद	**150,390,120**	**111,937,078**
सी	वित्तीय गतिविधियों से नकद प्रवाह		
	ब्याज / पट्टा किराया	-	-
	प्रदत्त लाभांश एवं लाभांश कर	(12,941,078)	-
	सुरक्षित ऋण कोष में वृद्धि / कमी	-	-
	असुरक्षित ऋण कोष में वृद्धि / कमी	-	-
	वित्तीय गतिविधियों में प्राप्त शुद्ध नकद	**(12,941,078)**	**-**
डी	**नकद एवं नकद समतुल्य में शुद्ध वृद्धि / (कमी) (ए+बी+सी)**	1,119,831,044	628,904,514
	नकद एवं नकद समतुल्य (प्रारम्भिक शेष)	3,490,008,292	2,861,103,779
	नकद एवं नकद समतुल्य (अन्तिम शेष)	4,609,839,336	3,490,008,292
		4,609,839,336	**3,490,008,292**

टिप्पणी

नकद एवं नकद समतुल्य में शामिल है:		
मुख्यालय में हस्तगत नकद	-	-
मुख्यालय के बैंको में शेष	785,824,863	1,533,850,213
बैंको में सावधि जमा	2,344,007,514	915,848,903
चिन्हित निधि के लिये पीडी खातें में शेष	1,479,379,893	1,039,774,918
परियोजना कार्यालय पर नकद एवं बैंक शेष	627,066	534,258
	4,609,839,336	**3,490,008,292**

अंकों को निकटतम रूपयें में पूर्णांकित किया गया है

हमारी समतिथि के पृथक प्रतिवेदन के अनुसार
माथुर एण्ड कम्पनी के लिये
चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस
एफआरएन सं. 001952सी
ह.
(अनिल माथुर)
साझेदार
सदस्यता संख्या 070339

स्थान : जयपुर
दिनांक : 17.11.2021

राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड
के निदेशक मण्डल के लिये एवं निमित्त

ह.
डॉ. सुबोध अग्रवाल
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन 06940604

ह.
एन.एस. निर्वाण
पूर्णकालिक निदेशक
डीआईएन 09361461

ह.
ललित वर्मा
निदेशक (वित्त) एवं
मुख्य वित्त अधिकारी

ह.
गजल सक्सेना
कम्पनी सचिव
सदस्यता सं. एफ8244

राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड जयपुर

टिप्पणी 1

महत्वपूर्ण लेखा नीतियां एवं 31 मार्च, 2021 को अतिरिक्त टिप्पणियां

1. निगम की जानकारी

राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड ("आरआरईसी") कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधान के अधीन निगमित एवं भारत में अधिवासित राजस्थान सरकार की कम्पनी है। कम्पनी मुख्य रूप से राजस्थान राज्य में गैर–परम्परागत ऊर्जा के उत्पादन एवं अभिवृद्धि में संलग्न हैं

2. महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

(ए) वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिये आधार

वित्तीय विवरण को कम्पनी अधिनियम, 2013 के संबंधित प्रावधानों एवं भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धान्तों के अनुसार साथ ही भारत की चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस संस्था द्वारा जारी किये गये लेखा मानकों के अनुसार, चालू समुत्थान के आधार पर जब तक अन्यथा न कहा जाए, लेखा के प्रोद्भवन के आधार पर ऐतिहासिक लागत परम्परा के अन्तर्गत तैयार किये जाते है।

(बी) आय और व्यय की मान्यता

(i) विक्रय / क्रय

(ए) कम्पनी अपनी पवन / सौर ऊर्जा परियोजनाओं से उत्पादित विद्युत की प्राप्तियों को मान्यता संयुक्त मीटर पठन रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान पॉवर प्रोक्योरमेंट सेन्टर (आरपीपीसी) को करती है। विक्रय बिल आरपीपीसी के साथ निष्पादित पावर क्रय करार के अनुसार प्रस्तुत किए जाते है।

(बी) कम्पनी राजस्थान पॉवर प्रोक्योरमेंट सेन्टर (आरपीपीसी) से निष्पादित ऊर्जा विक्रय समझौते के अनुसार तथा ऊर्जा उत्पादकों के साथ निष्पादित ऊर्जा क्रय समझौते के अनुसार विद्युत विक्रय एवं क्रय प्राप्तियां को मान्यता देती है। विक्रय बिल आरपीपीसी के साथ निष्पादित पावर क्रय करार के अनुसार प्रस्तुत किए जाते है।

(सी) कम्पनी यथा उपलब्ध कार्बन वित्तीय प्रपत्रों / सीईआर का भी मान्यता प्राप्त एक्सचेंज पर विक्रय की प्राप्तियों को मान्यता देती है परन्तु यह व्यापारी की तरह व्यवहार नहीं करती है।

(ii) आय और व्यय की अन्य मदें

कम्पनी लेखांकन की व्यापारिक पद्धति का अनुसरण करती है और आय एवं व्यय के प्रोद्भवन के आधार पर मान्य करती है। समस्त आय/व्यय वित्तीय विवरणों पर तात्विक रूप से भारित होने के कारण निम्नलिखित के अतिरिक्त सभी को प्रोद्भवन के आधार पर मान्यता दी जाती है:–

(ए) आवेदन/प्रसंस्करण/पंजीयन/विस्तारण शुल्क/भूमि पहचान/प्रत्यायन शुल्क जिसमें विस्तारण शुल्क शामिल है, को उस वर्ष, जिसमें वह वस्तुतः प्राप्त की गई है, के लिए आय के रूप में मान्यता दी जाती है।

(बी) परिनिर्धारित नुकसानी/शास्ति

परिनिर्धारित नुकसानी/शास्ति/न्यून शक्ति मशीन उपलब्धता/ उत्पादन पर क्षति आदि यदि कोई हो, को उस वर्ष जिसमें वसूली की जाती है, में लेखाबद्ध किया जाता है।

(सी) विद्युत विक्रय के प्रति जारी किये गये बिलों के विलम्बित भुगतान के कारण अधिभार विलम्ब भुगतान अधिभार को उस वर्ष, जिसमें वह वस्तुतः प्राप्त किया गया है, के लिए आय के रूप में मान्यता दी जाती है।

उपरोक्त 'ए', 'बी' एवं 'सी' के लिये लेखा मानक–1 के खण्ड 17(ए) के अनुसार 'विवेक' की अपेक्षा है कि अनिश्चित भावी घटना/लाभों का पहले से विचार नहीं किया जाये परन्तु जब साकार हो जावे यद्यपि यह आवश्यक नहीं है कि नकद में ही हो, तब ही मान्यता दी जावें। अतः कम्पनी उन्हें रोकड़ आधार पर ज्ञात करती है।

(डी) भारत सरकार पदोन्नति स्कीम की तहत् एमएनआरई से सेवा प्रभार। इन सेवा प्रभारों को नकद आधार पर लेखाबद्ध किया जाता है।

(ई) संचालन और संधारण व्यय संबंधित समझौतों के अनुसार निर्धारित दरों के आधार पर प्रावधि किये गये है।

(सी) स्थिर आस्तियां एवं मूल्य ह्रास

(i) स्थिर आस्तियां :

स्थिर आस्तियों को उनकी अधिग्रहण लागत में से संचित मूल्य ह्रास को कम करके दर्शाया जाता है। लागत में आस्ति के लिये प्राप्त कोई विशेष अनुदान को कम करके आस्तियों को इनकी वर्तमान स्थिति एवं स्थान पर लाने के लिये सभी उपगत व्यय शामिल है।

प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना में 10/20 किलोवाट के एकल पावर प्लाण्टों की स्थापना के लिए राज्य सरकार प्लाण्ट की कार्यशील अवधि के लिए पट्टे पर भूमि का निशुल्क आवंटन करती है। तथापि, राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार मुफ्त उपलब्ध करवाई गई भूमि एवं संयंत्रों को नाममात्र के मूल्य रूपये 1/– प्रति संयंत्र तथा रूपये 1/– प्रति भूखण्ड के अनुसार दर्शाया गया है। इस सीमा तक पूंजी

आरक्षित कोष बनाया गया है। इन संयंत्रों की स्थापना एवं भूमि का रिकार्ड कम्पनी के पास उपलब्ध है।

(ii) मूल्य ह्रास

i) पवन फार्म परियोजनायें

जैसलमेर में वर्ष 2004–05 के दौरान पूंजीकृत 25 मेगावाट पवन फार्म पर मूल्य ह्रास पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन (पीएफसी) के साथ निष्पादित पट्टा करार के अनुसार 1 प्रतिशत सेल्वेज मूल्य का विचार करते हुये 15 वर्ष की पट्टा अवधि में अपलिखित करने के लिये 6.60 प्रतिशत की दर से किया गया है एवं भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस संस्था द्वारा जारी किये गये लेखा मानक 19 के अनुसार 25 मेगावाट की पट्टाधृत भूमि, भवन एवं सड़क पर मूल्य ह्रास 20 वर्ष का कार्यकाल विचारित करते हुये सरल रेखा विधि से 4.95 प्रतिशत की दर से किया गया है एवं पट्टाधृत भूमि हेतु लिये गये कार्यकाल से मिलान करते हुये 1 प्रतिशत सेल्वेज मूल्य लिया है।

परियोजना के 20 वर्ष के कार्यकाल को विचारित करते हुये पट्टाधृत भूमि पर मूल्य ह्रास सरल रेखा विधि से प्रभारित किया गया है एवं यद्यपि पट्टा 99 वर्ष के लिये स्वीकृत किया गया है परन्तु 20 वर्ष के अन्त में 1 प्रतिशत सेल्वेज मूल्य निर्धारित किया गया है। अब 15 वर्ष की पट्टा अवधि विव 2020–21 में पूर्ण हो गयी है और संयंत्र एवं मशीनरी को इसके सेल्वेज मूल्य पर दर्शाया गया है।

ii) सोलर ऊर्जा परियोजना

iii) एक मेगावाट फागी प्लाण्ट पर मूल्य ह्रास 10 प्रतिशत स्क्रेप मूल्य के साथ 25 वर्षों में ह्रास योग्य है, प्लाण्ट का भवन (सीमा दीवार) भी बिना किसी सेल्वेज मूल्य के 25 वर्षों में ह्रास योग्य है। अग्रतर, इस प्लाण्ट के उपयोग में 30 वर्ष की पट्टा अवधि वाली भूमि का 30 वर्ष में परिशोधन होगा।

iv) अन्य स्थिर आस्तियां एवं अमूर्त आस्तियां

अन्य स्थिर आस्तियों एवं अमूर्त आस्तियों पर मूल्य ह्रास कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची – द्वितीय के अधीन विहित रीति एवं दर पर सरल रेखा विधि से प्रभारित किया गया है।

(डी) सहायता अनुदान

i) प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना अनुदान :

प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के अन्तर्गत प्राप्त सहायता अनुदान को, अनुदान के माध्यम से सृजित संबंधित आस्तियों की लागत में से कम किया गया है/समायोजन किया गया है। अनुदान की उपयोग नहीं की गयी राशि को

अनुगामी वर्षों में उपयोग करने के लिये आगे लाया गया है एवं तुलन–पत्र में ''चालू दायित्व'' के शीर्ष के अन्तर्गत दर्शाया गया है।

''प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना/अन्य अनुदान'' से करायी गयी सावधि जमा पर उपार्जित/संचित ब्याज, यदि कोई हो, को विशिष्ट अनुदान खातें में क्रेडिट किया जाता है ना की राजस्व खातें में।

ii) ग्राम विद्युतीकरण प्रोग्राम एवं दूरवर्ती गांव विद्युतीकरण प्रोग्राम के अन्तर्गत आर्थिक सहायता :

ग्रामीण क्षेत्रों में डीएलएस/एसएलएस स्थापित करने के लिये गैर–पारम्परिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय (एमएनईएस) एवं राज्य सरकार आर्थिक सहायता देती है। सिस्टम के आपूर्तिकर्त्ताओं को आर्थिक सहायता आरआरईसी के माध्यम से दी जाती है जिसमें ऐसे कार्यों के लिये आरआरईसी यथा नोडल एजेंसी के कार्य करता है।

iii) अनुदानः प्रशासनिक एवं कर्मचारियों की लागत की ओर

वर्ष के दौरान प्रशासनिक एवं कर्मचारीवृन्द लागत के तहत् राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान, यदि कोई हो, को यथा वर्ष की आय के मान्यता दी जाती है। तथापि, इस वर्ष में ऐसा कोई अनुदान प्राप्त नहीं हुआ है।

(ई) ऊर्जा परियोजना पर/से आय/व्ययों के पूंजीकरण का आधार

ऊर्जा परियोजनाओं के सफलतापूर्वक पूर्ण होने, निर्माण, कमीशनिंग एवं ग्रिड से जुड़ जाने पर उनका प्रारम्भण विचारित किया जाता है। इस दिनांक तक परियोजना पर किए गए समस्त व्ययों को आय से कम करते हुए पूंजीकृत किया गया है।

पवन ऊर्जा टरबान्इस को ग्रिड के साथ जोड़ने पर संबंधित वितरण कम्पनी के अधिकारियों द्वारा स्थापना प्रमाण–पत्र जारी किया जाता है। इसके बाद तुरन्त ही इकाई प्रारम्भ की गई तथा ग्रिड चालू हो गई जिसके भुगतान का बिल बना तथा प्राप्त किया गया। अतः स्थापना प्रमाण–पत्र प्राप्त होने की दिनांक को स्थापना दिनांक मान इसे ही व्यावसायिक उत्पादन की दिनांक भी माना जाता है।

(एफ) सेवानिवृत्ति लाभ/कर्मचारी लाभ

कम्पनी ने भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस संख्या द्वारा विहित लेखा मानक–15 (संशोधित) की पालना में सेवानिवृत्ति पर आरआरईसीएल के योग्य कर्मचारियों की ''ग्रेच्यूटी'' एवं 'अवकाश नकदीकरण''के लाभों के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम (एल.आई.सी.) से पॉलिसी ले रखी है। वैधानिक दायित्वों से संबंधित दायित्व को जीवन बीमा निगम के स्वतंत्र बीमांकक द्वारा की गयी बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर लेखाबद्ध किया जाता है तथा प्रदत्त अंशदान लाभ–हानि खातें में लिखा जाता है।

(जी) आय पर करों हेतु लेखांकन

आय कर अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत वर्ष हेतु देयकर के आधार पर चालू कर के लिये प्रावधान किया जाता है।

आस्तियों एवं दायित्वों की वहन राशि एवं उनके संबंधित कर आधार एवं तुलन–पत्र की दिनांक को आगे लाई गयी हानियां, यदि कोई हो, के मध्य समय अन्तराल के परिणामी भावी कर के लिये आस्थगित कर आस्तियों एवं दायित्वों को विवेकपूर्ण आधार पर मान्यता दी जाती है। भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्था द्वारा विहित लेखा मानक– 22 के अनुसार, तुलन–पत्र की दिनांक को अधिनियमित या मूलतः अधिनियमित कर कानूनों एवं कर दरों का उपयोग करते हुये आस्थगित कर आस्तियों एवं दायित्वों को मापा जाता है। आस्थगित कर आस्तियों एवं दायित्वों में परिवर्तनों के प्रभाव को लाभ व हानि खाता में मान्यता दी जाती है।

(एच) इन्वेन्ट्री का मूल्यांकन

कम्पनी सामग्री के क्रय और विक्रय का संव्यवहार नहीं करती है। कार्बन वित्तीय प्रपत्रों (सीएफआई या सीईआर) का मूल्यांकन स्व उत्पादित प्रमाणित उत्सर्जन में कटौती के लिये लेखांकन पर मार्गदर्शन नोट के एक्सपोजर के अनुसार किया गया है। अग्रतर, ईडी के अनुसार क्योंकि ऐसी आस्तियां लेखा मानक 2 के अन्तर्गत शब्द ''इन्वेन्ट्री'' की दी गई परिभाषा को पूरा करती है, अतः तद्नुसार निरन्तर लागत पर या बाजार मूल्य, जो भी कम हो, पर मूल्यांकित की जाती है, तथापि वर्ष के दौरान ऐसे कोई संव्यवहार नहीं है।

(आई) नकद प्रवाह विवरण

भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस संस्था द्वारा विहित लेखा मानक–3 के अनुसार नकद प्रवाह विवरण को अप्रत्यक्ष विधि का उपयोग करते हुये तैयार किया जाता है।

(जे) आस्तियों का क्षरण

आस्तियों का क्षरण उसी समय मान्य किया जाता है जब इन आस्तियों के क्षरण का संकेत मिलता है। इस संकेत के आधार पर आस्तियों की वसूल की जा सकने योग्य राशि का अनुमान लगाया जाता है और यदि अनुमानित राशि आस्ति की वहन राशि से कम होती है तो वहन राशि को इसकी वसूली योग्य राशि तक कम कर दिया जाता है। यह कटौती क्षरण हानि मानी जाती है एवं लाभ–हानि खाते में दर्शायी जाती है। यदि तुलन–पत्र की तिथि को यह संकेत है कि पूर्व निर्धारित क्षरण हानि वर्तमान में नहीं है तो वसूली योग्य राशि पुनर्मूल्यांकित की जाती है तथा आस्ति ह्रास योग्य ऐतिहासिक लागत के अधिकतम के अधीन वसूली योग्य राशि से दर्शाई जाती है, तथापि वर्ष के दौरान ऐसा कोई संव्यवहार रिकार्ड नहीं किया गया है।

(के) पट्टे (आस्थगित भुगतान शर्तों के अन्तर्गत अर्जित आस्तियों सहित)

वित्तीय पट्टों के अन्तर्गत अर्जित आस्तियों को पट्टे के प्रारम्भ में पट्टेदार आस्तियों के वास्तविक भुगतान मूल्य पर पूंजीकृत किया जाता है एवं स्थिर आस्तियों में

शामिल किया जाता है। ऐसी आस्तियों के लिये कम्पनी की मूल्य ह्रास नीति के अनुसार इन आस्तियों का मूल्य ह्रास किया जाता है।

(एल) उधार राशियों की लागतें

अर्हक आस्तियों के निर्माण या अधिग्रहण पर आरोप्य ऋण लागतों को उस आस्ति की लागत के यथा अंश के पूंजीकृत किया जाता है। एक अर्हक आस्ति वह है जो इसके अभीष्ट प्रयोग के लिये तैयार होने में आवश्यक रूप से काफी समय लेती है। अन्य सभी ऋण लागतों को उस अवधि में जिसमें यह उपगत होती है, यथा व्यय के मान्यता दी जाती है एवं लाभ व हानि खातें में प्रभारित किया जाता है। वर्ष के दौरान कम्पनी द्वारा ऐसी कोई लागत उपगत नहीं की गयी है।

(एम) प्रति अंश अर्जन

भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस संस्था द्वारा जारी किये गये लेखा मानक–20 के अनुसार, कम्पनी मूल प्रति अंश अर्जन की रिपोर्ट करती है। मूल प्रति अंश अर्जन की गणना वर्ष के दौरान बकाया साम्य अंशों की भारित औसत संख्या से वर्ष हेतु शुद्ध लाभ या हानि को विभाजित करके की जाती है। क्योंकि साम्य अंश में कोई संभव्य मन्दन नहीं है, अतः यह मूल प्रति अंश अर्जन के समतुल्य है।

(एन) लागत अभिलेखें

कम्पनी अधिनियम के अधीन विहित लागत लेखांकन नियम के अनुसार, कम्पनी प्रत्येक संयंत्र के लिये पृथक लागत विवरणों का संधारण कर रही है।

(ओ) प्रावधान, समाश्रित दायित्व एवं समाश्रित आस्तियां

पूर्व घटना के परिणामस्वरूप जब कम्पनी का वर्तमान दायित्व होता है तो प्रावधान को मान्यता दी जाती है, यह सम्भावना है कि दायित्वों के निपटारे के लिये आर्थिक लाभों को अंगीभूत किये हुये संसाधनों के बाह्य प्रवाहों की आवश्यकता होगी एवं दायित्व की राशि का एवं विश्वसनीय पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। उनके वर्तमान मूल्य पर प्रावधानों को घटाया नहीं जाता है और प्रतिवेदित दिनांक को दायित्व के निपटारे के लिये अपेक्षित उत्तम प्राक्कलन के आधार पर नियत किये जाते है। इन प्राक्कलनों का प्रत्येक प्रतिवेदित दिनांक को पुनर्विलोकन किया जाता है एवं चालू उत्तम प्राक्कलनों को दर्शाने के लिये समायोजित किये जाते है।

एक आकस्मिक देनदारी एक संभव दायित्व है जो पिछली घटनाओं से उत्पन्न होती है जिसके अस्तित्व की कम्पनी के नियंत्रण से परे किसी एक या अधिक अनिश्चित भावी घटनाओं के होने या नहीं होने से पुष्टि हो जायेगी या एक वर्तमान दायित्व जिसको स्वीकार नहीं किया गया है क्योंकि यह संभव नहीं है कि दायित्वों ने निपटारे के लिये बाह्य प्रवाहों की आवश्यकता होगी। एक आकस्मिक दायित्व अत्यन्त दुर्लभ मामलों में भी उत्पन्न होता है, जहां दायित्व है उसे मान्यता प्राप्त नहीं किया जा सकता है। क्योंकि इसे विश्वासपूर्वक नहीं मापा जा सकता है। कम्पनी ने

आकस्मिक दायित्वों को मान्यता नहीं दी है। तथापि, वित्तीय विवरणों में पृथक से प्रकटीकरण किया गया है।

आकस्मिक आस्तियों को न तो मान्य किया गया है न ही वित्तीय विवरणों में प्रकट किया गया है।

3. **अतिरिक्त टिप्पणियां**

3.1 कम्पनी भौतिक सामग्री के क्रय एवं विक्रय का संव्यवहार नहीं करती है।

तथापि, कम्पनी ने अपनी 5 पवन ऊर्जा परियोजनाओं से आज तक सीईआर की 179600 इकाईयां (सीएफआई की कुल 1796) (1 सीएफआई = 100 सीईआर के) निम्न प्रकार उत्पादित की है/आवंटित की है :

विन्टेज/डब्ल्यू पीपी संख्या	2003 के लिये	2004 के लिये	2005 के लिये	2006 के लिये	2007 के लिये	कुल सीएफआई
#1337 (25 मे.वा.)	0	283	307	317	324	1231
#1338 (2.25 मे.वा.)	28	28	25	25	24	130
#1339 (2.0 मे.वा.)	22	23	21	16	17	99
#1340 (10.2 मे.वा.)	0	0	0	89	117	206
#1341 (2.1 मे.वा.)	26	29	25	26	24	130
कुल सीएफआई	76	363	378	473	506	1796(सीएफआई)
कुल सीईआर (सीएफआई 100)	7600	36300	37800	47300	50600	179600(सीईआर)

उपरोक्त में से कम्पनी के पास हस्तगत शेष सीएफआई को यहां नीचे दिया गया है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि 25 मेगावाट (विन्टेज संख्या 1337) परियोजना के लिये अन्तिम स्टॉक केवल 14 प्रतिशत की सीमा तक लिया गया है क्योंकि शेष 86 प्रतिशत पावर फाइनेन्स कार्पोरेशन का है एवं आरआरईसी के इलेक्ट्रानिक खाते में सामूहिक रूप से धारित है।

विन्टेज/डब्ल्यू पीपी संख्या	2003 के लिये	2004 के लिये	2005 के लिये	2006 के लिये	2007 के लिये	कुल सीएफआई
#1337 (25 मे.वा.)	0	39.62	42.98	44.38	45.36	172.34(ऊपर की टिप्पणी देखें)
		(283 का 14 प्रतिशत)	(307 का 14 प्रतिशत)	(317 का 14 प्रतिशत)	(324 का 14 प्रतिशत)	
#1338 (2.25 मे.वा.)	28	25	25	17	0	95
#1339 (2.0 मे.वा.)	18	0	1	0	0	19
#1340 (10.2 मे.वा.)	0	0	0	89	112	201
#1341 (2.1 मे.वा.)	0	0	0	0	0	0

कुल	46	64.62	68.98	150.38	157.36	487.34 (सीएफआई)

वर्ष 2007 एवं आगे की अवधि के लिये उत्पादित सीएफआई के विवरण उपलब्ध नहीं है, इसलिये उन वर्षों के पश्चात् के विवरण उपरोक्त तालिका में नहीं दिये गये है और क्योंकि 31.03.2021 को कोई कीमत की दर उपलब्ध नहीं है अतः प्रबंधन ने इनका मूल्य शून्य लेने का निर्णय किया है।

4. पीएमजीवाई योजना के अन्तर्गत 10 किलोवाट क्षमता के एसपीवी के एकल पावर संयंत्रों की लागत की पूर्ति पीएमजीवाई योजना के अन्तर्गत 100 प्रतिशत अनुदान के माध्यम से की गयी है। अतः किसी भी आस्ति की एकल प्लाण्टों के लिये दर्शाने के लिये, आवश्यकता नहीं है। हालांकि प्रत्येक परियोजना के अन्तर्गत भूमि एवं संयंत्र की नियंत्रण एवं अभिलेखों के प्रयोजनार्थ 1/–प्रति भूमि व 1/– प्रति संयंत्र के नाममात्र मूल्य पर रिकार्ड किया गया है, तथापि वर्ष के दौरान ऐसी कोई आस्तियां अर्जित नहीं की गयी है।

5. कम्पनी अपने प्रत्येक विद्युत उत्पादन संयंत्र के लिए परियोजना स्थल पर किए व्यय का पृथक् से वित्तीय विवरण रखती है जो कि 2.1 मेगावाट फलौदी में, 2.25 मेगावाट देवगढ़ में, 25 मेगावाट सोडाबंधन (जैसलमेर) में, 10.2 मेगावाट आकल (जैसलमेर) में, 10.2 मेगावाट पोहरा (जैसलमेर) में तथा 100 किलोवाट गौरीर (झूंझूनू) तथा 01 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र फागी में स्थित है। कम्पनी अभी इन उत्पादन संयंत्रों का निर्धारित प्रारूप में पूर्ण एवं विस्तृत लागत लेखा, प्रत्येक संयंत्र को एक पृथक् अस्तित्व के साथ संधारित कर रही है। प्रत्यक्ष व्ययों को संबंधित पीजीपी में प्रभारित किया जाता है तथा अप्रत्यक्ष व्ययों को उन संयंत्रों द्वारा विद्युत उत्पादन के अनुसार आनुपातिक रूप में, प्रत्येक संयंत्र के लागत अभिलेखों में दर्शाया गया है।

6. तत्कालीन रेडा से अग्रणीत शेष सहित पक्षकारों के विविध डेबिट एवं विविध क्रेडिट शेष पुष्टीकरण एवं समाशोधन के अध्याधीन है।

7. 09.08.2002 को रेडा के आरएसपीसीएल के साथ विलयन तक रेडा के विभिन्न शेष कम्पनी को हस्तान्तरित किए गए थे। इन आगे लाये गये शेषों में दायित्व, अनुदान तथा अन्य भी कई मदें सम्मिलित है।

8. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रमों के मंत्रालय द्वारा 26.08.2008 को जारी कार्यालयीन ज्ञापन के अनुसार, जो सिफारिश करता है कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रमों को अपने ग्राहकों के साथ पत्र–व्यवहार में ज्ञापन मे दायर करने के पश्चात् यथा आवंटित उद्यमकर्ता ज्ञापन क्रमांक का उल्लेख करना चाहिये। कम्पनी ने इस संबंध में पत्र जारी करने की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी है। तथापि, कम्पनी ने आज दिनांक तक किसी भी ऐसी सत्ता से कथित ज्ञापन की प्रतिलिपि प्राप्त नहीं की है। अतः ऐसा कोई सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रम नहीं है, जिसको कम्पनी को 31.03.2021 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रम विकास अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत को 45 दिन से अधिक के लिए देना बकाया शेष हो। इस अधिनियम के अधीन किसी आपूर्तिकर्ता से भी ब्याज का दावा कम्पनी को प्राप्त नहीं हुआ है।

9. आरआरईसीएल ने रिसर्जेंट राजस्थान समिट के संबंध में भुगतान करने के लिए वित्तीय वर्ष 2017–18 में निवेश प्रोत्साहन ब्यूरो को 5 करोड़ रूपये अग्रिम के रूप में दिये। वर्ष के दौरान उपयोगिता प्रमाण--पत्र प्राप्त हो गया है। इसलिये लेखा--पुस्तकों में इसे अब मान्यता दी गयी है।

10. लेखा मानक--15 के अन्तर्गत यथा अपेक्षित निम्न सारणी जीवन बीमा निगम द्वारा दिये गये विवरणों के अनुसार 31.03.2021 को अवकाश नकदीकरण योजना तथा ग्रेच्यूटी योजना की स्थिति दर्शाती है:

प्रथम पॉलिसी

पूर्वानुमान 31.03.2020 31.03.2021	ग्रेच्युटी	अवकाश वेतन
बट्टा दर 7.250 प्रतिशत 7 प्रतिशत	2020-21	2020-21
वेतन में वृद्धि 7 प्रतिशत 7 प्रतिशत		
बाध्यता की वर्तमान मूल्य में परिवर्तन को दर्शाती तालिका		
बाध्यता की वर्तमान मूल्य यथा वर्ष के प्रारम्भ में	32955943.00	19570743.00
ब्याज की लागत	2389306.00	1418879.00
वर्तमान सेवा लागत	828021.00	267324.00
प्रदत्त सुविधायें	(2132876.0)	(1357580.00)
बाध्यताओं पर बीमांकिक (लाभ)/हानि	(1586899.00)	(733965.00)
वर्ष के अन्त में बाध्यता का वर्तमान मूल्य	**32453495.00**	**19165401.00**
योजनागत आस्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन को दर्शाती तालिका		
वर्ष के प्रारम्भ में योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	24125893.72	20075466.95
योजनागत आस्तियों पर अनुमानित प्रतिलाभ	2409375.70	1474217.63
अंशदान	11534039.08	1283250.36
प्रदत्त सुविधायें	(2132876.00)	(1357580.00)
योजनागत आस्तियों पर बीमांकिक (लाभ)/हानि	शून्य	शून्य
वर्ष के अन्त में योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	35936432.58	**21475354.94**
योजनागत आस्तियों के उचित मूल्य को दर्शाती तालिका		
वर्ष के अन्त में योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	24125893.72	20075466.95
योजनागत आस्तियों पर वास्तविक प्रतिलाभ	2409375.78	1474217.63
अंशदान	11534039.08	1283250.36
प्रदत्त सुविधायें	(2132876.00)	(1357580.00)
वर्ष के अन्त में योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	**35936432.58**	21475354.94
कोषीय स्थिति	3482937.58	2309953.94
योजनागत आस्ति के अनुमानित प्रतिलाभ पर वास्तविक का आधिक्य		
(वास्तविक प्रतिलाभ दर = 31 मार्च को यथा एआरडी के पतन के प्रतिलाभ की अनुमानित दर)		
प्रमाणित बीमांकिक (लाभ)/हानि	1586899.00	733965.00

बाध्यता पर बीमांकिक (लाभ)/हानि	शून्य	शून्य
वर्ष की योजनागत आस्तियों पर बीमांकिक (लाभ)/हानि	(1586899.00)	(733965.00)
बाध्यता पर बीमांकिक (लाभ)/हानि	(1586899.00)	(733965.00)
वर्ष में प्रमाणित बीमांकिक (लाभ)/हानि		
तुलन–पत्र तथा लाभ–हानि के विवरण में प्रमाणित की जाने वाली राशियां		
वर्ष के अन्त में बाध्यता का वर्तमान मूल्य	32453495.00	19165401.00
वर्ष के अन्त में योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	35936432.58	31475354.94
कोषीय स्थिति	3482937.58	2309953.94
वर्ष के तुलन–पत्र में प्रमाणित शुद्ध आस्तियां/(दायित्व)	3482937.58	2309953.94
लाभ–हानि विवरण में प्रमाणित व्यय		
वर्तमान सेवा लागत	828021.00	267324.00
ब्याज लागत	2389306.00	1418879.00
योजनागत आस्तियों पर अनुमानित प्रतिलाभ	(2409375.78)	(1474217.63
वर्ष में प्रमाणित बीमांकिक (लाभ)/हानि	(1586899.0)	(733965.00)
लाभ–हानि विवरण में प्रमाणित व्यय	778948.00	521980.00

द्वितीय पॉलिसी

पूर्वानुमान	31.03.2020	31.03.2021	ग्रेच्युटी	अवकाश वेतन
बट्टा दर	7.250 प्रतिशत	7 प्रतिशत	2020-21	2020-21
वेतन में वृद्धि	7 प्रतिशत	7 प्रतिशत		
बाध्यता की वर्तमान मूल्य में परिवर्तन को दर्शाती तालिका				
बाध्यता की वर्तमान मूल्य यथा वर्ष के प्रारम्भ में			122990.00	66185.00
ब्याज की लागत			8917.00	4798.00
वर्तमान सेवा लागत			36760.00	17992.00
प्रदत्त सुविधायें			0.00	0.00
बाध्यताओं पर बीमांकिक (लाभ)/हानि			21371.00	30358.00
वर्ष के अन्त में बाध्यता का वर्तमान मूल्य			**190038.00**	119333.00
योजनागत आस्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन को दर्शाती तालिका				
वर्ष के प्रारम्भ में योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य			104340.62	86557.19
योजनागत आस्तियों पर अनुमानित प्रतिलाभ			12224.4	6970.09
अंशदान			125628.04	47631.15
प्रदत्त सुविधायें			0.00	0.00
योजनागत आस्तियों पर बीमांकिक (लाभ)/हानि			शून्य	शून्य
वर्ष के अन्त में योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य			242193.09	**141158.43**
योजनागत आस्तियों के उचित मूल्य को दर्शाती तालिका				
वर्ष के प्रारम्भ में योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य			104340.62	86557.19
योजनागत आस्तियों पर वास्तविक प्रतिलाभ			12224.43	6970.09
अंशदान			125628.04	47631.15

प्रदत्त सुविधायें	0.00	0.00
वर्ष के अन्त में योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	242193.09	141158.43
कोषीय स्थिति	52155.09	21825.43
योजनागत आस्ति के अनुमानित प्रतिलाभ पर वास्तविक का आधिक्य		
(वास्तविक प्रतिलाभ दर = 31 मार्च को यथा एआरडी के पतन के प्रतिलाभ की अनुमानित दर)		
प्रमाणित बीमांकिक (लाभ)/हानि		
बाध्यता पर बीमांकिक (लाभ)/हानि	(21371.00)	(30358.00)
वर्ष की योजनागत आस्तियों पर बीमांकिक (लाभ)/हानि	NIL	NIL
बाध्यता पर बीमांकिक (लाभ)/हानि	21371.00	30358.00
वर्ष में प्रमाणित बीमांकिक (लाभ)/हानि	21371.00	30358.00
तुलन–पत्र तथा लाभ–हानि के विवरण में प्रमाणित की जाने वाली राशियां		
वर्ष के अन्त में बाध्यता का वर्तमान मूल्य		
वर्ष के अन्त में योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	190038.00	119333.00
कोषीय स्थिति	242193.09	141158.43
वर्ष के तुलन–पत्र में प्रमाणित शुद्ध आस्तियां/(दायित्व)	52155.09	21825.43
	52155.09	21825.43
लाभ–हानि विवरण में प्रमाणित व्यय		
वर्तमान सेवा लागत	36760.00	17992.00
ब्याज लागत	8917.00	4798.00
योजनागत आस्तियों पर अनुमानित प्रतिलाभ	(12224.43)	(6970.09)
वर्ष में प्रमाणित बीमांकिक (लाभ)/हानि	21371.00	30358.00
लाभ–हानि विवरण में प्रमाणित व्यय	54824.00	46178.00

11. संबंधित पक्षकारों का प्रकटीकरण

(ए) कम्पनी के संबंधित पक्षकारों के नाम निम्न प्रकार से है:

I	**कम्पनी में सारवान हित रखने वाले व्यक्ति एवं मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक**
ए	श्री सुबोध अग्रवाल– अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (2 नवम्बर 2020 से)
बी	श्री अनिल गुप्ता–प्रबंध निदेशक (1 नवम्बर 2020 तक)
सी	श्री के. सी. कुमावत–निदेशक (वित्त) एवं मुख्य वित्त अधिकारी
डी	श्रीमती गजल सक्सेना, कम्पनी सचिव
II	**ऐसे व्यक्ति तथा मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक से संबंधी****
III	**उपक्रम जिनमें ऊपर वर्णित कोई योग्य व्यक्ति सारवान हित रखता है****

**भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस संस्था द्वारा निर्गमित मानक–18 के पैरा 9 के अनुसार अन्य राज्य से नियंत्रित उपक्रम एवं उक्त उपक्रम के साथ व्यवहार के लिए संबंधित पक्षकार से संबंध के विषय में प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं है।

(बी) संबंधित पक्षकारों से व्यवहार का विवरण इस प्रकार है:

विवरण	कम्पनी में सारवान हित रखने वाले व्यष्टि एवं मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	ऐसे व्यष्टि एवं मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक के संबंधी**	उपक्रम जिनमें ऊपर वर्णित कोई व्यक्ति सारवान हित रखता है**	31.03.2021 को योग	31.03.2020 को योग
प्रबंधकीय पारिश्रमिक / वेतन					
श्री सुबोध अग्रवाल	10,53,000.00			10,53,000.00	-
श्री अनिल गुप्ता, प्रबंध निदेशक	9,09,850.00	-	-	9,09,850.00	25,78,677.00
श्री के. सी. कुमावत निदेशक (वित्त)	23,47,426.00			23,47,426.00	21,43,047.00
श्रीमती गजल सक्सेना, कम्पनी सचिव	10,64,797.00			10,64,797.00	10,21,414.00
योग	53,75,073.00	-	-	53,75,073.00	57,43,138.00

*** संविदात्मक बाध्यताओं के अन्तर्गत वेतन भुगतान एवं अन्य देयताओं के अतिरिक्त मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या उनके संबंधियों से कोई संव्यवहार नहीं हुआ है।*

31.03.2021 को राजस्थान सोलर पार्क विकास कम्पनी (पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी) के पास अन्य अग्रिम ....1135011/— रूपये

12. अनुज्ञप्त तथा स्थापित क्षमता (प्रबंधन द्वारा यथा प्रमाणित)

	चालू वर्ष	**गत वर्ष**
(i) अनुज्ञप्त क्षमता	लागू नहीं है	लागू नहीं है
(ii) स्थापित क्षमता		
2.25 मेगावाट देवगढ़ पवन फार्म परियोजना	2.25 मेगावाट	2.25 मेगावाट
2.10 मेगावाट फलौदी पवन फार्म परियोजना	2.10 मेगावाट	2.10 मेगावाट
25 मेगावाट सोडा (जैसलमेर) पवन फार्म	25 मेगावाट	25 मेगावाट
10.2 मेगावाट आकल (जैसलमेर) पवन फार्म	10.2 मेगावाट	10.2 मेगावाट
100 किलोवाट गौरीर (झुंझुंनू) एसपीवी परियोजना	100 किलोवाट	100 किलोवाट
10.2 मेगावाट पोहरा (जैसलमेर) पवन फार्म	10.2 मेगावाट	10.2 मेगावाट
01 मेगावाट सोलर पावर संयंत्र फागी	01 मेगावाट	01 मेगावाट

13. पूंजीगत सामग्री, स्टोर और स्पेयर पार्ट्स या कच्चे माल का इस वर्ष या गत वर्ष में कोई आयात नहीं किया गया है।

14. विदेशी मुद्रा में व्यय : शून्य (गत वर्ष शून्य)

15. **विद्युत के उत्पादन और विक्रय के संबंध में मात्रात्मक सूचना (केडब्ल्यूएच) :**

	चालू वर्ष	गत वर्ष
	यूनिटस् में	यूनिटस् में
प्रारम्भण–पश्चात् अवधि		
उत्पादित यूनिट :		
2.25 मेगावाट देवगढ़ पवन फार्म परियोजना	1450226	1090257
2.10 मेगावाट फलौदी पवन फार्म परियोजना	1646340	1843470
25 मेगावाट जैसलमेर पवन फार्म	24591168	28744028
10.2 मेगावाट आकल पवन फार्म	1214200	2643400
100 किलोवाट–एसपीवी–गौरीर परियोजना	-	-
10.2 मेगावाट पोहरा जैसलमेर	3298253	4817266
01 मेगावाट सोलर पावर प्लाण्ट फागी	1466573	1486577
कुल उत्पादित यूनिटे	33666760	40624998
विक्रय की गयी यूनिट :		
2.25 मेगावाट देवगढ़ पवन फार्म परियोजना	1450226	1090257
2.10 मेगावाट फलौदी पवन फार्म परियोजना	1646340	1843470
25 मेगावाट जैसलमेर पवन फार्म	24591168	28744028
10.2 मेगावाट आकल पवन फार्म	1214200	2643400
100 किलोवाट–एसपीवी–गौरीर परियोजना	-	-
10.2 मेगावाट पोहरा जैसलमेर	3298253	4817266
01 मेगावाट सोलर पावर प्लाण्ट फागी	1466573	1486577
कुल विक्रीत यूनिटे	33666760	40624998

उत्पादन के आंकड़े ग्रिड से ली गयी क्रियाशील विद्युत के शुद्ध है। परियोजना स्थलों पर ऊर्जा की नाममात्र की अतिरिक्त खपत है इसलिये अलग से नहीं दर्शायी गयी है।

16. वर्ष के दौरान लेखा परीक्षकों के भुगतान/प्रावधान निम्न प्रकार है :–

विवरण	वर्ष 2020–21	वर्ष 2019–20
(i) वैधानिक लेखा परीक्षा शुल्क (जीएसटी के अतिरिक्त)	2,11,750.00	2,11,750.00
(ii) वैधानिक लेखा परीक्षा व्यय	35,000.00	35,000.00
(iii) कर लेखा परीक्षा शुल्क	40,000.00	40,000.00
(iv) आंतरिक लेखा परीक्षा शुल्क	40,000.00	40,000.00
(v) आंतरिक लेखा परीक्षा	10,000.00	10,000.00
(vi) लागत लेखा परीक्षा शुल्क	25,000.00	25,000.00

17. **खण्ड प्रतिवेदन**

(ए) व्यावसायिक खण्ड :– कम्पनी दो तरह की व्यावसायिक गतिविधियों में संलग्न है:– (ए) पवन/सौर विद्युत परियोजनओं से उत्पादित विद्युत तथा सीईआर के विक्रय से संबंधित व्यावसायिक गतिविधियां (बी) ऊर्जा के उत्पादन के लिये गैर–परम्परागत संसाधनों के प्रोन्नयन के लिये निवेशकों हेतु राजस्थान–सरकार की नोडल एजेन्सी एवं भारत–सरकार एवं राजस्थान–सरकार की ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं के क्रियान्वयन के लिये कार्य कर रही है। खण्ड–वार सूचना अनुलग्नक में दी गयी है।

(बी) भौगोलिक खण्ड:– चूंकि कम्पनी के समस्त विद्युत उत्पादन संयंत्र राजस्थान में ही स्थित है, अतः इस खण्ड की आवश्यकता नहीं।

18. लेखा मानक–22 की पालना में कम्पनी ने वर्ष 2020–21 के लिये 1,21,29,070/– रूपये के आस्थगित कर आस्तियों/दायित्वों का सृजन निम्न प्रकार किया है :

(राशि रूपयों में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2021 को	31.03.2020 को
1	आस्थगित कर आस्तियां	1,21,29,070	3,26,93,036
2	कर दायित्व	(12,04,10,116)	(15,31,03,151)
	शुद्ध/(कर दायित्व) (1–2)	(10,82,81,046)	(12,04,10,115)

19. वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान, भविष्य निधि विभाग ने आरआरईसीएल के बैंक खाते से 109885 रूपये वसूल किये तथापि कम्पनी ने आयुक्त के समक्ष अपील दायर की है, अतः मामलें के निस्तारण तक इसे भविष्य निधि विभाग से यथा वसूली योग्य दर्शाया गया है।

20. वित्तीय वर्ष 2018–2019 में वाद सं. 185,186,187,188 व 189/2018 में राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 09.04.2018 की पालना में कम्पनी ने महा–रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय को यथा अग्रिम 10500000/– रूपये

सविरोध जमा कराये हैं। जैसा कि अपील का अन्तिम निर्णय अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है अतः आरआरईसीएल द्वारा किया गया भुगतान समायोजन के अधीन है और निर्णय पर निर्भर करेगा अतः इसे चालू वित्तीय वर्ष में यथा प्राप्य के व्यवहृत किया गया है।

21. अपील के अधीन आय कर निर्धारण की स्थिति एवं उनका प्रभाव

21.1 आयकर विभाग ने कर निर्धारण वर्ष 2008–09 और 2009–10 के लिये आयकर अधिनियम 1961 की धारा 148 के अधीन कर निर्धारण पर पुनर्विचार किया और आयकर अधिनियम की 80–आई–ए में दावा की गयी कटौती को कम की गयी और यथा दावा किये गये कुछ अन्य अतिरिक्त व्ययों के विरूद्ध मांग का सृजन किया। माननीय आयकर अपील न्यायाधिकरण, जयपुर ने विभाग की अपील को खारिज कर दिया और आदेश दिनांक 18.08.2017 द्वारा निर्धारिती को राहत अनुज्ञात की, माननीय आयकर अपील न्यायाधिकरण जयपुर के अपील आदेश के प्रभाव लम्बित है, इसलिये कर के आवश्यक समायोजन को लेखा पुस्तकों में नहीं दिया गया है।

21.2 आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 143(3) के अधीन कर निर्धारण वर्ष 2010–2011, 2011–2012 और 2012–2013 के लिये कर निर्धारण का मूल्यांकन किया गया था, पारित आदेशों में, एलडी निर्धारण अधिकारी ने आयकर अधिनियम की 80 आईए की कटौती के लिये गये दावों के अन्तर्गत कुछ व्ययों को नामंजूर, आय की अमान्य किया है। माननीय आयकर अपील न्यायाधिकरण, जयपुर ने विभाग की अपील को खारिज कर दिया और आदेश दिनांक 18.08.2017 द्वारा निर्धारिती को राहत अनुज्ञात की, माननीय आयकर अपील न्यायाधिकरण जयपुर के अपील आदेश के प्रभाव लम्बित है, इसलिये कर के आवश्यक समायोजन को लेखा पुस्तकों में नहीं दिया गया है।

21.3 आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 143(3) के अधीन कर निर्धारण वर्ष 2016–17 के लये कर निर्धारण का मूल्यांकन किया गया था, पारित आदेशों में, एलडी निर्धारण अधिकारी ने 29.10.2018 को कर निर्धारण आदेश पारित किया जिसमें विभाग ने 8084354/– रूपये की मांग की। ऐसे आदेश के विरूद्ध, आरआरईसीएल ने 27.11.2018 को सीआईटी (अपील) के समक्ष अपील दायर की है; तथापि अपील के लिये सुनवाई अभी तक लम्बित है।

21.4 आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 143(3) के अधीन कर निर्धारण वर्ष 2017–18 के लये कर निर्धारण का मूल्यांकन किया गया था, पारित आदेशों में, एलडी निर्धारण अधिकारी ने 29.10.2018 को कर निर्धारण आदेश पारित किया जिसमें विभाग ने 2,50,51,820/– रूपये की मांग की। ऐसे आदेश के विरूद्ध, आरआरईसीएल ने 27.11.2018 को सीआईटी (अपील) के समक्ष अपील दायर की है; और कुल मांग का 20 प्रतिशत यथा 5720760/– रूपये जमा कराके स्थगन के लिये आवेदन दायर किया है तथापि अपील के लिये सुनवाई अभी तक लम्बित है।

22. **सेवाकर मामलों की स्थिति, अपील एवं उनका प्रभाव**

22.1 केन्द्रीय उत्पाद आयुक्त (सेवा कर) ने दिनांक 22.01.2015 को आदेश पारित किया है और 12051557 रूपये के सेन्वेट क्रेडिट के गलत उपभोग के कारण 2008–2009 (अक्टूबर, 2008) से 2013–2014 (जून, 2013 तक) की अवधि के लिये आयोजित सेवा कर अंकेक्षण के आधार पर जारी किये गये एससीएन, सेन्वेट क्रेडिट नियम, 2004 के नियम 6(3)(1) के निबंधनों के अनुसार छूट प्राप्त सामग्री/सेवाओं पर 94256387 रूपये के सेवा कर का असंदाय एवं वार्षिक प्रत्यायन प्रभार पर 538690 रूपये का असंदाय, एक बार प्रत्यायन प्रभार एवं उस अवधि के लिये प्रतिभूति जमा के समपहरण के संदर्भ में 106846634 रूपये की राशि की कुल मांग का सृजन किया है। कम्पनी ने वीसीईएस, 2013 के अन्तर्गत एक अभिवेदन प्रस्तुत किया है एवं वर्ष 2013–14 के दौरान गलत दावा की गयी सेन्वेट क्रेडिट के सम्पूर्ण कर दायित्व तथा उस पर देरी का ब्याज जमा करा दिया है। विभाग ने वीसीईएस आवेदन को नजर अंदाज कर आदेश पारित कर दिया है। उक्त तथ्यानुसार एवं विधिक सलाहकार की राय के अनुसार की गयी मांग पूर्ण नहीं की जा सकती, कम्पनी ने सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर अपील अधिकरण, नई दिल्ली के समक्ष अपील दायर की है। अतः कम्पनी ने इसके लिये कोई प्रावधान नहीं किया है।

23. **समाश्रित दायित्व, जिनका प्रावधान नहीं किया गया है**

- कम्पनी की ओर से/विरूद्ध लगभग 2.75 करोड़ रूपये के कुल 117 विधिक मामलें है जिनमें से कुछ तत्कालीन रेडा से संबंधित है जो विलय के दायित्व के रूप में कम्पनी को हस्तान्तरित किये गये है तथा कुछ आरआरईसी अवधि से संबंधित है। कम्पनी ने इन विधिक मामलों के परिणामस्वरूप होने वाले दायित्वों के लिये कोई प्रावधान नहीं किया है क्योंकि यह न ही निर्धारणीय है न ही किसी आदेश के द्वारा निश्चित है, इस प्रकार समाश्रित है।

- कम्पनी ने उप पंजीयनकर्ता, देवगढ़ को 08.01.2016 को सूचित किया है तथा कहा चूंकि भूमिकर की मांग अनन्तिम तौर पर जारी की गयी थी इसलिये भूमि कर पर शास्ति लगाना अनुचित है। इसके अतिरिक्त आरआरईसी ने उप पंजीयनकर्ता से अनुरोध किया है कि क्योंकि यह राज्य सरकार का उपक्रम है इसलिये आरआरईसी पर भूमिकर की लेवी की उप पंजीयकर्ता द्वारा दुबारा जांच की जानी चाहिये। परन्तु उप–पंजीयनकर्ता ने आरआरईसी के आवेदन को स्वीकार नहीं किया है। इसलिये, आरआरईसीएल ने उप–पंजीयनकर्ता द्वारा की गयी मांग के विरूद्ध में अपील करने का निर्णय लिया है। प्रबंधन द्वारा किये गये निर्णयानुसार इस मामलें में यथा भार साधक अधिकारी के कार्यवाही करने हेतु कार्मिक अधिकारी, उदयपुर को अधिकृत किया है एवं जिला कलक्टर, प्रतापगढ़ के समक्ष उपरोक्त मांग के विरूद्ध अपील दायर की है। मामलें की सुनवाई प्रक्रियाधीन है। इस मामलें में प्राधिकारी के निर्णयानुसार आगे की कार्यवाही की जायेगी।

24. आरआरईसी के पवन ऊर्जा परियोजना के कार्यात्मक विश्लेषण की 31.03.2021 को स्थिति का प्रतिवेदनः

क्र. सं.	विन्ड फार्म का नाम	कार्यात्मक विश्लेषण की अवधि	टिप्पणियां
1	25 मेगावाट सोडा बंधन	19.07.2016 से 18.07.2018	19.07.2016 से एनआईडब्ल्यूई एवं स्थल से आंकड़े अभी तक प्रतिक्षीत है।
2	10.2 मेगावाट आकल	1.09.2014 से 31.08.2016	सितम्बर, 2014 से अगस्त, 2016 की अवधि के लिये आरआरबी लिमिटेड से शास्ति के 30,16,134 रूपये की वसूली की गयी, आगे की अवधि के लिये एनआईडब्ल्यूई एवं स्थल से आंकड़े अभी तक प्रतिक्षीत है।
3	10.2 मेगावाट पोहरा	18.11.2013 से 17.11.2016	18.11.2013 से 17.11.2016 की अवधि के लिये आर.आर.बी लिमिटेड से शास्ति के 25,13,620 रूपये की गत वित्तीय वर्ष के दौरान वसूली की गयी, आगे की अवधि के लिये सी.डब्ल्यू.ई.टी. एवं स्थल से आंकड़े अभी तक प्रतिक्षीत है।
4	2.25 मेगावाट देवगढ़	वित्तीय वर्ष 2008–09 से मार्च, 2016	एन.आई.डब्ल्यू.ई. एवं स्थल द्वारा उपलब्ध कराये गये आंकड़ों के अनुसार कार्यात्मक विश्लेषण कर लिया गया है। अप्रेल, 2016 से एवं आगे के आंकड़े एन.आई.डब्ल्यू.ई. से प्राप्त किये जा रहे है।
5	2.10 मेगावाट फलौदी	मार्च, 2012 तक	अप्रेल, 2014 के पश्चात् अभी तक कार्यात्मक विश्लेषण के लिये आंकड़ें प्राप्त नहीं हुये है। मार्च, 2014 तक कार्यात्मक विश्लेषण पूर्ण हो गया था एवं एन.आई.डब्ल्यू.ई. से आगे की अवधि के आंकड़े प्रतिक्षीत है।
6	100 किलोवाट, गौरीर, झुंझुनू		संयंत्र आरईआईएल द्वारा निशुल्क रख–रखाव के अधीन है। अगस्त, 2011 से उत्पादन सन्तोषजनक नहीं है।
7	01 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र, फागी	06 अप्रेल, 2014 से 05 अप्रेल, 2016	06.04.2014 से 05.04.2016 तक दो वर्ष की खण्डावधि के लिये संयंत्र का कार्यात्मक विश्लेषण किया गया। एनएमजीजी में न्यूनता के कारण 15.32/केडब्ल्यूएच की दर से 62,47,486/– रूपये के दण्ड की गणना की गयी एवं वित्तीय वर्ष 2016–17 में वसूली की सूचना फर्म को दी गयी और आरआरईसीएल ने वित्तीय वर्ष 2016–17 और 2017–18 में एलएण्डटी को देय परिचालन एवं संधारण प्रभारों के विरूद्ध क्रमशः 2652816/– रूपये और 2355332/– रूपये के अर्थदण्ड को समायोजित किया। अब मैसर्स एलएण्डटी लिमिटेड से अभी भी 1239338/– रूपये वसूली योग्य है। तथापि अर्थदण्ड अधिरोपित करने के प्रबंधन के निर्णय से व्यथित, मैसर्स एलएण्डटी पंच निर्णय हेतु अग्रतर हो गये। अब मामला पंच के समक्ष लम्बित है।

25. "चालू/गैर–चालू आस्तियों, ऋणों एवं अग्रिमों" के रूप में दिखाये गये शेष राशि में कुछ शेष राशि शामिल है जो अपुष्ट है और समाधान के अधीन है और उनका समायोजन अन्तिम समाधान/पुष्टिकरण/निपटारा के समय किया जायेगा। यथापि, कम्पनी ने एक विशेष तिथि पर शेष राशि की पुष्टि प्राप्त करने के लिये प्रक्रिया शुरू कर दी है और किसी से भी कोई प्रतिकूल पुष्टिकरण प्राप्त नहीं हुआ है।

26. सीएसीआर व्यय में निम्नलिखित का समावेश है:–

वर्ष के दौरान कम्पनी द्वारा व्यय की जाने वाली अपेक्षित सकल राशि 45,96,511/– रूपये थी, इसके विरूद्ध कम्पनी ने सैटेलाइट अस्पताल, बीकानेर में वार्ड के निर्माण सहित आधारभूल संरचना के विकास के प्रति 46,50,000/– रूपये का व्यय किया है।

27. कम्पनी के निदेशक मण्डल की राय में एवं उनके सर्वोत्तम ज्ञान तथा विश्वास में, समस्त चालू एवं गैर–चालू आस्तियां, ऋण एवं अग्रिम का वसूली मूल्य (यदि कोई प्रावधान किया गया हो तो शुद्ध मूल्य) व्यापार के सामान्य अनुक्रम में, कम से कम उस राशि के समतुल्य है जिसमें इनका तुलन–पत्र में कथन किया गया है।

28. जहां कहीं भी आवश्यक समझा गया है पूर्व वर्ष के आंकड़ों को समूहित और पुनःसमूहित किया गया है।

हमारी समतिथि के पृथक प्रतिवेदन के अनुसार
माथुर एण्ड कम्पनी के लिये
चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस
एफआरएन सं. 001952सी
ह.
(अनिल माथुर)
साझेदार
सदस्यता संख्या 070339

स्थान : जयपुर
दिनांक : 17.11.2021

राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड
के निदेशक मण्डल के लिये एवं निमित्त

ह.	ह.
डॉ. सुबोध अग्रवाल	**एन.एस. निर्वाण**
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	**पूर्णकालिक निदेशक**
डीआईएन 06940604	डीआईएन 09361461
ह.	ह.
गजल सक्सेना	**ललित वर्मा**
कम्पनी सचिव	**निदेशक (वित्त) एवं**
सदस्यता सं. एफ8244	**मुख्य वित्त अधिकारी**

राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड जयपुर

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिये वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां *(राशि रूपयों में)*

विवरण	31 मार्च, 2021 को		31 मार्च, 2020 को	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि
टिप्पणी 2 अंशपूंजी				
(ए) प्राधिकृत				
प्रत्येक 10 रूपये मूल्य के साम्या अंश	14,000,000	140,000,000	14,000,000	140,000,000
प्रत्येक 100 रूपये मूल्य के संचयी पूर्वाधिकार अंश	200,000	20,000,000	200,000	20,000,000
	14,200,000	**160,000,000**	**14,200,000**	**160,000,000**
(बी) निर्गमित, अभिदत्त एवं प्रदत्त				
प्रत्येक पूर्ण प्रदत्त 10 रूपये मूल्य के साम्या अंश	12,941,078	129,410,780	12,941,078	129,410,780
	12,941,078	**129,410,780**	**12,941,078**	**129,410,780**

(ए) वर्ष के प्रारम्भ में एवं अन्त में बकाया अंशों का समाधान

साम्या अंश	31 मार्च, 2021 को अंशों की संख्या	राशि	31 मार्च, 2020 को अंशों की संख्या	राशि
वर्ष के प्रारम्भ में बकाया	12,941,078	129,410,780	12,941,078	129,410,780
वर्ष के दौरान निर्गमित	-	-	-	-
वर्ष के दौरान वापिस क्रय किये गये	-	-	-	-
वर्ष के अन्त में बकाया	**12,941,078**	**129,410,780**	**12,941,078**	**129,410,780**

(बी) कम्पनी में 5 प्रतिशत अंशों से अधिक धारण करने वाले अंशधारक

प्रत्येक पूर्ण प्रदत्त 10 रूपये मूल्य के साम्या अंश	31 मार्च, 2021 को धारित अंशों की संख्या	धारण का प्रतिशत	31 मार्च, 2020 को धारित अंशों की संख्या	धारण का प्रतिशत
महामहिम राज्यपाल, राजस्थान	12,941,071	**99.9999**	12,941,071	**99.9999**
	12,941,071	**99.9999**	**12,941,071**	**99.9999**

(सी) कम्पनी ने 10 रूपये प्रति अंश के सम मूल्य वाले एक ही श्रेणी के साम्या अंश निर्गमित किये हैं। प्रत्येक अंशधारक प्रति अंश धारिता पर एक मतदान के लिये योग्य है।

यदि संचालक मंडल द्वारा लाभांश, अन्तरिम लाभांश को छोड़कर, प्रस्तावित किया जाता है तो यह अंशधारियों द्वारा आगामी वार्षिक साधारण सभा में स्वीकृति के अध्यधीन है।

समापन होने की दशा में, समता अंशधारी सभी पूर्वाधिकार राशियों का वितरण होने के बाद कम्पनी की शेष सम्पत्तियां अपनी अंशधारिता के अनुपात में प्राप्त करने के योग्य होंगे।

(डी) कम्पनी की कोई नियंत्री कम्पनी नहीं है।

(ई) कम्पनी ने संकलित मात्रा में तथा बिना नकद भुगतान प्राप्त किये, जैसे बोनस अंश आवंटित नहीं किये हैं तथा 31 मार्च, 2021 तक की दिनांक से पूर्व के 5 वर्ष तक कोई अंश वापस क्रय नहीं किये है।

(राशि रूपयों में)

		विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
टिप्पणी	**3**	**संचितियाँ एवं अतिरिक्त**		
	ए.	**पूंजी संचय**		
		वर्ष के प्रारम्भ में शेष	3,518,038	3,518,038
		जोड़िये/घटाइये: वर्ष के दौरान		
		वर्ष के अन्त मे शेष	**3,518,038**	**3,518,038**
	बी.	**अन्य संचय (सामान्य संचय)**		
		वर्ष के प्रारम्भ में शेष	3,959,051	3,959,051
		जोड़िये/घटाइये: वर्ष के दौरान	-	-
		वर्ष के अन्त मे शेष	**3,959,051**	**3,959,051**
	सी.	**अतिरेक**		
		वर्ष के प्रारम्भ में शेष	1,952,040,800	1,718,418,298
		जोड़िये/घटाइये: वर्ष हेतु लाभ/(हानि)	**202,222,910**	**233,622,503**
		विनियोजन के लिये उपलब्ध लाभ	**2,154,263,711**	**1,952,040,800**
		विनियोजन :		
		अन्तिम लाभांश 2019–20*	12,941,078	-
		अन्तरिम लाभांश पर निगम लाभांश कर	-	-
			12,941,078	-
		वर्ष के अन्त में शेष	**2,141,322,633**	**1,952,040,800**
		कुल योग (ए+बी+सी)	**2,148,799,722**	**1,959,517,889**

* 19.11.2020 को सम्पन्न हुई अपनी 111वीं बैठक में मण्डल द्वारा लिये गये निर्णय की अनुपालना में, कम्पनी ने वित्त 2019–20 के लिये प्रदत्त पूंजी के 10 प्रतिशत की दर से चालू वित्तीय वर्ष में अंतिम लाभांश का भुगतान किया है।

		विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
टिप्पणी	4	दीर्घावधि उधार राशियां		
	ए	सुरक्षित ऋण		
	ए.i	सावधि ऋण बैंकों से	शून्य	शून्य
	ए.ii	वित्तीय पट्टा प्रतिबद्धताओ की दीर्घावधि परिपक्वतायें		
		योग (ए)	-	-
	बी	असुरक्षित ऋण		
	बी.i	सावधि ऋण अन्य पक्षकारों से	शून्य	शून्य
		योग (बी)	-	-
		कुल योग (ए+बी)	-	-
टिप्पणी	5	आस्थगित कर दायित्व (शुद्ध)		
	ए	मूल्य ह्रास व्यय		
		प्रारम्भिक शेष	120,410,116	153,103,151
		जोडिये: चालू वर्ष के दायित्व		
		घटाइये: चालू वर्ष की आस्तियां	(12,129,070)	(32,693,036)
		अन्तिम शेष (ए)	**108,281,046**	**120,410,116**
	बी	परिशोधन व्यय		
		प्रारम्भिक शेष		
		जोडिये: चालू वर्ष के दायित्व		
		घटाइये: चालू वर्ष की आस्तियां		
		अन्तिम शेष (बी)		
		योग (ए+बी)	**108,281,046**	**120,410,116**
		आस्थगित कर दायित्व–शुद्ध	108,281,046	120,410,116
टिप्पणी	6	अन्य दीर्घावधि दायित्व		
		अन्य		
	ए	अग्रिम धन राशि निक्षेप	2,882,829	2,882,829
	बी	प्रतिभूति निक्षेप	800,195,020	628,021,636
	सी	अन्य	1,397,471,273	1,204,053,340
			2,200,549,122	**1,834,957,806**
टिप्पणी	7	व्यापारिक देयतायें		
	ए	संचालन एवं रख–रखाव देयतायें	79,397,009	56,556,066
	बी	विद्युत क्रय के लिये देयतायें	67,525,553	66,930,076
	सी	अन्य देयतायें–व्यय	5,158,859	8,592,692
			152,081,421	**132,078,833**
टिप्पणी	8	अन्य चालू दायित्व		
	ए	दीर्घावधि ऋण की चालू परिपक्वतायें		
		योग (ए)	-	-

बी	वित्तीय पट्टा प्रतिबद्धताओं की चालू परिपक्वतायें		
	योग (बी)	-	-
सी	उधार राशियों पर ब्याज उपार्जित परन्तु देय नहीं		
	आपूर्तिकर्त्ता क्रेडिट (फलोदी) देयता खातें पर ब्याज	2,197,104	2,197,104
	योग (सी)	**2,197,104**	**2,197,104**
डी	अन्य देयतायें		
ए.	अग्रिम धन राशि निक्षेप	102,317,952	126,495,899
बी.	प्रतिभूति निक्षेप	671,926,240	393,371,973
सी.	अनुदान हेतु प्राप्तियां	198,261,888	305,290,579
डी.	कर्मचारीवृन्द एवं निधियों की अन्य देयतायें	7,978,600	8,132,255
	योग (डी)	**980,484,680**	**833,290,705**
	कुल योग	9826,81,784	8354,87,809

टिप्पणी 9	अल्पावधि प्रावधान		
	अन्य		
ए	कर्मचारी हितलाभ के लिये प्रावधान	1,108,214	2,434,745
बी	अन्य को देय अंशदान	2,381,909	3,373,060
सी	देय वैधानिक दायित्व	5,209,689	26,823,634
डी	आय कर हेतु प्रावधान	85,339,468	108,000,000
ई	अन्य प्रावधान–व्यय	70,158,780	69,988,382
		164,198,060	**210,619,821**

राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड

31 मार्च, 2021 को तुलन–पत्र की टिप्पणियां एवं इसका अभिन्न अंग

टिप्पणी संख्या 10

सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण

(राशि रूपयों में) (राशि रूपयों में)

विवरण	सकल समूह					मूल्यह्रास एवं परिशोधन				शुद्ध समूह	
	प्रारम्भिक शेष	अभिवृद्धियां	कटौतियां/ निवृत्ति	अन्य समायोजन	अन्तिम शेष	प्रारम्भिक शेष	मूल्यह्रास प्रभार	अन्य समायोजन	अन्तिम शेष	अन्तिम शेष	प्रारम्भिक शेष
i) मूर्त आस्तियां											
पूर्ण स्वामित्व भूमि	24,038,381.00	-		-	24,038,381	-	-	-	-	24,038,381	24,038,381
पट्टाधृत भूमि	5,057,581.00	-	-		5,057,581	3,407,740.87	189,127	-	3,596,868	1,460,713	1,649,840
भवन (पूर्ण स्वामित्व)	60,530,986.00	558,680	283,117		60,806,549	28,114,009.48	2,596,557	-	30,710,567	30,095,980	32,416,975
संयंत्र एवं उपकरण	2,172,993,960.00	476,801	271,968		2,173,198,793	1,698,471,191.44	56,949,227	(32,538)	1,755,387,881	417,810,911	474,522,769
वाहन (पूर्ण स्वामित्व)	7,504,943.00	-			7,504,943	3,117,040.65	600,836	-	3,717,877	3,787,066	4,387,902
अस्थायी संरचना (गार्ड रूम)	39,500.00	-			39,500	14,564.33	12,508	-	27,073	12,427	24,936
फर्नीचर एवं फिक्सचर (पूर्ण स्वामित्व)	8,025,341.00	109,200			8,134,541	6,001,824.95	601,602	-	6,603,427	1,531,114	2,023,515
कार्यालय उपकरण	10,510,543.00	233,230.00	-	-	10,743,773	9,164,184.70	123,870	(5,407)	9,282,648	1,461,125	1,346,358
योग	2,288,701,235.00	1,377,911.18	555,085	-	2,289,524,061	1,748,290,556.42	61,122,258	(37,945)	1,809,326,339	480,197,719	540,410,676
परिसीमा दीवार	330,000.00	-	-		330,000	32,670.00	10,890	-	43,560	286,440	297,330
योग	330,000	-	-	-	330,000	32,670.00	10,890	-	43,560	286,440	297,330
कुल योग	2,289,031,235.00	1,377,911	555,085	-	2,289,854,061	1,748,323,226.42	61,133,148	(37,945)	1,809,369,899	480,484,159	540,708,006
ii)अमूर्त आस्तियां											
विज्ञापन के लिये डिस्क	929,250.00	-	-	-	929,250	31,925	176,558	-	208,483	720,768	897,325
कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	2,156,841.00	-	-	-	2,156,841	2,009,913	11,733	-	2,021,646	135,195	146,928
कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	29,996.00	-	-	-	29,996	29,271	-	-	29,271	725	725
योग	3,116,087.00	-	-	-	3,116,087.00	2,071,108.90	188,291	-	2,259,399.40	856,687.60	1,044,978.10
गत वर्ष											
i) मूर्त आस्तियां	2,286,430,134.00	4,787,938.00	-	-	2,291,218,072	1,633,148,700	117,213,713	-	1,750,362,413	540,855,659	653,281,434
ii)अमूर्त आस्तियां	-	929,250.00	-	-	929,250	-	31,925	-	31,925	897,325	-

राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड
31 मार्च, 2021 को तुलन–पत्र की टिप्पणियां एवं इसका अभिन्न अंग

टिप्पणी 11

गैर–चालू निवेश

(राशि रूपयों में)

विवरण	निम्न वर्ष को शेष		निकाय का नाम	सहायक / सहबद्ध निगम / संयुक्त उद्यम / नियंत्रित सत्ता / अन्य	अंकित मूल्य	अंशों / इकाइयों की संख्या		अंशतः प्रदत्त / पूर्ण प्रदत्त	धारिता की सीमा (%)	क्या लागत पर कथित	यदि लागत के अतिरिक्त मूल्यांकित है तो मूल्यांकन का आधार निर्दिष्ट करे	
	2020-21	2019-20				2020-21	2019-20			हाँ / नहीं	2020-21	2019-20
अन्य निवेश												
इक्विटी लेख–पत्रो में निवेश	500,000.00	500,000.00	राजस्थान सोलर पार्क डवलपमेन्ट कम्पनी	सहायक	500,000.00	50,000	50,000	पूर्ण प्रदत्त	100%	हाँ		लागू नहीं
अनुद्धृत निवेशो का समुच्चय (ए)	500,000.00	500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		-
उद्धृत निवेशो का समुच्चय (बी)	शून्य	शून्य	-	-	-	-	-	-	-	-		-
कुल योग (ए+बी)	500,000.00	500,000.00			500,000.00	50,000	50,000					

राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड, जयपुर

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिये वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

(राशि रूपयों में)

		विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
टिप्पणी	12	दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिम		
		असुरक्षित, अच्छे माने गये		
		अग्रिम पूंजी	-	-
		प्रतिभूति निक्षेप	3,755,591	3,755,591
			3,755,591	**3,755,591**
टिप्पणी	13	अन्य गैर–चालू आस्तिया		
		प्रतिभूति निक्षेप	-	-
			-	-
टिप्पणी	14	व्यापारिक प्राप्तियां (असुरक्षित)		
		छः माह से अधिक की बकाया		
		– अच्छे माने गये	604	88,266,850
		– संदेहास्पद माने गये	-	-
			604	**88,266,850**
		अन्य		
		– अच्छे माने गये	435,512,034	338,823,324
		– संदेहास्पद माने गये		
			435,512,034	**338,823,324**
			435,512,638	**427,090,173**
टिप्पणी	15	नकद एवं नकद समतुल्य		
	(ए)	हस्तगत नकद	-	-
	(बी)	**बैंकों में शेष**		
		चालू एवं बचत खातें में	786,451,929	1,534,384,471
		पीडी खातें में अंकित निधि का शेष	1,479,379,893	1,039,774,918
		12 माह से कम स्थायी जमा खातों में	2,344,007,514	915,848,903
			4,609,839,336	**3,490,008,292**

टिप्पणी 16 **अल्पावधि ऋण एवं अग्रिम**

संबंधित पक्षकारों को ऋण एवं अग्रिम

असुरक्षित, अच्छे माने गये			-	130,000,000
अन्य				
सुरक्षित, अच्छे माने गये				
अन्य	14,980,159	17,620,443		
घटाइये: डूबत एवं संदेहास्पद ऋणों के लिये प्रावधान	-	(1,104,560)	14,980,159	16,515,883
आय कर अग्रिम, आय कर की स्त्रोत पर कटौती एवं प्रतिदाय योग्य			245,711,083	320,330,945
			260,691,242	**466,846,828**

विवरण	संबंध	राशि	किसी भी अवधि के दौरान अधिकतम राशि	
			चालू अवधि	पिछला अवधि
ऐसी कम्पनियों द्वारा देय जिनमें कम्पनी के निदेशकों में से एक निदेशक/सदस्य है	समनुषंगी कम्पनी	130,000,000	130,000,000	130,000,000
ऐसे पक्षकारों द्वारा देय जिसमें कम्पनी के निदेशक (निदेशकों) का हित है		-		-

टिप्पणी 17 **अन्य चालू आस्तियां**

अनुदान	1,838,420	7,995,851		
घटाइये: डूबत एवं संदेहास्पद ऋणों के लिये प्रावधान	-	(6,157,430)	1,838,420	1,838,421
अनुदानों के तहत् अग्रिम	13,744,575	15,603,664		
घटाइये: डूबत एवं संदेहास्पद ऋणों के लिये प्रावधान	-	(1,101,794)	13,744,575	14,501,870
निश्चित कोष	-		-	-
अन्य	78,779,285	276,197,208		
घटाइये: डूबत एवं संदेहास्पद ऋणों के लिये प्रावधान	-	(8,314)	78,779,285	276,188,894
			94,362,280	**292,529,185**

राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड, जयपुर

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिये लाभ एवं हानि विवरण का हिस्सा एवं टिप्पणियां

	विवरण	2020-2021	2019-2020
18	संचालन से आय		
	विद्युत का विक्रय	934,525,144	974,341,569
	सेवाओं का विक्रय	134,600,986	124,528,953
	संचालन आय (विक्रय)	**1,824,073.90**	1,801,459
		1,070,950,204	**1,100,671,981**
19	अन्य आय		
	ब्याज से आय	151,250,891	117,654,266
	अन्य गैर–संचालन प्राप्तियां		
	विविध आय	173,000	8,471,231
	प्राप्त अभिवृद्धि शुल्क	1,262,200	82,200
	दण्ड की वसूली	572,326	98,483,107
	अन्य आय	73,689,397	24,883,353
	वैट की वापसी	6,973,655	-
		233,921,469	**249,574,157**
20	क्रय		
	विद्युत का क्रय	**761,679,197**	752,581,574
		761,679,197	**752,581,574**
21	कर्मचारी लाभों पर व्यय		
	वेतन एवं मजदूरी	83,541,462	84,972,337
	भविष्य निधि तथा अन्य कोष में अंशदान	2,167,465	7,350,357
	कर्मचारी कल्याण व्यय	904,211	1,225,419
		86,613,138	**93,548,113**
22	वित्तीय व्यय		
	पीएफसी 25 मेगावाट विंड फार्म जैसलमेर को पट्टा किराया	-	-
	अन्य उधार राशि की लागत	-	-
		-	-
23	अन्य व्यय		
	भूमि पट्टा किराया	1,529,065	1,529,065
	संचालन एवं रख–रखाव व्यय	25,158,406	28,058,187
	वाहन एवं पेट्रोल व्यय	326,391	620,494
	मरम्मत एवं रख–रखाव व्यय	422,610	9,000

बीमा	2,282,603	2,360,779
यात्रा व्यय	3,196,048	2,560,614
टेलीफोन एवं मोबाइल व्यय	362,942	413,706
पूर्व अवधि के व्यय	532,057	139,138
राज्य नवीनीकरण कोष (आरआरईसीएल) खाता	2,000,000	2,000,000
अन्य व्यय	21,573,579	19,023,017
अंकेक्षण शुल्क खाता	211,000	211,750
जीएसटी अंकेक्षण शुल्क खाता	-	88,500
अंकेक्षकों को वाहन व्यय का पुनर्भरण	35,000	35,000
विद्युत प्रभार (मुख्यालय) खाता	722,792	930,394
विद्युत प्रभार मथानिया खाता	-	1,376
किराया दर एवं कर	348,585	310,879
कानूनी, व्यावसायिक एवं परामर्श प्रभार खाता	2,845,230	2,367,406
प्रचार एवं विज्ञापन	1,808,191	6,253,253
रिसर्जेन्ट राजस्थान समिट	51,000,000	
अनुसूची एवं पूर्वानुमान व्यय	572,040	572,035
सीएसआर व्यय	4,650,000	9,200,000
	119,576,539	**76,684,592**

24 अपवादात्मक मदें

25 चालू कर

वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिये चालू आय कर का प्रावधान	**85,339,468**	108,000,000
	85,339,468	**108,000,000**

26 आस्थगित कर

आस्थगित कर	**(12,129,070)**	(32,693,036)
	(12,129,070)	**(32,693,036)**

राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड, जयपुर
31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिये खण्ड सूचना

(राशि रूपयों में)

व्यावसायिक खण्ड			
विवरण	विद्युत उत्पादन	प्रोन्नयन गतिविधियां	योग
राजस्व			
विक्रय	934,525,144	-	934,525,144
अन्य आय	-	370,346,528	370,346,528
आन्तरिक खण्ड	-	-	-
योग	**934,525,144**	**370,346,528**	**1,304,871,673**
परिणाम			
संचालित लाभ / हानि	85,963,653	189,766,237	275,729,890
ब्याज एवं वित्तीय व्यय	-	-	-
कर पूर्व लाभ	**85,963,653**	**189,766,237**	**275,729,890**
आय कर			85,339,468
आस्थगित कर आस्तिया / दायित्व			(12,129,070)
पूर्व वर्षो के अल्प प्रावधान			296,581
कर पूर्व शुद्ध लाभ			**202,222,910**
खण्ड आस्तियां	417,810,911	63,529,935	481,340,847
अनाबंटित आस्तियां			5,404,661,087
कुल आस्तियां			**5,886,001,934**
खण्ड दायित्व	79,397,008	345,184,424	424,581,432
अनाबंटित दायित्व			5,461,420,502
कुल दायित्व			**5,886,001,934**
मुल्य ह्रास	58,688,579		58,688,579
अनाबंटित मुल्य ह्रास			2,584,329
कुल मूल्य ह्रास			**61,272,908**

हमारी समतिथि के पृथक प्रतिवेदन के अनुसार
माथुर एण्ड कम्पनी के लिये
चार्डर्ट एकाउन्टेन्टस
एफआरएन सं. 001952सी
ह.
(अनिल माथुर)
साझेदार
सदस्यता संख्या 070339

स्थान : जयपुर
दिनांक : 17.11.2021

राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड
के निदेशक मण्डल के लिये एवं निमित्त

ह.	ह.
डॉ. सुबोध अग्रवाल	**एन.एस. निर्वाण**
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	**पूर्णकालिक निदेशक**
डीआईएन 06940604	डीआईएन 09361461
ह.	ह.
ललित वर्मा	गजल सक्सेना
निदेशक (वित्त) एवं	कम्पनी सचिव
मुख्य वित्त अधिकारी	सदस्यता सं. एफ8244

स्वतंत्र अंकेक्षकों का प्रतिवेदन

राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड के सदस्यगण

समेकित वित्तीय विवरणों के अंकेक्षण पर रिपोर्ट

विशेषित अभिमत

हमने **राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड** (इसके पश्चात् यथा "नियंत्री कम्पनी" के निर्देशित) एवं इसकी समनुषंगियां (नियंत्री कम्पनी एवं इसकी समनुषंगियों को एक साथ यथा "समूह" के निर्देशित), के समेकित वित्तीय विवरणों का अंकेक्षण कर लिया है जिसमें 31 मार्च, 2021 तक के समेकित तुलन–पत्र एवं समेकित लाभ हानि विवरण एवं उस दिनांक को समाप्त होने वाले वर्ष हेतु समेकित रोकड़ प्रवाह विवरण एवं महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सार और स्पष्टीकरणात्मक सूचना सहित समेकित वित्तीय विवरणों (इसके पश्चात् यथा "समेकित वित्तीय विवरणों" के निर्देशित) पर टिप्पणियां समाविष्ट है।

हमारे प्रतिवेदन के 'विशेषित अभिमत' हेतु आधार अनुभाग में वर्णित मामलों के प्रभावों के सिवाय, हमारी राय में तथा हमारी जानकारी एवं हमें दिये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपरोक्त समेकित वित्तीय विवरण कम्पनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") द्वारा अपेक्षित सूचनाओं को चाही गई रीति से उपलब्ध कराते है तथा भारत में साधरणतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धान्तों के अनुरूप 31 मार्च, 2021 को समूह के कार्यकलाप की समेकित स्थिति, लाभ एवं उसी तिथि को समाप्त हुए वर्ष के लिए इसके समेकित लाभ एवं इसके समेकित रोकड प्रवाह का सत्य एवं स्वच्छ चित्रण प्रकट करते है।

विशेषित अभिमत हेतु आधार

हम **अनुलग्नक 'ए'** में वर्णित मामलों की ओर ध्यान आकर्षित करते है, जिनके आधार पर हम समेकित वित्तीय विवरणों पर विशेषित अभिमत व्यक्त कर रहे है।

हमने, अधिनियम की धारा 143(10) के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट लेखा परीक्षण मानकों के अनुसार, समेकित वित्तीय विवरणों के हमारे अंकेक्षण को आयोजित किया है। उन मानकों के अधीन हमारे उत्तरदायित्व को हमारे प्रतिवेदन के *समेकित वित्तीय विवरण अनुभाग के अंकेक्षण के लिये अंकेक्षकों के उत्तरदायित्व* में अग्रतर वर्णित किया गया है। हम नैतिक अपेक्षाओं जो अधिनियम एवं उसके अधीन नियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत समेकित वित्तीय विवरणों के हमारे अंकेक्षण के प्रासंगिक है के साथ भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस संस्था द्वारा जारी की गयी *आचार संहिता* के अनुसार अपने अन्य नैतिक उत्तरदायित्वों को पूरा कर लिया है। हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किये गये अंकेक्षण साक्ष्य पर्याप्त है एवं समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारे अंकेक्षण अभिमत के लिये एक उचित आधार उपलब्ध कराते है।

समेकित वित्तीय विवरणों के अतिरिक्त सूचना एवं उस पर अंकेक्षकों का प्रतिवेदन

अन्य सूचनाओं के लिये कम्पनी का निदेशक मण्डल उत्तरदायी है। अन्य जानकारी में मण्डल का प्रतिवेदन,प्रबन्धन के विचार–विमर्श एवं विश्लेषण, निगमित शासन पर रिपोर्ट और मण्डल के प्रतिवेदन के अन्य अनुलग्नक शामिल है परन्तु इसमें समेकिल वित्तीय विवरण एवं उन पर हमारे अंकेक्षकों की रिपोर्ट सम्मिलित नहीं है।

समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय में अन्य सूचनाएं सम्मिलित नहीं है और हम उस पर आश्वासन निष्कर्ष के किसी भी रूप को व्यक्त नहीं करेंगें।

समेकित वित्तीय विवरण के हमारे अंकेक्षण के सम्बन्ध में, हमारा उत्तरदायित्व उपरोक्त परिलक्षित अन्य सूचनाओं, जब यह उपलब्ध हो जाती है, को पढ़ना है और ऐसा करने पर, विचार करें कि क्या अन्य सूचनाएं समेकित वित्तीय विवरण के साथ तात्विक रूप से असंगत है या हमारे अंकेक्षण के दौरान या अन्यथा अभिप्राप्त हमारा ज्ञान तात्विक रूप से अशुद्ध वर्णन करता प्रतीत होता है।

यदि, हमने जो कार्य निष्पादित किया है उसके आधार पर हम यह निष्कर्ष करते है कि इन अन्य सूचनाओं का सारवान मिथ्या कथन है, तो हमें उस तथ्य की रिपोर्ट करने की आवश्यकता है। रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने की दिनांक तक अन्य सूचनाएं उपलब्ध नहीं है और अतः समेकित वित्तीय विवरण एवं उन पर अंकेक्षकों की रिपोर्ट के अतिरिक्त किसी सूचना पर हम रिपोर्ट नही करते है।

प्रबंधन एवं जिनके पास समेकित वित्तीय विवरणों के नियमन का प्रभार है, के उत्तरदायित्व

कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 134(5) में नियत मामलों में इन समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में जो कि कम्पनी (लेखा मानक) नियम, 2006 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट लेखा मानकों के साथ–साथ, भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धान्तों के अनुसार, समूह की समेकित वित्तीय स्थिति, समेकित वित्तीय निष्पादन एवं समेकित रोकड़ प्रवाह का सत्य व स्वच्छ परिदृश्य प्रस्तुत करे, नियंत्री कम्पनी का निदेशक मण्डल उत्तरदायी है। समूह में सम्मिलित कम्पनियों के संबंधित निदेशक मण्डल का उत्तरदायित्व है कि समूह की आस्तियों की सुरक्षा के लिये एवं कपट व अन्य अनियमितताओं को रोकने व ज्ञात करने के लिये अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार नियंत्री कम्पनी के निदेशक मण्डल द्वारा इन समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने के प्रयोजनार्थ यथेष्ट लेखा अभिलेखों का संधारण, उचित लेखा नीतियों का चयन एवं प्रयुक्ति, निर्णय एवं प्राक्कलन करना जो कि युक्तियुक्त एवं विवेकपूर्ण हो, समुचित आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों की रूपरेखा, कार्यान्विति एवं संधारण जिन्हें वित्तीय विवरणों जो कि सत्य एंव स्वच्छ परिदृश्य प्रस्तुत करते है और चाहे कपट या त्रुटि के कारण सारभूत गलत विवरण से मुक्त है की तैयारी एवं प्रस्तुतीकरण से संबंधित, लेखा अभिलेखों की विशुद्धता एवं सम्पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिये प्रभावी रूप से क्रियान्वित थे।

समेकित वित्तीय विवरण को तैयार करने में, समूह में सम्मिलित कम्पनियों के संबंधित निदेशक मण्डल यथा चालू समुत्थान के निरन्तरता हेतु समूह एवं इसकी सहयुक्त एवं संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाईयों की क्षमता का आंकलन करने, चालू समुत्थान से सम्बन्धित मामलों, जैसाकि लागू होता है, का प्रकटीकरण करने एवं चालू समुत्थान के आधार पर लेखांकन का उपयोग करने, का उत्तरदायित्व है जब तक कि प्रबन्धन या तो समूह को समाप्त करने या संचालन को बन्द करने का आशय रखता है या परन्तु ऐसा करने के लिये कोई वास्तविक विकल्प नही है।

समूह में सम्मिलित कम्पनियों के संबंधित निदेशक मण्डल समूह की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया के निरीक्षण के लिये भी उत्तरदायी है।

समेकित वित्तीय विवरण के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षकों के उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समग्र रूप से समेकित वित्तीय विवरण सारवान मिथ्या कथन, चाहे कपट या त्रुटि के कारण, से मुक्त है, एवं अंकेक्षक को रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारी राय भी शामिल है। उचित आश्वासन, आश्वासन का एक उच्च स्तर है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि अंकेक्षण मानकों के अनुसार किया गया अंकेक्षण हमेशा विद्यमान सारवान मिथ्या कथन का पता लगाएगा। मिथ्या कथन कपट या त्रुटि से उत्पन्न हो सकते है और यदि व्यक्तिगत रूप से या सकल रूप से, सारवान माने जाते है तो उनसे इन समेकित वित्तीय विवरणों के आधार पर लिये गये उपयोगकर्त्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की अपेक्षा की जा सकती है।

अंकेक्षण मानकों के अनुसार, अंकेक्षण के अंश के रूप में, हम व्यावसायिक निर्णय लेते है एवं सम्पूर्ण अंकेक्षण के दौरान व्यावसायिक संदेहवाद को बनाये रखते है। हमः

- समेकित वित्तीय विवरण के सारवान मिथ्या कथनों की जोखिमों को निश्चित करें और उनका आंकलन करें, चाहे कपट या त्रुटि के कारण, उन जोखिमों के प्रतिक्रियाशील अंकेक्षण प्रक्रियाओं की रूप रेखा बनाये और निष्पादित करे एवं अंकेक्षण साक्ष्य प्राप्त करे जो हमारी राय के लिये आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उचित हो। कपट के परिणामस्वरूप होने वाले सारवान मिथ्या कथन का पता नहीं लगाने का जोखिम त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले जोखिम से अधिक है क्योंकि कपट में दुरभिसंधि, जालसाजी, साशय लोप, दुर्व्यपदेशन, या आन्तरिक नियंत्रण का अधिभावी प्रभाव शामिल हो सकता है।
- अंकेक्षण प्रक्रियाओं की रूपरेखा बनाने के लिये अंकेक्षण के लिये प्रासंगिक आन्तरिक नियन्त्रण का अवबोध जो परिस्थितियों में उपयुक्त है, को प्राप्त करें। कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(3)(i) के अधीन, हम इस बात पर भी अपनी राय व्यक्त करने के लिये उत्तरदायी है कि क्या कम्पनी के पास पर्याप्त वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और ऐसे नियंत्रणों का परिचालन प्रभावशील है।
- उपयोग की गयी लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबन्धन द्वारा किये गये लेखांकन अनुमानों एवं सम्बन्धित प्रकटीकरणों का मुल्यांकन करें।
- चालू समुत्थान आधारित लेखांकन का प्रबन्धन के उपयोग की उपयुक्तता एवं अभिप्राप्त अंकेक्षण साक्ष्य पर आधारित निष्कर्ष करना कि क्या उन घटनाओं या स्थितियों जो समूह एवं इसकी सहयुक्त एवं संयुक्त रूप से नियंत्रित सत्ताओं की यथा चालू समुत्थान की निरन्तरता की क्षमता पर महत्त्वपूर्ण संदेह डाल सकती हैं, से सम्बन्धित सारवान अनिश्चितता विद्यमान है। यदि हम निष्कर्ष निकालते हैं कि सारवान अनिश्चतता विद्यमान है, तो हमें हमारे अंकेक्षकों के प्रतिवेदन में समेकित वित्तीय विवरण में सम्बन्धित प्रकटीकरणों पर ध्यान आकर्षित करना होगा या, ऐसे प्रकटीकरण हमारी राय को संशोधित करने के लिये अपर्याप्त है। तथापि, भावी घटनाओं या स्थितियों के कारण समूह एवं इसकी सहयुक्त एवं संयुक्त रूप से नियंत्रिल सत्ताओं की यथा चालू समुत्थान की निरन्तरता समाप्त हो सकती है।
- प्रकटीकरण सहित समेकित वित्तीय विवरण की समग्र प्रस्तुति, संरचना एवं अन्तर्वस्तु का मुल्यांकन करें, तथा क्या वित्तीय विवरण अन्तर्निहित संव्यवहार और घटनाओं को इस तरह से दर्शातें है जो स्वच्छ प्रस्तुति को पूरा करते है।
- समेकित वित्तीय विवरणों पर अभिमत व्यक्त करने के लिये सत्ताओं या समूह एवं इसकी सहयुक्त तथा संयुक्त रूप से नियंत्रित सत्ताओं के भीतर व्यापारिक गतिविधियों की वित्तीय सूचना के संदर्भ में पर्याप्त समुचित अंकेक्षण साक्षय प्राप्त

करना। हम समेकित वित्तीय विवरणों में सम्मिलित ऐसी सत्ताओं के वित्तीय विवरणों के अंकेक्षण, जिनके हम स्वतंत्र अंकेक्षक है, के निदेश, निरीक्षण एवं निष्पादन के लिये उत्तरदायी हैं। समेकित वित्तीय विवरणों में सम्मिलित अन्य सत्ताओं के लिये, जिनका अंकेक्षण अन्य अंकेक्षकों द्वारा किया गया है, ऐसे अन्य अंकेक्षक उनके द्वारा की गयी अंकेक्षण के निदेश, निरीक्षण एवं निष्पादन के लिये उत्तरदायी है। हम हमारे अंकेक्षण अभिमत के लिये अकेले ही उत्तरदायी है।

हम, अन्य मामलों में आन्तरिक नियंत्रण की कोई भी महत्वपूर्ण कमियों जिन्हें हम अपने अंकेक्षण के दौरान पहचानते हैं, के सहित निष्कर्षों से उन्हें जिनके पास नियमन का प्रभार है, सूचित करते है।

हम उनको जिनके पास नियमन का प्रभार है, एक कथन के साथ उपलब्ध कराते हैं कि हमने स्वतंत्रता से सम्बन्धित प्रासंगिक नैतिक आवश्यक्ताओं की पालना की है और सभी सम्बन्धों तथा अन्य मामलों जिन्हें हमारी स्वतंत्रता और जहां लागू हो, सम्बन्धित सुरक्षण पर युक्तियुक्त रूप से सोचा जा सकता है, उन्हें सूचित करते हैं।

<u>अन्य मामलें</u>

हमनें समनुषंगी के वित्तीय विवरणों का अंकेक्षण नहीं किया, जिनके वित्तीय विवरणों से 31 मार्च, 2021 को 60884.58 लाख रूपये की कुल आस्तियां, 3213.33 लाख रूपये के कुल राजस्व एवं उस दिनांक को समाप्त हुए वर्ष के लिए 40112.03 लाख रूपये के शुद्ध रोकड़ प्रवाह प्रदर्शित होते है और जिन्हें समेकित वित्तीय विवरणों में विचारित किया गया है। इन वित्तीय विवरणों/वित्तीय सूचनाओं का अंकेक्षण अन्य अंकेक्षकों द्वारा किया गया है जिनकी रिपोर्ट प्रबंधन द्वारा हमको प्रस्तुत की गयी है और समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय, जहां तक कि यह इस समनुषंगी के बाबत सम्मिलित राशियों एवं प्रकटीकरणों से संबंधित है एवं अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (3) और (11) के अनुसार हमारी रिपोर्ट जहां तक की यह पूर्वोक्त समनुषंगी से संबंधित है, पूरी तरह से अन्य अंकेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर है।

अन्य कानूनी एवं नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. जैसा कि अधिनियम की धारा 143 की उप धारा 11 के निबन्धनों के अनुसार केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किये गये कम्पनी (अंकेक्षकों का प्रतिवेदन) आदेश, 2016 (आदेश) द्वारा अपेक्षित है, कथित आदेश के पैरा 2 के परन्तुक में यथा विनिर्दिष्ट के अनुसार समेकित वित्तीय विवरणों पर लागू नहीं है।

2. अधिनियम की धारा 143 (3) द्वारा यथा अपेक्षित, हम रिपोर्ट करते है कि –

   ए) हमने वे समस्त सूचनाये एवं स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिये है जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान व विश्वास से उपरोक्त समेकित वित्तीय विवरणों के हमारे अंकेक्षण के प्रयोजन हेतू आवश्यक थे।

   बी) हमारे मत में, उपरोक्त समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी से संबंधित विधि द्वारा यथापेक्षित समुचित लेंखा पुस्तकें जहां तक इन पुस्तकों के हमारे परीक्षण से विदित होता है, रखी हुई है।

   सी) इस प्रतिवेदन में व्यवहृत समेकित तुलन–पत्र, समेकित लाभ–हानि विवरण एवं समेकित रोकड प्रवाह विवरण समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी के प्रयोजनार्थ संधारित लेखा–पुस्तकों से मेल खाते है।

डी) हमारे मत में, पूर्वोक्त समेकित वित्तीय विवरण कम्पनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट लेखा मानकों की पालना करते है।

ई) कार्पोरेट मामलात मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 463(ई) दिनांक 05.06.2015 के अनुसार निदेशकों की अनर्हता से संबंधित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 की उपधारा (2) के प्रावधान सरकारी कम्पनी पर लागू नहीं है।

(एफ) वित्तीय रिपोर्टिंग पर कम्पनी के आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता एवं ऐसे नियंत्रणों की प्रभावशील सक्रियता के संबंध में, 'अनुलग्नक--बी' पर हमारा पृथक प्रतिवेदन देखें।

(जी) कार्पोरेट मामलात मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जी. एस.आर. 463 (ई) दिनांक 05.06.2015 के अनुसार प्रबन्धकीय पारिश्रमिक से संबंधित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 197(16) सरकारी कम्पनियों पर पर लागू नहीं है।

(एच) कम्पनी (अंकेक्षण एवं अंकेक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार अंकेक्षण प्रतिवेदन में सम्मिलित किये जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारे मत में एवं हमारी सूचना के सर्वोत्तम एवं हमें दिये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार :

ए. समेकित वित्तीय विवरण लम्बित मुकदमों का समूह की समेकित वित्तीय स्थिति पर होने वाले प्रभावों का प्रकटीकरण करते है--देखें वित्तीय विवरणों के बिन्दु सं. 22 व 23 पर उपखण्ड 3, टिप्पणी संख्या 1।

बी. कम्पनी में व्युत्पन्न संविदा सहित दीर्घावधि संविदा जिसमें कोई सारवान पूर्वानुमेय हानियां थी, नहीं थी।

सी. कम्पनी को निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा निधि में कोई राशि अन्तरित करने की आवश्यकता नहीं है।

3. कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) द्वारा यथा अपेक्षित, हमने 'अनुलग्नक--सी' में नियंत्री कम्पनी के संबंध में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी किये गये निर्देश/उपनिर्देश की अनुपालना पर विवरण दिया है। इस विवरण को समनुषंगी कम्पनी के अंकेक्षक की टिप्पणियों जो कि उसकी रिपोर्ट में उल्लिखित है को समाविष्ट करते हुये तैयार किया गया है।

माथुर एण्ड कम्पनी के लिये
चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस
एफआरएन सं. 001952सी
ह.
(अनिल माथुर)
साझेदार
सदस्यता संख्या 070339
यूडीआईएनः 21070339AAAABD5823

स्थान : जयपुर
दिनांक : 17.11.2021

अनुलग्नक–ए

31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड, जयपुर के एकल वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र अंकेक्षकों के प्रतिवेदन का भागरूप/अंगभूत

विशेषित अभिमत हेतु आधार

(हमारी रिपोर्ट के ''विशेषित अभिमत हेतु आधार'' के अन्तर्गत पैरा में संदर्भित)

ए) नियंत्री कम्पनी के लिये

1. यह देखा गया है कि नीचे उल्लिखित निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत कम्पनी के कई पुराने क्रेडिट शेष है। इन्हें 3 साल से अधिक की अवधि से आगे लाया जा रहा है। उचित विवरणों के अभाव में, हम वित्तीय विवरणों पर इसके परिणामी प्रभाव को व्यक्त करने में असमर्थ है।

अन्य दीर्घावधि दायित्व	राशि (रूपयों में)
अग्रिम राशि जमा (सीए सेवाओं हेतु नियोजन)	10,000
अग्रिम राशि जमा (रेडा)	20,72,829
अग्रिम राशि जमा (आरईपी 11–12) खाता	6,00,000
अग्रिम राशि जमा आरईपी 9–10 खाता	2,00,000
अनुदान हेतु प्राप्तियां	
अक्षय ऊर्जा दिवस अनुदान (एमएनईएस)	13,67,772
अक्षय ऊर्जा दिवस अनुदान 2007	9,82,658
अक्षय ऊर्जा दिवस अनुदान 04–05 खाते	2,67,001
अन्य अनुदान	
वार्षिक कार्य योजना 11–12 (बीईई) अनुदान खाता	55,385
बीईई (प्रवर्तन मशीनरी का संस्थाकीयकरण)	15,00,000
एसडीए परियोजना के लिये पारमर्श सेवा बीईई अनुदान	15,13,333
एमएनईएस जिला सलाह समिति योजना	26,00,000
स्टेच्यू सर्किल पर एसएलएस का प्रदर्शन (बीईई) अनुदान	16,86,000
ऊर्जा संरक्षण अनुदान 08–09 (बीईई) खाता	6,37,955
ऊर्जा संरक्षण अनुदान (बीईई) 09–10 अनुदान खाता	8,11,956
आईजीईए बीईई अनुदान खाता	3,42,517
आरईसी ढाचे के लिये वित्तीय सहायता (एकबार) खाता	7,172
विविध अनुदाने	3,68,400
एमएनआरई अनुदान खाता	21,00,447
ए.एस.एस. 2001–02 के लिये प्रावधान	19,034
सोलर सिटी विकास (जोधपुर) अनुदान खाता	1,75,000
ईसीबीसी व्यवसायिकों का प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण	1,76,800
अधिसूचित पीएटी योजना पर कार्यशाला	2,33,191
106.24 केडब्ल्यूपी एसपीवी ऊर्जा संयंत्र एमएनआरई अनुदान खाता	8,389
प्रचार अनुदान खाता	1,500

राज्य योजना अनुदान (आरईपी) खाता 12–13	59,96,415
आकल जैसलमेर पर 120 मीटर विण्ड मास्ट	59,535
एमएनआरई ऑफ ग्रिड परियोजना 2011–12	36,00,191
प्रचार जानकारी बीईई शीर्ष	5,50,000
उर्जा दक्षता पथ प्रकाश पर आर एण्ड डी परियोजना खाता	14,91,743
2017–18 के लिये एसएमई में उर्जा दक्षता	2,55,918
आरसीएसई के माध्यम से शारदे कन्या छात्रावास	44,08,006
1 किलोवाट का एसआईटीसी (केयर्न्स)	1,19,389
एफ/एस के लिये प्रशिक्षण/कार्यशाला	43,973
आरवीई अनुदान	
आरवीई 11–12 (राज्य अंश) खाता	2,94,88,000
आरवीवी सीएसएस 10–11 एमएनआरई खाता	51,069
आरवीई सीएसएस 9–10 अनुदान खाता	6,53,991
आरईपी अनुदान	
आरईपी (सीएसएस) 09–10 अनुदान खाता	8,67,481
राज्य योजना अनुदान (आरईपी) खाता 13–14 खाता	3,85,920
एसएडीपी अनुदान	
दरगाह ख्वाजा शरीफ के लिये एसएडीपी, अजमेर एमएनआरई	4,55,672
एसएडीपी केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर एमएनआरई	3,10,269
एसएडीपी कार्यक्रम राज भवन जयपुर अनुदान, एमएनआरई	3,80,069
सौर जल तापन अनुदान	
सोलर जल तपन सिस्टम सीएसएस खाता	51,723
एसडब्ल्यूएचएस पूंजी सहायिकी 2013–14	1,77,377
एमएनआरई सेवा प्रभार प्राप्य खाता	1,98,648
भेल खाता	42,464
तकनीकी कृषि इंजीनियरींग कॉलेज, उदयपुर	86,071
पीएमजीवाई (मासिक ऊर्जा बिल) खाता	16,750
अल्पकालीन प्रावधान	
विविध प्राप्ति दायित्व	33,15,601
अन्य चालू दायित्व	
आपूर्तिकर्त्ता के क्रेडिट पर ब्याज	21,97,104
योग	**72940718**

2. कम्पनी ने वित्तीय वर्ष 2011–12 में जयपुर, अजमेर एवं जोधपुर डिस्कॉम को समन्वय समिति द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार बैटरियों की एक मुश्त बदली तथा डिस्कॉमों को 40 सौर ऊर्जा संयंत्र सौंपने से पूर्व उपयुक्त संचालन एंव मरम्मत लागत के लिये 1.00 करोड़ रूपये की राशि का अग्रिम भुगतान किया। इसके अतिरिक्त, दौलतपुरा में 10 मेगावाट ऑफ ग्रिड संयंत्र बनाने के लिये कार्य आदेश के विरूद्ध जयपुर डिस्काम को वित्तीय वर्ष 2018–19 में 4.16 लाख रूपये का भी भुगतान किया। इन अग्रिमों में से, 24.16 लाख रूपये के व्ययों के विवरण अभी तक लम्बित है। डिस्कॉमों द्वारा वर्ष के दौरान किये गये व्ययों के पूर्ण विवरणों के अभाव में, हम अपने विचार अभिव्यक्त करने में और वित्तीय विवरणों पर इसके परिणामी प्रभाव को व्यक्त करने में असमर्थ है।

3. कम्पनी के डेबिट शेष (प्राप्य अनुदान) निम्नलिखित है जो कि लम्बे समय से लम्बित है :

विवरण	राशि (रूपये में)
वार्षिक गतिविधि योजना (2012–13) खाता	46,00,103
सरकारी लक्ष्य प्राप्ति व्यय अनुदान 12–13	27,800
पूर्व बोली सोलर आरपीएफ खाता	1,47,553
पुनः निवेश परिणाम–पारस्परिक बैठक (आईआरईडीए)	4,89,669
आरई राज्य योजना/एमएनआरई सीएसआई (एसपीवी प्रोजेक्ट 10–11)	29,970
स्टॉफ एनर्जी कन्जर्वेशन कोष	42,277
पवन संसाधन निर्धारण अनुदान (सीएसएस) खाता	53,088
सूचना एवं प्रचार अनुदान 12.13 खाता	24,800
आरवीई 11–12 (13 गांव) सीएसएस अनुदान	61,529
एक दिन की पारस्परिक कार्यशाला (पीएटी) एमएनआरई	50,941
ऑफ ग्रिड पीआरओजी 2013–14 (1किवाध)	78,376
राज्य योजना अनुदान (आरईपी) 11–12 खाता	2,96,334
सोलर जल ऊष्मा प्रणाली (सेमीनार) अनुदान	8,600
ऊर्जा संरक्षण निधि (बीईई) 07–08 खाता	5,27,483
पुनः निवेश परिणाम–पारस्परिक बैठक (इरेडा)	64,38,523
योग	**69,28,192**

लम्बित समायोजन के पूर्ण विवरणों के अभाव में, हम अपने विचार अभिव्यक्त करने में और वित्तीय विवरणों पर इसके परिणामी प्रभाव को व्यक्त करने में असमर्थ है।

4. लम्बे समय से "ऋण एवं अग्रिम" शीर्ष के अन्तर्गत यथा नीचे उल्लिखित बड़ी संख्या में भुगतान प्रकट हो रहे है:

विवरण	राशि (रूपये में)
पी एफ के लिये अग्रिम	1,09,885
राउन्ड टेबल कान्फ्रेन्स के लिये अग्रिम	2,26,892
इण्डिया इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली को अग्रिम	36,000
कार्यपालक अधिकारी नगर पालिका, भरतपुर को अग्रिम	8,50,000
शिवचरण माथुर सामाजिक नीति अनुसंधान को अग्रिम	20,000
मैसर्स वेस्टास पिण्ड टेक इण्डिया प्रा.लि. को अग्रिम	16,90,073
मैसर्स उजास एनर्जी लि. (डी)	2,84,625
अधिशाषी अभियन्ता (पीडब्ल्यूडी), जिला खण्ड, फलोदी को अग्रिम	2,157
पीओ, टीएडी, बांसबाडा निक्षेप कार्य खाता	17,63,710
पीओ, टीएडी, उदयपुर निक्षेप कार्य खाता	65,750
मैसर्स इलयूजन रियल	9,880
आरएसडीसीसी लि. को अग्रिम	70,000
मुख्य कार्यपालक अधिकारी, जोधपुर नगर निगम, जोधपुर	1,75,000

को अग्रिम	
सीएमएस एचसीएम रिपा, जयपुर को अग्रिम	20,500
आयुक्त, भरतपुर नगरपालिका परिषद को अग्रिम	10,00,000
दिगम्बर जैन मंदिर श्री नेमीनाथ जी, अजमेर को अग्रिम	5,046
जिला कलेक्टर, हनुमानगढ़ को अग्रिम	50,514
जिला कलेक्टर, राजसमन्द को अग्रिम	38,241
जिला कलेक्टर, सीकर को अग्रिम	26,547
जयपुर नगर निगम को अग्रिम (एसएलएस बीईई की स्थापना) खाता	16,86,000
जवाहर कला केन्द्र, जयपुर को अग्रिम	6,000
मैसर्स आरएसटीसी, जयपुर को अग्रिम	72,120
पीएचईडी, शहर खण्ड ॥ (दक्षिण), जयपुर को अग्रिम खाता	15,521
बीएसएनएल को अग्रिम खात	35,000
अधिशाषी अभियन्ता, विद्युत, पीडब्लयूडी, अजमेर को अग्रिम	9,318
राजस्थान के इंजिनियरिंग कॉलेजों को अग्रिम	75,000
प्रबन्ध निदेशक, आरआईएसएल को अग्रिम	85,895
योग	**84,29,674**

इन्हें जल्दी ही समायोजित कर लिया जायेगा। पूर्ण विवरणों के अभाव में, हम अपने विचार अभिव्यक्त करने में और वित्तीय विवरणों पर इसके परिणामी प्रभाव को व्यक्त करने में असमर्थ है।

5. **लेखांकन नीतियां:**

कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–III की आवश्यकताओं के अनुसार, कम्पनी ने दीर्घकालीन या अल्पकालीन श्रेणी के अन्तर्गत अपनी आस्तियों और दायित्वों के विभाजन के लिये प्रचालन चक्र की लेखांकन नीति को परिभाषित नहीं किया है।

6. **स्थिर आस्तियां:**

वर्ष के दौरान "8 केडब्ल्यूपीएस ग्रिड सम्बद्ध एसपीवी विद्युत संयंत्र के लिये लाभार्थी का अंश" के कारण भवन शीर्ष के अन्तर्गत 558680/– रूपये की अभिवृद्धि की गयी है। जैसा कि नयी आस्ति की प्रकृति संयंत्र एवं मशीनरी की है, आस्ति को भवन शीर्ष के अन्तर्गत गलत रूप से वर्गीकृत किया गया है। तद्नुसार, मूल्य ह्रास को भी संयंत्र एवं मशीनरी पर प्रयोज्य दर के स्थान पर भवन पर प्रयोज्य दर पर प्रभारित किया गया है। इसलिये, आस्तियों साथ ही स्थिर आस्तियों पर मूल्य ह्रास को सही मूल्यों पर नहीं दर्शाया गया है।

7. **संबंधित पक्षकार संव्यवहार:**

ए) कम्पनी अधिनियम, 2013 और लेखा मानक–18 के प्रावधानों के अनुसार, समनुषंगी कम्पनी, राजस्थान सोलरपार्क डवलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड से संबंधित, संबंधित पक्षकार और इसके संव्यवहारों का उचित प्रकटीकरण नहीं

किया गया है। वर्ष के दौरान कम्पनी इस कम्पनी से एवं को 10.00 करोड रूपये प्राप्त किये और भुगतान किया। तथापि, इसे बिन्दू सं. 11 पर अतिरिक्त टिप्पणी 3 के अन्तर्गत टिप्पणी सं. 1 के अधीन महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों में विचारित नहीं किया है।

बी) टिप्पणी 17 पर " अन्य चालू आस्तियां" में "अन्य" शीर्ष के अन्तर्गत वर्ष के अन्त में राजस्थान सोलरपार्क डवलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड का 1135011 रू का शेष भी सम्मिलित है। तथापि, संबंधित पक्षकार होने से, इसे पृथक रूप से दर्शाना चाहिये और टिप्पणी 16 के अधीन प्रकट किया जाना चाहिये।

8 नकद एवं नकद समतुल्यः

ए) कम्पनी ने अपने कार्मिक अधिकारियों को विभिन्न संयंत्र अवस्थितियों पर अग्रिम धनराशि दी है और वर्ष के अन्त में उन्होने अव्ययित धनराशि को अपने पास ही रख लिया जिसे यथा उनको "अग्रिम" माना गया है। तथापि, यह देखा गया है कि वर्ष के अन्त में उनके द्वारा धारित 627065.50 रू के शुद्ध शेष को बैंक शेष यथा कार्मिक अधिकारियों को अग्रिम के अन्तर्गत समूहित किया गया है। इसलिये, नकद एवं नकद समतुल्य को सही रूप से नहीं दर्शाया गया है।

बी) कम्पनी ने विशिष्ट एमएनआरई योजनाओं के लिये पृथक-पृथक बैंक खातों का संधारण नहीं किया है एवं इन्हें सामूहिक बैंक खाते में लिया है इसलिये कथित विशिष्ट योजना कोष में अर्जित ब्याज का पृथक रूप से निर्धारण नहीं किया जा सकता है। अतः कम्पनी का लाभ इस सीमा तक अधिक कथित है। धनराशि निर्धारणीय नहीं है।

सी) वर्ष के दौरान कम्पनी ने एक्सिस बैंक लिमिटेड में अपने बैंक खाते को बन्द कर दिया है। बैंक खाता बन्द करते समय बैंक ने कम्पनी के पक्ष में डीडी जारी की। तथापि, वर्ष के दौरान इसे भुनाया (नकदीकरण) नहीं गया था और यह अतिकालिक हो गया। एक्सिस बैंक का बैंक स्टेटमेन्ट "शुन्य" दर्शाता है और जैसा कि कम्पनी ने उपर उल्लिखित ड्राफ्ट को भुनाया था, लेखा पुस्तकों के अनुसार इसके पास एक्सिस बैंक में 587530 रूपये का शेष है। वित्तीय विवरणों में इसे बैंक शेष शीर्ष के अन्तर्गत नहीं दर्शाया गया है परन्तु टिप्पणी 17 "अन्य चालू आस्तियां" में "अन्य" शीर्ष के अन्तर्गत दर्शाया गया है।

9. अन्यः

यह देखा गया है कि वर्ष के दौरान कम्पनी ने दिसम्बर, 2020 के माह में मैसर्स ज्योति किरन कार्पोरेशन लिमिटेड से 1,94,400/- रूपये का भुगतान प्राप्त किया है। तथापि, इसे कम्पनी द्वारा यथा आय मान्य नहीं किया गया है और वर्ष के अन्त में यथा अग्रिम दर्शाया है।

बी) <u>समनुषंगी कम्पनी के लिये</u>

1. लेखा मानक-12 "सरकारी अनुदानों का लेखांकन" की अपालना

ए) कम्पनी ने नवीन और नवीकरणीय उर्जा मंत्रालय (एमएनआरई), भारत सरकार की नामित नोडल ऐजेन्सी, मैसर्स सोलर एनर्जी कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया (एसईसीआई) से भाडला परियोजना के विकास के लिये 4489.73 लाख रूपये की केन्द्रीय वित्त सहायता प्राप्त की थी, जो कि देश में सोलर पार्को और अल्ट्रा मेगा सौर उर्जा परियोजनाओं के विकास के लिये योजना के अन्तर्गत सोलर पार्क परियोजना की पूंजी परिव्यय लागत की पूर्ति के लिये अनुदान सहायता की प्रकृति में थी। कथित केन्द्रीय वित्त सहायता अनुदान, विव 2015–16 तक के पूर्ववर्ती वर्षों में प्राप्त की गयी थी, उपर निर्दिष्ट मूल योजना के अन्तर्गत विशेषांकित परियोजना के विकास के लिये कुल पूंजी परिव्यय के प्रति प्रोत्साहकों के अंशदान की प्रकृति का था, जिसमें योजना के दिशा–निर्देशों / स्वीकृति की अपालना की स्थिति में अनुदान की वापसी / वसूली की शर्त आरोपित थी।

लेखा मानक–12 "सरकारी अनुदानों का लेखांकन" के पैरा 10.1 के अनुसार, सरकारी अनुदानें जो कि परियोजना पूंजी परिव्यय के लागत के प्रति है, प्रोत्साहकों के अंशदान की प्रकृति की है जिन्हें यथा पूंजी आरक्षित के व्यवहार किया जाना चाहिये और इन्हे न तो यथा लाभांश के वितरित किया जाना चाहिये और न ही यथा आस्थगित आय के माना जाना चाहिये। तथापि, कम्पनी केन्द्रीय वित्त सहायता अनुदान को आस्थगित आय की प्रकृति की विचारित कर रही है और तद्नुसार ऐसे वार्षिक घटकों को लाभ व हानि विवरण में यथा क्रेडिट करके 40 वर्षों की अवधि में यथानुपात आधार पर विनियोजित कर रही है और तद्नुसार, 2016–17 से 2019–20 के वित्तीय वर्षों के दौरान "आरक्षित एवं अधिशेष" के अन्तर्गत 393.57 लाख रूपये का " अनुदान खाता" को यथा डेबिट विनियोजन किया है। इसी तरह से, 'महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां' में विरचित एवं प्रकट लेखांकन नीति के आधार पर, केन्द्रीय वित्त सहायता अनुदान की विनियोजित नहीं की गयी शेष राशि में से वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिये अग्रतर 111.30 लाख रूपये का यथा आनुपातिक राजस्व विनियोजन किया है।

पूंजी अनुदान का आनुपातिक आधार पर पूर्वोक्त विनियोजन का लेखा मानक–12 "सरकारी अनुदानों का लेखांकन" के अनुसार लाभ व हानि विवरण में क्रेडिट नहीं है और इसलिये इस सीमा तक लेखा मानक की अपालना रह जाती है। अग्रतर, वर्ष हेतु 'संचालनों से राजस्व' का 111.30 लाख रूपये से अधिक कथन किया गया है और वर्ष हेतु केन्द्रीय वित्त सहायता अनुदान की राशि की इस सीमा तक न्यूनोक्ति हुई है। इसके अतिरिक्त, लाभ व हानि विवरण में आगे ले जाये गये अधिशेष को भी 'अनुदान सहायता' समूह शीर्ष के अन्तर्गत 'केन्द्रीय वित्त सहायता अनुदान' के अनुरूपी न्यूनोक्ति के साथ, 393.57 लाख रूपये से अधिक कथन किया गया है जिसे 31 मार्च, 2020 को समाप्त हुये विव तक वार्षिक वित्तीय विवरणों में यथा "**आरक्षित एवं अधिशेष**' के घटक के प्रकट किया है।

बी) इसके अतिरिक्त, प्रतिवेदित वर्ष की समाप्ति पर केन्द्रीय वित्त सहायता अनुदान का विनियोजित नहीं किये गये शेष की 3984.86 लाख रूपये की राशि को "आरक्षित एवं अधिशेष" के अन्तर्गत पृथक मद यथा "अनुदान सहायता" के रूप में वार्षिक वित्तीय विवरणों में इसके 31 मार्च 2020 के प्रकटीकरण के विरूद्ध में, "दीर्घावधि दायित्व" के अन्तर्गत 3873.56 लाख रूपये और "अन्य चालू दायित्व" के अन्तर्गत 111.30 लाख रूपये के रूप में प्रक्ट किया गया है। अग्रतर, केन्द्रीय वित्त सहायता अनुदान

के विनियोजित नहीं किये गये शेष प्रकट करने से परिवर्तित प्रस्तुतीकरण लेखा मानक–12 के अनुसार नहीं है। प्रतिवेदित वर्ष में परिवर्तन के परिणाम के रूप में, वर्ष हेतु "आरक्षित एवं अधिशेष" के कुल मूल्य की 3984.86 लाख रूपये और "अन्य चालू दायित्व" के कुल मूल्य की 111.30 लाख रूपये से अत्योक्ति हुई है।

माथुर एण्ड कम्पनी के लिये
चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस
एफआरएन : 001952सी
ह.
(अनिल माथुर)
साझेदार
सदस्य संख्या : 070339
यूडीआईएन: 21070339AAAABC9818

स्थान : जयपुर
दिनांक : 17.11.2021

अनुलग्नक – 'बी'

31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड, जयपुर के समेकित वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र अंकेक्षकों के प्रतिवेदन का भागरूप/अंगभूत

कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 143 की उप–धारा 3 के खण्ड (i) के अन्तर्गत आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट

हमने राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड (कम्पनी) और भारत में निगमित इसकी समनुषंगी कम्पनी की 31 मार्च, 2021 को वित्तीय रिपोर्टिंग पर उसी दिनांक के लिए कम्पनी के समेकित वित्तीय विवरणों के हमारे अंकेक्षण के साथ–साथ आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अंकेक्षण भी किया है।

आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कम्पनी और भारत में निगमित इसकी समनुषंगी के संबंधित निदेशक मण्डल भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस संस्था (आई.सी.ए.आई) द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों के अंकेक्षण पर जारी किये गये निदेशन–पत्र में उल्लेखित आन्तरिक नियंत्रण के आवश्यक तत्वों को विचारित करते हुए कम्पनी और भारत में निगमित इसकी समनुषंगी कम्पनी द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक नियंत्रण के स्थापित मान–दण्डों के आधार पर संबंधित आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों को अधिष्ठापित करने एवं जारी रखने के लिये उत्तरदायी है। इन उत्तरदायित्वों में, कम्पनी अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत यथा अपेक्षित संबंधित कम्पनी की नीतियों का अनुसरण पालन, इसकी आस्तियों की सुरक्षा, कपटों व त्रुटियों का पता लगाना और उनका निवारण, लेखा अभिलेखों की पूर्णता एवं शुद्धता/यथार्थता एवं विश्वसनीय वित्तीय सूचनाओं की यथासमय तैयारी करने को सम्मिलित करते हुए पर्याप्त आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण जो इसके व्यापार को नियमित रूप एवं दक्षता से चलाने को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से सक्रिय थे की पर्याप्त रूप रेखा, कार्यान्वयन एवं अनुरक्षण सम्मिलित है।

अंकेक्षेकों का उत्तरदायित्व

हमारे अंकेक्षण के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर समूह के आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों पर राय व्यक्त करना हमारा उत्तरदायित्व है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों के अंकेक्षण पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों के अंकेक्षण के लिये लागू होने की सीमा तक कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) और निदेशन–पत्र के अधीन विहित, लेखा परिक्षण के मानकों के अनुसार हमने हमारा अंकेक्षण सम्पादित किया है। इन मानकों एवं निदेशन–पत्र की अपेक्षा है कि हम नीतिपरक आवश्यकताओं की पालना करे एवं अंकेक्षण को इस प्रकार से नियोजित व निष्पादित करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों को अधिष्ठापित एवं अनुरक्षित किया गया था और ऐसे नियंत्रण सभी सारवान/तात्विक मामलों में प्रभावी रूप से क्रियान्वित थे, के बारे में युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त किया जा सकें।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता एवं उनकी सक्रीयता की प्रभावशीलता हेतु अंकेक्षण साक्ष्य प्राप्त करने के लिये प्रक्रिया को क्रियान्वित करना हमारे अंकेक्षण में निहित है।वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों के हमारे अंकेक्षण में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, जोखिम का निर्धारण करना कि सारवान अपर्याप्तता हैं, एवं परीक्षण करना, एवं निर्धारित जोखिम के आधार पर आन्तरिक नियंत्रण की सक्रिय प्रभावशीलता व रूप रेखा का मूल्यांकन करना सम्मिलित था। वित्तीय विवरणों के सारभूत मिथ्या कथन चाहे कपट के कारण या त्रुटि के कारण, के जोखिम के निर्धारण को सम्मिलित करते हुए प्रक्रिया का चयन अंकेक्षक के निर्णयन पर निर्भर करता है।

हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किये गये अंकेक्षण साक्ष्य एवं भारत में निगमित समनुषंगी कम्पनी के अंकेक्षकों के द्वारा नीचे अन्य मामलों के पैरा में संदर्भित प्राप्त किये गये साक्ष्य पर्याप्त है एवं वित्तीय रिपोर्टिंग पर समूह के आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण पद्धति पर हमारे अंकेक्षण अभिमत के लिये एक उचित आधार उपलब्ध कराते है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कम्पनी का आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण एक प्रक्रिया है जिसे सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धान्तों के अनुसार बाह्य प्रयोजनार्थ वित्तीय विवरणों की तैयारी एवं वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के बारे में युक्तिसंगत आश्वासन उपलब्ध कराने के लिये तैयार किया गया है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कम्पनी के आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण मे वो नीतियां व कार्य प्रणालियां सम्मिलित है जो कि

(1) उन अभिलेखों के संधारण से संबंधित है जो कि कम्पनी की आस्तियों के व्ययन एवं व्यवहारों को युक्तियुक्त ब्योरे सहित, शुद्ध एवं उचित रूप से दर्शातें है।

(2) युक्तिसंगल आश्वासन देते है कि सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धान्तों के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी की अनुमति के लिये यथा आवश्यक व्यवहारों को दर्ज किया गया है एवं प्राप्तियों व व्ययों को केवल कम्पनी के निदेशकों एवं प्रबंधन के अनुमोदन के अनुसार ही किया जाता हैं।

(3) कम्पनी की आस्तियों का अनधिकृत अर्जन, उपयोग या व्ययन जिनका वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है, का यथासमय पता लगाने एवं निवारण से संबंधित युक्तिसंगत आश्वासन देवें।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों पर अन्तर्निहित परिसीमा

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों पर अन्तर्निहित परिसीमा साथ ही अनुपयुक्त प्रबंधन अथवा मिली भगत की संभावना के कारण, नियंत्रणों की अवहेलना, त्रुटि या कपट के कारण मिथ्या कथन हो सकते है और पता नहीं लगाये जा सकते। साथ ही, भावी अवधियों के लिये वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों के मूल्यांकन के प्रक्षेपण जोखिम के अधीन है क्योकि परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय

नियंत्रण अपर्याप्त हो सकते है, या कार्याविधि अथवा नीतियों की अनुपालना की मात्रा गिर सकती है।

विशेषित अभिमत

हमारे मत में, ऊपर वर्णित सारवान कमजोरियों के प्रभावों/सम्भाव्य प्रभावों के सिवाय नियंत्रण मानदण्डों के उद्देश्यों की उपलब्धि पर संबंधित कम्पनियों में सभी महत्वपूर्ण मामलों में वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण पद्धति विद्यमान है और निदेशन–पत्र में उल्लेखित आन्तरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों को विचारित करते हुये समूह द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिये अधिष्ठापित मान–दण्डों के आधार पर ऐसे वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च, 2021 को प्रभावी रूप से सक्रिय थे।

हमने कम्पनी के 31 मार्च, 2021 के वित्तीय विवरणों के हमारे अंकेक्षण में उपयोजित अंकेक्षण परीक्षणों की प्रकृति, समय और सीमा का निर्धारण करने में उपरोक्त परिलक्षित एवं प्रतिवेदित महत्वपूर्ण कमजोरियों पर विचार किया है और ये महत्वपूर्ण कमजोरियां समूह के वित्तीय विवरणों पर हमारे अभिमत को प्रभावित नहीं करती है।

अन्य मामलें

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता एवं संचालन प्रभावशीलता जहां तक यह समनुषंगी कम्पनी जो की भारत में निगमित कम्पनी है, से संबंधित है, पर अधिनियम की धारा 143(3)(प) के अधीन हमारी पुर्वोक्त रिपोर्ट केवल मात्र भारत में निगमित ऐसी कम्पनियों के अंकेक्षकों की तत्संबंधी रिपोर्टो पर आधारित है।

माथुर एण्ड कम्पनी के लिये
चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस
एफआरएन : 001952सी
ह.
(अनिल माथुर)
साझेदार
सदस्य संख्या : 070339

स्थान : जयपुर
दिनांक : 17.11.2021

अनुलग्नक–सी

31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड, जयपुर के समेकित वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र अंकेक्षकों के प्रतिवेदन का भागरूप/अंगभूत

अधिनियम की धारा 143(5) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी किये गये निर्देश/उपनिर्देश की अनुपालना

("अन्य कानूनी एवं विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट" के अन्तर्गत पैरा 3 में संदर्भित)

क्र. सं.	निर्देश	अंकेक्षकों का उत्तर	वित्तीय विवरणों पर प्रभाव
1	क्या कम्पनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन संव्यहारों को संसाधित करने की व्यवस्था है? यदि हां, तो वित्तीय निहितार्थ, यदि कोई हो, के साथ लेखों की प्रामाणिकता पर आईटी प्रणाली के अतिरिक्त लेखांकन संव्यवहारों के संसाधन के निहितार्थों का कथन किया जा सकता है।	नियंत्री कम्पनी अपने सभी लेखांकन संव्यवहारों को टेली साफ्टवेयर के माध्यम से कम्प्यूटरीकृत रूप में रिकार्ड और संधारण कर रही है। समनुषंगी कम्पनी सभी लेखांकन संव्यवहारों को साफ्टवेयर "टेली" के माध्यम से रिकार्ड कर रही है। तथापि, लेखांकन साफ्टवेयर में संव्यवहारो की प्रक्रिया या रिकार्ड करने के लिये अपेक्षित ब्योरों का मानवीय रूप से संधारण किया जाता है।	वित्तीय विवरणों पर कोई प्रभाव नहीं है।
2	क्या किसी विद्यमान ऋण का कोई पुनर्गठन है या कम्पनी की ऋण के पुनर्भुगतान की असमर्थता के कारण किसी ऋणदाता द्वारा कम्पनी को दिये गये ऋण के अधित्यजन या ऋण/उधारों/ ब्याज इत्यादि के अपलेखन के मामले है? यदि हां, तो वित्तीय प्रभाव बताया जा सकता है।	हमें दी गई सूचना के अनुसार, विद्यमान ऋण का कोई पुनर्गठन है या किसी ऋणदाता द्वारा कम्पनी को दिये गये ऋण के अधित्यजन या ऋण/उधारों/ ब्याज इत्यादि के अपलेखन का मामला नहीं है।	वित्तीय विवरणों पर कोई प्रभाव नहीं है।
3	क्या केन्द्रीय/ राजकीय एजेन्सियों से विशिष्ट योजनाओं के लिये प्राप्त/प्राप्य धनराशि को इसके निबन्धनों एवं शर्तों के अनुसार उचित रूप से लेखाबद्ध/उपयोग किया गया था? विचलन के मामलों की सूची बनायें।	उपलब्ध सूचना के आधार पर और हमें दी गई सूचनाओं एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार, वर्ष के दौरान केन्द्रीय/ राजकीय एजेन्सियों से विशिष्ट योजनाओं के लिये प्राप्त/प्राप्य धनराशि को इसके निबन्धनों एवं शर्तों के अनुसार उचित रूप से लेखाबद्ध/उपयोग किया गया था। समनुषंगी कम्पनी में "विशेषित के लिये आधार" के अन्तर्गत **अनुलग्नक ए** में यथा उल्लिखित ब्योरों के अध्यधीन केन्द्रीय सरकार या इसकी एजेन्सियों से विशिष्ट योजनाओं के लिये प्राप्त धनराशि को इसके	नियंत्री कम्पनी के लिये वित्तीय विवरणों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं है। "विशेषित के लिये आधार" के

		निबन्धनों एवं शर्तों के अनुसार उचित रूप से उपयोग किया गया था।	अन्तर्गत अनुलग्नक ए में यथा उल्लिखित प्रभावों का ब्योंरा समनुषंगी कम्पनी के लिये है।

क्र. सं.	उप निर्देश	अंकेक्षकों का उत्तर	वित्तीय विवरणों पर प्रभाव
1	क्या कम्पनी ने स्वयं की खाली पड़ी भूमि पर अतिक्रमण रोकने के पर्याप्त प्रयास किये हैं। क्या कम्पनी की कोई भूमि अतिक्रमणित है, मुकदमेंबाजी के अधीन है, उपयोग में नही ली गयी है या अधिक घोषित की गयी है। विवरण दिया जाये।	जैसाकि प्रबंधन द्वारा स्पष्ट किया गया है कम्पनी ने स्वयं की खाली पड़ी भूमि पर अतिक्रमण रोकने/हटाने की दिशा में पर्याप्त कदम उठाती हैं।	वित्तीय विवरणों पर कोई प्रभाव नहीं है।
2	क्या कम्पनी में संविदात्मक निबंधनों के अनुसार राजस्व की वसुली के लिये प्रभावी प्रणाली विद्यमान है एवं प्रयोज्य लेखा मानकों की पालना में राजस्व को लेखा–पुस्तकों में उचित रूप से लेखाबद्ध किया जाता है।	जैसाकि की प्रबंधन द्वारा स्पष्ट किया गया है कम्पनी में संविदात्मक निबंधनों के अनुसार राजस्व की वसुली के लिये प्रभावी प्रणाली विद्यमान है एवं प्रयोज्य लेखा मानकों की पालना में राजस्व को लेखा–पुस्तकों में उचित रूप से लेखाबद्ध किया जाता है।	वित्तीय विवरणों पर कोई प्रभाव नहीं है।

माथुर एण्ड कम्पनी के लिये
चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस
एफआरएन : 001952सी
ह.
(अनिल माथुर)
साझेदार
सदस्य संख्या : 070339

स्थान : जयपुर
दिनांक : 17.11.2021

सत्यमेव जयते

सी.ए.डब्ल्यू–1 / वा.ले. / आरआरईसी / 2020–21 / के–69 | D- 1168

संख्या / No.....................

भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग
कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II) राजस्थान
जनपथ, जयपुर –302005

INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT
OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT-II) RAJASTHAN
JANPATH, JAIPUR - 302005

दिनांक/Date 27 | 01 | 2022

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक,
राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड,
ई–166 युधिष्ठिर मार्ग,
जयपुर 302001

विषय : राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड, जयपुर के वर्ष 2020–21 के एकल एवं समेकित वित्तीय विवरणों पर नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

महोदय,

मुझे इस पत्र के साथ कम्पनी अधिनियम की धारा 143(6)(b) के अन्तर्गत राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड, जयपुर के 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के एकल वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ एवं कम्पनी अधिनियम की धारा 143(6)(b) सपठित धारा 129(4) के अन्तर्गत राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड, जयपुर के 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के समेकित वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ वार्षिक आम सभा के समक्ष कम्पनी अधिनियम की धारा 143 (6) के अनुसार प्रस्तुत करने हेतु जारी करने का आदेश प्राप्त हुआ है।

उपरोक्त अवधि के वित्तीय विवरणों एवं लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की सात प्रतियां, जैसी कि साधारण सभा में रखी जावें तथा स्वीकृत की जावें, कृपया इस कार्यालय को शीघ्र भिजवाने का श्रम करें।

संलग्न: उपरोक्तानुसार

भवदीय,

ओंकार

उपमहालेखाकार
(लेखा परीक्षा प्रबंधन समूह –I)

Phone : 0141-2385431-39 Fax : 91-141-2385230 E-mail : agauRajasthan2@cag.gov.in

राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड के 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के समेकित वित्तीय विवरणों पर कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 (4) के साथ पठित धारा 143 (6)(बी) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ।

राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड के 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के समेकित वित्तीय विवरणों को कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अन्तर्गत विर्निदिष्ट वित्तीय प्रतिवेदन ढ़ाचे के अनुरूप तैयार करना कम्पनी प्रबन्धन का उत्तरदायित्व है। कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 (4) के साथ पठित धारा 139 (5) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त वैधानिक अंकेक्षक/अंकेक्षकों का उत्तरदायित्व अधिनियम की धारा 129 (4) के साथ पठित धारा 143 के अन्तर्गत अधिनियम की धारा 143(10) के अधीन विहित लेखांकन के मानकों के अनुरूप इन वित्तीय विवरणों पर अपना अभिमत स्वतंत्र अंकेक्षक के आधार पर प्रकट करना है। यह उनके अंकेक्षण प्रतिवेदन दिनांक 17 नवम्बर, 2021 द्वारा किया जाना व्यक्त किया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के निमित कम्पनी अधिनियम की धारा 129 (4) के साथ पठित धारा 143 (6)(ए) के अन्तर्गत राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड जयपुर के 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के समेकित वित्तीय विवरणों का अनुपूरक अंकेक्षण किया है।

हमने राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड एवं राजस्थान सोलर पार्क डवलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड के उस दिनांक को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों का अनुपूरक अंकेक्षण किया है। इस अनुपूरक अंकेक्षण को स्वतंत्रतापूर्वक वैधानिक अंकेक्षकों के कार्य दस्तावेजों के बिना अभिगमन् किये, निष्पादित किया है तथा मुख्यतः वैधानिक अंकेक्षकों की जाचं एवं कम्पनी कार्मिक व कुछ लेखांकन अभिलेखों की चयनित जांच तक सीमित है।

मेरे अनुपूरक अंकेक्षण पर आधारित, अधिनियम की धारा 129 (4) के साथ पठित धारा 143 (6)(बी) के अन्तर्गत निम्नलिखित महत्वपूर्ण मामलें, जो मेरे ध्यान में आये हैं और जो मेरे विचार से वित्तीय विवरणों व सम्बन्धित अंकेक्षण प्रतिवेदन को भली–भांति समझने के लिए आवश्यक है, को विशिष्ट रूप से दर्शाना चाहूंगाः–

अ. वित्तीय स्थिति पर टीका–टिप्पणियां
समेकित तुलन पत्र
आस्तियां
स्थिर आस्तियां (टिप्पणी–10)
प्रगतिरत पूंजी कार्य– 4 करोड़ रू.

राजस्थान सोलर पार्क डवलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड द्वारा जैसलमेर में नोख सोलर पार्क की प्रसारण लाइनों के निर्माण के सम्बन्ध में किये गये व्यय के प्रति 31 मार्च, 2021 से पहले प्राप्त बिलों की बुकिंग नहीं करने के कारण उपरोक्त को 0.48 करोड़ रूपये से कम दर्शाया गया है। इसके परिणामतः चालू दायित्वों की इस सीमा तक न्यूनोक्ति हुई है।

ब. प्रकटीकरण पर टीका–टिप्पणियां
समेकित लेखों की टिप्पणियां

कम्पनी ने अपनी टिप्पणी 21.4 में उल्लेखित किया कि नि.व 2017–18 के लिये आयकर विभाग ने

2,50,51,820 रूपये की मांग की और इस आदेश के विरूद्व, कम्पनी ने 27.11.2018 को आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील दायर की है। इसकी प्रस्तुति सहीं नहीं है क्योंकि वास्तविक मांग 2,86,03,799 रूपये के लिये थी। परिणामतः कम्पनी (अंकेक्षकों का प्रतिवेदन) आदेश, 2016 की टिप्पणी अपप (बी) में स्वतंत्र अंकेक्षकों द्वारा भी मांग राशि का अशुद्वता से प्रस्तुतीकरण किया गया था।
इसलिये, इस सीमा तक टिप्पणियों में प्रकटीकरण अपूर्ण है।

स. अंकेक्षक के प्रतिवेदन पर टीका--टिप्पणियां

टिप्पणी सं. 6 में अर्हता के अन्तर्गत स्वतंत्र अंकेक्षकों ने कहा कि 558680 रूपये के संयंत्र और मशीनरी को लेखा शीर्ष 'भवन' के अन्तर्गत गलत तरीके से वर्गीकृत किया गया है। इसलिये, आस्तियों साथ ही स्थिर आस्तियों पर मुल्य ह्रास को सही मुल्य पर नहीं दर्शाया गया है। तथापि, स्वतंत्र अंकेक्षको ने मिथ्याकथन की मात्रा निर्धारित नहीं की है न ही वित्तीय विवरणों पर अर्हता का प्रभाव दिया है।

भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक
के लिए एवं निमित्त
ह.
(अतूर्वा सिंन्हा)
महालेखाकार (लेखा परीक्षण--प्प)
राजस्थान, जयपुर।

स्थान – जयपुर
दिनांक –27.01.2022

राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड के 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के समेकित वित्तीय विवरणों पर कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 (4) के साथ पठित धारा 143 (6)(बी) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ।

	महालेखाकार के आक्षेप	प्रबन्धन का उत्तर/स्पष्टीकरण
अ.	**वित्तीय स्थिति पर टीका–टिप्पणियां** **तुलन पत्र** **सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण (टिप्पणी–10)** **प्रगतिरत पूंजी कार्य– 4 करोड़ रू.** राजस्थान सोलर पार्क डवलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड द्वारा जैसलमेर में नोख सोलर पार्क की प्रसारण लाइनों के निर्माण के सम्बन्ध में किये गये व्यय के प्रति 31 मार्च, 2021 से पहले प्राप्त बिलों की बुकिंग नहीं करने के कारण उपरोक्त को 0.48 करोड़ रूपये से कम दर्शाया गया है। इसके परिणामतः चालू दायित्वों की इस सीमा तक न्यूनोक्ति हुई है।	31.03.2021 को समाप्त वर्ष हेतु लेखा पुस्तकों में मैसर्स मोन्टेकार्लो लिमिटेड के तथाकथित संव्यवहारों की प्रविष्टि नहीं की गयी थी क्योंकि मोन्टाकार्लो लिमिटेड के कार्य आदेश की शर्त सं. 11 की प्रतिपूर्ति नहीं हुयी थी और 31.03.2021 के पहले लेखा विभाग में अन्तिम सम्यक् रूप से सत्यापित बिल प्राप्त नहीं हुये थे। यदि कार्य आदेश की शर्तों की प्रतिपूर्ति हो जाती तो इस संव्यवहार की 'प्रगतिरत पूंजी कार्य' को डेबिट करते हुये और 'चालू दायित्वों' को क्रेडिट करते हुये प्रविष्टि की जाती। दायित्वों को बुक करने के लिये कम्पनी लगातार इसी विधि का अनुसरण करती है। चूंकि मैसर्स मोन्टेकार्लो लिमिटेड को दिये गये कार्य आदेश का खण्ड 11 स्पष्ट रूप से प्रावधान करता है कि "परेषिती (माल पाने वाला) से सम्यक् रूप से सत्यापित और सभी तरह से पूर्ण अन्य दस्तावेजों का उसे ठेकेदारों द्वारा प्रस्तुतिकरण और अपेक्षित दस्तावेज, यदि कोई हो, सम्यक् रूप से सत्यापित द्वारा समर्थित और क्रय आदेश की आवश्यकता के अनुसार सभी संविदात्मक औपचारिकताओं की पूर्ति के साथ ठेकेदारों के बिलों की प्राप्ति की दिनांक से उचित अवधि के भीतर संदाय प्राधिकारी द्वारा भुगतान किया जायेगा।" तद्नुसार, आपूर्ति के बिलों का भुगतान कार्य आदेश की शर्तों साथ ही अन्य मानकों की पालना, उचित सत्यापन के पश्चात् वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् किया गया था। कम्पनी ऐसे बिलों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा भुगतान की स्वीकृति के पश्चात् ही लेखों में बुक करती है।
ब.	**प्रकटीकरण पर टीका–टिप्पणियां** **लेखों की टिप्पणियां** कम्पनी ने अपनी टिप्पणी 21.4 में उल्लेखित किया कि निर्धारण वर्ष 2017–18 के लिये आयकर विभाग ने 2,50,51,820 रूपये की मांग की और इस आदेश के	कम्पनी ने 2,86,03,799 रूपये की वास्तविक मांग के स्थान पर 2,50,51,820 रूपये की मांग राशि को प्रकट किया है। यह कम्पनी द्वारा भुलवश हुआ है और कम्पनी ने आयकर अधिनियम की धारा 143(3) के अधीन विभाग द्वारा पारित आदेश के स्थान पर आयकर अधिनियम की धारा 143(1) के आदेश में दर्शायी गयी मांग राशि को प्रकट किया है।

	महालेखाकार के आक्षेप	प्रबन्धन का उत्तर / स्पष्टीकरण
	विरुद्ध, कम्पनी ने 27.11.2018 को आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील दायर की है। इसकी प्रस्तुति सही नहीं है क्योंकि वास्तविक मांग 2,86,03,799 रूपये के लिये थी। परिणामतः कम्पनी (अंकेक्षकों का प्रतिवेदन) आदेश, 2016 की टिप्पणी अपप (बी) में स्वतंत्र अंकेक्षकों द्वारा भी मांग राशि का अशुद्धता से प्रस्तुतीकरण किया गया था। इसलिये, इस सीमा तक टिप्पणियों में प्रकटीकरण अपूर्ण है।	
स.	**अंकेक्षक के प्रतिवेदन पर टीका–टिप्पणियां** टिप्पणी सं. 6 में अर्हता के अन्तर्गत स्वतंत्र अंकेक्षकों ने कहा कि 558680 रूपये के संयंत्र और मशीनरी को लेखा शीर्ष 'भवन' के अन्तर्गत गलत तरीके से वर्गीकृत किया गया है। इसलिये, आस्तियों साथ ही स्थिर आस्तियों पर मुल्य ह्रास को सही मुल्य पर नहीं दर्शाया गया है। तथापि, स्वतंत्र अंकेक्षको ने मिथ्याकथन की मात्रा निर्धारित नहीं की है न ही वित्तीय विवरणों पर अर्हता का प्रभाव दिया है।	कोई टिप्पणी नहीं है।

राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड, जयपुर
31 मार्च, 2021 को समेकित तुलन–पत्र
सीआईएनः U40101RJ1995SGC009847

(राशि रूपयों में)

	विवरण	देखें टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2021 को समाप्त चालू प्रतिवेदित अवधि के अन्त के आंकडें	31 मार्च, 2020 को समाप्त चालू प्रतिवेदित अवधि के अन्त के आंकडें
	1	2		
I.	साम्या एवं दायित्व			
1	अंशधारकों की निधियां			
	(ए) अंशपूंजी	2	129,410,780	129,410,780
	(बी) संचितियाँ एवं अतिरिक्त	3	2,572,453,525	2,255,870,833
	(सी) शेयर वारंट के तहत् प्राप्त धन राशि			
2	शेयर आवेदन धन राशि लम्बित आवंटन			
3	गैर–चालू दायित्व			
	(ए) दीर्घावधि उधार राशिया	4		
	(बी) आस्थगित कर दायित्व (शुद्ध)	5	192,136,284	191,592,469
	(सी) अन्य दीर्घावधि दायित्व	6	7,632,330,108	3,852,712,936
	(डी) दीर्घावधि प्रावधान			
4	चालू दायित्व			
	(ए) अल्पावधि उधार राशियां			
	(बी) व्यापारिक देयतायें	7		
	एमएसएमई			
	एमएसएमई के अतिरिक्त अन्य		166,955,756	135,228,271
	(सी) अन्य चालू दायित्व	8	748,671,301	997,145,655
	(डी) अल्पावधि प्रावधान	9	530,867,905	212,220,926
	योग		**11,972,825,660**	**7,774,181,870**
II	आस्तियां			
	गैर–चालू आस्तियां			
1	(ए) स्थिर आस्तियां			
	(i) मूर्त आस्तियां	10	2,017,561,684	2,189,797,441
	(ii) अमूर्त आस्तियां		856,688	1,044,978

	(iii) प्रगतिरत पूंजी कार्य		40,043,665	-
	(iv) विकासाधीन अमूर्त आस्तियां			
	(बी) गैर–चालू निवेश	11	-	-
	(सी) आस्थगित कर आस्तियां (शुद्ध)			
	(डी) दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिम	12	143,367,933	143,367,933
	(ई) अन्य गैर–चालू आस्तियां	13	-	-
2	चालू आस्तियां			
	(ए) चालू निवेश			
	(बी) इन्वेन्ट्रीयां			
	(सी) व्यापारिक प्राप्तियां	14	440,620,714	427,131,700
	(डी) नकद एवं नकद समतुल्य	15	8,621,042,257	4,202,007,657
	(ई) अल्पावधि ऋण एवं अग्रिम	16	616,105,451	518,462,481
	(एफ) अन्य चालू आस्तियां	17	93,227,269	292,369,678
	योग		**11,972,825,660**	**7,774,181,870**
	महत्वपूर्ण लेखां नीतियां एवं लेखों पर टिप्पणियां	1		

हमारी समतिथि के पृथक प्रतिवेदन के अनुसार
माथुर एण्ड कम्पनी के लिये
चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस
एफआरएन सं. 001952सी
ह.
(अनिल माथुर)
साझेदार
सदस्यता संख्या 070339

स्थान : जयपुर
दिनांक : 17.11.2021

राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड
के निदेशक मण्डल के लिये एवं निमित्त

ह.
डॉ. सुबोध अग्रवाल
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन 06940604

ह.
एन.एस. निर्वाण
पूर्णकालिक निदेशक
डीआईएन 09361461

ह.
ललित वर्मा
निदेशक (वित्त) एवं
मुख्य वित्त अधिकारी

ह.
गजल सक्सेना
कम्पनी सचिव
सदस्यता सं. एफ8244

राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड, जयपुर

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिये समेकित लाभ एवं हानि विवरण

(राशि रूपयों में)

	विवरण	देखें टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2021 को समाप्त चालू प्रतिवेदित अवधि के अन्त के आंकड़ें	31 मार्च, 2020 को समाप्त चालू प्रतिवेदित अवधि के अन्त के आंकड़ें
I.	संचालन से राजस्व	18	1,268,698,273	1,287,524,543
II.	अन्य आय	19	357,506,071	294,254,412
III.	**कुल राजस्व (I+II)**		**1,626,204,344**	**1,581,778,954**
IV.	**व्यय:**			
	उपभोगित सामग्रियों की लागत			
	व्यापारिक स्कन्ध (ऊर्जा) का क्रय	20	761,679,197	752,581,574
	निर्मित माल, प्रगतिरत कार्य एवं व्यापारिक स्कन्ध की इन्वेन्ट्रीयों में परिवर्तन			
	कर्मचारी हित लाभ व्यय	21	89,578,938	96,247,345
	वित्त लागतें	22	393	-
	मूल्य ह्रास एवं परिशोधन व्यय	10	173,284,818	261,252,711
	अन्य व्यय	23	147,668,793	151,489,694
	कुल व्यय		**1,172,212,140**	**1,261,571,324**
V.	**अपवादात्मक एवं असाधारण मदों एवं कर के पूर्व लाभ (III-IV)**		**453,992,204**	**320,207,630**
VI.	अपवादात्मक मदें	24		
VII.	**असाधारण मदों एवं कर के पूर्व लाभ (V-VI-VIA)**		**453,992,204**	**320,207,630**
VIII.	असाधारण मदें		2,426,420	4,872,991
IX.	**कर पूर्व लाभ (VII- VIII)**		**451,565,784**	**315,334,639**
X	कर व्यय:			
	(1) चालू कर	25	121,257,840	108,859,375
	(2) पूर्ववर्ती वर्षों के लिये संक्षिप्त प्रावधान		240,360	1,256,753
	(3) आस्थगित कर	26	543,814	(22,271,107)
	(4) मेट क्रेडिट		-	859,375
XI	**निरन्तर संचालनों से अवधि हेतु लाभ(हानि) (IX-X)**		**329,523,770**	**228,348,993**

XII	अनिरन्तर संचालनों से लाभ/(हानि)			
XIII	अनिरन्तर संचालनों के कर व्यय			
XIV	अनिरन्तर संचालनों से लाभ/(हानि) (कर पश्चात्) (XII-XIII)			
XV	अवधि हेतु लाभ(हानि) (XI + XIV)		**329,523,770**	**228,348,993**
XVI	प्रति साम्या अंश उपार्जन	27		
	(1) मूल		25.46	17.65
	(2) मन्दित		25.46	17.65
	महत्वपूर्ण लेखा नीतियां एवं लेखों पर टिप्पणी	1		

हमारी समतिथि के पृथक प्रतिवेदन के अनुसार
माथुर एण्ड कम्पनी के लिये
चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस
एफआरएन सं. 001952सी
ह.
(अनिल माथुर)
साझेदार
सदस्यता संख्या 070339

स्थान : जयपुर
दिनांक : 17.11.2021

राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड
के निदेशक मण्डल के लिये एवं निमित्त

ह.
डॉ. सुबोध अग्रवाल
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन 06940604

ह.
एन.एस. निर्वाण
पूर्णकालिक निदेशक
डीआईएन 09361461

ह.
ललित वर्मा
निदेशक (वित्त) एवं
मुख्य वित्त अधिकारी

ह.
गजल सक्सेना
कम्पनी सचिव
सदस्यता सं. एफ8244

राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड जयपुर

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिये समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां *(राशि रूपयों में)*

		विवरण	31 मार्च, 2021 को		31 मार्च, 2020 को	
			संख्या	राशि	संख्या	राशि
टिप्पणी	2	अंशपूंजी				
		(ए) प्राधिकृत				
		प्रत्येक 10 रूपये मूल्य के साम्या अंश	14,000,000	140,000,000	14,000,000	140,000,000
		प्रत्येक 100 रूपये मूल्य के संचयी पूर्वाधिकार अंश	200,000	20,000,000	200,000	20,000,000
			14,200,000	**160,000,000**	**14,200,000**	**160,000,000**
		(बी) निर्गमित, अभिदत्त एवं प्रदत्त				
		प्रत्येक पूर्ण प्रदत्त 10 रूपये मूल्य के साम्या अंश	12,941,078	129,410,780	12,941,078	129,410,780
			12,941,078	**129,410,780**	**12,941,078**	**129,410,780**

(ए) वर्ष के प्रारम्भ में एवं अन्त में बकाया अंशों का समाधान

साम्या अंश	31 मार्च, 2021 को		31 मार्च, 2020 को	
	अंशों की संख्या	राशि	अंशों की संख्या	राशि
वर्ष के प्रारम्भ में बकाया	12,941,078	129,410,780	12,941,078	129,410,780
वर्ष के दौरान निर्गमित	-	-	-	-
वर्ष के दौरान वापिस क्रय किये गये	-	-	-	-
वर्ष के अन्त में बकाया	**12,941,078**	**129,410,780**	**12,941,078**	**129,410,780**

(बी) कम्पनी में 5 प्रतिशत अंशों से अधिक धारण करने वाले अंशधारक

प्रत्येक पूर्ण प्रदत्त 10 रूपये मूल्य के साम्या अंश	31 मार्च, 2021 को		31 मार्च, 2020 को	
	धारित अंशों की संख्या	धारण का प्रतिशत	धारित अंशों की संख्या	धारण का प्रतिशत
महामहिम राज्यपाल, राजस्थान	12941071.00	**99.99995%**	12941071.00	**99.99995%**
	12941071.00	**99.99995%**	**12941071.00**	**99.99995%**

(सी) कम्पनी ने 10 रूपये प्रति अंश के सम मूल्य वाले एक ही श्रेणी के साम्या अंश निर्गमित किये हैं। प्रत्येक अंशधारक प्रति अंश धारिता पर एक मतदान के लिये योग्य है।

यदि संचालक मंडल द्वारा लाभांश, अन्तरिम लाभांश को छोड़कर, प्रस्तावित किया जाता है तो यह अंशधारियों द्वारा आगामी वार्षिक साधारण सभा में स्वीकृति के अध्यधीन है।

समापन होने की दशा में, समता अंशधारी सभी पूर्वाधिकार राशियों का वितरण होने के बाद कम्पनी की शेष सम्पत्तियां अपनी अंशधारिता के अनुपात में प्राप्त करने के योग्य होंगे।

(डी) कम्पनी की कोई नियंत्री कम्पनी नहीं है।

(ई) कम्पनी ने संकलित मात्रा में तथा बिना नकद भुगतान प्राप्त किये, जैसे बोनस अंश आवंटित नहीं किये हैं तथा 31 मार्च, 2021 तक की दिनांक से पूर्व के 5 वर्ष तक कोई अंश वापस क्रय नहीं किये है।

(राशि रुपयों में)

		विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
टिप्पणी	3	**संचितियाँ एवं अतिरिक्त**		
	ए.	**पूंजी संचय**		
		वर्ष के प्रारम्भ में शेष	**3,518,038**	3,518,038
		जोड़िये / घटाइयेः वर्ष के दौरान		
		वर्ष के अन्त मे शेष	**3,518,038**	**3,518,038**
	बी.	**अन्य संचय (सामान्य संचय)**		
		वर्ष के प्रारम्भ में शेष	**3,959,051**	3,959,051
		जोड़िये / घटाइयेः वर्ष के दौरान	-	-
		वर्ष के अन्त मे शेष	**3,959,051**	**3,959,051**
	सी.	**अतिरेक**		
		वर्ष के प्रारम्भ में शेष	2,248,393,744	2,020,044,751
		जोड़िये / घटाइयेः वर्ष हेतु लाभ / (हानि)	329,523,770	**228,348,993**
		विनियोजन के लिये उपलब्ध लाभ	**2,577,917,514**	**2,248,393,744**
		विनियोजन :		
		अन्तिम लाभांश 2019–20*	12,941,078	
		अन्तरिम लाभांश पर निगम लाभांश कर		
			12,941,078	
		वर्ष के अन्त में शेष	**2,564,976,436**	**2,248,393,744**
	डी	**सहायता अनुदान**		
		सोलर पार्क भाडला चरण–द्वितीय के लिये सहायता अनुदान		
		कुल योग (ए+बी+सी)	**2,572,453,525**	**2,255,870,833**

* 19.11.2020 को सम्पन्न हुई अपनी 111वीं बैठक में मण्डल द्वारा लिये गये निर्णय की अनुपालना में, कम्पनी ने वित्त 2019–20 के लिये प्रदत्त पूंजी के 10 प्रतिशत की दर से चालू वित्तीय वर्ष में अंतिम लाभांश का भुगतान किया है।

राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड जयपुर

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिये समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां *(राशि रूपयों में)*

		विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
टिप्पणी	4	दीर्घावधि उधार राशियां		
	ए	सूरक्षित ऋण		
	ए.i	सावधि ऋण बैंकों से	शून्य	शून्य
	ए.ii	वित्तीय पट्टा प्रतिबद्धताओ की दीर्घावधि परिपक्वतायें		
		योग (ए)	-	-
	बी	असूरक्षित ऋण		
	बी.i	सावधि ऋण अन्य पक्षकारों से	शून्य	शून्य
		योग (बी)	-	-
		कुल योग (ए+बी)	-	-
टिप्पणी	**5**	**आस्थगित कर दायित्व (शुद्ध)**		
	ए	**मूल्य ह्रास व्यय**		
		प्रारम्भिक शेष	191,592,469	213,863,576
		जोडियेः चालू वर्ष के दायित्व	12,672,884	10,421,929
		घटाइयेः चालू वर्ष की आस्तियां	(12,129,070)	(32,693,036)
		अन्तिम **शेष (ए)**	**192,136,284**	**191,592,469**
	बी	**परिशोधन व्यय**		
		प्रारम्भिक शेष	-	-
		जोडियेः चालू वर्ष के दायित्व	-	-
		घटाइयेः चालू वर्ष की आस्तियां	-	-
		अन्तिम शेष (बी)	-	-
		योग (ए+बी)	**192,136,284**	**191,592,469**
		आस्थगित कर दायित्व–शुद्ध	192,136,284	191,592,469
टिप्पणी	**6**	**अन्य दीर्घावधि दायित्व**		
		अन्य		
	ए	अग्रिम धन राशि निक्षेप	2,882,829	2,882,829
	बी	प्रतिभूति निक्षेप	808,315,020	628,021,636
	सी	अन्य	6,433,775,944	2,823,322,103
	डी	सहायता अनुदान	387,356,315	398,486,367
			7,632,330,108	**3,852,712,936**
टिप्पणी	7	**व्यापारिक देयतायें**		
	ए	संचालन एवं रख–रखाव देयतायें	79,397,009	56,556,066
	बी	विद्युत क्रय के लिये देयतायें	67,525,553	66,930,076

सी	अन्य देयतायें–व्यय	20,033,195	11,742,129
		166,955,756	**135,228,271**

टिप्पणी	8	**अन्य चालू दायित्व**		
	ए	दीर्घावधि ऋण की चालू परिपक्वतायें		
		योग (ए)	-	-
	बी	वित्तीय पट्टा प्रतिबद्धताओं की चालू परिपक्वतायें		
		योग (बी)	-	-
	सी	उधार राशियों पर ब्याज प्रोद्भूत परन्तु देय नहीं		
		आपूर्तिकर्त्ता क्रेडिट (फलोदी) देयता खाते पर ब्याज	**2197104.00**	2197104.00
		योग (सी)	**2,197,104.00**	**2,197,104.00**
	डी	**अन्य देयतायें**		
	ए.	अग्रिम धन राशि निक्षेप	87,857,032	92,705,899
	बी.	प्रतिभूति निक्षेप	334,816,966	392,630,243
	सी.	अनुदान हेतु प्राप्तियां	190,141,888	305,290,579
	डी.	कर्मचारीवृन्द एवं निधियों की अन्य देयतायें	122,528,259	193,191,779
	ई	सहायता अनुदान	11,130,052	11,130,052
		योग (डी)	**746,474,197**	**994,948,551**
		कुल योग	**748,671,301**	**997,145,655**

टिप्पणी	9	**अल्पावधि प्रावधान**		
		अन्य		
	ए	कर्मचारी हितलाभ के लिये प्रावधान	1,108,214	2,434,745
	बी	अन्य को देय अंशदान	2,381,909	3,373,060
	सी	देय वैधानिक दायित्व	5,209,689	26,823,634
	डी	आय कर हेतु प्रावधान	116,080,039	108,859,375
	ई	अन्य प्रावधान–व्यय	406,088,054	70,730,112
			530,867,905	**212,220,926**

राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड

31 मार्च, 2021 को समेकित तुलन–पत्र की टिप्पणियां एवं अभिन्न अंग

टिप्पणी संख्या 10

स्थिर आस्तियों की अनुसूची

(राशि रूपयों में) (राशि रूपयों में)

विवरण	सकल समूह					मूल्यह्रास एवं परिशोधन				शुद्ध समूह	
	प्रारम्भिक शेष	अभिवृद्धियां	कटौतियां/ निवृत्ति	अन्य समायोजन	अन्तिम शेष	प्रारम्भिक शेष	मूल्यह्रास प्रभार	अन्य समायोजन	अन्तिम शेष	अन्तिम शेष	प्रारम्भिक शेष
मूर्त आस्तियां											
पूर्ण स्वामित्व भूमि	24,038,381	-		-	**24,038,381**	-	-	-	-	**24,038,381**	**24,038,381**
पट्टाधृत भूमि	5,057,581	-	-		**5,057,581**	3,407,741	**189,127**	-	**3,596,868**	**1,460,713**	**1,649,840**
भवन (पूर्ण स्वामित्व)	60,530,986	558,680	283,117		**60,806,549**	28,114,009	**2,596,557**	-	**30,710,567**	**30,095,980**	**32,416,975**
संयंत्र एवं उपकरण	2,172,993,960	476,801	271,968		**2,173,198,793**	1,698,471,191	**56,949,227**	(32,538)	**1,755,387,881**	**417,810,911**	**474,522,769**
वाहन (पूर्ण स्वामित्व)	7,504,943	-			**7,504,943**	3,117,041	**600,836**	-	**3,717,877**	**3,787,066**	**4,387,902**
अस्थायी संरचना (गार्ड रूम)	39,500	-			**39,500**	14,564	**12,508**	-	**27,073**	**12,427**	**24,936**
फर्नीचर एवं फिक्सचर (पूर्ण स्वामित्व)	8,025,341	109,200			**8,134,541**	6,001,825	**601,602**	-	**6,603,427**	**1,531,114**	**2,023,515**
कार्यालय उपकरण	10,510,543	233,230	-	-	**10,743,773**	9,164,185	**123,870**	(5,407)	**9,282,648**	**1,461,125**	**1,346,358**
योग	**2,288,701,235.00**	**1,377,911.18**	**555,085**	-	**2,289,524,061**	**1,748,290,556.42**	**61,122,258**	**(37,945)**	**1,809,326,339**	**480,197,719**	**540,410,676**
परिसीमा दीवार	330,000	-	-		**330,000**	32,670	10,890	-	**43,560**	**286,440**	**297,330**
योग	**330,000**	-	-	-	**330,000**	**32,670.00**	**10,890**	-	**43,560**	**286,440**	**297,330**
कुल योग	**2,289,031,235.00**	**1,377,911**	**555,085**	-	**2,289,854,061**	**1,748,323,226.42**	**61,133,148**	**(37,945)**	**1,809,369,899**	**480,484,159**	**540,708,006**
अमूर्त आस्तियां विज्ञापन के लिये डिस्क	**929,250.00**	-	-	-	929,250	**31,925**	176,558	-	208,483	720,768	**897,325**
कम्प्यूटर साफ्टवेयर	**2,156,841.00**	-	-	-	2,156,841	**2,009,913**	11,733	-	2,021,646	135,195	**146,928**
कम्प्यूटर साफ्टवेयर	**29,996.00**	-	-	-	29,996	**29,271**	-	-	29,271	725	**725**
योग	**3,116,087.00**	-	-	-	**3,116,087.00**	**2,071,108.90**	**188,290.50**	-	**2,259,399.40**	**856,687.60**	**1,044,978.10**

राजस्थान सोलर पार्क डवलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड
स्थिर आस्तियों की अनुसूची

	सकल समूह				मूल्य ह्रास/परिशोधन				शुद्ध समूह	
आस्तियों का विवरण	01.04.2019 को प्रारम्भिक शेष	वर्ष के दौरान अभिवृद्धियां	वर्ष के दौरान विक्रय/हस्तान्तरण/समायोजन	31.03.2020 को	01.04.2019 को प्रारम्भिक शेष	वर्ष के दौरान दिये गये	विक्रय पर समायोजन	31.03.2020 तक कुल	31.03.2020 को	31.03.2019 को
भूमि	97,788,019			97,788,019	4,955,027	987,758		5,942,784	91,845,235	92,832,992
नोख पर भूमि 1509.2 हैक्टेयर	402,171,418			402,171,418	3,884,263	4,062,338		7,946,601	394,224,817	398,287,155
भूमि	91,889,037			91,889,037	211,063	928,172		1,139,235	90,749,802	91,677,974
220 किलोवाट जीएसएस	966,027,182			966,027,182	206,228,754	54,857,447		261,086,200	704,940,982	759,798,428
220 केवी एवं 132 केवी प्रसारण लाइन	148,239,616			148,239,616	31,645,785	8,418,075		40,063,860	108,175,757	116,593,831
11 किलोवाट 3 फेज प्रत्यक्ष फीडर 13.60 कि मी	4,413,661			4,413,661	1,140,592	236,316		1,376,908	3,036,753	3,273,069
प्लाटों का सर्वेक्षण (चरण-द्वितीय में पिलर)	3,811,412			3,811,412	3,639,623	-		3,639,623	171,789	171,789
सीसीटीवी मोनिटरिंग सिस्टम	986,796			986,796	324,892	119,805		444,697	542,099	661,904
सड़क	151,290,000			151,290,000	77,934,910	33,061,139		110,996,049	40,293,951	73,355,090
भवन एवं अतिथि गृह	39,994,000			39,994,000	2,429,958	1,829,369		4,259,327	35,734,673	37,564,042
जल आपूर्ति प्रणाली	82,682,438			82,682,438	10,152,961	6,890,300		17,043,261	65,639,177	72,529,477
एलईडी	78,000			78,000	59,657	11,585		71,243	6,757	18,343
वाटर कूलर	41,000			41,000	35,436	3,515		38,950	2,050	5,564
कम्प्यूटर एवं लैपटॉप	96,800			96,800	83,663	8,298		91,961	4,839	13,137
प्रिंटर	12,000			12,000	10,371	1,029		11,400	600	1,629
ईवीटी मीटर पाटला	2,625,303			2,625,303	320,293	596,767		917,060	1,708,243	2,305,010
योग (ए)	**1,992,146,682**	**-**	**-**	**1,992,146,682**	**343,057,247**	**112,011,910**	**-**	**455,069,158**	**1,537,077,525**	**1,649,089,435**
प्रगतिरत कार्य पूंजी										
प्रगतिरत कार्य पूंजी नोख		40,043,665							40,043,665	-
प्रगतिरत कार्य पूंजी	4,037,480	412,763	4,450,243	-				-	-	-
योग (बी)	**4,037,480**	**412,763**	**4,450,243**	-	**-**	**-**	**-**	**-**	**40,043,665**	**-**
सर्वयोग (ए+बी)	**1,996,184,162**	**412,763**	**4,450,243**	**1,992,146,682**	**343,057,247**	**112,011,910**	**-**	**455,069,158**	**1,577,121,190**	**1,649,089,435**

राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड

31 मार्च, 2021 को समेकित तुलन–पत्र की टिप्पणियां एवं अभिन्न अंग

टिप्पणी 11

गैर–चालू निवेश

(राशि रूपयों में)

विवरण	निम्न वर्ष को शेष		निकाय का नाम	सहायक / सहबद्ध निगम / संयुक्त उद्यम / नियंत्रित सत्ता / अन्य	अंकित मूल्य	अंशों / इकाइयों की संख्या		अंशतः प्रदत्त / पूर्ण प्रदत्त	धारिता की सीमा (%)	क्या लागत पर कथित	यदि लागत के अतिरिक्त मूल्यांकित है तो मूल्यांकन का आधार निर्दिष्ट करे	
	2020-21	2019-20				2020-21	2019-20			हाँ / नहीं	2020-21	2019-20
अन्य निवेश												
इक्विटी लेख–पत्रो में निवेश	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	लागू नहीं	लागू नहीं
अनुदधृत निवेशो का समुच्चय (ए)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उद्धृत निवेशो का समुच्चय (बी)	शून्य	शून्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल योग (ए+बी)	-	-			-	-	-					

राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड, जयपुर
31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिये समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

(राशि रुपयों में)

		विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
टिप्पणी	12	दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिम		
		असुरक्षित, अच्छे माने गये		
		अग्रिम पूंजी	139,612,342.00	139,612,342.00
		प्रतिभूति निक्षेप	3,755,591	3,755,591
			143,367,933	**143,367,933**
टिप्पणी	13	अन्य गैर–चालू आस्तिया		
		प्रतिभूति निक्षेप		
			-	-
टिप्पणी	14	व्यापारिक प्राप्तियां (असुरक्षित)		
		छः माह से अधिक की बकाया		
		– अच्छे माने गये	604	88,308,377
		– संदेहास्पद माने गये	-	-
			604	**88,308,377**
		अन्य		
		– अच्छे माने गये	440,620,110	338,823,324
		– संदेहास्पद माने गये		
			440,620,110	**338,823,324**
			440,620,714	**427,131,700**
टिप्पणी	15	नकद एवं नकद समतुल्य		
	(ए)	हस्तगत नकद	-	-
	(बी)	**बैंकों में शेष**		
		चालू खातें में	815,994,257	1,634,832,745
		चिन्हित निधि के लिये पीडी खातें में शेष	1,479,379,893	944,333,314
		स्थायी जमा खातों में	6,325,668,107	1,622,841,599
			8,621,042,257	**4,202,007,658**

टिप्पणी 16 अल्पावधि ऋण एवं अग्रिम

संबंधित पक्षकारों को ऋण एवं अग्रिम				
असुरक्षित, अच्छे माने गये			-	-
अन्य				
सुरक्षित, अच्छे माने गये				
अन्य	14,980,159	17,620,443		
घटाइये: डूबत एवं संदेहास्पद ऋणों के लिये प्रावधान	-	(1,104,560)	14,980,159	16,515,883
आय कर अग्रिम, आय कर की स्त्रोत पर कटौती एवं प्रतिदाय योग्य			497,029,805	601,125,292
			616,105,451	**518,462,481**

			किसी भी अवधि के दौरान अधिकतम राशि	
				चालू अवधि
ऐसी कम्पनियों द्वारा देय जिनमें कम्पनी के निदेशकों में से एक निदेशक या सदस्य है		-	-	-
ऐसे पक्षकारों द्वारा देय जिसमें कम्पनी के निदेशक (निदेशकों) का हित है		-		-

टिप्पणी 17 अन्य चालू आस्तियां

अनुदान	1,838,420	7,995,851		
घटाइये: डूबत एवं संदेहास्पद ऋणों के लिये प्रावधान		(6,157,430)	1,838,420	1,838,421
अनुदानों के तहत् अग्रिम	13,744,575	15,603,664		
घटाइये: डूबत एवं संदेहास्पद ऋणों के लिये प्रावधान		(1,101,794)	13,744,575	14,501,870
निश्चित कोष	-		-	-
अन्य	77,644,274	276,037,701		
घटाइये: डूबत एवं संदेहास्पद ऋणों के लिये प्रावधान		(8,314)	77,644,274	276,029,388
			93,227,269	**292,369,678**

राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड, जयपुर

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिये lesfसमेकित लाभ एवं हानि विवरण का हिस्सा एवं टिप्पणियां

	विवरण	2019-2020	2018-2019
18	संचालन से आय		
	उत्पाद का विक्रय	934,525,144	974,341,569
	सेवाओं का विक्रय	332,349,055	311,381,515
	संचालन आय (विक्रय)	1,824,074	1,801,459
		1,268,698,273	**1,287,524,543**
19	अन्य आय		
	ब्याज से आय	273,022,471	162,119,965
	अन्य गैर संचालन प्राप्तियां		
	विविध आय	308,000	8,471,231
	प्राप्त अभिवृद्धि शुल्क	1,262,200	82,200
	दण्ड की वसूली	572,326	98,483,107
	अन्य आय	75,367,419	25,097,908
	वैट वापसी	6,973,655	-
		357,506,071	**294,254,412**
20	क्रय		
	विद्युत का क्रय	761,679,197	752,581,574
		761,679,197	**752,581,574**
21	कर्मचारी कल्याण व्यय		
	वेतन एवं मजदूरी	86,140,402	87,339,423
	भविष्य निधि तथा अन्य कोष में अंशदान	2,382,985	7,556,607
	कर्मचारी लाभांश व्यय	917,011	1,246,219
	चिकित्सा व्यय का पुनर्भुगतान	138,540	105,096
		89,578,938	**96,247,345**
22	वित्तीय व्यय		
	पीएफसी 25 मेगावाट विंड फार्म जैसलमेर को पट्टा किराया	-	5,250,279
	अन्य उधार राशि की लागत	-	-
		-	**5,250,279**
23	अन्य व्यय		
	भूमि पट्टा किराया	1,529,065	1,529,065
	निरीक्षण प्रभार		660,000
	संचालन एवं रख–रखाव व्यय	25,158,406	28,058,187
	वाहन एवं पेट्रोल व्यय	349,011	683,959
	मरम्मत एवं रख–रखाव व्यय	422,610	9,000
	बीमा	2,282,603	2,360,779
	ब्याज व्यय	-	30,258,290
	यात्रा व्यय	3,223,461	2,622,403
	टेलीफोन एवं मोबाइल व्यय	542,909	713,650
	पूर्व अवधि के व्यय	532,057	139,138
	राज्य नवीनीकरण कोष (आरआरईसीएल) खाता	2,000,000	2,000,000

अन्य व्यय	21,671,851	19,235,742
अंकेक्षण शुल्क खाता	211,000	211,750
जीएसटी अंकेक्षण शुल्क	-	88,500
टैक्स अंकेक्षण शुल्क	30,000	30,000
आन्तरिक अंकेक्षण शुल्क	25,000	25,000
अंकेक्षकों को वाहन व्यय का पुनर्भरण	35,000	35,000
विद्युत प्रभार (मुख्यालय) खाता	722,792	930,394
विद्युत प्रभार	1,899,766	638,822
जल प्रभार		43,871
विद्युत प्रभार मथानिया खाता		1,376
किराया, दर एवं कर	348,585	310,879
कानूनी, व्यावसायिक एवं परामर्श प्रभार खाता	4,792,374	5,572,840
प्रचार एवं विज्ञापन	1,808,191	7,132,459
बैंक एवं अन्य प्रभार	-	5,643,153
जन शक्ति आपूर्ति भाडला	2,216,872	1,964,452
मीटरिंग प्रभार		1,824,940
ओएण्डएम प्रभार जीएसएस	21,635,200	19,889,953
पथ प्रकाश प्रभार भाडला चरण–प्रथम		7,751,331
प्रदत्त सेवा कर		1,312,727
राज्य नवीकरणीय कोष (आरएसडीसीएल)	10,000	40,000
रिसर्जेन्ट राजस्थान समिट	51,000,000	
अनुसूची एवं अनुमान व्यय	572,040	572,035
सीएसआर व्यय	4,650,000	9,200,000
	147,668,793	**151,489,694**

24 अपवादात्मक मदें

वैट की वापसी		
भाडला वाणिज्यिक विकास बाध्यता के लिये ब्याज व्यय	512,420	597,791
मुख्य मंत्री सहायता कोष	-	-
सीएसआर व्यय	1,914,000	4,275,200
	2,426,420	**4,872,991**

25 चालू कर

वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिये चालू आय कर का प्रावधान	121,257,840	-
वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिये चालू आय कर का प्रावधान	-	108,859,375
	121,257,840	**108,859,375**

26 आस्थगित कर

आस्थगित कर	543,814	(22,271,107)
	543,814	**(22,271,107)**

राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड जयपुर

टिप्पणी 1

31 मार्च, 2021 को समेकित लेखों पर महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

1. **समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिये आधार**

वित्तीय विवरण को कम्पनी अधिनियम, 2013 के संबंधित प्रावधानों के अधीन अधिसूचित लेखा मानकों सहित भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धान्तों के आधार पर तैयार किये गये है।

2. **समेकन के सिद्धान्त**

समेकित वित्तीय विवरण राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड (कम्पनी) एवं इसकी समनुषंगी कम्पनियां, सहयुक्त एवं संयुक्त उद्यमों से संबंधित है। समेकिल वित्तीय विवरणों को निम्नलिखित आधार पर तैयार किया गया है।

(ए) कम्पनी एवं इसकी समनुषंगी कम्पनियों के वित्तीय विवरण लेखा मानक (एएस) 21– "समेकित वित्तीय विवरण" के अनुसार अन्तर्समूह शेषों एवं अन्तर्समूह व्यवहारों को पूर्णतः छोड़कर आस्तियों, दायित्वों, आय एवं व्यय की समान मदों की पुस्तक मूल्य को जोड़कर संयुक्त आधार पर प्रस्तुत/तैयार किया गया है।

(बी) जहां तक संभव हो सका, समेकित वित्तीय विवरणों को समान संव्यवहारों एवं समान परिस्थितियों में अन्य घटनाओं के लिये समान लेखा नीति का उपयोग करते हुये तैयार किया गया है एवं इन्हें कम्पनी के पृथक वित्तीय विवरणों के अनुसार समान रीति से प्रस्तुत किया गया है।

3. **अन्य महत्वपूर्ण लेखा नीतियां**

कम्पनी के पृथक वित्तीय विवरणों में जैसा दिया गया है इनका "महत्वपूर्ण लेखा नीतियों" के अन्तर्गत ब्यौरा दिया गया है।

(ए) **वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिये आधार**

वित्तीय विवरण को कम्पनी अधिनियम, 2013 के संबंधित प्रावधानों एवं भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धान्तों के अनुसार साथ ही भारत की चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस संस्था द्वारा जारी किये गये लेखा मानकों के अनुसार, चालू समुत्थान के आधार पर जब तक अन्यथा न कहा जाए, लेखा के प्रोद्भवन के आधार पर ऐतिहासिक लागत परम्परा के अन्तर्गत तैयार किये जाते है।

(बी) **आय और व्यय की मान्यता**

(i) **विक्रय/क्रय**

(ए) कम्पनी अपनी पवन/सौर ऊर्जा परियोजनाओं से उत्पादित विद्युत की प्राप्तियों को मान्यता संयुक्त मीटर पठन रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान पॉवर प्रोक्योरमेंट

सेन्टर (आरपीपीसी) को करती है। विक्रय बिल आरपीपीसी के साथ निष्पादित पावर क्रय करार के अनुसार प्रस्तुत किए जाते है।

(बी) कम्पनी राजस्थान पॉवर प्रोक्योरमेंट सेन्टर (आरपीपीसी) से निष्पादित ऊर्जा विक्रय समझौते के अनुसार तथा ऊर्जा उत्पादकों के साथ निष्पादित ऊर्जा क्रय समझौते के अनुसार विद्युत विक्रय एवं क्रय प्राप्तियां को मान्यता देती है। विक्रय बिल आरपीपीसी के साथ निष्पादित पावर क्रय करार के अनुसार प्रस्तुत किए जाते है।

(सी) कम्पनी यथा उपलब्ध कार्बन वित्तीय प्रपत्रों/सीईआर का भी मान्यता प्राप्त एक्सचेंज पर विक्रय की प्राप्तियों को मान्यता देती है परन्तु यह व्यापारी की तरह व्यवहार नहीं करती है।

(सी) आय और व्यय की अन्य मदें

कम्पनी लेखांकन की व्यापारिक पद्धति का अनुसरण करती है और आय एवं व्यय के प्रोद्भवन के आधार पर मान्य करती है। समस्त आय/व्यय वित्तीय विवरणों पर तात्विक रूप से भारित होने के कारण निम्नलिखित के अतिरिक्त सभी को प्रोद्भवन के आधार पर मान्यता दी जाती है:—

(ए) आवेदन/प्रसंस्करण/पंजीयन/विस्तारण शुल्क/भूमि पहचान/प्रत्यायन शुल्क जिसमें विस्तारण शुल्क शामिल है, को उस वर्ष, जिसमें वह वस्तुतः प्राप्त की गई है, के लिए आय के रूप में मान्यता दी जाती है।

(बी) परिनिर्धारित नुकसानी/शास्ति

परिनिर्धारित नुकसानी/शास्ति/न्यून शक्ति मशीन उपलब्धता/ उत्पादन पर क्षति आदि यदि कोई हो, को उस वर्ष जिसमें वसूली की जाती है, में लेखाबद्ध किया जाता है।

(सी) विद्युत विक्रय के प्रति जारी किये गये बिलों के विलम्बित भुगतान के कारण अधिभार विलम्ब भुगतान अधिभार को उस वर्ष, जिसमें वह वस्तुतः प्राप्त किया गया है, के लिए आय के रूप में मान्यता दी जाती है।

उपरोक्त 'ए', 'बी' एवं 'सी' के लिये लेखा मानक—1 के खण्ड 17(ए) के अनुसार 'विवेक' की अपेक्षा है कि अनिश्चित भावी घटना/लाभों का पहले से विचार नहीं किया जाये परन्तु जब साकार हो जावे यद्यपि यह आवश्यक नहीं है कि नकद में ही हो, तब ही मान्यता दी जावें। अतः कम्पनी उन्हें रोकड़ आधार पर ज्ञात करती है।

(डी) भारत सरकार पदोन्नति स्कीम की तहत् एमएनआरई से सेवा प्रभारः प्राप्त सेवा प्रभारों को नकद आधार पर लेखाबद्ध किया जाता है।

(ई) संचालन और संधारण व्यय संबंधित समझौतों के अनुसार निर्धारित दरों के आधार पर प्रावधि किये गये है।

(डी) **स्थिर आस्तियां एवं मूल्य ह्रास**

(i) स्थिर आस्तियां :

स्थिर आस्तियों को उनकी अधिग्रहण लागत में से संचित मूल्य ह्रास को कम करके दर्शाया जाता है। लागत में आस्ति के लिये प्राप्त कोई विशेष अनुदान को कम करके आस्तियों को इनकी वर्तमान स्थिति एवं स्थान पर लाने के लिये सभी उपगत व्यय शामिल है।

प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना में 10/20 किलोवाट के एकल पावर प्लाण्टों की स्थापना के लिए राज्य सरकार प्लाण्ट की कार्यशील अवधि के लिए पट्टे पर भूमि का निशुल्क आवंटन करती है। तथापि, राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार मुफ्त उपलब्ध करवाई गई भूमि एवं संयंत्रों को नाममात्र के मूल्य रूपये 1/– प्रति संयंत्र तथा रूपये 1/– प्रति भूखण्ड के अनुसार दर्शाया गया है। इस सीमा तक पूंजी आरक्षित कोष बनाया गया है। इन संयंत्रों की स्थापना एवं भूमि का रिकार्ड कम्पनी के पास उपलब्ध है।

(ii) मूल्य ह्रास

i) पवन फार्म परियोजनायें

जैसलमेर के वर्ष 2004–05 के दौरान पूंजीकृत 25 मेगावाट पवन फार्म पर मूल्य ह्रास पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन (पीएफसी) के साथ निष्पादित पट्टा करार के अनुसार 1 प्रतिशत सेल्वेज मूल्य का विचार करते हुये 15 वर्ष की पट्टा अवधि में अपलिखित करने के लिये 6.60 प्रतिशत की दर से किया गया है एवं भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस संस्था द्वारा जारी किये गये लेखा मानक 19 के अनुसार 25 मेगावाट की पट्टाधृत भूमि, भवन एवं सड़क पर मूल्य ह्रास 20 वर्ष का कार्यकाल विचारित करते हुये सरल रेखा विधि से 4.95 प्रतिशत की दर से किया गया है एवं पट्टाधृत भूमि हेतु लिये गये कार्यकाल से मिलान करते हुये 1 प्रतिशत सेल्वेज मूल्य लिया है।

परियोजना के 20 वर्ष के कार्यकाल को विचारित करते हुये पट्टाधृत भूमि पर मूल्य ह्रास सरल रेखा विधि से प्रभारित किया गया है एवं यद्यपि पट्टा 99 वर्ष के लिये स्वीकृत किया गया है परन्तु 20 वर्ष के अन्त में 1 प्रतिशत सेल्वेज मूल्य निर्धारित किया गया है। अब 15 वर्ष की पट्टा अवधि वित्त 2020–21 में पूर्ण हो गयी है और संयंत्र एवं मशीनरी को इसके सेल्वेज मूल्य पर दर्शाया गया है।

ii) सोलर ऊर्जा परियोजना

एक मेगावाट फागी प्लाण्ट पर मूल्य ह्रास 10 प्रतिशत स्क्रेप मूल्य के साथ 25 वर्षों में ह्रास योग्य है, प्लाण्ट का भवन (सीमा दीवार) भी बिना किसी सेल्वेज मूल्य के 25 वर्षों में ह्रास योग्य है। अग्रतर, इस प्लाण्ट के उपयोग में 30 वर्ष की पट्टा अवधि वाली भूमि का 30 वर्ष में परिशोधन होगा।

iii) अन्य स्थिर आस्तियां एवं अमूर्त आस्तियां

अन्य स्थिर आस्तियों पर मूल्य ह्रास कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची – द्वितीय के अधीन विहित रीति एवं दर पर सरल रेखा विधि से प्रभारित किया गया है।

(ई) सहायता अनुदान

i) <u>प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना अनुदान</u> :

प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के अन्तर्गत प्राप्त सहायता अनुदान को, अनुदान के माध्यम से सृजित संबंधित आस्तियों की लागत में से कम किया गया है/समायोजन किया गया है। अनुदान की उपयोग नहीं की गयी राशि को अनुगामी वर्षों में उपयोग करने के लिये आगे लाया गया है एवं तुलन–पत्र में "चालू दायित्व" के शीर्ष के अन्तर्गत दर्शाया गया है।

"प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना/अन्य अनुदान" से करायी गयी सावधि जमा पर उपार्जित/संचित ब्याज, यदि कोई हो, को विशिष्ट अनुदान खातें में क्रेडिट किया जाता है ना की राजस्व खातें में।

ii) <u>ग्राम विद्युतीकरण प्रोग्राम एवं दूरवर्ती गांव विद्युतीकरण प्रोग्राम के अन्तर्गत आर्थिक सहायता</u> :

ग्रामीण क्षेत्रों में डीएलएस/एसएलएस स्थापित करने के लिये गैर–पारम्परिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय (एमएनईएस) एवं राज्य सरकार आर्थिक सहायता देती है। सिस्टम के आपूर्तिकर्त्ताओं को आर्थिक सहायता आरआरईसी के माध्यम से दी जाती है जिसमें ऐसे कार्यों के लिये आरआरईसी यथा नोडल एजेंसी के कार्य करता है।

iii) <u>प्रशासनिक एवं कर्मचारीवृन्द लागत के तहत् अनुदान</u> :

वर्ष के दौरान प्रशासनिक एवं कर्मचारीवृन्द लागत के तहत् राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान, यदि कोई हो, को यथा वर्ष की आय के मान्यता दी जाती है। तथापि, इस वर्ष में ऐसा कोई अनुदान प्राप्त नहीं हुआ है।

(एफ) ऊर्जा परियोजना पर/से आय/व्ययों के पूंजीकरण का आधार

ऊर्जा परियोजनाओं के सफलतापूर्वक पूर्ण होने, निर्माण, कमीशनिंग एवं ग्रिड से जुड़ जाने पर उनका प्रारम्भण विचारित किया जाता है। इस दिनांक तक परियोजना पर किए गए समस्त व्ययों को आय से कम करते हुए पूंजीकृत किया गया है।

पवन ऊर्जा टरबान्इस को ग्रिड के साथ जोड़ने पर संबंधित वितरण कम्पनी के अधिकारियों द्वारा स्थापना प्रमाण–पत्र जारी किया जाता है। इसके बाद तुरन्त ही इकाई प्रारम्भ की गई तथा ग्रिड चालू हो गई जिसके भुगतान का बिल बना तथा प्राप्त किया गया। अतः स्थापना प्रमाण–पत्र प्राप्त होने की दिनांक को स्थापना दिनांक मान इसे ही व्यावसायिक उत्पादन की दिनांक भी माना जाता है।

(जी) सेवानिवृत्ति लाभ/कर्मचारी लाभ

कम्पनी ने भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस संख्या द्वारा विहित लेखा मानक–15 (संशोधित) की पालना में सेवानिवृत्ति पर आरआरईसीएल के योग्य कर्मचारियों की ''ग्रेच्यूटी'' एवं 'अवकाश नकदीकरण''के लाभों के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम (एल.आई.सी.) से पॉलिसी ले रखी है। वैधानिक दायित्वों से संबंधित दायित्व को जीवन बीमा निगम के स्वतंत्र बीमांकक द्वारा की गयी बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर लेखाबद्ध किया जाता है तथा प्रदत्त अंशदान लाभ–हानि खातें में लिखा जाता है।

(एच) आय पर करों हेतु लेखांकन

आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 115 जेएए के अधीन न्यूनतम वैकल्पिक कर क्रेडिट एवं धारा 115 जेबी के अधीन न्यूनतम वैकल्पिक कर के प्रावधान को ध्यान में रखते हुये साथ ही आय कर अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत वर्ष हेतु देयकर के आधार पर चालू कर के लिये प्रावधान किया जाता है।

आस्तियों एवं दायित्वों की वहन राशि एवं उनके संबंधित कर आधार एवं तुलन–पत्र की दिनांक को आगे लाई गयी हानियां, यदि कोई हो, के मध्य समय अन्तराल के परिणामी भावी कर के लिये आस्थगित कर आस्तियों एवं दायित्वों को विवेकपूर्ण आधार पर मान्यता दी जाती है। भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्था द्वारा विहित लेखा मानक– 22 के अनुसार, तुलन–पत्र की दिनांक को अधिनियमित या मूलतः अधिनियमित कर कानूनों एवं कर दरों का उपयोग करते हुये आस्थगित कर आस्तियों एवं दायित्वों को मापा जाता है। आस्थगित कर आस्तियों एवं दायित्वों में परिवर्तनों के प्रभाव को लाभ व हानि खाता में मान्यता दी जाती है।

(आई) इन्वेन्ट्री का मूल्यांकन

कम्पनी सामग्री के क्रय और विक्रय का संव्यवहार नहीं करती है। कार्बन वित्तीय प्रपत्रों (सीएफआई या सीईआर) का मूल्यांकन स्व उत्पादित प्रमाणित उत्सर्जन में कटौती के लिये लेखांकन पर मार्गदर्शन नोट के एक्सपोजर के अनुसार किया गया है। अग्रतर, ईडी के अनुसार क्योंकि ऐसी आस्तियां लेखा मानक 2 के अन्तर्गत शब्द ''इन्वेन्ट्री'' की दी गई परिभाषा को पूरा करती है, अतः तद्नुसार निरन्तर लागत पर

या बाजार मूल्य, जो भी कम हो, पर मूल्यांकित की जाती है, तथापि वर्ष के दौरान ऐसे कोई संव्यवहार नहीं है।

(जे) नकद प्रवाह विवरण

भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस संस्था द्वारा विहित लेखा मानक--3 के अनुसार नकद प्रवाह विवरण को अप्रत्यक्ष विधि का उपयोग करते हुये तैयार किया जाता है।

(के) आस्तियों का क्षरण

आस्तियों का क्षरण उसी समय मान्य किया जाता है जब इन आस्तियों के क्षरण का संकेत मिलता है। इस संकेत के आधार पर आस्तियों की वसूल की जा सकने योग्य राशि का अनुमान लगाया जाता है और यदि अनुमानित राशि आस्ति की वहन राशि से कम होती है तो वहन राशि को इसकी वसूली योग्य राशि तक कम कर दिया जाता है। यह कटौती क्षरण हानि मानी जाती है एवं लाभ--हानि खाते में दर्शायी जाती है। यदि तुलन--पत्र की तिथि को यह संकेत है कि पूर्व निर्धारित क्षरण हानि वर्तमान में नहीं है तो वसूली योग्य राशि पुनर्मूल्यांकित की जाती है तथा आस्ति ह्रास योग्य ऐतिहासिक लागत के अधिकतम के अधीन वसूली योग्य राशि से दर्शाई जाती है, तथापि वर्ष के दौरान ऐसा कोई संव्यवहार रिकार्ड नहीं किया गया है।

(एल) पट्टे (आस्थगित भुगतान शर्तों के अन्तर्गत अर्जित आस्तियों सहित)

वित्तीय पट्टों के अन्तर्गत अर्जित आस्तियों को पट्टे के प्रारम्भ में पट्टेदार आस्तियों के वास्तविक भुगतान मूल्य पर पूंजीकृत किया जाता है एवं स्थिर आस्तियों में शामिल किया जाता है। ऐसी आस्तियों के लिये कम्पनी की मूल्य ह्रास नीति के अनुसार इन आस्तियों का मूल्य ह्रास किया जाता है।

(एम) उधार राशियों की लागतें

अर्हक आस्तियों के निर्माण या अधिग्रहण पर आरोप्य ऋण लागतों को उस आस्ति की लागत के यथा अंश के पूंजीकृत किया जाता है। एक अर्हक आस्ति वह है जो इसके अभीष्ट प्रयोग के लिये तैयार होने में आवश्यक रूप से काफी समय लेती है। अन्य सभी ऋण लागतों को उस अवधि में जिसमें यह उपगत होती है, यथा व्यय के मान्यता दी जाती है एवं लाभ व हानि खातें में प्रभारित किया जाता है। वर्ष के दौरान कम्पनी द्वारा ऐसी कोई लागत उपगत नहीं की गयी है।

(एन) प्रति अंश अर्जन

भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस संस्था द्वारा जारी किये गये लेखा मानक--20 के अनुसार, कम्पनी मूल प्रति अंश अर्जन की रिपोर्ट करती है। मूल प्रति अंश अर्जन की गणना वर्ष के दौरान बकाया साम्य अंशों की भारित औसत संख्या से वर्ष हेतु शुद्ध लाभ या हानि को विभाजित करके की जाती है। क्योंकि साम्य अंश में कोई संभव्य मन्दन नहीं है, अतः यह मूल प्रति अंश अर्जन के समतुल्य है।

(ओ) लागत अभिलेखें

कम्पनी अधिनियम के अधीन विहित लागत लेखांकन नियम के अनुसार, कम्पनी प्रत्येक संयंत्र के लिये पृथक लागत विवरणों का संधारण कर रही है।

(पी) प्रावधान, समाश्रित दायित्व एवं समाश्रित आस्तियां

पूर्व घटना के परिणामस्वरूप जब कम्पनी का वर्तमान दायित्व होता है तो प्रावधान को मान्यता दी जाती है, यह सम्भावना है कि दायित्वों के निपटारे के लिये आर्थिक लाभों को अंगीभूत किये हुये संसाधनों के बाह्य प्रवाहों की आवश्यकता होगी एवं दायित्व की राशि का एवं विश्वसनीय पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। उनके वर्तमान मूल्य पर प्रावधानों को घटाया नहीं जाता है और प्रतिवेदित दिनांक को दायित्व के निपटारे के लिये अपेक्षित उत्तम प्राक्कलन के आधार पर नियत किये जाते है। इन प्राक्कलनों का प्रत्येक प्रतिवेदित दिनांक को पुनर्विलोकन किया जाता है एवं चालू उत्तम प्राक्कलनों को दर्शाने के लिये समायोजित किये जाते है।
एक आकस्मिक देनदारी एक संभव दायित्व है जो पिछली घटनाओं से उत्पन्न होती है जिसके अस्तित्व की कम्पनी के नियंत्रण से परे किसी एक या अधिक अनिश्चित भावी घटनाओं के होने या नहीं होने से पुष्टि हो जायेगी या एक वर्तमान दायित्व जिसको स्वीकार नहीं किया गया है क्योंकि यह संभव नहीं है कि दायित्वों ने निपटारे के लिये बाह्य प्रवाहों की आवश्यकता होगी। एक आकस्मिक दायित्व अत्यन्त दुर्लभ मामलों में भी उत्पन्न होता है, जहां दायित्व है उसे मान्यता प्राप्त नहीं किया जा सकता है। क्योंकि इसे विश्वासपूर्वक नहीं मापा जा सकता है। कम्पनी ने आकस्मिक दायित्वों को मान्यता नहीं दी है। तथापि, वित्तीय विवरणों में पृथक से प्रकटीकरण किया गया है।

आकस्मिक आस्तियों को न तो मान्य किया गया है न ही वित्तीय विवरणों में प्रकट किया गया है।

राजस्थान सोलर पार्क डवलपमेन्ट कम्पनी

(ए) आय और व्यय की मान्यता

राजस्व को इस सीमा तक मान्यता दी जाती है कि यह संभाव्य है कि कम्पनी को आर्थिक लाभ प्राप्त होंगे और राजस्व को विश्वस्त रीति से मापा जा सके और इसकी वसूली की यथोचित निश्चितता विद्यमान हो।

1. कम्पनी द्वारा प्राप्त एक मुश्त पट्टा धनराशि, उप–पट्टा के माध्यम से भूमि उपयोग के प्रति है। एक मुश्त पट्टा धनराशि को सीधी रेखा आधार पर पट्टावधि पर लाभ व हानि विवरण में यथा आय मानयता दी जाती है। पट्टावधि के दौरान पट्टा धनरशि का विनियोजन परियोजना के प्रारम्भण और उप–पट्टा समझौता के पश्चात् किया जाता है।

2. भूमि पर सामान्य आधारभूत संरचना सुविधाओं जो कि सभी विकासकों के द्वारा उपयोग की जा सकती है, का विकास करने के लिये प्राप्त एक मुश्त विकास प्रभारों को सीधी रेखा आधार पर पट्टावधि पर लाभ व हानि विवरण में यथा

आय मानयता दी जाती है। पट्टावधि के दौरान विकास की लागत का विनियोजन परियोजना के प्रारम्भण और उप-पट्टा समझौता के पश्चात् किया जाता है।

3. भूमि उपयोग के लिये वार्षिक पट्टा किराया को जब भी यह प्रोदभूत होते है अन्तर्निहित पट्टा समझौतों के निबन्धन में मान्यता दी जाती है।

4. संचालन एवं संधारण प्रभारों को जब भी यह प्रोदभूत होते है अन्तर्निहित पट्टा समझौतों के निबन्धन में मान्यता दी जाती है।

5. सोलर पार्क भाडला चरण-द्वितीय के विकास के लिये एमएनआरई से प्राप्त सीएफए को लेखा मानक- 12 के अनुसार 40 वर्ष की अवधि पर आय के अन्तर्गत परिशोधित किया है।

6. बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं में जमा पर ब्याज-आय को बकाया राशि और प्रयोज्य दर को ध्यान में रखते हुये समयानुपात प्रोद्भवन आधार पर मान्यता दी जाती है।

7. जल आपूर्ति प्रणाली से आय को उपभोक्ता से पुष्टीकरण के पश्चात् प्राप्ति आधार पर मान्यता दी जाती है।

(बी) सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण

सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण को उनकी अधिगृहण लागत में से संचित मूल्य ह्रास को कम करके दर्शाया जाता है। लागत में आस्ति के लिये प्राप्त कोई विशेष अनुदान को कम करके आस्तियों को इनकी वर्तमान स्थिति एवं स्थान पर लाने के लिये सभी उपगत व्यय शामिल है।

सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण को निस्तारण पर या आस्ति के निरन्तर उपयोग से जब कोई भावी आर्थिक लाभ होना प्रत्याशित नहीं हो, अमान्य किया जाता है। सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की अमान्यता से होने वाले लाभों या हानियों को आस्ति की वहन राशि और शुद्ध निस्तारण प्रतिफल के अन्तर से मापा जाता है और जब आस्ति को अमान्य किया जाता है इन्हे लाभ व हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

(सी) मूल्य ह्रास एवं परिशोधन

सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण पर मूल्य ह्रास को कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची द्वितीय के अधीन निर्दिष्ट जीवन के आधार पर यथा विचारित की गयी उपयोगी जीवन के आधार पर प्राप्त की गयी दर का प्रयोग करते हुये अवलिखित मूल्य पर प्रभारित किया जाता है। आस्तियों के सभी ब्लाकों के लिये कम्पनी ने उपयोगी जीवन की समाप्ति पर आस्तियों की लागत के 5 प्रतिशत को यथा अवशिष्ट मूल्य प्राक्कलित किया है। वर्ष के दौरान अर्जित/विक्रीत आस्तियों पर मूल्य-ह्रास को अर्जन/विक्रय की दिनांक तक/से लाभ व हानि विवरण में आनुपातिक आधार पर मान्यता दी जाती है।

(ई) सेवानिवृत्ति लाभ/कर्मचारी लाभ

कम्पनी ने सेवानिवृत्ति पर ''ग्रेच्यूटी'' एवं 'अवकाश नकदीकरण'' के लाभों के लिए कोई पॉलिसी नहीं ले रखी है।

(एफ) आय पर करों हेतु लेखांकन

चालू आय कर को आकलित कर योग्य आय और प्रासंगिक कर कानूनों के प्रावधानों के अनुसार संगणित कर क्रेडिट के आधार पर और निर्धारणों/अपीलों के प्रत्याशित परिणाम के आधार पर निर्धारित किया जाता है। आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 115 जेएए के अधीन न्यूनतम वैकल्पिक कर क्रेडिट एवं धारा 115 जेबी के अधीन न्यूनतम वैकल्पिक कर के प्रावधान को ध्यान में रखते हुये इसका आकलनकिया जाता है।

आस्तियों एवं दायित्वों की वहन राशि एवं उनके संबंधित कर आधार एवं तुलन–पत्र की दिनांक को आगे लाई गयी हानियां, यदि कोई हो, के मध्य समय अन्तराल के परिणामी भावी कर के लिये आस्थगित कर आस्तियों एवं दायित्वों को विवेकपूर्ण आधार पर मान्यता दी जाती है। भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्था द्वारा विहित लेखा मानक– 22 के अनुसार, तुलन–पत्र की दिनांक को अधिनियमित या मूलतः अधिनियमित कर कानूनों एवं कर दरों का उपयोग करते हुये आस्थगित कर आस्तियों एवं दायित्वों को मापा जाता है। आस्थगित कर आस्तियों एवं दायित्वों में परिवर्तनों के प्रभाव को लाभ व हानि खाता में मान्यता दी जाती है।

(जी) नकद प्रवाह विवरण

भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस संस्था द्वारा विहित लेखा मानक–3 के अनुसार नकद प्रवाह विवरण को अप्रत्यक्ष विधि का उपयोग करते हुये तैयार किया जाता है।

(एच) आस्तियों का क्षरण

यदि आन्तरिक/ बाह्य कारकों के आधार पर क्षरण का कोई संकेत है तो प्रत्येक तुलन पत्र की तिथि पर आस्तियों की वहन राशि की समीक्षा की जाती है। जहां कहीं भी आस्ति की वहन राशि इसके वसूलीयोग्य मूल्य से अधिक हो जाती है तो क्षरण हानि को मान्यता दी जाती है। वसूलीयोग्य राशि आस्ति के शुद्ध विक्रय कीमत और प्रचलित मूल्य से अधिक है। प्रचलित मूल्य निर्धारण करने में, प्राक्कलित भावी रोकड़ प्रवाहों को पूर्व–कर छूट दर का प्रयोग करते हुये उनके वर्तमान मूल्य को कम किया जाता है जो कि मुद्रा के समयपरक मूल्य और आस्ति के विशिष्ट जोखिमों के वर्तमान बाजार मूल्यांकन को प्रतिबिंबित करता है। शुद्ध विक्रय कीमत के निर्धारण करने में, यदि उपलब्ध हो, तात्कालिक बाजार संव्यवहारों को ध्यान में रखा जाता है। यदि ऐसे किसी भी संव्यवहार को निश्चित नहीं किया जा सकता है तो यथोचित मूल्यांकन मॉडल का उपयोग किया जाता है।

क्षरण के प्श्चात्, इसके शेष उपयोगी जीवन पर आस्ति की संशोधित वहन राशि पर मूल्य ह्रास किया जाता हैं।

(आई) उधार राशियों की लागतें

उधार राशियों की लागत में ब्याज एवं उधार राशियों के प्रबंध करने के संबंध में की गयी सहायक लागतों का परिशोधन सम्मिलित है।

अर्हक आस्तियों के निर्माण या अधिग्रहण पर आरोप्य ऋण लागतों को उस आस्ति की लागत के यथा अंश के पूंजीकृत किया जाता है। एक अर्हक आस्ति वह है जो इसके अभीष्ट प्रयोग के लिये तैयार होने में आवश्यक रूप से काफी समय लेती है। अन्य सभी ऋण लागतों को उस अवधि में जिसमें यह उपगत होती है, यथा व्यय के मान्यता दी जाती है एवं लाभ व हानि राशि में प्रभारित किया जाता है।

(जे) प्रति अंश अर्जन

मूल प्रति अंश अर्जन की गणना वर्ष के दौरान बकाया साम्य अंशों की भारित औसत संख्या से वर्ष हेतु शुद्ध लाभ या हानि को विभाजित करके की जाती है। मन्दित प्रति अंश अर्जन की गणना सभी संभव्य मन्दन साम्य अंशों के प्रभावों हेतु यथा समायोजित वर्ष के दौरान बकाया साम्य अंशों की भारित औसत संख्या से वर्ष हेतु शुद्ध लाभ या हानि को विभाजित करके की जाती है।

(के) खण्ड रिपोर्टिंग

वर्तमान में निर्धारिती मुख्य रूप से केवल एक खण्ड अर्थात् सोलर पार्क का विकास एवं केवल एक ही भौगोलिक क्षेत्र में ही संचालन कर रहा है, अतः खण्ड रिपोर्टिंग की आवश्यकता नहीं है।

(एल) नकद एवं नकद समतुल्य

नकद प्रवाह विवरण में नकद एवं नकद समतुल्य में बैंक में और हस्त नकद, हस्तगत चैक, पारगमन में प्रेषित धन, तीन माह या उससे कम की मूल परिपक्वता वाली सावधि जमा और नकद क्रेडिट खाते में डेबिट शेष का समावेश है।

4. अतिरिक्त टिप्पणियां

4.1 कम्पनी भौतिक सामग्री के क्रय एवं विक्रय का संव्यवहार नहीं करती है।

तथापि, कम्पनी ने अपनी 5 पवन ऊर्जा परियोजनाओं से आज तक सीईआर की 179600 इकाईयां (सीएफआई की कुल 1796) (1 सीएफआई = 100 सीईआर के) निम्न प्रकार उत्पादित की है/आवंटित की है :

विन्टेज/डब्ल्यू पीपी संख्या	2003 के लिये	2004 के लिये	2005 के लिये	2006 के लिये	2007 के लिये	कुल सीएफआई
#1337 (25 मे.वा.)	0	283	307	317	324	1231
#1338 (2.25 मे.वा.)	28	28	25	25	24	130
#1339 (2.0 मे.वा.)	22	23	21	16	17	99
#1340 (10.2 मे.वा.)	0	0	0	89	117	206
#1341 (2.1 मे.वा.)	26	29	25	26	24	130

कुल सीएफआई	76	363	378	473	506	1796(सीएफआई)
कुल सीईआर (सीएफआई 100)	7600	36300	37800	47300	50600	179600(सीईआर)

उपरोक्त में से कम्पनी के पास हस्तगत शेष सीएफआई को यहां नीचे दिया गया है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि 25 मेगावाट (विन्टेज संख्या 1337) परियोजना के लिये अन्तिम स्टॉक केवल 14 प्रतिशत की सीमा तक लिया गया है क्योंकि शेष 86 प्रतिशत पावर फाइनेन्स कार्पोरेशन का है एवं आरआरईसी के इलेक्ट्रानिक खाते में सामूहिक रूप से धारित है।

विन्टेज / डब्ल्यू पीपी संख्या	2003 के लिये	2004 के लिये	2005 के लिये	2006 के लिये	2007 के लिये	कुल सीएफआई
#1337 (25 मे.वा.)	0	39.62	42.98	44.38	45.36	172.34 (ऊपर की टिप्पणी देखें)
		(283 का 14 प्रतिशत)	(307 का 14 प्रतिशत)	(317 का 14 प्रतिशत)	(324 का 14 प्रतिशत)	
#1338 (2.25 मे.वा.)	28	25	25	17	0	95
#1339 (2.0 मे.वा.)	18	0	1	0	0	19
#1340 (10.2 मे.वा.)	0	0	0	89	112	201
#1341 (2.1 मे.वा.)	0	0	0	0	0	0
कुल	46	64.62	68.98	150.38	157.36	487.34 (सीएफआई)

वर्ष 2007 एवं आगे की अवधि के लिये उत्पादित सीएफआई के विवरण उपलब्ध नहीं है, इसलिये उन वर्षो के पश्चात् के विवरण उपरोक्त तालिका में नहीं दिये गये है और क्योंकि 31.03.2021 को कोई कीमत की दर उपलब्ध नहीं है अतः प्रबंधन ने इनका मूल्य शून्य राशि लेने का निर्णय किया है।

5. पीएमजीवाई योजना के अन्तर्गत 10 किलोवाट क्षमता के एसपीवी के एकल पावर संयंत्रों की लागत की पूर्ति पीएमजीवाई योजना के अन्तर्गत 100 प्रतिशत अनुदान के माध्यम से की गयी है। अतः किसी भी आस्ति की एकल प्लाण्टों के लिये दर्शाने के लिये, आवश्यकता नहीं है। हालांकि प्रत्येक परियोजना के अन्तर्गत भूमि एवं संयंत्र की नियंत्रण एवं अभिलेखों के प्रयोजनार्थ 1/–प्रति भूमि व 1/– प्रति संयंत्र के नाममात्र मूल्य पर रिकार्ड किया गया है, तथापि वर्ष के दौरान ऐसी कोई आस्तियां अर्जित नहीं की गयी है।

6. कम्पनी अपने प्रत्येक विद्युत उत्पादन संयंत्र के लिए परियोजना स्थल पर किए व्यय का पृथक् से वित्तीय विवरण रखती है जो कि 2.1 मेगावाट फलौदी में, 2.25 मेगावाट देवगढ़ में, 25 मेगावाट सोडाबंधन (जैसलमेर) में, 10.2 मेगावाट आकल (जैसलमेर) में, 10.2 मेगावाट पोहरा (जैसलमेर) में तथा 100 किलोवाट गौरीर (झूंझूनू) तथा 01 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र फागी में स्थित है। कम्पनी अभी इन उत्पादन संयंत्रों का निर्धारित प्रारूप में पूर्ण एवं विस्तृत लागत लेखा, प्रत्येक संयंत्र को एक पृथक् अस्तित्व के साथ संधारित कर रही है। प्रत्यक्ष व्ययों को संबंधित पीजीपी में प्रभारित

किया जाता है तथा अप्रत्यक्ष व्ययों को उन संयंत्रों द्वारा विद्युत उत्पादन के अनुसार आनुपातिक रूप में, प्रत्येक संयंत्र के लागत अभिलेखों में दर्शाया गया है।

7. तत्कालीन रेडा से अग्रणीत शेष सहित पक्षकारों के विविध डेबिट एवं विविध क्रेडिट शेष पुष्टीकरण एवं समाशोधन के अध्याधीन है।

8. 09.08.2002 को रेडा के आरएसपीसीएल के साथ विलयन तक रेडा के विभिन्न शेष कम्पनी को हस्तान्तरित किए गए थे। इन आगे लाये गये शेषों में दायित्व, अनुदान तथा अन्य भी कई मदें सम्मिलित है।

9. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रमों के मंत्रालय द्वारा 26.08.2008 को जारी कार्यालयीन ज्ञापन के अनुसार, जो सिफारिश करता है कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रमों को अपने ग्राहकों के साथ पत्र–व्यवहार में ज्ञापन मे दायर करने के पश्चात् यथा आवंटित उद्यमकर्ता ज्ञापन क्रमांक का उल्लेख करना चाहिये। कम्पनी ने इस संबंध में पत्र जारी करने की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी है। तथापि, कम्पनी ने आज दिनांक तक किसी भी ऐसी सत्ता से कथित ज्ञापन की प्रतिलिपि प्राप्त नहीं की है। अतः ऐसा कोई सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रम नहीं है, जिसको कम्पनी को 31.03.2021 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रम विकास अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत को 45 दिन से अधिक के लिए देना बकाया शेष हो। इस अधिनियम के अधीन किसी आपूर्तिकर्ता से भी ब्याज का दावा कम्पनी को प्राप्त नहीं हुआ है।

10. आरआरईसीएल ने रिसर्जेंट राजस्थान समिट के संबंध में भुगतान करने के लिए वित्तीय वर्ष 2017–18 में निवेश प्रोत्साहन ब्यूरो को 5 करोड़ रूपये अग्रिम के रूप में दिये। वर्ष के दौरान उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त हो गया है। इसलिये लेखा–पुस्तकों में इसे अब मान्यता दी गयी है।

11. **लेखा मानक–15 के अन्तर्गत यथा अपेक्षित निम्न सारणी 31.03.2021 को अवकाश नकदीकरण योजना तथा ग्रेच्यूटी योजना की स्थिति दर्शाती हैः**

प्रथम पॉलिसी

पूर्वानुमान	31.03.2020	31.03.2021	ग्रेच्युटी	अवकाश वेतन
बट्टा दर	7.250 प्रतिशत	7 प्रतिशत	2020-21	2020-21
वेतन में वृद्धि	7 प्रतिशत	7 प्रतिशत		
बाध्यता की वर्तमान मूल्य में परिवर्तन को दर्शाती तालिका				
बाध्यता की वर्तमान मूल्य यथा वर्ष के प्रारम्भ में			32955943.00	19570743.00
ब्याज की लागत			2389306.00	1418879.00
वर्तमान सेवा लागत			828021.00	267324.00
प्रदत्त सुविधायें			(2132876.0)	(1357580.00)
बाध्यताओं पर बीमांकिक (लाभ)/हानि			(1586899.00)	(733965.00)
वर्ष के अन्त में बाध्यता का वर्तमान मूल्य			**32453495.00**	**19165401.00**
योजनागत आस्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन को दर्शाती तालिका				

वर्ष के प्रारम्भ में योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	24125893.72	20075466.95
योजनागत आस्तियों पर अनुमानित प्रतिलाभ	2409375.70	1474217.63
अंशदान	11534039.08	1283250.36
प्रदत्त सुविधायें	(2132876.00)	(1357580.00)
योजनागत आस्तियों पर बीमांकिक (लाभ)/हानि	शून्य	शून्य
वर्ष के अन्त में योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	35936432.58	**21475354.94**
योजनागत आस्तियों के उचित मूल्य को दर्शाती तालिका		
वर्ष के अन्त में योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	24125893.72	20075466.95
योजनागत आस्तियों पर वास्तविक प्रतिलाभ	2409375.78	1474217.63
अंशदान	11534039.08	1283250.36
प्रदत्त सुविधायें	(2132876.00)	(1357580.00)
वर्ष के अन्त में योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	**35936432.58**	21475354.94
कोषीय स्थिति	3482937.58	2309953.94
योजनागत आस्ति के अनुमानित प्रतिलाभ पर वास्तविक का आधिक्य		
(वास्तविक प्रतिलाभ दर = 31 मार्च को यथा एआरडी के पतन के प्रतिलाभ की अनुमानित दर)		
प्रमाणित बीमांकिक (लाभ)/हानि	1586899.00	733965.00
बाध्यता पर बीमांकिक (लाभ)/हानि	शून्य	शून्य
वर्ष की योजनागत आस्तियों पर बीमांकिक (लाभ)/हानि	(1586899.00)	(733965.00)
बाध्यता पर बीमांकिक (लाभ)/हानि	(1586899.00)	(733965.00)
वर्ष में प्रमाणित बीमांकिक (लाभ)/हानि		
तुलन–पत्र तथा लाभ–हानि के विवरण में प्रमाणित की जाने वाली राशियां		
वर्ष के अन्त में बाध्यता का वर्तमान मूल्य	32453495.00	19165401.00
वर्ष के अन्त में योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	35936432.58	31475354.94
कोषीय स्थिति	3482937.58	2309953.94
वर्ष के तुलन–पत्र में प्रमाणित शुद्ध आस्तियां/(दायित्व)	3482937.58	2309953.94
लाभ–हानि विवरण में प्रमाणित व्यय		
वर्तमान सेवा लागत	828021.00	267324.00
ब्याज लागत	2389306.00	1418879.00
योजनागत आस्तियों पर अनुमानित प्रतिलाभ	(2409375.78)	(1474217.63
वर्ष में प्रमाणित बीमांकिक (लाभ)/हानि	(1586899.0)	(733965.00)
लाभ–हानि विवरण में प्रमाणित व्यय	778948.00	521980.00

द्वितीय पॉलिसी

पूर्वानुमान	31.03.2020	31.03.2021	**ग्रेच्युटी**	**अवकाश वेतन**
बट्टा दर	7.250 प्रतिशत	7 प्रतिशत	2020-21	2020-21
वेतन में वृद्धि	7 प्रतिशत	7 प्रतिशत		

बाध्यता की वर्तमान मूल्य में परिवर्तन को दर्शाती तालिका		
बाध्यता की वर्तमान मूल्य यथा वर्ष के प्रारम्भ में	122990.00	66185.00
ब्याज की लागत	8917.00	4798.00
वर्तमान सेवा लागत	36760.00	17992.00
प्रदत्त सुविधायें	0.00	0.00
बाध्यताओं पर बीमांकिक (लाभ)/हानि	21371.00	30358.00
वर्ष के अन्त में बाध्यता का वर्तमान मूल्य	**190038.00**	119333.00
योजनागत आस्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन को दर्शाती तालिका		
वर्ष के प्रारम्भ में योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	104340.62	86557.19
योजनागत आस्तियों पर अनुमानित प्रतिलाभ	12224.4	6970.09
अंशदान	125628.04	47631.15
प्रदत्त सुविधायें	0.00	0.00
योजनागत आस्तियों पर बीमांकिक (लाभ)/हानि	शून्य	शून्य
वर्ष के अन्त में योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	242193.09	**141158.43**
योजनागत आस्तियों के उचित मूल्य को दर्शाती तालिका		
वर्ष के प्रारम्भ में योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	104340.62	86557.19
योजनागत आस्तियों पर वास्तविक प्रतिलाभ	12224.43	6970.09
अंशदान	125628.04	47631.15
प्रदत्त सुविधायें	0.00	0.00
वर्ष के अन्त में योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	242193.09	141158.43
कोषीय स्थिति	52155.09	21825.43
योजनागत आस्ति के अनुमानित प्रतिलाभ पर वास्तविक का आधिक्य		
(वास्तविक प्रतिलाभ दर = 31 मार्च को यथा एआरडी के पतन के प्रतिलाभ की अनुमानित दर)		
प्रमाणित बीमांकिक (लाभ)/हानि		
बाध्यता पर बीमांकिक (लाभ)/हानि	(21371.00)	(30358.00)
वर्ष की योजनागत आस्तियों पर बीमांकिक (लाभ)/हानि	शून्य	शून्य
बाध्यता पर बीमांकिक (लाभ)/हानि	21371.00	30358.00
वर्ष में प्रमाणित बीमांकिक (लाभ)/हानि	21371.00	30358.00
तुलन–पत्र तथा लाभ–हानि के विवरण में प्रमाणित की जाने वाली राशियां		
वर्ष के अन्त में बाध्यता का वर्तमान मूल्य		
वर्ष के अन्त में योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	190038.00	119333.00
कोषीय स्थिति	242193.09	141158.43
वर्ष के तुलन–पत्र में प्रमाणित शुद्ध आस्तियां/(दायित्व)	52155.09	21825.43
	52155.09	21825.43
लाभ–हानि विवरण में प्रमाणित व्यय		
वर्तमान सेवा लागत	36760.00	17992.00
ब्याज लागत	8917.00	4798.00

योजनागत आस्तियों पर अनुमानित प्रतिलाभ	(12224.43)	(6970.09)
वर्ष में प्रमाणित बीमांकिक (लाभ)/हानि	21371.00	30358.00
लाभ–हानि विवरण में प्रमाणित व्यय	54824.00	46178.00

12. संबंधित पक्षकारों का प्रकटीकरण

(ए) कम्पनी के संबंधित पक्षकारों के नाम निम्न प्रकार से है:

I	कम्पनी में सारवान हित रखने वाले व्यक्ति एवं मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
ए	डॉ. सुबोध अग्रवाल– अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (2नवम्बर 2020 से)
बी	श्री अनिल गुप्ता–प्रबंध निदेशक (1नवम्बर 2020 तक)
सी	श्री के. सी. कुमावत–निदेशक (वित्त) एवं मुख्य वित्त अधिकारी
डी	श्रीमती गजल सक्सेना, कम्पनी सचिव
II	**ऐसे व्यक्ति तथा मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक से संबंधी****
III	**उपक्रम जिनमें ऊपर वर्णित कोई योग्य व्यक्ति सारवान हित रखता है****

**भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस संस्था द्वारा निर्गमित मानक–18 के पैरा 9 के अनुसार अन्य राज्य से नियंत्रित उपक्रम एवं उक्त उपक्रम के साथ व्यवहार के लिए संबंधित पक्षकार से संबंध के विषय में प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं है।

(बी) संबंधित पक्षकारों से व्यवहार का विवरण इस प्रकार है:

विवरण	कम्पनी में सारवान हित रखने वाले व्यष्टि एवं मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	ऐसे व्यष्टि एवं मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक के संबंधी**	उपक्रम जिनमें ऊपर वर्णित कोई व्यक्ति सारवान हित रखता है**	31.03.2021 को योग	31.03.2020 को योग
प्रबंधकीय पारिश्रमिक/वेतन					
डॉ. सुबोध अग्रवाल	10,53,000.00			10,53,000.00	-
श्री अनिल गुप्ता, प्रबंध निदेशक	9,09,850.00	-	-	9,09,850.00	25,78,677.00
श्री के. सी. कुमावत निदेशक (वित्त)	23,47,426.00			23,47,426.00	21,43,047.00
श्रीमती गजल सक्सेना, कम्पनी सचिव	10,64,797.00			10,64,797.00	10,21,414.00
योग	53,75,073.00	-	-	53,75,073.00	57,43,138.00

*****संविदात्मक बाध्यताओं के अन्तर्गत वेतन भुगतान एवं अन्य देयताओं के अतिरिक्त मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या उनके संबंधियों से कोई संव्यवहार नहीं हुआ है।***

13. अनुज्ञप्त तथा स्थापित क्षमता (प्रबंधन द्वारा यथा प्रमाणित)

	चालू वर्ष	गत वर्ष
(i) अनुज्ञप्त क्षमता	लागू नहीं है	लागू नहीं है
(ii) स्थापित क्षमता		
2.25 मेगावाट देवगढ़ पवन फार्म परियोजना	2.25 मेगावाट	2.25 मेगावाट
2.10 मेगावाट फलौदी पवन फार्म परियोजना	2.10 मेगावाट	2.10 मेगावाट
25 मेगावाट सोडा (जैसलमेर) पवन फार्म	25 मेगावाट	25 मेगावाट
10.2 मेगावाट आकल (जैसलमेर) पवन फार्म	10.2 मेगावाट	10.2 मेगावाट
100 किलोवाट गौरीर (झुंझुनू) एसपीवी परियोजना	100 किलोवाट	100 किलोवाट
10.2 मेगावाट पोहरा (जैसलमेर) पवन फार्म	10.2 मेगावाट	10.2 मेगावाट
01 मेगावाट सोलर पावर संयंत्र फागी	01 मेगावाट	01 मेगावाट

14. पूंजीगत सामग्री, स्टोर और स्पेयर पार्ट्स या कच्चे माल का इस वर्ष या गत वर्ष में कोई आयात नहीं किया गया है।

15. विदेशी मुद्रा में व्यय : शून्य (गत वर्ष शून्य)

16. **विद्युत के उत्पादन और विक्रय के संबंध में मात्रात्मक सूचना (केडब्ल्यूएच) :**

	चालू वर्ष	गत वर्ष
	यूनिटस् में	यूनिटस् में
प्रारम्भण–पश्चात् अवधि		
उत्पादित यूनिट :		
2.25 मेगावाट देवगढ़ पवन फार्म परियोजना	1450226	1090257
2.10 मेगावाट फलौदी पवन फार्म परियोजना	1646340	1843470
25 मेगावाट जैसलमेर पवन फार्म	24591168	28744028
10.2 मेगावाट आकल पवन फार्म	1214200	2643400
100 किलोवाट–एसपीवी–गौरीर परियोजना	-	-
10.2 मेगावाट पोहरा जैसलमेर	3298253	4817266
01 मेगावाट सोलर पावर प्लाण्ट फागी	1466573	1486577
कुल उत्पादित यूनिटे	33666760	40624998
विक्रय की गयी यूनिट :		
2.25 मेगावाट देवगढ़ पवन फार्म परियोजना	1450226	1090257

2.10 मेगावाट फलौदी पवन फार्म परियोजना	1646340	1843470
25 मेगावाट जैसलमेर पवन फार्म	24591168	28744028
10.2 मेगावाट आकल पवन फार्म	1214200	2643400
100 किलोवाट–एसपीवी–गौरीर परियोजना	-	-
10.2 मेगावाट पोहरा जैसलमेर	3298253	4817266
01 मेगावाट सोलर पावर प्लाण्ट फागी	1466573	1486577
कुल विक्रीत यूनिटे	33666760	40624998

उत्पादन के आंकड़े ग्रिड से ली गयी क्रियाशील विद्युत के शुद्ध है। परियोजना स्थलों पर ऊर्जा की नाममात्र की अतिरिक्त खपत है इसलिये अलग से नहीं दर्शायी गयी है।

17. वर्ष के दौरान लेखा परीक्षकों के भुगतान/प्रावधान निम्न प्रकार है :–

विवरण	वर्ष 2020–21	वर्ष 2019–20
(i) वैधानिक लेखा परीक्षा शुल्क (जीएसटी के अतिरिक्त)	2,11,750.00	2,11,750.00
(ii) वैधानिक लेखा परीक्षा व्यय	35,000.00	35,000.00
(iii) कर लेखा परीक्षा शुल्क	40,000.00	40,000.00
(iv) आंतरिक लेखा परीक्षा शुल्क	40,000.00	40,000.00
(v) आंतरिक लेखा परीक्षा	10,000.00	10,000.00
(vi) लागत लेखा परीक्षा शुल्क	25,000.00	25,000.00

18. **खण्ड प्रतिवेदन**

(ए) व्यावसायिक खण्ड :– कम्पनी दो तरह की व्यावसायिक गतिविधियों में संलग्न है:– (ए) पवन/सौर विद्युत परियोजनओं से उत्पादित विद्युत तथा सीईआर के विक्रय से संबंधित व्यावसायिक गतिविधियां (बी) ऊर्जा के उत्पादन के लिये गैर–परम्परागत संसाधनों के प्रोन्नयन के लिये निवेशकों हेतु राजस्थान–सरकार की नोडल एजेन्सी एवं भारत–सरकार एवं राजस्थान–सरकार की ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं के क्रियान्वयन के लिये कार्य कर रही है। खण्ड–वार सूचना अनुलग्नक में दी गयी है।

(बी) भौगोलिक खण्डः– चूंकि कम्पनी के समस्त विद्युत उत्पादन संयंत्र राजस्थान में ही स्थित है, अतः इस खण्ड की आवश्यकता नहीं।

19. लेखा मानक–22 की पालन में कम्पनी ने वर्ष 2020–21 के लिये 1,21,29,070/– रूपये के आस्थगित कर आस्तियों/दायित्वों का सृजन निम्न प्रकार किया है :

(राशि रूपयों में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2021 को	31.03.2020 को
1	आस्थगित कर आस्तियां	1,21,29,070	3,26,93,036
2	कर दायित्व	(12,04,10,116)	(15,31,03,151)
	शुद्ध/(कर दायित्व) (1–2)	(10,82,81,046)	(12,04,10,115)

20. वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान, भविष्य निधि विभाग ने आरआरईसीएल के बैंक खाते से 109885 रूपये वसूल किये तथापि कम्पनी ने आयुक्त के समक्ष अपील दायर की है, अतः मामलें के निस्तारण तक इसे भविष्य निधि विभाग से यथा वसूली योग्य दर्शाया गया है।

21. वित्तीय वर्ष 2018–2019 में वाद सं. 185,186,187,188 व 189/2018 में राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 09.04.2018 की पालना में कम्पनी ने महा–रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय को यथा अग्रिम 10500000/– रूपये सविरोध जमा कराये हैं। जैसा कि अपील का अन्तिम निर्णय अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है अतः आरआरईसीएल द्वारा किया गया भुगतान समायोजन के अधीन है और निर्णय पर निर्भर करेगा अतः इसे चालू वित्तीय वर्ष में यथा प्राप्य के व्यवहृत किया गया है।

22. **अपील के अधीन आय कर निर्धारण की स्थिति एवं उनका प्रभाव**

ए. आयकर विभाग ने कर निर्धारण वर्ष 2008–09 और 2009–10 के लिये आयकर अधिनियम 1961 की धारा 148 के अधीन कर निर्धारण पर पुनर्विचार किया और आयकर अधिनियम की 80–आई–ए में दावा की गयी कटौती को कम की गयी और यथा दावा किये गये कुछ अन्य अतिरिक्त व्ययों के विरूद्ध मांग का सृजन किया। माननीय आयकर अपील न्यायाधिकरण, जयपुर ने विभाग की अपील को खारिज कर दिया और आदेश दिनांक 18.08.2017 द्वारा निर्धारिती को राहत अनुज्ञात की, माननीय आयकर अपील न्यायाधिकरण जयपुर के अपील आदेश के प्रभाव लम्बित है, इसलिये कर के आवश्यक समायोजन को लेखा पुस्तकों में नहीं दिया गया है।

बी. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 143(3) के अधीन कर निर्धारण वर्ष 2010–2011, 2011–2012 और 2012–2013 के लिये कर निर्धारण का मूल्यांकन किया गया था, पारित आदेशों में, एलडी निर्धारण अधिकारी ने आयकर अधिनियम की 80 आईए की कटौती के लिये गये दावों के अन्तर्गत कुछ व्ययों को नामंजूर, आय की अमान्य किया है। माननीय आयकर अपील न्यायाधिकरण, जयपुर ने विभाग की अपील को खारिज कर दिया और आदेश दिनांक 18.08.2017 द्वारा निर्धारिती को राहत अनुज्ञात की, माननीय आयकर अपील न्यायाधिकरण जयपुर के अपील आदेश के प्रभाव लम्बित है, इसलिये कर के आवश्यक समायोजन को लेखा पुस्तकों में नहीं दिया गया है।

सी. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 143(3) के अधीन कर निर्धारण वर्ष 2016–17 के लये कर निर्धारण का मूल्यांकन किया गया था, पारित आदेशों में, एलडी निर्धारण

अधिकारी ने 29.10.2018 को कर निर्धारण आदेश पारित किया जिसमें विभाग ने 8084354/– रूपये की मांग की। ऐसे आदेश के विरूद्ध, आरआरईसीएल ने 27.11.2018 को सीआईटी (अपील) के समक्ष अपील दायर की है; तथापि अपील के लिये सुनवाई अभी तक लम्बित है।

डी. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 143(3) के अधीन कर निर्धारण वर्ष 2017–18 के लये कर निर्धारण का मूल्यांकन किया गया था, पारित आदेशों में, एलडी निर्धारण अधिकारी ने 29.10.2018 को कर निर्धारण आदेश पारित किया जिसमें विभाग ने 2,50,51,820/– रूपये की मांग की। ऐसे आदेश के विरूद्ध, आरआरईसीएल ने 27.11.2018 को सीआईटी (अपील) के समक्ष अपील दायर की है; और कुल मांग का 20 प्रतिशत यथा 5720760/– रूपये जमा कराके स्थगन के लिये आवेदन दायर किया है तथापि अपील के लिये सुनवाई अभी तक लम्बित है।

23. **सेवाकर मामलों की स्थिति, अपील एवं उनका प्रभाव**

ए. केन्द्रीय उत्पाद आयुक्त (सेवा कर) ने दिनांक 22.01.2015 को आदेश पारित किया है और 12051557 रूपये के सेन्वेट क्रेडिट के गलत उपभोग के कारण 2008–2009 (अक्टूबर, 2008) से 2013–2014 (जून, 2013 तक) की अवधि के लिये आयोजित सेवा कर अंकेक्षण के आधार पर जारी किये गये एससीएन, सेन्वेट क्रेडिट नियम, 2004 के नियम 6(3)(1) के निबंधनों के अनुसार छूट प्राप्त सामग्री/सेवाओं पर 94256387 रूपये के सेवा कर का असंदाय एवं वार्षिक प्रत्यायन प्रभार पर 538690 रूपये का असंदाय, एक बार प्रत्यायन प्रभार एवं उस अवधि के लिये प्रतिभूति जमा के समपहरण के संदर्भ में 106846634 रूपये की राशि की कुल मांग का सृजन किया है। कम्पनी ने वीसीईएस, 2013 के अन्तर्गत एक अभिवेदन प्रस्तुत किया है एवं वर्ष 2013–14 के दौरान गलत दावा की गयी सेन्वेट क्रेडिट के सम्पूर्ण कर दायित्व तथा उस पर देरी का ब्याज जमा करा दिया है। विभाग ने वीसीईएस आवेदन को नजर अंदाज कर आदेश पारित कर दिया है। उक्त तथ्यानुसार एवं विधिक सलाहकार की राय के अनुसार की गयी मांग पूर्ण नहीं की जा सकती, कम्पनी ने सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर अपील अधिकरण, नई दिल्ली के समक्ष अपील दायर की है। अतः कम्पनी ने इसके लिये कोई प्रावधान नहीं किया है।

24. **समाश्रित दायित्व, जिनका प्रावधान नहीं किया गया है**

- कम्पनी की ओर से/विरूद्ध लगभग 2.75 करोड़ रूपये के कुल 117 विविध मामलें है जिनमें से कुछ तत्कालीन रेडा से संबंधित है जो विलय के दायित्व के रूप में कम्पनी को हस्तान्तरित किये गये है तथा कुछ आरआरईसी अवधि से संबंधित है। कम्पनी ने इन विधिक मामलों के परिणामस्वरूप होने वाले दायित्वों के लिये कोई प्रावधान नहीं किया है क्योंकि यह न ही निर्धारणीय है न ही किसी आदेश के द्वारा निश्चित है, इस प्रकार समाश्रित है।

- कम्पनी ने उप पंजीयनकर्ता, देवगढ को 08.01.2016 को सूचित किया है तथा कहा चूंकि भूमिकर की मांग अनन्तिम तौर पर जारी की गयी थी इसलिये भूमि कर पर शास्ति लगाना अनुचित है। इसके अतिरिक्त आरआरईसी ने उप पंजीयनकर्ता से अनुरोध किया है कि क्योंकि यह राज्य सरकार का उपक्रम है इसलिये आरआरईसी

पर भूमिकर की लेवी की उप पंजीयकर्ता द्वारा दुबारा जांच की जानी चाहिये। परन्तु उप–पंजीयनकर्ता ने आरआरईसी के आवेदन को स्वीकार नहीं किया है। इसलिये, आरआरईसीएल ने उप–पंजीयनकर्ता द्वारा की गयी मांग के विरूद्ध में अपील करने का निर्णय लिया है। प्रबंधन द्वारा किये गये निर्णयानुसार इस मामलें में यथा भार साधक अधिकारी के कार्यवाही करने हेतु कार्मिक अधिकारी, उदयपुर को अधिकृत किया है एवं जिला कलक्टर, प्रतापगढ़ के समक्ष उपरोक्त मांग के विरूद्ध अपील दायर की है। मामलें की सुनवाई प्रक्रियाधीन है। इस मामलें में प्राधिकारी के निर्णयानुसार आगे की कार्यवाही की जायेगी।

25. आरआरईसी के पवन ऊर्जा परियोजना के कार्यात्मक विश्लेषण की 31.03.2021 को स्थिति का प्रतिवेदनः

क्र. सं.	विन्ड फार्म का नाम	कार्यात्मक विश्लेषण की अवधि	टिप्पणियां
1	25 मेगावाट सोडा बंधन	19.07.2016 से 18.07.2018	19.07.2016 से एनआईडब्ल्यूई एवं स्थल से आंकड़े अभी तक प्रतिक्षीत है।
2	10.2 मेगावाट आकल	1.09.2014 से 31.08.2016	सितम्बर, 2014 से अगस्त, 2016 की अवधि के लिये आरआरबी लिमिटेड से शास्ति के 30,16,134 रूपये की वसूली की गयी, आगे की अवधि के लिये एनआईडब्ल्यूई एवं स्थल से आंकड़े अभी तक प्रतिक्षीत है।
3	10.2 मेगावाट पोहरा	18.11.2013 से 17.11.2016	18.11.2013 से 17.11.2016 की अवधि के लिये आर.आर.बी लिमिटेड से शास्ति के 25,13,620 रूपये की गत वित्तीय वर्ष के दौरान वसूली की गयी, आगे की अवधि के लिये सी.डब्ल्यू.ई.टी. एवं स्थल से आंकड़े अभी तक प्रतिक्षीत है।
4	2.25 मेगावाट देवगढ़	वित्तीय वर्ष 2008–09 से मार्च, 2016	एन.आई.डब्ल्यू.ई. एवं स्थल द्वारा उपलब्ध कराये गये आंकड़ों के अनुसार कार्यात्मक विश्लेषण कर लिया गया है। अप्रेल, 2016 से एवं आगे के आंकड़े एन.आई.डब्ल्यू.ई. से प्राप्त किये जा रहे है।
5	2.10 मेगावाट फलौदी	मार्च, 2012 तक	अप्रेल, 2014 के पश्चात् अभी तक कार्यात्मक विश्लेषण के लिये आंकड़ें प्राप्त नहीं हुये है। मार्च, 2014 तक कार्यात्मक विश्लेषण पूर्ण हो गया था एवं एन.आई.डब्ल्यू.ई. से आगे की अवधि के आंकड़े प्रतिक्षीत है।
6	100 किलोवाट, गौरीर, झुंझुनू		संयंत्र आरईआईएल द्वारा निशुल्क रख–रखाव के अधीन है। अगस्त, 2011 से उत्पादन सन्तोषजनक नहीं है।
7	01 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र, फागी	06 अप्रेल, 2014 से 05 अप्रेल, 2016	06.04.2014 से 05.04.2016 तक दो वर्ष की खण्डावधि के लिये संयंत्र का कार्यात्मक विश्लेषण किया गया। एनएमजीजी में न्यूनता के कारण 15.32 / केडब्ल्यूएच की दर से

			62,47,486/– रूपये के दण्ड की गणना की गयी एवं वित्तीय वर्ष 2016–17 में वसूली की सूचना फर्म को दी गयी और आरआरईसीएल ने वित्तीय वर्ष 2016–17 और 2017–18 में एलएण्डटी को देय परिचालन एवं संधारण प्रभारों के विरूद्ध क्रमशः 2652816/– रूपये और 2355332/– रूपये के अर्थदण्ड को समायोजित किया। अब मैसर्स एलएण्डटी लिमिटेड से अभी भी 1239338/– रूपये वसूली योग्य है। तथापि अर्थदण्ड अधिरोपित करने के प्रबंधन के निर्णय से व्यथित, मैसर्स एलएण्डटी पंच निर्णय हेतु अग्रतर हो गये। अब मामला पंच के समक्ष लम्बित है।

26. "चालू/गैर–चालू आस्तियों, ऋणों एवं अग्रिमों" के रूप में दिखाये गये शेष राशि में कुछ शेष राशि शामिल है जो अपुष्ट है और समाधान के अधीन है और उनका समायोजन अन्तिम समाधान/पुष्टिकरण/निपटारा के समय किया जायेगा। यथापि, कम्पनी ने एक विशेष तिथि पर शेष राशि की पुष्टि प्राप्त करने के लिये प्रक्रिया शुरू कर दी है और किसी से भी कोई प्रतिकूल पुष्टिकरण प्राप्त नहीं हुआ है।

27. सीएसीआर व्यय में निम्नलिखित का समावेश है:–

वर्ष के दौरान कम्पनी द्वारा व्यय की जाने वाली अपेक्षित सकल राशि 45,96,511/– रूपये थी, इसके विरूद्ध कम्पनी ने सैटेलाइट अस्पताल, बीकानेर में वार्ड के निर्माण सहित आधारभूल संरचना के विकास के प्रति 46,50,000/– रूपये का व्यय किया है।

28. कम्पनी के निदेशक मण्डल की राय में एवं उनके सर्वोत्तम ज्ञान तथा विश्वास में, समस्त चालू एवं गैर–चालू आस्तियां, ऋण एवं अग्रिम का वसूली मूल्य (यदि कोई प्रावधान किया गया हो तो शुद्ध मूल्य) व्यापार के सामान्य अनुक्रम में, कम से कम उस राशि के समतुल्य है जिसमें इनका तुलन–पत्र में कथन किया गया है।

इसकी समनुषंगी कम्पनी से संबंधित अतिरिक्त प्रकटीकरण

1 आरआरईसीएल के निदेशक मण्डल द्वारा 18.08.2011 को सम्पन्न हुयी 68वी. बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसरण में कम्पनी राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली समनुषंगी कम्पनी है एवं यह कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन 02.11.2011 को निगमित हुयी थी।

2. लेखा मानक –18 के अनुसार संबंधित पक्षकार का प्रकटीकरण

(ए) संबंधित पक्षकार एवं उनका संबंध
- (i) नियंत्री कम्पनी : राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड
- (ii) एसोसिएटस् : शून्य

(बी) मुख्य प्रबंधन कार्मिकः (31.03.2021 को)

(i) डॉ. सुबोध अग्रवाल, आई.ए.एस - अध्यक्ष
(ii) श्री कृष्ण चन्द्र कुमावत - निदेशक
(iii) श्री सुनित माथुर - निदेशक
(iv) श्री दिनेश कुमार पहाड़िया - निदेशक
(v) श्री आशिष मोदी - निदेशक
(vi) श्री आर.के. जैन - निदेशक
(vii) श्री ऐ.के. सक्सेना - निदेशक

(सी) संबंधित पक्षकारों के साथ संव्यवहार

विवरण	नियंत्री कम्पनी	
	चालू वर्ष	गत वर्ष
असुरक्षित ऋण	शून्य	13,00,00,000 रूपये
अन्य विविध भुगतान की ओर से	11,35,011 रूपये	1,59,507 रूपये

3. चालू वर्ष के दौरान कोई पूंजी सामग्री, स्टोर एवं स्पेयर पार्टस् या कोई कच्चा माल का आयात नहीं किया गया है।

4. आरएसडीसीएल नोख जिला जैसलमेर राजस्थान में 925 मेगावाट का सोलर पार्क विकसित कर रहा है। कम्पनी ने नोख सोलर पार्क में आधारभूत संरचना की सुविधा प्रदान करने के लिये फरवरी, 2020 में मैसर्स एनटीपीसी लिमिटेड के साथ 735 मेगावाट क्षमता के कार्यान्वियन एवं सहयोग समझौते को निष्पादित किया है और शेष 190 मेगावाट क्षमता के लिए एनटीपीसी लिमिटेड ने डेवलपर मोड में चालू करने के लिये मैसर्स राइजिंग सन एनर्जी (के) लिमिटेड का चयन किया है। मैसर्स राइजिंग सन एनर्जी (के) लिमिटेड ने भी 13 मई, 2021 को कार्यान्वियन एवं सहयोग समझौते का निष्पादन कर दिया है।

5. इपीसी मोड़ के अन्तर्गत 735 मेगावाट सोलर संयंत्र स्थापित करने के लिये कम्पनी ने मैसर्स एनटीपीसी को 1430.95 हैक्टेयर के सकल क्षेत्रफल वाले तीन भूमि भूखण्ड आवंटित किये है। एनटीपीसी ने चालू वित्त वर्ष के दौरान क्रमशः 39,38,16,043/– रूपये और 1,96,90,802/– रूपये का अग्रिम (अपफ्रन्ट) और वार्षिक पट्टा प्रीमियम जमा करा दिया है। परन्तु, क्षेत्र में कुछ भूमि माप के मुद्दों के कारण उप–पट्टा समझौता का निष्पादन नहीं हो सका और भूमि पर कब्जा भी हस्तान्तरित नही किया गया हैं। अतः धनराशि की अग्रिम प्राप्ति को यथा न्यास राशि माना गया है और राजस्व मान्यता को उप पट्टा समझौता के निष्पादन और परियोजना के प्रारम्भ होने तक स्थगित कर दिया है।

इसी तरह से, कम्पनी ने मैसर्स एनटीपीसी लिमिटेड से 2,68,05,45,000/– रूपये का एक मुश्त विकास प्रभारों को प्राप्त किया है, जिसे भी अग्रिम प्राप्ति दर्शाया गया है और राजस्व मान्यता को स्थगित कर दिया है।

6. वर्ष के दौरान, कम्पनी ने मैसर्स मोंटेकार्लो लिमिटेड को नोख सोलर पार्क में 220 केवी/ दोहरा पथ एवं 132 केसी प्रसारण लाइनों के निर्माण के लिये 39.87 करोड़ रूपये की लागत की टर्नकी संविदा की है। जिसमें से कम्पनी ने 4.01 करोड़ रूपये के रनिंग बिल प्राप्त किये है जिन्हे यथा प्रगतिरत पूंजी कार्य माना गया है।

7. वर्ष के दौरान, कम्पनी ने नोख सोलर पार्क विकास के प्रति सोलर पार्क योजना दिशा–निर्देशों के अधीन 39.44 करोड़ रूपये यथा केन्द्रीय वित्त सहायता प्राप्त किये है। क्योंकि पार्क का विकास प्रगतिरत है अतः इसे यथा न्यास धनराशि यथा दायित्व के दर्शाया है।

8. भाडला के लिये सामुदायिक विकास उत्तरदायित्व के प्रति धनराशि प्राप्त कर रही है। 5.12 लाख रूपये (गत वर्ष 5.98 लाख रूपये) (कर पश्चात्) की उस निधि के प्रति अर्जित ब्याज को सामुदायिक विकास उत्तरदायित्व हेतु चिन्हित किया गया है जोकि पहले यथा भाडला सीएसआर के नाम से विदित था।

9. पूंजी संविदा/प्रतिबद्धता के संबंध में निष्पादन किये जाने वाला आंकलित दायित्व 243.28 करोड़ रूपये का होगा।

10. कोई भी कर्मचारी वर्ष की कुछ अवधि के लिये 5,00,000 रूपये या अधिक प्रतिमाह अथवा पूर्ण वर्ष के लिये 60,00,000 रूपये प्रति वर्ष की समग्र परिश्रम पर नियुक्त नहीं हुआ है।

11. वर्ष के दौरान कोई आगम/निर्गम विदेशी विनिमय नहीं है।

12. **सुक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योग विकास अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत यथा परिभाषित सुक्ष्म एवं लघु उद्योगों के बकायों का विवरण**

सुक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योग विकास अधिनियम, 2006 की धारा 22 के अनुसरण में कम्पनी के पास उपलब्ध सूचना के आधार पर और पहचानी गयी सीमा तक सुक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योग विकास अधिनियम के अन्तर्गत यथा परिभाषित सुक्ष्म एवं लघु उद्योगों के बकायों का विवरण नीचे दिया गया है:

विवरण	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020
प्रत्येक लेखांकन वर्ष के अन्त में किसी आपूर्तिकर्त्ता की मूल राशि और उस पर देय ब्याज की अदत्त शेष राशि	-	-
प्रत्येक लेखांकन वर्ष के नियत दिन से परे आपूर्तिकर्त्ताओं को संदत्त राशि के साथ एमएसएमईडी अधिनियम की धारा 16 के निबन्धनों में संदत्त ब्याज की राशि।	-	-
भुगतान करने में देरी की अवधि के लिये बकाया एवं देय ब्याज की राशि (जिसका वर्ष के दौरान भुगतान किया गया है परन्तु नियत तिथि के पश्चात्) लेकिन एमएसएमईडी अधिनियम के अधीन निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना।	-	-
प्रत्येक लेखांकन वर्ष के अन्त में प्रोदभूत एवं शेष अदत्त ब्याज की राशि	-	-

ई) एमएसएमईडी अधिनियम 23 के अधीन कटौती योग्य व्यय के रूप में छूट के प्रयोजनार्थ, उत्तरवर्ती वर्षों में भी शेष रही बकाया एवं देय आगे के ब्याज की राशि तब तक जब तक कि उपरोक्त ब्याज की राशि का वास्तव में छोटे उपक्रमों को भुगतान किया जाता है।	-	-

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रमों के मंत्रालय द्वारा 26.08.2008 को जारी कार्यालयीन ज्ञापन के अनुसार, जो सिफारिश करता है कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रमों को अपने ग्राहकों के साथ पत्र–व्यवहार में ज्ञापन मे दायर करने के पश्चात् यथा आवंटित उद्यमकर्ता ज्ञापन क्रमांक का उल्लेख करना चाहिये। कम्पनी ने इस संबंध में पत्र जारी करने की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी है। तथापि, कम्पनी ने आज दिनांक तक किसी भी ऐसी सत्ता से कथित ज्ञापन की प्रतिलिपि प्राप्त नहीं की है। अतः ऐसा कोई सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रम नहीं है, जिसको कम्पनी को 31.03.2019 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रम विकास अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत को 45 दिन से अधिक के लिए देना बकाया शेष हो। इस अधिनियम के अधीन किसी आपूर्तिकर्ता से भी ब्याज का दावा कम्पनी को प्राप्त नहीं हुआ है।

13. **समाश्रित दायित्व, जिनका प्रावधान नहीं किया गया है, निम्न प्रकार है–**

ए. आयकर अधिकारी वार्ड 1 (1) जयपुर ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 143(1) के अधीन कर निर्धारण वर्ष 2017–18 के लिये कर निर्धारण आदेश दिनांक 29.12. 2019 पारित किया और कुछ अतिरिक्त पर 78,54,47,791/– रूपये की मांग की जिसके विरूद्ध तथ्यों और हमारे कर सलाहकार के अभिमत की गयी मांग उचित नहीं है, के अनुसार आरएसडीसीएल ने आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील दायर की है। इसलिये कम्पनी ने कोई प्रावधान नहीं किया है। तथापि, कम्पनी ने शेष मांग के स्थगन हेतु आवेदन करने के लिये और अपील दायर करने के लिये 14. 20 करोड़ रूपये जमा करा दिये है।

बी. सोलर पार्क की सोलर उर्जा परियोजनाओं से विद्युत के निष्क्रमण के लिये 925 मेगावाट की ग्रिड सम्बद्धता और दीर्घावधि अभिगम (एलटीए) हेतु दायर किये गये आवेदन के विरूद्ध पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड के पक्ष में कम्पनी ने 20 करोड़ रूपये और 46.25 करोड़ रूपये की राशि की दो बैंक प्रत्याभूतियां दी है। क्योंकि परियोजना के पूर्ण होने की अन्तिम दिनांक 01.04.2022 है अतः कम्पनी ने कोई प्रावधान नहीं किया है।

14. **प्रतिअंश उपार्जन**

	2020–21	2019–20
साम्या अंशधारकों के लिये उपलब्ध शुद्ध लाभ/(हानि)	12,73,00,860 रूपये	(–) 52,73,510 रूपये
साम्या अंशों की भारित औसत संख्या	50,000	50,000
साम्या अंश का अंकित मूल्य	10/– रूपये	10/– रूपये
प्रतिअंश उपार्जन – मूल एवं मन्दित	2546.02 रूपये	(–) 105.47 रूपये

15. व्यापारिक देय, व्यापारिक प्राप्य, दायित्वों, ऋणों एवं अग्रिमों को उनके पुस्तक मूल्य पर लिया गया है जो कि पुष्टि और समाधान के अधीन है।

16. निदेशक मण्डल के मत में, ऋणों एवं अग्रिमों का सामान्य व्यवसाय के सामान्य क्रम में वसूली योग्य मूल्य उस राशि से कम नहीं है जिस पर इन्हें तुलन–पत्र में दर्शाया गया है और सभी विदित दायित्वों एवं संदिग्ध आस्तियों के लिये प्रावधान किया गया है।

25. कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के अन्तर्गत यथा अपेक्षित उपक्रम की यथा सहायक/सहबद्ध/संयुक्त उद्यमों के समेकित अतिरिक्त सूचना

उपक्रम का नाम	शुद्ध आस्तियां अर्थात कुल दायित्वों को कम कर के कुल आस्तियां		लाभ या हानि में अंश	
	समेकित शुद्ध आस्तियों का प्रतिशत	राशि	समेकित शुद्ध लाभ या हानि का प्रतिशत	राशि
मूल				
राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड	**84.30%**	**2,27,82,10,501.82**	**61.37%**	**20,22,22,910.48**
सहायक कम्पनी				
राजस्थान सोलर पार्क विकास कम्पनी लिमिटेड	**15.70%**	**42,41,53,804.05**	**38.63%**	**12,73,00,860.20**

26. जहां कहीं भी आवश्यक समझा गया है पूर्व वर्ष के आंकड़ों को समूहित एवं पुनःसमूहित किया गया है।

हमारी समतिथि के पृथक प्रतिवेदन के अनुसार
माथुर एण्ड कम्पनी के लिये
चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस
एफआरएन सं. 001952सी
ह.
(अनिल माथुर)
साझेदार
सदस्यता संख्या 070339

स्थान : जयपुर
दिनांक : 17.11.2021

राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड
के निदेशक मण्डल के लिये एवं निमित्त

ह.
डॉ. सुबोध अग्रवाल
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन 06940604

ह.
एन.एस. निर्वाण
पूर्णकालिक निदेशक
डीआईएन 09361461

ह.
गजल सक्सेना
कम्पनी सचिव
सदस्यता सं. एफ8244

ह.
ललित वर्मा
निदेशक (वित्त) एवं
मुख्य वित्त अधिकारी

राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड, जयपुर
31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिये समेकित नकद प्रवाह विवरण

		31.03.2021	31.03.2020
ए	संचालित गतिविधियों से नकद प्रवाह		
	करारोपण के पूर्व शुद्ध लाभ	453,992,204	320,207,630
	गैर–नकद मदों के लिये समायोजन		
	मूल्य ह्रास	173,284,818	261,252,711
	निवेशी गतिविधि के अन्तर्गत विचारित ब्याज की आय	(273,022,471)	(162,119,965)
	प्रदत्त ब्याज/पट्टा किराया	-	-
	आय कर के लिये प्रावधान	-	-
	————————	(2,426,420)	-4,872,991
	गैर नकद आय (सीएफए अपलिखित)	-	-
	कार्यशील पूंजी परिवर्तनों के पहले संचालित लाभ	**351,828,131**	**414,467,384**
	निम्न की वृद्धि/कमी के लिये समायोजन		
	चालू दायित्व एवं प्रावधान	3,881,517,283	(175,402,467)
	चालू आस्तियां एवं ऋण व अग्रिम	88,010,426	295,651,962
	संचालन से उत्पादित नकद	**4,321,355,840**	**534,716,879**
	प्रदत्त प्रत्यक्ष कर	(121,201,619)	(110,116,128)
	चालू वर्ष	(296,581)	859,375
	संचालित गतिविधियों से शुद्ध नकद	**4,199,857,640**	**425,460,126**
बी	**निवेशी गतिविधियों से नकद प्रवाह**		
	स्थिर आस्तियों की अभिवृद्धि	(1,377,911)	(502,402,946)
	स्थिर आस्तियों का निपटान	517,140	
	प्रगतिरत पूंजी कार्य में वृद्धि	(40,043,665)	4,037,480
	ब्याज की आय	273,022,471	162,119,965
	निवेशों में वृद्धि	-	-
	निवेशी गतिविधियों में प्रयुक्त शुद्ध नकद	**232,118,035**	**(336,245,501)**
सी	**वित्तीय गतिविधियों से नकद प्रवाह**		
	सरकारी अनुदान	-	-
	ब्याज/पट्टा किराया	-	-
	प्रदत्त लाभांश एवं लाभांश कर	(12,941,078)	-
	सुरक्षित ऋण कोष में वृद्धि/कमी	-	-
	असुरक्षित ऋण कोष में वृद्धि/कमी	-	-
	एमएनआरई से वित्तीय सहायता	-	-
	विकास प्रभार एवं पट्टा किराया के तहत अग्रिम	-	-

	दीर्घावधि दायित्वों का परिशोधन	-	-
	वित्तीय गतिविधियों में प्राप्त शुद्ध नकद	**(12,941,078)**	-
डी	**नकद एवं नकद समतुल्य में शुद्ध वृद्धि/(कमी) (ए+बी+सी)**	4,419,034,600	89,214,626
	नकद एवं नकद समतुल्य (प्रारम्भिक शेष)	4,202,007,657	4,112,793,031
	नकद एवं नकद समतुल्य (अन्तिम शेष)	8,621,042,257	4,202,007,657

टिप्पणी

नकद एवं नकद समतुल्य में शामिल है:		
मुख्यालय में हस्तगत नकद	-	-
मुख्यालय के बैंको में शेष	2,294,747,084	2,578,631,799
बैंको में सावधि जमा	6,325,668,107	1,622,841,600
परियोजना कार्यालय पर नकद एवं बैंक शेष	627,066	534,258
	8,621,042,257	**4,202,007,657**

अंकों को निकटतम रूपयें में पूर्णांकित किया गया है

हमारी समतिथि के पृथक प्रतिवेदन के अनुसार
माथुर एण्ड कम्पनी के लिये
चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस
एफआरएन सं. 001952सी
ह.
(अनिल माथुर)
साझेदार
सदस्यता संख्या 070339

स्थान : जयपुर
दिनांक : 17.11.2021

राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड
के निदेशक मण्डल के लिये एवं निमित्त

ह.
डॉ. सुबोध अग्रवाल
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन 06940604

ह.
एन.एस. निर्वाण
पूर्णकालिक निदेशक
डीआईएन 09361461

ह.
ललित वर्मा
निदेशक (वित्त) एवं
मुख्य वित्त अधिकारी

ह.
गजल सक्सेना
कम्पनी सचिव
सदस्यता सं. एफ8244

राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड, जयपुर
31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिये समेकित खण्ड सूचना

(राशि रूपयों में)

व्यावसायिक खण्ड			
विवरण	विद्युत उत्पादन	प्रोन्नयन गतिविधियां	योग
राजस्व			
विक्रय	934,525,144	-	934,525,144
अन्य आय	-	691,679,200	691,679,200
आन्तरिक खण्ड	-	-	-
योग	**934,525,144**	**691,679,200**	**1,626,204,344**
परिणाम			
संचालित लाभ/हानि	85,963,653	365,305,551	451,269,204
ब्याज एवं वित्तीय व्यय	-	-	-
कर पूर्व लाभ	**85,963,653**	**365,305,551**	**451,565,784**
आय कर			121,257,840
मेट क्रेडिट			-
आस्थगित कर आस्तिया/दायित्व			543,814
पूर्ववर्ती वर्षों के अल्प प्रावधान			240,360
कर पूर्व शुद्ध लाभ			**329,523,770**
खण्ड आस्तियां	417,810,911	63,529,935	481,340,847
अनाबंटित आस्तियां			11,491,484,813
कुल आस्तियां			**11,972,825,660**
खण्ड दायित्व	79,397,008	345,184,424	424,581,432
अनाबंटित दायित्व			11,548,244,228
कुल दायित्व			**11,972,825,660**
मुल्य ह्रास	58,688,579		58,688,579
अनाबंटित मुल्य ह्रास			114,596,239
कुल मूल्य ह्रास			**173,284,818**

हमारी समतिथि के पृथक प्रतिवेदन के अनुसार
माथुर एण्ड कम्पनी के लिये
चार्डर्ट एकाउन्टेन्टस
एफआरएन सं. 001952सी
ह.
(अनिल माथुर)
साझेदार
सदस्यता संख्या 070339

स्थान : जयपुर
दिनांक : 17.11.2021

राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड
के निदेशक मण्डल के लिये एवं निमित्त

ह.
डॉ. सुबोध अग्रवाल
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन 06940604

ह.
एन.एस. निर्वाण
पूर्णकालिक निदेशक
डीआईएन 09361461

ह.
ललित वर्मा
निदेशक (वित्त) एवं
मुख्य वित्त अधिकारी

ह.
गजल सक्सेना
कम्पनी सचिव
सदस्यता सं. एफ8244

प्रपत्र एओसी :1

{कम्पनी(लेखा) विनियम, 2014 के नियम 5 के साथ पठित धारा 129 की उप–धारा (3) के प्रथम प्रावधान के अनुसार}

सहायक / सहयोगी कम्पनियां / संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरण की प्रमुख विशेषताओं वाला विवरण पत्र

भाग "अ" : सहायक

क्र.सं.	विवरण	ब्यौरा
1	**सहायक का नाम**	**राजस्थान सोलर पार्क डवलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड**
2	संबंधित सहायक की प्रतिवैदित अवधि, यदि नियंत्री कम्पनी के प्रतिवैदित अवधि से भिन्न है।	नियंत्री कम्पनी के समान (01.04.2020– 31.03.2021)
3	विदेशी सहायकों के मामलें में संबंधित वित्तीय वर्ष की अन्तिम दिनांक को प्रतिवैदित मुद्रा एवं विनिमय दर	लागू नहीं है
4	अंशपूंजी	5,00,000.00
5	संचय एवं अतिरिक्त	42,36,53,804
6	कुल आस्तियां	6,08,84,58,737
7	कुल दायित्व	6,08,84,58,737
8	निवेश	-
9	व्यापारावर्त	32,13,32,671
10	कर पूर्व लाभ	17,58,35,895
11	कर हेतु प्रावधान	4,85,35,035
12	कर पश्चात् लाभ	12,73,00,860
13	प्रस्तावित लाभांश	-
14	अंशधारण का प्रतिशत	99.99

भाग "बी" सहयोगी एवं संयुक्त उद्यम

सहयोगी कम्पनीयां एवं संयुक्त उद्यमों से संबंधित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(3) के अनुसार विवरण

सहयोगी कम्पनीयां/संयुक्त उद्यमों के नाम		लागू नहीं है
1	अंततम अंकेक्षित तुलन–पत्र दिनांक	
2	वर्ष के अन्त में कम्पनी द्वारा धारित संयुक्त उद्यमों के अंश	
–	संख्या में	
–	संयुक्त उद्यम/सहयोगी में निवेश की राशि	
–	धारण की सीमा %	
3	महत्वपूर्ण प्रभाव कैसे है का वर्णन	
4	संयुक्त उद्यम/सहयोगी को समेकित क्यों नहीं किया गया, कारण बताये	
5	अंततम अंकेक्षित तुलन–पत्र के अनुसार अंशाधारकों को आरोप्य शुद्ध मूल्य	
6	वर्ष हेतु लाभ/हानि	
I	समेकित में विचार किया गया	
II	समेकित में विचार नहीं किया गया	

हमारी समतिथि के पृथक प्रतिवेदन के अनुसार
माथुर एण्ड कम्पनी के लिये
चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस
एफआरएन सं. 001952सी
ह.
(अनिल माथुर)
साझेदार
सदस्यता संख्या 070339

स्थान : जयपुर
दिनांक : 17.11.2021

राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड
के निदेशक मण्डल के लिये एवं निमित्त

ह.
डॉ. सुबोध अग्रवाल
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन 06940604

ह.
एन.एस. निर्वाण
पूर्णकालिक निदेशक
डीआईएन 09361461

ह.
ललित वर्मा
निदेशक (वित्त) एवं
मुख्य वित्त अधिकारी

ह.
गजल सक्सेना
कम्पनी सचिव
सदस्यता सं. एफ8244

राजस्थान सोलर पार्क डवलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड

राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड
की
पूर्ण स्वामित्व वाली
सहायक कम्पनी

दशम् वार्षिक प्रतिवेदन
एवं
लेखा

2020—21

राजस्थान सोलर पार्क डवलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड
(सीआईएन संख्या U40102RJ2011SGC036861)
पंजीकृत कार्यालयः ई—166, युधिष्ठर मार्ग, सी—स्कीम, जयपुर 302001
टेलीफोन न. 2225859, 2229341 ई—मेलः solar.rrec@gmail.com

अनुक्रमणिका

नोटिस

निगम की जानकारी

निदेशको का प्रतिवेदन

- अनुलग्नक– I – एमजीटी–9
- अनुलग्नक– II – सीएसआर रिपोर्ट

वैधानिक अंकेक्षकों का प्रतिवेदन

नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट

तुलन–पत्र

लाभ व हानि विवरण

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

राजस्थान सोलर पार्क डवलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड

निदेशक मण्डल
(16.12.2021 को)

डॉ. सुबोध अग्रवाल, आई.ए.एस	अध्यक्ष
श्री आशिष मोदी, आई.ए.एस	निदेशक
श्री नरेन्द्र सुवालका	निदेशक
श्री के.पी. वर्मा	निदेशक
श्री एन.एस. निर्वान	निदेशक
श्री ललित वर्मा	निदेशक
श्री सुनित माथुर	निदेशक
श्री दिनेश पहाडिया	निदेशक

पंजीकृत कार्यालय	ई–166, युधिष्ठिर मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर–302001
वैधानिक अंकेक्षक	शाह पाटनी एण्ड कम्पनी चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस, जयपुर
आंतरिक अंकेक्षक	आर.एम. कोठारी एण्ड कम्पनी चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस, जयपुर
बैंकर्स	पंजाब नेशनल बैंक आन्ध्रा बैंक

राजस्थान सोलर पार्क डवलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड

(सीआईएन संख्या U40102RJ2011SGC036861)

नोटिस

यह सूचना दी जाती है कि राजस्थान सोलर पार्क डवलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड के सदस्यों की वार्षिक साधारण सभा सोमवार, 20 दिसम्बर, 2021 को सांय 4.00 बजे कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय ई–166, युधिष्ठर मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर पर निम्नलिखित कार्य सम्पादन करने के लिये आयोजित होगीः–

सामान्य व्यवसाय

1. 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए कम्पनी के वित्तीय विवरण प्राप्त करना, विचारित करना एवं ग्रहण करना।

संशोधन (संशोधनों) सहित या रहित, निम्नलिखित सामान्य संकल्प पर विचार एवं अनुमोदन करने के लियेः

"**संकल्प लिया कि** 31 मार्च, 2021 को कम्पनी का अंकेक्षित तुलन–पत्र, उसी तिथि को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए लाभ एवं हानि विवरण पत्र, रोकड़ प्रवाह विवरण पत्र, उन पर टिप्पणियों के साथ, उन पर वैधानिक अंकेक्षकों का प्रतिवेदन, वर्ष के लिए निदेशकों का प्रतिवेदन तथा प्रबंधन के उत्तर के साथ वित्तीय विवरणों को एतदद्वारा प्राप्त कर अंगीकृत किया जाता है।"

'भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को पृथक रूप से वितरित किया जायेगा।

2. **अंकेक्षकों की नियुक्ति**

संशोधन (संशोधनों) सहित या रहित, निम्नलिखित सामान्य संकल्प पर विचार एवं अनुमोदन करने के लियेः

"आगे यह भी संकल्प लिया कि मै. शाह पाटनी एण्ड कम्पनी चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस, जयपुर को वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिये कम्पनी के वैधानिक अंकेक्षक के रूप में नियुक्ति की एतदद्वारा पुष्टि की जाती है एवं कम्पनी के निदेशक मण्डल को अंकेक्षण शुल्क निर्धारित करने हेतु अधिकृत किया जाता है।"

राजस्थान सोलर पार्क डवलपमेंट कम्पनी लिमिटेड के
निदेशक मण्डल की आज्ञा से

ललित वर्मा
निदेशक
(डीआईएन: 09364205)

पंजीकृत कार्यालयः
ई–166, युधिष्ठिर मार्ग,
सी–स्कीम, जयपुर
दिनांक 16.12.2021

टिप्पणियां:

1. सभा में उपस्थित रहने एवं मतदान करने को अधिकृत सदस्य अपने स्थान पर उपस्थित रहने एवं मतदान करने के लिये प्रतिनिधि को नियुक्त करने के लिये अधिकृत है। उक्त प्रतिनिधि का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। यदि प्रतिनिधि की नियुक्ति की जाती है तो कम्पनी के पास यथावत रूप से पूरा किया हुआ निम्नलिखित प्रतिनिधि का प्रपत्र वापिस आ जाना चाहियें।

2. कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में सभा के समय के कम से कम 48 घंटे पहले प्रतिनिधि का प्रपत्र जमा करा दिया जाना चाहिये।

3. वार्षिक साधारण सभा की तिथि तक कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में कार्यालय अवधि के दौरान सूचना में निर्दिष्ट सभी प्रपत्र निरीक्षण के लिये उपलब्ध रहेगें।

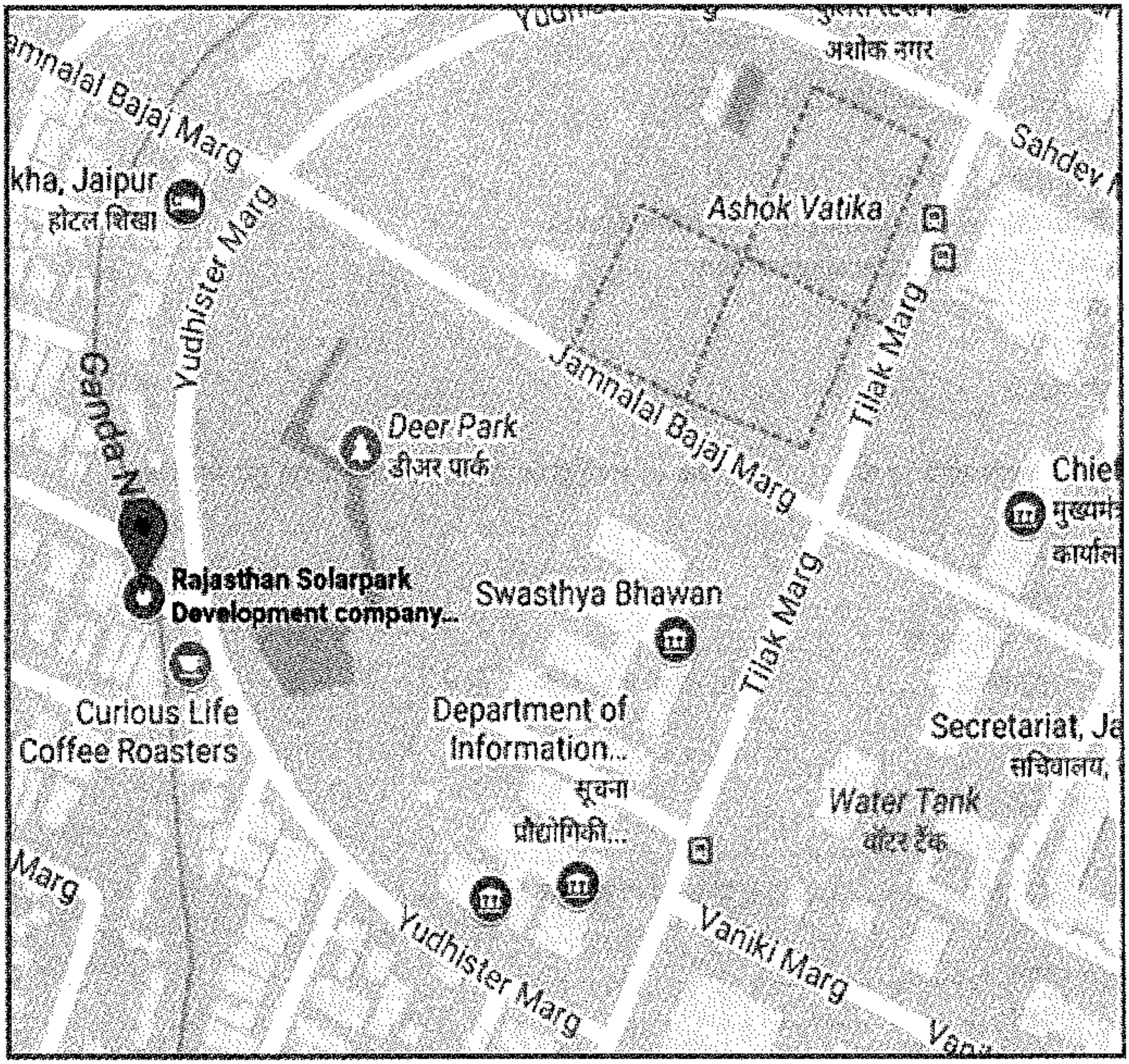
अशोक नगर
Jamnalal Bajaj Marg
Sahdev
kha, Jaipur
होटल शिखा
Yudhister Marg
Ashok Vatika
Tilak Marg
Jamnalal Bajaj Marg
Deer Park
डीअर पार्क
Chief
Rajasthan Solarpark
Development company...
Swasthya Bhawan
Tilak Marg
Curious Life
Coffee Roasters
Department of
Information...
सूचना
प्रौद्योगिकी...
Secretariat, Ja
सचिवालय,
Water Tank
वॉटर टैंक
Marg
Yudhister Marg
Vaniki Marg

प्रपत्र संख्या एमजीटी–11
प्रतिनिधि प्रपत्र

{कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 105(6) एवं कम्पनी (प्रबंध एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 19(3) के अनुसरण में}

सीआईएनः U40102RJ2011SGC036861

सदस्य (सदस्यों) का नाम :
पंजीकृत पता : ई–166, युधिष्ठिर मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर।
ई–मेल आईडी : solar.rrec@gmail.com
फोलियो नं. / ग्राहक आईडीः

डीपी आईडीः

मैं / हम आरएसडीसीएल के .... प्रत्येक 10 रूपये के साम्या अंशों के सदस्य होते हुये, निम्न को

(1) नाम ....
पता...
ई–मेल आईडी.......................................
हस्ताक्षर..................................... या उसके न होने पर

(2) नाम ....
पता...
ई–मेल आईडी.......................................
हस्ताक्षर..................................... या उसके न होने पर

(3) नाम ....
पता...
ई–मेल आईडी.......................................
हस्ताक्षर..................................... या उसके न होने पर

अपनी / हमारी ओर से प्रतिनिधि के रूप में कम्पनी की दशम् वार्षिक साधारण सभा जो सोमवार दिनांक 20 दिसम्बर, 2021 को ई–166, युधिष्ठिर मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर पर सांय 4.00 बजे आयोजित हो रही है, में भाग लेने और

मतदान (मतदान होने पर) करने के लिये एवं ऐसे संकल्पों, जो कि नीचे इंगित है, के संबंध में किसी स्थगन के लिए एतदद्वारा नियुक्त करता हूँ :

1. 31 मार्च, 2021 को अंकेक्षित तुलन–पत्र, उस तिथि को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिये लाभ एवं हानि विवरण एवं उस पर निदेशक मण्डल तथा अंकेक्षकों के प्रतिवेदन का अंगीकरण।
2. वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिये मैसर्स शाह पाटनी एण्ड कम्पनी, चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस की नियुक्ति एवं उनके पारिश्रमिक का निर्धारण।

एक रूपया का रेवेन्यू स्टाम्प लगाए

वर्ष 2021 के .... दिन को हस्ताक्षर किये।
सदस्य (सदस्यों) के हस्ताक्षर ....
प्रोक्सी धारक (प्रोक्सी धारकों) के हस्ताक्षर ....

टिप्पणी: प्रतिनिधि का यह प्रपत्र यथावत् रूप से पूरा किया हुआ कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में सभा के समय के कम से कम 48 घंटे पहले जमा करा देना चाहियें।

निदेशकों का प्रतिवेदन

सदस्यगण,

आपके निदेशकों को वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिये अंकेक्षित लेखे एवं दशम् वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

वित्तीय विशिष्टताएं

(i) संक्षिप्त वित्तीय परिणाम

वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिये कम्पनी के संक्षिप्त वित्तीय परिणाम निम्न प्रकार है:

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिये (रूपये लाखों में)	31.03.2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिये (रूपये लाखों में)
संचालन से राजस्व	1977.48	1868.53
अन्य आय	1235.85	446.80
योग	**3213.33**	**2315.33**
व्यय		
(i) प्रारम्भिक व्यय	-	-
(ii) कर्मचारी हित लाभ व्यय	29.65	26.99
(iii) मूल्य ह्रास एवं परिशोधन	1120.12	1440.07
(iv) अन्य व्यय	280.93	748.05
योग	**1430.70**	**2215.11**
अपवादात्मक एवं असाधारण मदों के पूर्व लाभ/हानि	1782.62	100.21
अपवादात्मक **तथा असाधारण** मदें	24.26	48.72
कर पूर्व लाभ	1758.36	51.48
कर		
घटाइये : चालू	359.18	8.59
जोड़िये : मेट क्रेडिट	-	8.59
जोड़िये : गत वर्षों से संबंधित अधिक कर	0.56	-
घटाइये : आस्थगित कर	126.73	104.22
अवधि के लिए लाभ एवं हानि	**1273.01**	**(52.73)**

टिप्पणी : चूंकि नोख सोलर पार्क की नई परियोजना प्रगतिरत है तथा इस परियोजना के सफल कार्यान्वयन के लिये कम्पनी को धन की आवश्यकता है, और अग्रतर कम्पनी ने इस वर्ष यथेष्ट

लाभ का अर्जन नहीं किया अतः निदेशक लाभांश की घोषणा करने में अपनी असमर्थता दर्शाते है।

अंशपूंजी

कम्पनी की अधिकृत पूंजी केवल 5 लाख रूपये है। समग्र 5 लाख रूपये की प्रदत्त अंशपूंजी, इस प्रतिवेदन की दिनांक को, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड एवं इसके नामांकितों द्वारा धारित है।

निक्षेप

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान कम्पनी ने कोई भी निक्षेप स्वीकार नहीं किये है।

आरक्षित को हस्तान्तरण

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कम्पनी द्वारा कोई राशि आरक्षित निधि में नहीं ले जायी गयी है।

व्यवसाय संचालन का पुनर्विलोकन एवं भावी संभाव्यता

राजस्थान सोलर पार्क डवलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (आरएसडीसीएल), राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी है, वहीं राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड, राजस्थान सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाली सरकारी कम्पनी है एवं कम्पनी अधिनियम के अधीन एक सरकारी कम्पनी है।

राजस्थान सोलर ऊर्जा नीति, 2011 के खण्ड 5.4.2. के अनुसार, कम्पनी राजस्थान में सोलर पार्कों के प्रबंधन एवं आधारभूत संरचना के विकास के लिये निगमित की गयी थी।

<u>भाडला सोलर पार्क</u>

<u>भाडला चरण प्रथम</u>

क्रमबद्ध तरीके से सोलर पार्क के विकास के लिये ग्राम–भड़ला, तहसील–बाप, जिला जोधपुर में 10,000 हैक्टेयर भूमि को परिलक्षित किया गया था। प्रथम–चरण में, 3000 हेक्टेयर भूमि का सर्वेक्षण किया गया। एडीबी सलाहकार ने डी.पी.आर. तैयार की एवं कुल 75 मेगावाट की क्षमता की परियोजना की स्थापना के लिये 186 हेक्टेयर भूमि का चुनाव किया गया। आरआरईसी द्वारा प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के माध्यम से सात सोलर ऊर्जा उत्पादकों का चयन किया गया था। कुल 65 मेगावाट क्षमता के 6 संयंत्र प्रारम्भ हो चूके है। मैसर्स एनर्गो इंजीनियरिंग प्रोजेक्टस् लिमिटेड (10 मेगावाट) ने अपनी परियोजना का प्रारम्भण नहीं किया है और इसलिये इसके पीपीए को निरस्त कर दिया गया है।

<u>भाडला चरण द्वितीय</u>

द्वितीय चरण के लिये, 5000 हेक्येटर भूमि का सर्वेक्षण किया गया था। एडीबी सलाहकार ने (10 एसपीवी प्लाटों का) 680 मेगावाट क्षमता के सोलर पार्क के विकास के लिये डी.पी.आर. तैयार की। सोलर पार्कों के विकास एवं अल्ट्रा मेगा सोलर ऊर्जा परियोजनाओं के लिये एमएनआरई योजना के अन्तर्गत इस पार्क को स्थापित किया गया है। भड़ला सोलर पार्क चरण–द्वितीय के विकास के लिये राजस्थान सरकार ने कम्पनी को 1797.45 हेक्टेयर भूमि आवंटित की है। कम्पनी ने 1364.46 हेक्टेयर भूमि सोलर ऊर्जा उत्पादकों को अपने प्लाण्ट स्थापित करने के लिये सब–लीज पर दी है। शेष भूमि सोलर पार्क की अन्य आधारभूत संरचना के लिये है एवं आर.एस.

डी.सी.एल. के आधिपत्य में है। सड़क निर्माण, सड़क प्रकाश व्यवस्था एवं ससुज्जित कार्यालय भवन तथा विश्राम ग्रह के निर्माण का कार्य आदेश आरएसआरडीसीएल को दिया गया था। जल आपूर्ति सिस्टम का कार्य आदेश पीएचईडी को दिया गया था। यह सभी कार्य पूर्ण हो गये है। ऊर्जा के निष्क्रमण के लिये ईएचवी सिस्टम के निर्माण का कार्य कम्पनी द्वारा किया गया। टर्नकी आधार पर 220/132/33 केवी के 2 पूलिंग स्टेशनों के निर्माण के लिये, मैसर्स मान्टेकार्लो लिमिटेड, अहमदाबाद को ठेका दिया गया जिसने 28.02.2017 तक सभी प्रकार से कार्य पूर्ण कर दिया है। टर्नकी आधार पर 22 केवी एवं 132 केवी विद्युत प्रसारण हेतु लाइनों के निर्माण के लिये मैसर्स सोना इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर को ठेका दिया गया था। उक्त कार्य भी पूर्ण हो चुका हैं।

420 मेगावाट क्षमता (भड़ला सोलर पार्क चरण–द्वितीय के प्लाट न. 1,2,3,8,9 एवं 10 पर प्रत्येक 70 मेगावाट) के 6 सोलर पीवी परियोजनाओं की स्थापना के लिये एनटीपीसी द्वारा बोली प्रक्रिया के माध्यम से सोलर ऊर्जा उत्पादकों का चयन किया गया था। एनटीपीसी ने भी शेष बचे हुये प्लाट संख्या 4,5,6 एवं 7 में 260 मेगावाट क्षमता की अपनी परियोजनाओं को स्थापित कर दिया है। भाडला सोलर पार्क चरण–द्वितीय (कुल 680 मेगावाट) की सभी परियोजनायें प्रारम्भ हो गयी है।

नोख सोलर पार्क

ग्राम–नोख, तहसील पोकरण, जिला–जैसलमेर में सोलर पार्क के विकास के लिये लगभग 2500 हेक्टेयर सरकारी भूमि को कम्पनी ने इंगित कर लिया है। एमएनआरई योजना के अन्तर्गत नोख में 980 मेगावाट क्षमता के सोलर पार्क को स्थापित करने के लिये एमएनआरई ने सिद्धान्ततः स्वीकृति दे दी है। इंगित भूमि का स्थलाकृति–सर्वेक्षण एवं भू–तकनीकी जांच एवं नोख सोलर पार्क के विकास के लिये डीपीआर की तैयारी का कार्य मैसर्स पीडीकोर द्वारा किया गया है। डीपीआर एमएनआरई द्वारा स्वीकृत कर दी गयी है। नोख सोलर पार्क के विकास के लिये कुल 1856.73 हैक्टेयर भूमि को उपयुक्त पाया गया था एवं इसे जिला कलेक्टर, जैसलमेर द्वारा आरएसडीसीएल को आवंटित किया गया है। तद्नुसार, सोलर पार्क की क्षमता 925 मेगावाट होगी। सोलर पार्क की 925 मेगावाट क्षमता के लिये डीपीआर को संशोधित किया गया है। सोलर पार्क में जल आपूर्ति प्रणाली और सड़के और सड़क प्रकाश व्यवस्था कम्पनी के निक्षेप कार्यों के अन्तर्गत क्रमशः पीएचईडी एवं आरएसआरडीसी द्वारा विकसित किया जायेगा। सोलर पार्क से उत्पादित विद्युत का अंतर राज्य प्रसारण सिस्टम को प्रसारण पीजीसीआईएल जीएसएस के माध्यम से किया जायेगा जिसके लिये पीजीसीआईएल से समझौतों को 04.11.2019 को हस्ताक्षरित किये गये है।

कम्पनी ने विद्युत के निष्क्रमण के लिये ईएचवी प्रणाली के निर्माण का कार्य लिया है। 220/33 केवी के 4 पूलिंग स्टेशनों के निर्माण और 220 केवी प्रसारण लाइनों के निर्माण, दोनों वृहत आधार पर, के लिये दो पृथक टेण्डर जारी किये गये है।

नोख सोलर पार्क के 4 सौर ऊर्जा परियोजनायें ईपीसी (3X245 मे.वा.) एवं विकासक (1X190 मे.वा.) मोड़ के अन्तर्गत एनटीपीसी द्वारा स्थापित किये जायेगे। ईपीसी परियोजनाओं के लिये क्रियान्वयन एवं समर्थक समझौते 20.02.2020 को एनटीपीसी एवं आरएसडीसीएल के मध्य हस्ताक्षरित किये गये है। 190 मेगावाट परियोजना के लिये विकासक का चयन बोली प्रक्रिया के माध्यम से एनटीपीसी द्वारा किया गया था। 190 मेगावाट के लिये क्रियान्वयन एवं समर्थक

समझौते 29.04.2021 को राइजिंग सन के साथ हस्ताक्षरित किये गये है। सोलर पार्क का कार्य प्रगतिरत है।

निदेशक

वर्ष 2020–21 के दौरान निम्नलिखित कम्पनी के यथा निदेशक के नियुक्त हुये थे :

क्र.सं.	नाम	नियुक्ति की दिनांक
1	श्री नमित मेहता	26/05/2020
2	श्री सुनित माथुर	16/09/2020
3	डॉ. सुबोध अग्रवाल	02/11/2020
4	श्री आशीष मोदी	05/11/2020
5	श्री दिनेश पहाड़िया	05/11/2020
6	श्री आर.के. जैन	10/12/2020
7	श्री ऐ.के. सक्सेना	10/12/2020

वर्ष 2020–21 के दौरान निम्नलिखित की यथा कम्पनी के निदेशक के सेवायें समाप्त हो गयी:

क्र.सं.	नाम	यथा निदेशक के सेवा समाप्ति की दिनांक
1	श्री नमित मेहता	03/05/2020
2	श्री वाई.के.रायजादा	26/05/2020
3	श्री सुरेश चौहान	26/05/2020
4	श्री नमित मेहता	09/09/2020
5	श्री एस.आर. महालदा	16/09/2020
6	श्री अजिताभ शर्मा	02/11/2020
7	श्री अनिल गुप्ता	05/11/2020
8	श्री लोकश विजय	05/11/2020

31 मार्च, 2021 को कम्पनी के निदेशक मण्डल की संरचना निम्न प्रकार है :

क्र.सं.	नाम	पदनाम	डीआईएन
1	डॉ. सुबोध अग्रवाल	अध्यक्ष	06940604
2	श्री आशीष मोदी	निदेशक	08934503
3	श्री आर.के. जैन	निदेशक	07635410
4	श्री के.सी.कुमावत	निदेशक	08411774
5	श्री ऐ.के. सक्सेना	निदेशक	08983125

6	श्री सुनित माथुर	निदेशक	08934503
7	श्री दिनेश पहाड़िया	निदेशक	08925960

तथापि, वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् कम्पनी के निदेशक श्री आर.के. जैन, श्री के.सी. कुमावत एवं श्री ऐ.के. सक्सेना की कम्पनी के निदेशक मण्डल में यथा निदेशक के रूप में सेवाएं समाप्त हो गयी है।

इस रिपोर्ट पर हस्ताक्षर किये जाने की तिथि को निदेशक मण्डल की संरचना निम्न प्रकार है:

क्र.सं.	नाम	पदनाम	डीआईएन
1	डॉ. सुबोध अग्रवाल	अध्यक्ष	06940604
2	श्री आशीष मोदी	निदेशक	08934503
3	श्री ललित वर्मा	निदेशक	09364205
4	श्री एन.एस. निर्वान	निदेशक	09361461
5	श्री नरेन्द्र सुवाल्का	निदेशक	09367814
6	श्री के.पी. वर्मा	निदेशक	07652646
7	श्री सुनित माथुर	निदेशक	08934503
8	श्री दिनेश पहाड़िया	निदेशक	08925960

अंकेक्षक एवं अंकेक्षकों की रिपोर्ट

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, नई दिल्ली ने वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए कम्पनी के लेखों का अंकेक्षण करने के लिए मैसर्स शाह पाटनी एण्ड कम्पनी, चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस, जयपुर को अंकेक्षक के रूप में नियुक्त किया है। अंकेक्षकों की रिपोर्ट संलग्न है।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के अनुसरण में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने वर्ष 2021–22 के लिये मैसर्स शाह पाटनी एण्ड कम्पनी, चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस, जयपुर को निगम का वैधानिक अंकेक्षक नियुक्त किया है। अंकेक्षकों का पारिश्रमिक निगम की साधारण सभा अथवा साधारण सभा में जैसा निर्णय लिया जाये, के अनुसार निर्धारित किया जायेगा।

कम्पनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसरण में निदेशकों का उत्तरदायित्व

निदेशकों के उत्तरदायित्व कथन के संबंध में, कम्पनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसरण में आपके निदेशक रिपोर्ट करते है कि:–

(i) वार्षिक लेखों को तैयार करने में बनाने में लागू समस्त लेखा मानकों का अनुसरण सारवान बदलाव के संबंध में उचित व्याख्या सहित किया गया है।

(ii) लेखा नीतियों का चयन विवेकपूर्ण किया गया है उन्हें निरन्तर प्रयुक्त किया गया है एवं ऐसे निर्णय तथा प्राक्कलन किये गये हैं जो कि तर्कसंगत एवं विवेकपूर्ण हैं, ताकि वित्तीय वर्ष के अन्त में और इस अवधि के लिए कम्पनी के लाभ को दर्शाते हुये कम्पनी के कार्यो की सत्य एवं उचित स्थिति दर्शायी जा सके।

(iii) इस तथ्य का उचित एवं पर्याप्त ध्यान रखा गया है कि कम्पनी की आस्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं का पता लगाने एवं रोकने के लिए समुचित प्रत्यन्न किये जायें।

(iv) निदेशकों ने चालू समुत्थान आधार पर वार्षिक लेखे तैयार किए गये हैं।

(v) समस्त प्रयोज्य कानूनों (सिद्धांतों) के प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिये उचित प्रणालियां एवं ऐसी प्रणालियां पर्याप्त एवं प्रभावशाली रूप से संचालित थी।

निदेशक मण्डल की बैठकें :

मण्डल की बैठकें

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान निदेशक मण्डल की छः बैठकें सम्पन्न हुयी थी। मण्डल की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति निम्न प्रकार हैः–

मण्डल की बैठक / निदेशक का नाम	11.05. 2020 की 39वीं बैठक	24.07. 2020 की 40वीं बैठक	17.09. 2020 की 41वीं बैठक	19.11. 2020 की 42वीं बैठक	21.12. 2020 की 43वीं बैठक	17.03. 2021 की 44वीं बैठक	टिप्पणी
श्री अजिताभ शर्मा	हाँ	हाँ	हाँ	—	—	—	02.11.2020 को यथा निदेशक के रूप में सेवा समाप्त
श्री अनिल गुप्ता	हाँ	हाँ	हाँ	—	—	—	02.11.2020 को यथा निदेशक के रूप में सेवा समाप्त
श्री लोकेश विजय	हाँ	हाँ	हाँ	—	—	—	05.11.2020 को यथा निदेशक के रूप में सेवा समाप्त
श्री के.सी. कुमावत	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	—
श्री एस.आर. महालदा	हाँ	हाँ	—	—	—	—	16.09.2020 को यथा निदेशक के रूप में सेवा समाप्त
श्री वाई.के. रायजादा	नहीं	—	—	—	—	—	26.05.2020 को यथा निदेशक के रूप में सेवा समाप्त
श्री सुरेश चौहान	नहीं	—	—	—	—	—	26.05.2020 को यथा निदेशक के रूप में सेवा समाप्त
श्री नमित मेहता	—	नहीं	—	—	—	—	26.05.2020 को यथा निदेशक के रूप में नियुक्त अथवा 09.09.2020 को यथा निदेशक के रूप में सेवा समाप्त
श्री सुनित माथुर	—	—	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	16.09.2020 को यथा निदेशक के रूप में नियुक्त
डॉ. सुबोध अग्रवाल	—	—	—	हाँ	हाँ	हाँ	02.11.2020 को यथा निदेशक के रूप में नियुक्त
श्री आशीष मोदी	—	—	—	नहीं	नहीं	नहीं	05.11.2020 को यथा निदेशक के रूप में नियुक्त

श्री दिनेश पहाड़िया	–	–	–	नहीं	हाँ	नहीं	05.11.2020 को यथा निदेशक के रूप में नियुक्त
श्री आर.के. जैन	–	–	–	–	हाँ	हाँ	10.12.2020 को यथा निदेशक के रूप में नियुक्त
श्री ऐ.के. सक्सेना	–	–	–	–	नहीं	हाँ	10.12.2020 को यथा निदेशक के रूप में नियुक्त

सी.एस.आर. समिति

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसरण में कम्पनी ने निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व समिति का गठन किया है जिसमें 31.03.2020 को निम्नलिखित निदेशक सदस्य है:

i) श्री दिनेश पहाड़िया
ii) श्री के.सी.कुमावत
iii) श्री सुनित माथुर

वर्ष के दौरान कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा विद्यमान कम्पनी (कारपोरेट सामाजिक दायित्व नीति) नियम, 2014 को संशोधित करते हुये (कारपोरेट सामाजिक दायित्व नीति) संशोधन नियम, 2021 बनाये गये थे और ये नियम 22 जनवरी, 2021 से प्रवृत्त हुये। इन संशोधित नियमों के अनुसार, कम्पनी द्वारा व्यय की जाने वाली राशि 50 लाख रूपये से अधिक नहीं है तो सी एस आर समिति की आवश्यकता नहीं है। वित्तीय वर्ष में आरएसडीसीएल की सी एस आर राशि 50 लाख रूपये से अधिक नहीं थी, अतः मण्डल द्वारा समिति को विघटित कर दिया गया।

साधारण सभा

वार्षिक साधारण सभा: समीक्षाधीन अवधि के दौरान कम्पनी की 9वीं वार्षिक साधारण सभा का आयोजन 30 दिसम्बर, 2020 को हुआ था।

आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली एवं उसकी पर्याप्तता

कम्पनी के आकार के अनुसार कम्पनी में पर्याप्त आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है।

ऋणों, प्रत्याभूतियों एवं निवेशों का विवरण

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के प्रावधानों के अनुसार, कम्पनी ने ऋण तथा गारंटी नहीं दी है एवं निवेश भी नहीं किया हैं।

विदेशी मुद्रा अर्जन और निर्गम

कम्पनी राज्य में अक्षय ऊर्जा के स्रोतों के कारोबार के प्रोन्नयन में संलग्न है। वर्ष 2020–21 के दौरान विदेशी मुद्रा अर्जन एवं निर्गम शून्य रहा।

कर्मचारियों का विवरण

कम्पनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम, 2014 के धारा नियम 5(2) के प्रावधानों के अन्तर्गत अपेक्षित सूचना शून्य है।

ऊर्जा संरक्षण

आरएसडीसीएल का मुख्य उद्देश्य ऊर्जा संरक्षण एवं राज्य में सोलर पार्कों के कार्यान्वियन एवं विकास के माध्यम से अक्षय ऊर्जा को उन्नत करने के लिये कार्य करना है। कम्पनी अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के प्रति समर्पित है और अक्षय ऊर्जा को उन्नत करने के लिए निरन्तर प्रयास कर रही है।

तकनीकी संलयन

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3) (एम) के अनुसार अनुसंधान एवं विकास के अधीन तकनीकी संलयन के संबंध में सूचना शून्य है।

कम्पनी अधिनियम की धारा 92 के प्रावधानों के अधीन वार्षिक विवरणी का सारांश

एमजीटी 9 में वार्षिक विवरणी का सारांश इस वार्षिक विवरणी के एक भाग के रूप में संलग्न है। यह राजस्थान सोलर पार्क डवलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड के पृष्ठ www.energy.rajasthan.gov.in/rrecl पर भी उपलब्ध है।

धारा 188 की उप–धारा (1) में निर्दिष्ट संबंधित पक्षकारों के साथ अनुबंधों अथवा व्यवस्थाओं का विवरण

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 की उप–धारा (1) में निर्दिष्ट संबंधित पक्षकारों के साथ कम्पनी द्वारा किये गये अनुबंधों/व्यवस्थाओं का विवरण के ब्यौरों के प्रकटीकरण के संबंध में सूचना को शून्य माना जायें।

जोखिम प्रबंधन नीति

आपकी कम्पनी में जोखिम को ज्ञात करने, निर्धारित करने, उनको कम करने के उपाय तथा उनके उचित और समय पर निगरानी एवं रिपोर्टिंग के लिये तंत्र है।

राजस्थान सरकार का प्रत्यक्ष रूप से/अप्रत्यक्ष रूप से स्वामित्व वाला एवं नियंत्रित उपक्रम होने के कारण इसकी कार्यशीलता एवं अस्तित्व पूर्णतः राज्य सरकार की नीतियों एवं अन्य निर्णय जो कम्पनी के संचालन एवं अस्तित्व पर प्रभाव डालते हो, पर निर्भर है।

कम्पनी की चालू समुत्थन प्रास्थिति एवं भविष्य में इसके संचालन को प्रभावित करने वाले नियामकों/न्यायालयों/न्यायाधिकरणों द्वारा पारित कोई महत्वपूर्ण अथवा सारवान आदेश का विवरण

नियामकों/न्यायालयों/न्यायाधिकरणों द्वारा कोई महत्वपूर्ण अथवा सारवान आदेश पारित नहीं किए गए हैं, जो कम्पनी की चालू समुत्थन प्रास्थिति एवं भविष्य में इसके संचालन को प्रभावित करें।

निगम सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) :

वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिये, सीएसआर गतिविधियों हेतु 18,27,596.00 रूपये की कुल राशि उपलब्ध थी। यह सीएसआर नीति राजस्थान सोलर पार्क डवलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड के पृष्ठ

www.energy.rajasthan.gov.in/rrecl पर भी उपलब्ध है। कम्पनी (निगम सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 9 के अनुसार प्रकटीकरण अनुलग्नक –।। में किये गये है।

कम्पनी अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत अन्य प्रकटीकरण

आपके निदेशक प्रस्तुत करते है कि निम्नलिखित मामलों के संबंध में कोई प्रकटीकरण या रिपोर्टिंग की आवश्यकता नहीं है क्योंकि समीक्षाधीन वर्ष के दौरान इन मामलों में कोई संव्यवहार नहीं था :

1. अधिनियम के अध्याय V के अन्तर्गत आवृत्त निक्षेपों से संबंधित ब्यौरे।
2. अधिकारिक अधिकारों लाभांशों, वोट या अन्यथा के साथ साम्या अंशों का निर्गम।
3. किसी भी योजना के अन्तर्गत कम्पनी के कर्मचारियों को अंशों (स्वेट साम्या अंशो सहित) का निर्गम।
4. व्यापार की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं है।
5. वित्तीय वर्ष के अन्त एवं प्रतिवेदन की दिनांक के मध्य कोई सारवान परिवर्तन और प्रतिबद्धतायें जो कि कम्पनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करती हो, नहीं है।
6. कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के प्रावधानों के निबंधनों में कोई ऋण, प्रत्याभूति नहीं दी है और निवेश नहीं किये है।
7. कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 178(3) के अन्तर्गत निदेशकों के नियुक्ति से संबंधित नीति, प्रबंधकीय पारिश्रमिक का भुगतान, निदेशकों की अर्हतायें, निदेशकों की स्वतंत्रता एवं अन्य संबंधित मामलों के प्रकटीकरण के प्रावधान एम.सी.ए. अधिसूचना दिनांक 05 जून, 2015 के अनुसार सरकारी कम्पनियों के लिये छूट प्राप्त है।
8. कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(सीए) के अनुसार प्रकटीकरण लागू नहीं होता है जैसाकि अंकेक्षकों ने इस संबंध में कोई रिपोर्ट नहीं की है।
9. स्वतंत्र निदेशक, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति, अंकेक्षण समिति, निदेशकों का कार्यात्मक मूल्यांकन, सतर्क तंत्र से संबंधित प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं है।
10. कम्पनी की कोई समनुषंगी/सहबद्ध कम्पनी नहीं है।

सचिवीय मानकों की अनुपालना पर कथन

समस्त सचिवीय मानकों के प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिये निदेशकों ने उचित प्रणालियां परिकल्पित की है एवं ऐसी प्रणालियां पर्याप्त एवं प्रभावशाली रूप से संचालित थी।

अभिस्वीकृति

आपके निदेशक, नियंत्री कम्पनी राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम, राज्य सरकार, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय एवं भारत सरकार की अन्य एजेन्सियां, राजस्थान सरकार के ऊर्जा विभाग एवं वित्त विभाग एवं अन्य विभाग का धन्यवाद ज्ञापित करते है। मण्डल नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, वैधानिक अंकेक्षकों एवं बैंकों द्वारा दिये गये उनके मूल्यावान सहयोग के लिये भी धन्यवाद ज्ञापित करते है।

निदेशक मण्डल की ओर से
ह.
(डॉ.सुबोध अग्रवाल, आईएएस)
अध्यक्ष
डीआईएन : 06940604

दिनांक : 16.12.2021
स्थानः जयपुर।

अनुलग्नक— I

प्रपत्र संख्या एमजीटी–9
वार्षिक विवरणी का उद्धरण

31 मार्च, 2021को समाप्त वित्तीय वर्ष को
(कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 92 (3) एवं कम्पनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12 (1) के अनुसरण में)

I. पंजीयन एवं अन्य ब्यौरे :

i)	सीआईएन	U40102RJ2011SGC036861
	पंजीयन दिनांक	02/11/2011
ii)	कम्पनी का प्रवर्ग	पब्लिक कम्पनी
iii)	कम्पनी का उप–प्रवर्ग	अंशों द्वारा लिमिटेड सरकारी कम्पनी
iv)	क्या अंश मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है	नहीं
	वार्षिक साधारण का विवरण	
v)	क्या वार्षिक साधारण सभा के समय विस्तार के लिये स्वीकृति दी गयी थी	हाँ
	यदि वार्षिक साधारण सभा का आयोजन नहीं हुआ था, तो इसके आयोजन नहीं होने के कारणों को निर्दिष्ट करें	लागू नहीं है
vi)	कम्पनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का नाम एवं पता	
	कम्पनी का नाम	राजस्थान सोलर पार्क डवलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड
	पता	ई–166, युधिष्ठिर मार्ग, सी–स्कीम,
	कस्बा/शहर	जयपुर
	राज्य	राजस्थान
	पिन कोड	302005
	देश का नाम	भारत
	देश का कोड	+91
	दूरभाष (एसटीडी क्षेत्रीय कोड संख्या सहित)	0141–2225859
	फैक्स नम्बर	0141–2226028
	ई–मेल	solar.rrec@gmail.com
	वेबसाइट	www.energy.rajasthan.gov.in/rrec/rsdcl
vii)	जहां पर पंजीकृत कार्यालय स्थित है उस अधिकारिता वाले पुलिस स्टेशन का नाम	अशोक नगर, जयपुर
	रजिस्ट्रार एवं अन्तरण अभिकर्त्ता का नाम एवं पताः पूर्ण पता एवं संपर्क हेतु ब्यौरा दिया जाना है	लागू नहीं है।

II. कम्पनी की मुख्य व्यावसायिक गतिविधियां

कम्पनी के कुल व्यापारावर्त्त के 10 प्रतिशत या अधिक सहायता करने वाली सभी व्यावसायिक गतिविधियों का विवरण :

क्र. सं.	मुख्य उत्पादों / सेवाओं का वर्णन एवं नाम	उत्पाद / सेवा का एनआईसी कोड़	कम्पनी के कुल व्यापारावर्त्त का प्रतिशत
1	उत्पाद / सेवाओं का विक्रय	422 / 4220 / 42209	82.07 प्रतिशत
2	अन्य आय	422 / 4220 / 42209	17.93 प्रतिशत

III. नियंत्री, समनुषंगी तथा सहयुक्त कम्पनी के विवरण (जिनके लिये सूचना दी जा रही है उन कम्पनियों की संख्या)

क्र. सं.	कम्पनी का नाम	सीआईएन / जीएलएन	नियंत्री / समनुषंगी / एसोशिएट	धारित अंशों का प्रतिशत	प्रयोज्य धारा
1	राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड	U40101RJ1995SGC009847	नियंत्री कम्पनी	100%	2(87)

IV. अंश धारण पद्धति

(कुल साम्या का यथा प्रतिशत के साम्या अंश पूंजी का विवरण)

ए) श्रेणीवार अंश धारण

	अंशधारक का प्रवर्ग	वर्ष के प्रारम्भ में धारित अंशों की संख्या (01 अप्रेल, 2020 को)				वर्ष के अन्त में धारित अंशों की संख्या (31 मार्च, 2021 को)				वर्ष के दौरान परिवर्तन– प्रतिशत में
		डीमेट	भौतिक	कुल	कुल अंशों का प्रतिशत	डीमेट	भौतिक	कुल	कुल अंशों का प्रतिशत	
(ए)	संप्रवर्तक									
	निकाय निगम राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड	------	49993	49993	99.99	-----	49993	49993	99.99	--
1	श्री अजिताभ शर्मा के साथ संयुक्त रूप से आरआरईसीएल	-	1	1	0.002	-	--	...	...	-
2	श्री अनिल गुप्ता के साथ संयुक्त रूप से आरआरईसीएल	--	2	2	0.002	--	--	--	...	-
3	श्री के.सी. कुमावत के साथ संयुक्त रूप से आरआरईसीएल	–	1	1	0.002	-	1	1	0.002	-
4	श्री सुरेश चौहान के साथ संयुक्त रूप से	--	1	1	0.002	--	--	...	..	-

	आरआरईसीएल									
5	श्री वाई.के. रायजादा के साथ संयुक्त रूप से आरआरईसीएल	–	1	1	0.002	–	–	–	–	–
6	श्री एस.आर. महालदा के साथ संयुक्त रूप से आरआरईसीएल	–	1	1	0.002	–	–	–	–	–
7	डॉ. सुबोध अग्रवाल के साथ संयुक्त रूप से आरआरईसीएल	–	–	–	–	–	2	2	0.002	–
8	श्री दिनेश पहाड़िया के साथ संयुक्त रूप से आरआरईसीएल	–	–	–	–	–	1	1	0.002	–
9	श्री सुनित माथुर के साथ संयुक्त रूप से आरआरईसीएल	–	–	–	–	–	1	1	0.002	–
10	श्री आर.के. जैन के साथ संयुक्त रूप से आरआरईसीएल	–	–	–	–	–	1	1	0.002	–
11	श्री ऐ.के. सक्सेना के साथ संयुक्त रूप से आरआरईसीएल	–	–	–	–	–	1	1	0.002	–
(बी)	**पब्लिक अंशधारण (गैर संस्थाएं)**									
(1)	एक लाख रूपये तक की अभिहित अंश पूंजी धारक व्यष्टि									
(ए)	भारत के लिये प्रतिपक्षी सम्पत्ति का संरक्षक	**शून्य**								
(बी)	**कुल पब्लिक अंशधारण (बी)**									
(सी)	**सर्वयोग (ए+बी)**	–	50000	50000	100 प्रतिशत	–	50000	50000	100 प्रतिशत	–

बी) प्रवर्तको का अंशधारण

क्र. सं.	अंशधारक का नाम	वर्ष के प्रारम्भ में अंशधारण			वर्ष के अन्त में अंशधारण			
		अंशों की संख्या	कम्पनी के कुल अंशों का प्रतिशत	कुल अंशो में विल्लंगमित / प्रतिभूत अंशों का प्रतिशत	अंशो की संख्या	कम्पनी के कुल अंशों का प्रतिशत	कुल अंशो में विल्लंगमित / प्रतिभूत अंशों का प्रतिशत	वर्ष के दौरान अंशधारण में परिवर्तन प्रतिशत में
1	राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम	50000	100	——	50000	100	——	——

सी) संप्रवर्तकों के अंशधारण में परिवर्तन (यदि कोई परिवर्तन नहीं है तो कृपया विशेष रूप से उल्लेख करें) :

क्र. सं.	विवरण	वर्ष के प्रारम्भ में अश धारण		वर्ष के दौरान संचति अंशधारण	
		अंशों की संख्या	कुल अंशों का प्रतिशत	अंशों की संख्या	कुल अंशों का प्रतिशत
	वर्ष के प्रारम्भ में (01.04.2020)	50000	100.00%	50000	100.00%
	वर्ष के दौरान संप्रवर्तकों के अंशधारण में तारीखवार वृद्धि/कमी, विशेषरूप से वृद्धि/कमी का उल्लेख करते हुऐ (जैसे कि आबंटन/अन्तरण/ बोनस/स्वेट साम्या, इत्यादि	शून्य			
	वर्ष के अन्त में (31.03.2021)	50000	100.00%	50000	100.00%

डी) शीर्ष दस अंशधारकों के अंशधारण की पद्धति (निदेशकों, संप्रवर्तको तथा जीडीआरएस एवं एडीआरएस के धारकों के अतिरिक्ति)

क्र. सं.	शीर्ष 10 अंशधारको के प्रत्येक हेतु	वर्ष के प्रारम्भ में अंशधारण		वर्ष के दौरान संचित अंशधारण	
		अंशों की संख्या	कम्पनी के कुल अंशों का प्रतिशत	अंशों की संख्या	कम्पनी के कुल अंशों का प्रतिशत
	वर्ष के प्रारम्भ में				
	वर्ष के दौरान संप्रवर्तकों के अंशधारण में तारीखवार वृद्धि/कमी, विशेषरूप से वृद्धि/कमी का उल्लेख करते हुए (जैसे कि आबंटन/अन्तरण/ बोनस/स्वेट साम्या, इत्यादि)	शून्य			
	वर्ष के अन्त में				

ई) निदेशकों एवं प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों की अंशधारिता

क्र. सं.	प्रत्येक निदेशक एवं प्रत्येक मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक का अंशधारण	वर्ष के प्रारम्भ में अंशधारण		वर्ष के दौरान संचित अंशधारण	
		अंशों की संख्या	कम्पनी के कुल अंशों का प्रतिशत	अंशों की संख्या	कम्पनी के कुल अंशों का प्रतिशत
	उपरोक्त के समान				

एफ) ऋणग्रस्तता (ऋणिता)

बकाया/प्रोद्भूत ब्याज परन्तु तत्काल भुगतान देय नहीं है सहित कम्पनी की ऋण ग्रस्तता

	निक्षेपों के अतिरिक्त प्रतिभूत ऋण	अप्रतिभूत ऋण	निक्षेप	कुल ऋणग्रस्तता
वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में ऋणग्रस्तता	–	–	–	–
i. मूल राशि	–	–	–	–
ii. ब्याज देय परन्तु अप्रदत्त	–	–	–	–
iii. ब्याज प्रोद्भूत परन्तु देय नहीं	–	–	–	–
योग **(i+ii+iii)**	–	–	–	–
वित्तीय वर्ष के अन्त में ऋणिता				
i. मूल राशि	–	–	–	–
ii. ब्याज देय परन्तु अप्रदत्त	–	–	–	–
iii. ब्याज प्रोद्भूत परन्तु देय नहीं	–	–	–	–
योग **(i+ii+iii)**	–	–	–	–

XI. निदेशकों एवं मुख्य प्रबंधकीय कार्मिको का पारिश्रमिक

(ए) प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशकों एवं/अथवा मैनेजर का पारिश्रमिक

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	प्रबंध निदेशक/पूर्णकालिक निदेशक/मैनेजर का नाम
1	सकल वेतन	शून्य
2	स्टाक विकल्प करार	
3	स्वीट साम्या	
4	कमीशन (यथा लाभ का प्रतिशत या अन्य)	
5	अन्य, कृपया विशेष रूप से उल्लेख करें	
	योग (ए)	
	अधिनियम के अनुसार अधिकतम सीमा	

(बी) अन्य निदेशकों को पारिश्रमिक :

किसी भी निदेशक को पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया गया है।

(सी) प्रबंध निदेशक/मैनेजर/ पूर्णकालिक निदेशकों के अतिरिक्त अन्य मुख्य प्रबंधकीय

कार्मिको का पारिश्रमिक

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिका के नाम			
		मुख्य कार्यपालक अधिकारी	कम्पनी सचिव	मुख्य वित्त अधिकारी	योग
1	सकल वेतन	शून्य			
2	स्टाक विकल्प करार				
3	स्वीट साम्या				
4	कमीशन –यथा लाभ का प्रतिशत या अन्य				
5	अन्य, कृपया विशेष रूप से उल्लेख करें				
	योग				

XII. शास्तियां / दण्ड / अपराधों का प्रशमन

समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान कम्पनी पर कोई शास्ति / दण्ड अधिरोपित नहीं किया था एवं कम्पनी द्वारा कोई अपराधों का प्रशमन नहीं किया गया था।

(डॉ. सुबोध अग्रवाल, आईएएस)
अध्यक्ष

अनुलग्नक—II

कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व

1. कम्पनी की सीएसआर नीति पर संक्षिप्त रूपरेखा

कार्पोरेट सामाजिक दायित्व की नीति को निदेशक मण्डल द्वारा दिनांक 30.10.2017 को सम्पन्न हुई अपनी बैठक में स्वीकृत किया गया तथा इसका नाम "आरएसडीसीएल सीएसआर नीति" रखा गया एवं राजस्थान सोलर पार्क डवलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड के पृष्ठ www.energy.rajasthan.gov.in/rrecl पर उपलब्ध है। कम्पनी के दृष्टिकोण के अनुरूप, आरएसडीसीएल, अपने सामाजिक दायित्व के कार्यों से समाज के मूल्यों में वृद्धि करने का प्रयास करती रहेगी तथा समुदायों में अपनी सामुदायिक सेवाओं, अभियानों को चलाती रहेगी ताकि समाज तथा समुदायों का निरन्तर उत्थान हो और इस तरह कम्पनी पर्यावरणीय चिन्ताओं के साथ कार्पोरेट सामाजिक दायित्व निभाने में अपनी भूमिका निभाती रहेगी।

आरएसडीसीएल की सीएसआर नीति के उद्देश्य इस प्रकार है:

ए) कम्पनी के लिये सुसंगत निगम सामाजिक उत्तरदायित्व (इसके पश्चात् संक्षिप्त में यथा सीएसआर के निर्दिष्ट) ढ़ाचे को स्थापित करना।

बी) समाज के मूल्यों में वृद्धि करने का प्रयास करना तथा समुदायों में अपनी सामुदायिक सेवाओं, अभियानों को चलाना ताकि समाज तथा समुदायों का निरन्तर उत्थान हो और इस तरह कम्पनी पर्यावरणीय चिन्ताओं के साथ कार्पोरेट सामाजिक दायित्व निभाने में अपनी भूमिका निभाती रहे।

सी) उन क्षेत्रों की पहचान करना जिनमें सीएसआर परियोजनाओं को कार्यान्वित किया जायेगा एवं अपनी सीएसआर पहल के माध्यम से आरआरईसीएल के लिये सामुदायिक सद्भावना को सृजित करना एवं कॉर्पोरेट इकाई के रूप में एक सकारात्मक और सामाजिक रूप से जिम्मेदार छवि को निखारना।

डी) सीएसआर कार्यान्वयन एजेन्सीयों की क्षमता निर्धारण के लिये समर्थ बनाना।

2. सीएसआर समिति की संरचना

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसरण में कम्पनी ने कार्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) समिति का गठन किया है, जिसमें निम्नलिखित निदेशक सदस्य है:

i) श्री दिनेश पहाड़िया
ii) श्री के.सी. कुमावत
iii) श्री सुनित माथुर

वर्ष के दौरान कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा विद्यमान कम्पनी (कारपोरेट सामाजिक दायित्व नीति) नियम, 2014 को संशोधित करते हुये (कारपोरेट सामाजिक दायित्व नीति) संशोधन नियम, 2021 बनाये गये थे और ये नियम **22 जनवरी, 2021** से प्रवृत्त हुये। इन संशोधित नियमों के अनुसार, कम्पनी द्वारा व्यय की जाने वाली राशि 50 लाख रूपये से

अधिक नहीं है तो सी एस आर समिति की आवश्यकता नहीं है। वित्तीय वर्ष में आरएसडीसीएल की सी एस आर राशि 50 लाख रूपये से अधिक नहीं थी, अतः मण्डल द्वारा समिति को भंग कर दिया गया।

3. **वह वेब–लिंक प्रदान करें जहां सीएसआर समिति की संरचना, सीएसआर नीति और बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाएं कम्पनी की वेबसाइट पर प्रकट की गई है:**

- सीएसआर समिति के लियेः www.energy.rajasthan.gov.in/rrecl/rsdcl (विव 2021–22 के लिये सीएसआर समिति)
- सीएसआर नीति के लियेः www.energy.rajasthan.gov.in/rrecl/rsdcl
- सीएसआर परियोजनाओं के लियेः www.energy.rajasthan.gov.in/rrecl/rsdcl

4. **कम्पनी (कारपोरेट सामजिक दायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 8 के उप–नियम (3) के अनुसरण में निष्पादित सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव मूल्यांकन का ब्यौरा प्रदान करें, यदि लागू हो (रिपोर्ट संलग्न करें)। –**

- लागू नहीं है – जैसा कि कम्पनी पर ठीक तीन पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों में 10करोड़ रूपये या उससे अधिक का औसत सी एस आर दायित्व नहीं है।

5. **कम्पनी (कारपोरेट सामाजिक दायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 7 के उप–नियम (3) के अनुसरण में तय की जाने के लिए उपलब्ध राशि का ब्यौरा और वित्तीय वर्ष के लिए तय की जाने वाली अपेक्षित राशि, यदि कोई है :** शून्य

6. **गत 3 वित्तीय वर्षों का औसत शुद्ध लाभ–** 9,13,79,788/– रूपये

7. (क) **धारा 135(5) के अनुसार कम्पनी का औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशतः** 18,27,596/– रूपये(लगभग 18.28 लाख)

(ख) **पिछले वित्तीय वर्षों का सीएसआर परियोजना का कार्यक्रमों या गतिविधियों का अधिशेषः** शून्य

(ग) **वित्तीय वर्ष के लिए तय की जाने वाली राशि, यदि कोई होः** शून्य

(घ) **वित्तीय वर्ष के लिए कुल सीएसआर देनदारी (7क+7ख–7ग):** 18,27,596/– रूपये

8.. वित्तीय वर्ष के दौरान सामाजिक दायित्व के कार्यों पर किये गये व्यय का ब्यौरा – 19,14,000/– रूपये

(क) अव्ययित राशि – शून्य

(ख) वित्तीय वर्ष के दौरान जारी परियोंजनाओं के विरूद्ध जिस रूप में राशि व्यय की गयी उसका विस्तृत ब्यौरा निम्न प्रकार है :

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
क्र. सं	परियोजना का नाम	इस अधिनियम की अनुसूची VII में कार्यकलापों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र (हां / नहीं)	परियोजना की अवस्थिति		परियोजना अवधि	परियोजना के लिए आवंटित राशि (रूपये मे)	वर्तमान वित्तीय वर्ष में व्यय की गई राशि (रूपये में)	धारा 135 (6) के अनुसार परियोजना के लिए अव्ययित सीएसआर खाते मे अंतरिककी गई राशि (रूपये में)	कार्यान्वयन की रीति – सीधे (हां / नहीं)	कार्यान्वयन की रीति – कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
				राज्य	जिला						
1	चिकित्सा अस्पताल की आधारभूत संरचना का विकास	(i)	हॉ	राजस थान	बीका नेर	2 वर्ष	19.14 लाख	19.14 लाख	--	नहीं	राजस्थान मेडिकल रिलीफ सोसायटी, बीकानेर
	कुल										

*यह सी.एस.आर. संशोधन नियमों में यथा परिभाषित "जारी गतिविधियां" हैं। उल्लेखित वर्ष में वह वित्तीय वर्ष जिसमें परियोजना प्रारम्भ की गयी थी, शामिल है।

(ग) वित्तीय वर्ष के लिए जारी परियोजनाओं के अलावा अन्य पर व्यय की गई सीएसआर राशि का ब्यौराः शून्य

(घ) प्रशासनिक ऊपरी व्यय में खर्च की गई राशिः शून्य

(ड.) प्रभाव मूल्यांकन पर खर्च की गई राशि, यदि लागू होः शून्य

(च) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशिः 19.14 लाख रूपये

(छ) सेट ऑफ, यदि कोई हो, के लिए अधिक राशिः शून्य

9. (क) पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों के लिए व्ययित अथवा अव्ययित सीएसआर राशि का ब्यौरा

क्र.सं.	पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष	धारा 135(6) के अधीन अव्ययित सीएसआर खाते में अंतरित राशि (रूपये में)	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष (2020.21) में खर्च की गई राशि (रूपये में)	धारा 135 (5) के द्वितीय परन्तुक के अनुसार अनुसूची VII के अधीन यथा–विनिर्दिष्ट किसी निधि में अंतरित राशि, यदि कोई हो।			पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों में खर्च की जाने वाली शेष राशि (रूपये में)
				निधि का नाम	राशि (रूपये में)	अंतरण की तारीख	

1	2019–20	–	87,370/–	–	–	–	–
	कुल						

कम्पनी की सी एस आर नीति के अनुसार, राशि को अग्रनीत किया है और जैसा कि "जारी परियोजना" के प्रावधान लागू नहीं है क्योंकि "जारी परियोजनायें" की धारणा सी एस आर संशोधन नियमों से आयी है जो कि विव 2021 से सम्बन्धित है।

(ख) पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की चालू परियोजनाओं के लिए व्ययित सीएसआर राशि का ब्यौरा: शून्य

10. **पूंजीगत परिसम्पत्ति के सृजन अथवा अधिग्रहण के मामलें में, वित्तीय वर्ष में सीएसआर व्यय के माध्यम से इस प्रकार सृजित अथवा अधिगृहीत परिसम्पत्ति से संबंधित ब्यौरा प्रस्तुत करें:**
कोई भी पूंजीगत परिसम्पत्ति का सृजन अथवा अधिग्रहण नहीं किया गया था।

11. **कारणों को विनिर्दिष्ट करें, यदि कम्पनी धारा 135 के अनुसार औसत शुद्ध लाभ के 2 प्रतिशत को खर्च करने में असफल हुई हो:** वैश्विक महामारी कोविड के कारण, परियोजना के चयन में विलम्ब हो गया और वर्ष के भीतर पूर्ण नहीं हो सका। राशि को अधिनियम 2013 के अनुसार व्यय किया जायेगा।

ललित वर्मा
निदेशक

डॉ. सुबोध अग्रवाल
अध्यक्ष

स्वतंत्र अंकेक्षकों का प्रतिवेदन

राजस्थान सोलर पार्क डवलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड के सदस्यगण

वित्तीय विवरणों के अंकेक्षण पर रिपोर्ट

विशेषित अभिमत

हमने **राजस्थान सोलर पार्क डवलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड** के वित्तीय विवरणों का अंकेक्षण कर लिया है जिसमें 31 मार्च, 2021 तक के तुलन–पत्र एवं लाभ हानि विवरण एवं उस दिनांक को समाप्त होने वाले वर्ष हेतु रोकड़ प्रवाह विवरण एवं महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सार एवं अन्य विस्तृत सूचनाओं सहित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां समाविष्ट है।

हमारे प्रतिवेदन के 'विशेषित अभिमत' हेतु आधार अनुभाग में वर्णित मामलों के प्रभावों के सिवाय, हमारी राय में तथा हमारी जानकारी एवं हमें दिये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार, पूर्वोक्त वित्तीय विवरण कम्पनी के कार्यकलाप की स्थिति यथा 31 मार्च, 2021 को एवं इसके लाभ एवं रोकड़ प्रवाह विवरण के मामलें में, उस दिनांक को समाप्त होने वाले वर्ष हेतु भारत में साधरणतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धान्तों के अनुरूप कम्पनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') द्वारा अपेक्षित सत्य व स्वच्छ परिदृश्य प्रदान करते है।

विशेषित अभिमत हेतु आधार

लेखा मानक–12 "सरकारी अनुदानों का लेखांकन" की अपालना

ए) कम्पनी ने नवीन और नवीकरणीय उर्जा मंत्रालय (एमएनआरई), भारत सरकार की नामित नोडल ऐजेन्सी, मैसर्स सोलर एनर्जी कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया (एसईसीआई) से भाडला परियोजना के विकास के लिये 4489.73 लाख रूपये की केन्द्रीय वित्त सहायता प्राप्त की थी, जो कि देश में सोलर पार्कों और अल्ट्रा मेगा सौर उर्जा परियोजनाओं के विकास के लिये योजना के अन्तर्गत सोलर पार्क परियोजना की पूंजी परिव्यय लागत की पूर्ति के लिये अनुदान सहायता की प्रकृति में थी। कथित केन्द्रीय वित्त सहायता अनुदान, वित्तीय वर्ष 2015–16 तक के पूर्ववर्ती वर्षों में प्राप्त की गयी थी, उपर निर्दिष्ट मूल योजना के अन्तर्गत विशेषांकित परियोजना के विकास के लिये कुल पूंजी परिव्यय के प्रति प्रोत्साहकों के अंशदान की प्रकृति का था, जिसमें योजना के दिशा–निर्देशों/स्वीकृति की अपालना की स्थिति में अनुदान की वापसी/वसूली की शर्त आरोपित थी।

लेखा मानक–12 "सरकारी अनुदानों का लेखांकन" के पैरा 10.1 के अनुसार, सरकारी अनुदानें जो कि परियोजना पूंजी परिव्यय के लागत के प्रति है, प्रोत्साहकों के अंशदान की प्रकृति की है जिन्हें यथा पूंजी आरक्षित के व्यवहार किया जाना चाहिये और इन्हे न तो लाभांश के रूप में वितरित किया जाना चाहिये और न ही यथा आस्थगित आय के

माना जाना चाहिये। तथापि, कम्पनी केन्द्रीय वित्त सहायता अनुदान को आस्थगित आय की प्रकृति की विचारित कर रही है और तद्नुसार ऐसे वार्षिक घटकों को लाभ व हानि विवरण में यथा क्रेडिट करके 40 वर्षों की अवधि में यथानुपात आधार पर विनियोजित कर रही है और तद्नुसार, 2016–17 से 2019–20 के वित्तीय वर्षों के दौरान "आरक्षित एवं अधिशेष" के अन्तर्गत 393.57 लाख रूपये का " अनुदान खाता" को यथा डेबिट विनियोजन किया है। इसी तरह से, 'महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां' में विरचित एवं प्रकट लेखांकन नीति के आधार पर, केन्द्रीय वित्त सहायता अनुदान की विनियोजित नहीं की गयी शेष राशि में से वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिये अग्रतर 111.30 लाख रूपये का यथा आनुपातिक राजस्व विनियोजन किया है।

पूंजी अनुदान का आनुपातिक आधार पर पूर्वोक्त विनियोजन का लेखा मानक–12 "सरकारी अनुदानों का लेखांकन" के अनुसार लाभ व हानि विवरण में क्रेडिट नहीं है और इसलिये इस सीमा तक लेखा मानक की अपालना रह जाती है। अग्रतर, वर्ष हेतु 'संचालनों से राजस्व' का 111.30 लाख रूपये से अधिक कथन किया गया है और वर्ष हेतु केन्द्रीय वित्त सहायता अनुदान की राशि की इस सीमा तक न्यूनोक्ति हुई है। इसके अतिरिक्त, लाभ व हानि विवरण में आगे ले जाये गये अधिशेष को भी 'अनुदान सहायता' समूह शीर्ष के अन्तर्गत 'केन्द्रीय वित्त सहायता अनुदान' के अनुरूपी न्यूनोक्ति के साथ, 393.57 लाख रूपये से अधिक कथन किया गया है जिसे 31 मार्च, 2020 को समाप्त हुये वित्तीय वर्ष तक वार्षिक वित्तीय विवरणों में यथा "**आरक्षित एवं अधिशेष**" के घटक के प्रकट किया है।

बी) इसके अतिरिक्त, प्रतिवेदित वर्ष की समाप्ति पर अप्रयुक्त केन्द्रीय अनुदान शेष की 3984.86 लाख रूपये की राशि को "आरक्षित एवं अधिशेष" के अन्तर्गत पृथक मद यथा "अनुदान सहायता" के रूप में वार्षिक वित्तीय विवरणों में इसके 31 मार्च 2020 के प्रकटीकरण के विरूद्ध में, "दीर्घावधि दायित्व" के अन्तर्गत 3873.56 लाख रूपये और "अन्य चालू दायित्व" के अन्तर्गत 111.30 लाख रूपये के रूप में प्रकट किया गया है। अग्रतर, अप्रयुक्त केन्द्रीय अनुदान का परिवर्तित प्रस्तुतीकरण लेखा मानक–12 के अनुसार नहीं है। प्रतिवेदित वर्ष में परिवर्तन के परिणाम के रूप में, वर्ष हेतु "आरक्षित एवं अधिशेष" के कुल मूल्य की 3984.86 लाख रूपये और "अन्य चालू दायित्व" के कुल मूल्य की 111.30 लाख रूपये से अत्योक्ति हुई है।

हमने, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट लेखा परीक्षण मानकों के अनुसार, हमारे अंकेक्षण को आयोजित किया है। उन मानकों के अधीन हमारे उत्तरदायित्व को हमारे प्रतिवेदन के समेकित वित्तीय विवरण अनुभाग के अंकेक्षण के लिये अंकेक्षकों के उत्तरदायित्व में अग्रतर वर्णित किया गया है। हम नैतिक अपेक्षाओं जो कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों एवं इसके अधीन नियमों के अन्तर्गत वित्तीय विवरणों के हमारे अंकेक्षण के प्रासंगिक है के साथ भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस संस्था द्वारा जारी की गयी आचार संहिता के अनुसार

कम्पनी से स्वतंत्र है एवं इन अपेक्षाओं और भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस संस्था की आचार संहिता के अनुसार अपने अन्य नैतिक उत्तरदायित्वों को पूरा कर लिया है।

हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किये गये अंकेक्षण साक्ष्य पर्याप्त है एवं वित्तीय विवरणों पर हमारे सीमित अभिमत के लिये एक उचित आधार उपलब्ध कराते है।

अतिरिक्त सूचना

अन्य सूचनाओं को तैयार करने के लिये कम्पनी का निदेशक मण्डल उत्तरदायी है। अन्य जानकारी में वार्षिक प्रतिवेदन में सम्मिलित जानकारी शामिल है परन्तु इसमें वित्तीय विवरण एवं उन पर हमारे अंकेक्षकों की रिपोर्ट सम्मिलित नहीं है।

वित्तीय विवरण पर हमारी राय में अन्य सूचनाएं सम्मिलित नहीं है और हम उस पर आश्वासन निष्कर्ष के किसी भी रूप को व्यक्त नहीं करते हैं।

वित्तीय विवरण के हमारे अंकेक्षण के सम्बन्ध में, हमारा उत्तरदायित्व अन्य सूचनाओं को पढ़ना है और ऐसा करने पर, विचार करें कि क्या अन्य सूचनाएं वित्तीय विवरण के साथ तात्विक रूप से असंगत है या हमारे अंकेक्षण के दौरान या अन्यथा अभिप्राप्त हमारा ज्ञान तात्विक रूप से अशुद्ध वर्णन करता प्रतीत होता है। हमने जो कार्य निष्पादित किया है यदि उसके आधार पर हम यह निष्कर्ष करते है कि इन अन्य सूचनाओं का कोई सारवान मिथ्या कथन है तो हमारे द्वारा उस तथ्य को रिपोर्ट करना अपेक्षित है। इस संबंध में रिपोर्ट करने के लिये हमारे पास कुछ नहीं है।

<u>एकल वित्तीय विवरणों के लिये प्रबंधन का उत्तरदायित्व</u>

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(5) में नियत मामलों में इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में जो कि कम्पनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 और कम्पनी (लेखा मानक) संशोधन नियम, 2016 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट लेखा मानकों के साथ–साथ, भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धान्तों के अनुसार, कम्पनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन एवं रोकड़ प्रवाह का सत्य व स्वच्छ परिदृश्य प्रस्तुत करना, कम्पनी के निदेशक मण्डल का उत्तरदायित्व है। इस उत्तरदायित्व में सम्मिलित है, कम्पनी की आस्तियों की सुरक्षा के लिये एवं कपट व अन्य अनियमितताओं को रोकने व ज्ञात करने के लिये अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार यथेष्ट लेखा अभिलेखों का संधारण, उचित लेखा नीतियों का चयन एवं प्रयुक्ति, निर्णय एवं प्राक्कलन करना जो कि युक्तियुक्त एवं विवेकपूर्ण हो, समुचित आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणो की रूपरेखा, कार्यान्विति एवं संधारण जिन्हें वित्तीय विवरणों जो कि सत्य एंव स्वच्छ परिदृश्य प्रस्तुत करते है और चाहे कपट या त्रुटि के कारण सारभूत गलत विवरण से मुक्त है की तैयारी एवं प्रस्तुतीकरण से संबंधित, लेखा अभिलेखों की विशुद्धता एवं सम्पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिये प्रभावी रूप से क्रियान्वित थे।

वित्तीय विवरण को तैयार करने में, निदेशक मण्डल यथा चालू समुत्थान के निरन्तरता हेतु कम्पनी की क्षमता का आंकलन करने, चालू समुत्थान से सम्बन्धित मामलों, जैसाकि लागू होता है, का प्रकटीकरण करने एवं चालू समुत्थान के आधार पर लेखांकन का उपयोग करने, का

उत्तरदायित्व है जब तक कि निदेशक मण्डल या तो कम्पनी को समाप्त करने या संचालन को बन्द करने का आशय रखता है या परन्तु ऐसा करने के लिये कोई वास्तविक विकल्प नहीं है।

निदेशक मण्डल कम्पनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया के निरीक्षण के लिये भी उत्तरदायी है।

वित्तीय विवरण के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षकों के उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समग्र रूप से वित्तीय विवरण सारवान मिथ्या कथन, चाहे कपट या त्रुटि के कारण, से मुक्त है, एवं अंकेक्षक को रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारी राय भी शामिल है। उचित आश्वासन, आश्वासन का एक उच्च स्तर है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि अंकेक्षण मानकों के अनुसार किया गया अंकेक्षण हमेशा विद्यमान सारवान मिथ्या कथन का पता लगाएगा। मिथ्या कथन कपट या त्रुटि से उत्पन्न हो सकते है और यदि व्यक्तिगत रूप से या सकल रूप से, सारवान माने जाते है तो उनसे इन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिये गये उपयोगकर्त्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की अपेक्षा की जा सकती है।

अंकेक्षण मानकों के अनुसार, अंकेक्षण के अंश के रूप में, हम व्यावसायिक निर्णय लेते है एवं सम्पूर्ण अंकेक्षण के दौरान व्यावसायिक संदेहवाद को बनाये रखते है। हम:

- वित्तीय विवरण के सारवान मिथ्या कथनों की जोखिमों को निश्चित और उनका आंकलन करते हैं, चाहे कपट या त्रुटि के कारण, उन जोखिमों के प्रतिकियाशील अंकेक्षण प्रक्रियाओं की रूप रेखा बनाये और निष्पादित करे एवं अंकेक्षण साक्ष्य प्राप्त करे जो हमारी राय के लिये आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उचित हो। कपट के परिणामस्वरूप होने वाले सारवान मिथ्या कथन का पता नहीं लगाने का जोखिम त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले जोखिम से अधिक है क्योंकि कपट में दुरभिसंधि, जालसाजी, साशय लोप, दुर्व्यपदेशन, या आन्तरिक नियंत्रण का अधिभावी प्रभाव शामिल हो सकता है।
- अंकेक्षण प्रक्रियाओं की रूपरेखा बनाने के लिये अंकेक्षण के लिये प्रासंगिक आन्तरिक नियन्त्रण का अवबोध जो परिस्थितियों में उपयुक्त है, को प्राप्त करें। कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(3)(i) के अधीन, हम इस बात पर भी अपनी राय व्यक्त करने के लिये उत्तरदायी है कि क्या कम्पनी के पास पर्याप्त वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और ऐसे नियंत्रणों का परिचालन प्रभावशील है।
- उपयोग की गयी लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबन्धन द्वारा किये गये लेखांकन अनुमानों एवं सम्बन्धित प्रकटीकरणों का मुल्यांकन करें।
- चालू समुत्थान आधारित लेखांकन का प्रबन्धन के उपयोग की उपयुक्तता एवं अभिप्राप्त अंकेक्षण साक्ष्य पर आधारित निष्कर्ष करना कि क्या उन घटनाओं या स्थितियों जो कम्पनी की यथा चालू समुत्थान की निरन्तरता की क्षमता पर महत्त्वपूर्ण संदेह डाल सकती हैं, से सम्बन्धित सारवान अनिश्चितता विद्यमान है। यदि हम निष्कर्ष निकालते हैं कि सारवान अनिश्चतता विद्यमान है, तो हमें हमारे अंकेक्षकों के प्रतिवेदन में वित्तीय

विवरण में सम्बन्धित प्रकटीकरणों पर ध्यान आकर्षित करना होगा या, ऐसे प्रकटीकरण हमारी राय को संशोधित करने के लिये अपर्याप्त है। तथापि, भावी घटनाओं या स्थितियों के कारण कम्पनी की यथा चालू समुत्थान की निरन्तरता समाप्त हो सकती है।

- प्रकटीकरण सहित वित्तीय विवरण की समग्र प्रस्तुति, संरचना एवं अन्तर्वस्तु का मुल्यांकन करें, तथा क्या वित्तीय विवरण अन्तर्निहित संव्यवहार और घटनाओं को इस तरह से दर्शातें है जो स्वच्छ प्रस्तुति को पूरा करते है।

हम, अन्य मामलों में आन्तरिक नियंत्रण की कोई भी महत्वपूर्ण कमियों जिन्हें हम अपने अंकेक्षण के दौरान पहचानते हैं, के सहित निष्कर्षों से उन्हें जिनके पास नियमन का प्रभार है, सूचित करते है।

हम उनको जिनके पास नियमन का प्रभार है, एक कथन के साथ उपलब्ध कराते हैं कि हमने स्वतंत्रता से सम्बन्धित प्रासंगिक नैतिक आवश्यक्ताओं की पालना की है और सभी सम्बन्धों तथा अन्य मामलों जिन्हें हमारी स्वतंत्रता और जहां लागू हो, सम्बन्धित सुरक्षण पर युक्तियुक्त रूप से सोचा जा सकता है, उन्हें सूचित करते हैं।

अन्य कानूनी एवं नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. जैसा कि अधिनियम की धारा 143 की उप धारा 11 के निबन्धनों के अनुसार केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किये गये कम्पनी (अंकेक्षकों का प्रतिवेदन) आदेश, 2016 (आदेश) द्वारा अपेक्षित है, हम 'अनुलग्नक–ए' में कथित आदेश के पैरा 3 व 4 में यथा विनिर्दिष्ट मामलों पर, लागू होने की सीमा तक, एक विवरण संलग्न करते है।

2. कम्पनी की लेखा–पुस्तकों एवं अभिलेखों की ऐसी जांच जिसे हमने उचित विचारित किया के आधार पर और हमें दी गयी सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार, अधिनियम की धारा 143(5) के निबन्धनों में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी किये गये निर्देश/उपनिर्देश पर अनुलग्नक–बी में हमारी रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे है।

3. अधिनियम की धारा 143 (3) द्वारा यथा अपेक्षित, हम रिपोर्ट करते है कि –

   ए) ऊपर उल्लिखित पैरो के सिवाय, हमने वे समस्त सूचनाये एवं स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिये है जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान व विश्वास से हमारे अंकेक्षण के प्रयोजन हेतू आवश्यक थे।

   बी) हमारे मत में, कम्पनी ने विधि द्वारा यथापेक्षित समुचित लेंखा पुस्तकें जहां तक इन पुस्तकों के हमारे परीक्षण से विदित होता है, रखी हुई है।

   सी) इस प्रतिवेदन में व्यवहृत तुलन–पत्र, लाभ–हानि विवरण एवं रोकड़ प्रवाह विवरण लेखा–पुस्तकों से मेल खाते है।

   डी) हमारे मत में, ऊपर उल्लिखित पैरो के सिवाय, पूर्वोक्त वित्तीय विवरण कम्पनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 और कम्पनी (लेखा मानक) संशोधन नियम,

2016 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट लेखा मानकों की पालना करते है।

(ई) 31मार्च, 2021 को निदेशकों से प्राप्त लिखित अभ्यावेदन जो कि निदेशक मण्डल द्वारा रिकार्ड किये गये हैं, के आधार पर कोई भी निदेशक अधिनियम की धारा 164(2) के निबन्धनों मे यथा निदेशक के 31मार्च, 2021 को नियुक्त होने के लिये निरर्हित नहीं है।

(एफ) वित्तीय रिपोर्टिंग पर कम्पनी के आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता एवं ऐसे नियंत्रणों की प्रभावशील सक्रियता के संबंध में, 'अनुलग्नक–सी' पर हमारा पृथक प्रतिवेदन देखें। वित्तीय रिपोर्टिंग नियंत्रणों की पर्याप्तता एवं ऐसे नियंत्रणों की प्रभावशील सक्रियता पर हमारी रिपोर्ट अरूपांत्रित मत व्यक्त करती है।

(जी) कम्पनी (अंकेक्षण एवं अंकेक्षक) नियम, 2014, यथा संशोधित, के नियम 11 के अनुसार अंकेक्षण प्रतिवेदन में सम्मिलित किये जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारे मत में एवं हमारी सूचना के सर्वोत्तम एवं हमें दिये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार :

i- कम्पनी में कोइ लम्बित मुकदमा नहीं है जों इसकी वित्तीय स्थिति पर प्रभाव रखेगा।

ii- कम्पनी में 31 मार्च, 2021 को व्युत्पन्न संविदा सहित दीर्घावधि संविदा जिसमें कोई सारवान पूर्वानुमेय हानियां थी, नहीं थी।

iii- कम्पनी द्वारा निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा निधि में अन्तरित करने वाली कोई राशि नहीं थी जिसे अन्तरित करने की आवश्यकता थी।

शाह पाटनी एण्ड कम्पनी के लिये
चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस
(फर्म पंजीकरण सं. 001055सी)
(नितिन सेठी)
साझेदार
सदस्यता संख्या 400593
युडीआइएन: 21400593एएएईई7682

स्थान : जयपुर
दिनांक : 17.11.2021

अंकेक्षकों के प्रतिवेदन का अनुलग्नक – ए

(हमारे प्रतिवेदन के शीर्षक 'अन्य कानूनी एवं नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' के अन्तर्गत परिच्छेद 1 में संदर्भित)

i) इसकी स्थिर आस्तियों के सम्बन्ध में:

(ए) उपलब्ध सूचना के आधार पर कम्पनी ने अपनी स्थिर आस्तियों का यथेष्ट विवरण, परिमाणात्मक विवरण एवं आस्ति की प्रास्थिति सहित पूर्ण विवरण सहित उचित अभिलेखों का संधारण किया है। तथापि, स्थिर आस्ति रजिस्टर अद्यतन के अधीन है।

(बी) हमें प्रस्तुत किये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार, वर्ष के दौरान भौतिकता आधार पर प्रबंधन द्वारा स्थिर आस्तियों का भौतिक सत्यापन किया गया है, जो कि कम्पनी के आकार एवं इसकी आस्तियों की प्रकृति को देखते हुये हमारे मत में युक्तियुक्त है। ऐसे भौतिक सत्यापन पर कोई सारवान असंगतियां नहीं पायी गयी है।

(सी) हमें दी गयी सूचनाओ एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार, अचल सम्पत्तियों के स्वत्व विलेख कम्पनी के नाम में है।

ii) कम्पनी की कोई व्यापारिक या निर्माणी गतिविधियां नहीं है, इसलिये कोई इन्वेन्ट्री नहीं है, इसलिए इन्वेन्ट्री के भौतिक सत्यापन से संबंधित आदेश का पैरा 3(ii) लागू नहीं होते है।

iii) कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 189 के अन्तर्गत अनुरक्षित पंजिका में सूचीबद्ध कम्पनियों, फर्मों, सीमित दायित्व साझेदारी या अन्य पार्टियों को कोई सुरक्षित या असुरक्षित ऋण स्वीकृत नहीं किया है। तथापि, इसने अपनी नियत्री कम्पनी को 10 करोड़ रूपये की राशि दी है जिसका वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान कर दिया गया था।

iv) कम्पनी ने अधिनियम की धारा 185 एवं धारा 186 के प्रावधानों के अन्तर्गत कोई ऋण स्वीकृत नहीं किया है, निवेश नहीं किया है, प्रत्याभूतियां एवं प्रतिभूतियां नहीं दी है। अतः सीएआरओ, 2016 का पैरा 3 का खण्ड (iv) कम्पनी पर लागू नहीं है।

v) हमें दी गयी सूचनाओ एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार, कम्पनी ने कोई सार्वजनिक निक्षेप स्वीकार नहीं किये है। अतः सीएआरओ, 2016 का पैरा 3 का खण्ड (v) कम्पनी पर लागू नहीं है।

vi) हमारे मत में और प्रस्तुत किये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(1) के अन्तर्गत कम्पनी द्वारा लागत अभिलेखों के संधारण को केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्दिष्ट नहीं किया गया है।

vii) (ए)प्रावधायी निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्रीकर, सीमा शुल्क, सेवा कर, आबकारी शुल्क, माल एवं सेवा कर, उपकर एवं अन्य अविवादित वैधानिक बकायों को इनके लागू होने तक की परिसीमा तक उचित प्राधिकरणों के पास नियमित रूप से जमा करवाया जा रहा है और कोई अविवादित वैधानिक बकाया जो कि उसकी देय होने की तारीख से 6 महिने की अवधि से ज्यादा बकाया हो, की कोई राशि देय नहीं थी।

(बी) कम्पनी के अभिलेखों के अनुसार और हमें दी गयी सूचनाओ एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार, बिक्रीकर, सेवा कर या सीमा शुल्क या आबकारी शुल्क या मूल्य वर्धित कर की कोई बकाया नहीं है जो कि किसी विवाद के कारण जमा नहीं करायी गयी है सिवाय निम्नलिखित लम्बित मामलों के:

	निर्धारण वर्ष	मांग की राशि	जमा करायी गयी राशि	मंच जहां लम्बित है

1.	नि.व. 2017–18	78,54,47,791	14,20,00,000	आयकर आयुक्त (अपील), जयपुर

viii) हमें दी गयी सूचनाओं एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार, कम्पनी ने किसी भी वित्तीय संस्थानों, बैंकों से कोई उधार राशि नहीं ली है अतः वर्ष के दौरान किसी भी वित्तीय संस्थानों, बैंकों को बकाया के पुनर्भुगतान में कम्पनी के दोषी होने का प्रश्न ही नहीं उठता है। कम्पनी द्वारा कोई भी डिबेंचर जारी नहीं किये गये है।

ix) हमें दी गयी सूचनाओं एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार, न तो कम्पनी ने वर्ष के दौरान प्रारम्भिक पब्लिक ऑफर या अग्रतर पब्लिक ऑफर (ऋण प्रपत्रों सहित) द्वारा कोई धन इकट्ठा किया है। और न ही कोई सावधी ऋण लिया था। अतः पैरा 3(ix) कम्पनी पर लागू नहीं है।

x) हमारे मत में और हमारे द्वारा आयोजित अंकेक्षण के आधार पर एवं हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार वर्ष के दौरान न तो कम्पनी द्वारा और कम्पनी के साथ इसके अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा कोई कपट कम्पनी के ध्यान में आया न ही प्रबन्धन द्वारा कोई ऐसा मामला हमें सूचित किया गया है।

xi) कम्पनी द्वारा अपने निदेशकों, प्रबंधकों को कोई प्रबंधकीय पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया गया है। तद्नुसार, आदेश के पैरा 3(ix) के प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं है।

xii) कम्पनी एक निधि कम्पनी नहीं है एवं अतः आदेश के पैरा (xii) के अन्तर्गत रिपोर्टिंग करना कम्पनी पर लागू नहीं है।

xiii) हमारे मत में और हमें दी गयी सूचनाओं एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार, संबंधित पक्षकार से सभी व्यवहार अधिनियम की धारा 177 एवं 188 के अनुपालना में है तथा इन व्यवहारों के, लागू लेखा मानकों द्वारा यथा अपेक्षित ब्योरे वित्तीय विवरणों में प्रकट किये गये है।

xiv) कम्पनी द्वारा वर्ष के दौरान न ही कोई अधिमानी आवंटन किया गया है न ही किसी अंश या पूर्णतः या अंशतः परिवर्त्य डिबेंचर का प्लेसमेंट नहीं किया गया है एवं अतः आदेश के पैरा 3 के खण्ड (xiv) के अन्तर्गत रिपोर्टिंग करना कम्पनी पर लागू नहीं है।

xv) हमारे मत में और हमें दी गयी सूचनाओ एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार, वर्ष के दौरान कम्पनी ने कम्पनी के निदेशकों से संबंधित व्यक्तियों या निदेशकों से कोई गैर–नकद व्यवहार नहीं किया है एवं अतः आदेश के पैरा 3 के खण्ड (xv) के अन्तर्गत रिपोर्टिंग करना कम्पनी पर लागू नहीं है।

xvi) हमारे मत में और हमें दी गयी सूचनाओं एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45–आईए के अन्तर्गत कम्पनी को पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है।

शाह पाटनी एण्ड कम्पनी के लिये
चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस
(फर्म पंजीकरण सं. 001055सी)
(नितिन सेठी)
साझेदार
सदस्यता संख्या 400593
युडीआइएनः 21400593एएएईई7682

स्थान : जयपुर
दिनांक : 17.11.2021

स्वतंत्र अंकेक्षकों के प्रतिवेदन का अनुलग्नक – बी

(हमारे प्रतिवेदन के शीर्षक 'अन्य कानूनी एवं नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' के अन्तर्गत परिच्छेद 2 में संदर्भित)

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 145 (5) के अधीन रिपोर्ट

(ए) सामान्य निर्देशों के अन्तर्गत रिपोर्टिंग

1. कम्पनी अपने सभी लेखांकन संव्यवहारों को 'टेली' लेखांकन सॉफ्टवेयर के माध्यम से रिकार्ड कर रही है। तथापि, लेखांकन सॉफ्टवेयर में व्यवहारों को रिकार्ड करने या प्रक्रिया हेतु अपेक्षित विवरणों का मानवीय रूप से संधारण कर रही है। तथापि, हमारे लेखांकन संव्यवहारों की नमूना परिक्षण जांच के आधार पर हमारे ज्ञान में ऐसा कोई मामला नहीं आया है जो कि लेखों की सत्यनिष्ठा और इसके वित्तीय प्रभारों पर कोई संदेह पैदा करते हो।

2. किसी विद्यमान ऋण का कोई पुनर्गठन या कम्पनी की ऋण के पुनर्भुगतान की असमर्थता के कारण किसी ऋणदाता द्वारा कम्पनी को दिये गये ऋण के अधित्यजन या ऋण/उधारों/ ब्याज इत्यादि के अपलेखन का कोई मामला नहीं है।

3. हमें दी गयी सूचनाओं एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार, केन्द्रीय सरकार या इसकी एजेन्सियों से विशिष्ट योजनाओं के लिये प्राप्त धनराशि (अनुदान/ सहायिकी इत्यादि)को इसके निबन्धनों एवं शर्तों के अनुसार उचित रूप से उपयोग किया गया था। तथापि, लेखांकन की अपालना के लिये "विशेषित अभिमत के लिये आधार" के अन्तर्गत पैरा को देखें।

(बी) कम्पनी/ क्षेत्र विशिष्ट निर्देशों के अन्तर्गत रिपोर्टिंग (उप–निर्देश)

1. हमें दी गयी सूचनाओं एवं स्पष्टीकरणों और अग्रतर दिये गये पुष्टीकरण के अनुसार, कम्पनी की किसी भूमि पर अतिक्रमण नहीं है, वाद के अधीन नहीं है, अनुपयोगी नहीं है या अधिशेष घोषित नहीं है।

2. कम्पनी में संविदात्मक निबंधनों के अनुसार राजस्व की वसुली के लिये प्रभावी प्रणाली विद्यमान है एवं प्रयोज्य लेखा मानकों की पालना में राजस्व को लेखा–पुस्तकों में उचित रूप से लेखाबद्ध किया जाता है।

शाह पाटनी एण्ड कम्पनी के लिये
चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस
(फर्म पंजीकरण सं. 001055सी)
(नितिन सेठी)
साझेदार
सदस्यता संख्या 400593
युडीआइएन: 21400593एएएएईई7682

स्थान : जयपुर
दिनांक : 17.11.2021

स्वतंत्र अंकेक्षकों के प्रतिवेदन का अनुलग्नक –सी
(हमारी रिपोर्ट के "अन्य कानूनी एवं विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट" के अन्तर्गत पैरा 3(एफ)में संदर्भित)

कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 143 की उप–धारा 3 के खण्ड (i) के अन्तर्गत वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट

हमने राजस्थान सोलर पार्क डवलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (कम्पनी) की 31 मार्च, 2021 को वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अंकेक्षण किया है।

आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कम्पनी का निदेशक मण्डल, भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस संस्था (आई.सी.ए.आई) द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों के अंकेक्षण पर जारी निदेशन–पत्र में उल्लेखित आन्तरिक नियंत्रण के आवश्यक तत्वों को विचारित करते हुए कम्पनी द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक नियंत्रण के स्थापित मान–दण्डों के आधार पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों को अधिष्ठापित करने एवं जारी रखने के लिये उत्तरदायी है। इन उत्तरदायित्वों में, कम्पनी अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत यथा अपेक्षित कम्पनी की नीतियों का अनुसरण पालन, इसकी आस्तियों की सुरक्षा, कपटों व त्रुटियों का पता लगाना और उनका निवारण, लेखा अभिलेखों की पूर्णता एवं शुद्धता/यथार्थता एवं विश्वसनीय वित्तीय सूचनाओं की यथासमय तैयारी करने को सम्मिलित करते हुए पर्याप्त आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण जो इसके व्यापार को नियमित रूप एवं दक्षता से चलाने को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से सक्रिय थे की पर्याप्त रूप रेखा, कार्यान्वयन एवं अनुरक्षण सम्मिलित है।

अंकेक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारे अंकेक्षण के आधार पर इन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर कम्पनी के आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों पर राय व्यक्त करना हमारा उत्तरदायित्व है। आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों के अंकेक्षण के लिये लागू होने की सीमा तक निदेशन–पत्र एवं लेखा–परीक्षण के मानकों, दोनों आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों के अंकेक्षण के लिये प्रयोज्य एवं, दोनों भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस संस्था द्वारा जारी किये गये, के अनुसार हमने हमारा अंकेक्षण सम्पादित किया है। इन मानकों एवं निदेशन–पत्र की अपेक्षा है कि हम नीतिपरक आवश्यकताओं की पालना करे एवं अंकेक्षण को इस प्रकार से नियोजित व निष्पादित करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों को अधिष्ठापित एवं अनुरक्षित किया गया था और ऐसे नियंत्रण सभी सारवान/तात्विक मामलों में प्रभावी रूप से क्रियान्वित थे, के बारे में युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त किया जा सकें।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता एवं उनकी सक्रीयता की प्रभावशीलता हेतु अंकेक्षण साक्ष्य प्राप्त करने के लिये प्रक्रिया को क्रियान्वित करना हमारे अंकेक्षण में निहित है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों के हमारे अंकेक्षण में वित्तीय

रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, जोखिम का निर्धारण करना कि सारवान अपर्याप्तता हैं, एवं परीक्षण करना, एवं निर्धारित जोखिम के आधार पर आन्तरिक नियंत्रण की सक्रिय प्रभावशीलता व रूप रेखा का मूल्यांकन करना सम्मिलित था। वित्तीय विवरणों के सारभूत मिथ्या कथन चाहे कपट के कारण या त्रुटि के कारण, के जोखिम के निर्धारण को सम्मिलित करते हुए प्रक्रिया का चयन अंकेक्षक के निर्णयन पर निर्भर करता है।
हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किये गये अंकेक्षण साक्ष्य पर्याप्त है एवं इन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर कम्पनी के आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण पद्धति पर हमारे अंकेक्षण अभिमत के लिये एक उचित आधार उपलब्ध कराते है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कम्पनी का आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण एक प्रक्रिया है जिसे सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धान्तों के अनुसार बाह्य प्रयोजनार्थ वित्तीय विवरणों की तैयारी एवं वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के बारे में युक्तिसंगत आश्वासन उपलब्ध कराने के लिये तैयार किया गया है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कम्पनी के आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण मे वो नितियां व कार्य प्रणालियां सम्मिलिति है जो कि

(1) उन अभिलेखों के संधारण से संबंधित है जो कि कम्पनी की आस्तियों के व्ययन एवं व्यवहारों को युक्तियुक्त ब्योरे सहित, शुद्ध एवं उचित रूप से दर्शित करते है।

(2) युक्तिसंगत आश्वासन देते है कि सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धान्तों के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी की अनुमति के लिये यथा आवश्यक व्यवहारों को दर्ज किया गया है एवं प्राप्तियों व व्ययों को कवेल कम्पनी के निदेशकों एवं प्रबंधन के अनुमोदन के अनुसार ही किया जाता हैं।

(3) कम्पनी की आस्तियों का अनधिकृत अर्जन, उपयोग या व्ययन जिनका वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है, का यथासमय पता लगाने एवं निवारण से संबंधित युक्तिसंगत आश्वासन देवें।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों पर अन्तर्निहित परिसीमा

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों पर अन्तर्निहित परिसीमा साथ ही अनुपयुक्त प्रबंधन अथवा मिली भगत की संभावना के कारण, नियंत्रणों की अवहेलना, त्रुटि या कपट के कारण मिथ्या कथन हो सकते है और पता नहीं लगाये जा सकते। साथी ही, भावी अवधियों के लिये वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों के मूल्यांकन के प्रक्षेपण जोखिम के अधीन है क्योकि परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो सकते है, या कार्याविधि अथवा नीतियों की अनुपालना की मात्रा गिर सकती है।

अभिमत

हमारे मत में और हमें दी गई सूचनाओं एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार, भारतीय चार्टर्ड़ एकाउन्टेन्टस संस्था (आई.सी.ए.आई) द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों के अंकेक्षण पर जारी किये गये निदेशन–पत्र में उल्लेखित आन्तरिक नियंत्रण के आवश्यक तत्वों को विचारित करते हुए कम्पनी द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक नियंत्रण के स्थापित मान–दण्ड़ों के आधार पर कम्पनी में सभी महत्वपूर्ण मामलों में वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण पद्धति विद्यमान है और 31 मार्च, 2021 को प्रभावी रूप से सक्रिय थे।

शाह पाटनी एण्ड कम्पनी के लिये
चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस
(फर्म पंजीकरण सं. 001055सी)
(नितिन सेठी)
साझेदार
सदस्यता संख्या 400593
युडीआइएनः 21400593एएएईई7682

स्थान : जयपुर
दिनांक : 17.11.2021

वैधानिक अंकेक्षण प्रतिवेदन विव 2020–21 के आक्षेपों के प्रति प्रबंधन के उत्तर

क्र. सं.	आक्षेप	प्रबंधन का उत्तर
1	कम्पनी ने नवीन और नवीकरणीय उर्जा मंत्रालय (एमएनआरई), भारत सरकार की नामित नोडल ऐजेन्सी, मैसर्स सोलर एनर्जी कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया (एसईसीआई) से भाडला परियोजना के विकास के लिये 4489.73 लाख रूपये की केन्द्रीय वित्त सहायता प्राप्त की थी, जो कि देश में सोलर पार्को और अल्ट्रा मेगा सौर उर्जा परियोजनाओं के विकास के लिये योजना के अन्तर्गत सोलर पार्क परियोजना की पूंजी परिव्यय लागत की पूर्ति के लिये अनुदान सहायता की प्रकृति में थी। कथित केन्द्रीय वित्त सहायता अनुदान, वित्तीय वर्ष 2015–16 तक के पूर्ववर्ती वर्षो में प्राप्त की गयी थी, उपर निर्दिष्ट मूल योजना के अन्तर्गत विशेषांकित परियोजना के विकास के लिये कुल पूंजी परिव्यय के प्रति प्रोत्साहकों के अंशदान की प्रकृति का था, जिसमें योजना के दिशा–निर्देशों/स्वीकृति की अपालना की स्थिति में अनुदान की वापसी/वसूली की शर्त आरोपित थी। लेखा मानक–12 "सरकारी अनुदानों का लेखांकन" के पैरा 10.1 के अनुसार, सरकारी अनुदानें जो कि परियोजना पूंजी परिव्यय के लागत के प्रति है, प्रोत्साहकों के अंशदान की प्रकृति की है जिन्हें यथा पूंजी आरक्षित के व्यवहार किया जाना चाहिये और इन्हे न तो यथा लाभांश के वितरित किया जाना चाहिये और न ही यथा आस्थगित आय के माना जाना चाहिये। तथापि, कम्पनी केन्द्रीय वित्त सहायता अनुदान को आस्थगित आय की प्रकृति की विचारित कर रही है और तद्नुसार ऐसे वार्षिक घटकों को लाभ व हानि विवरण में यथा क्रेडिट करके 40 वर्षो की अवधि में यथानुपात आधार पर विनियोजित कर रही है और तद्नुसार, 2016–17 से 2019–20 के वित्तीय वर्षो के दौरान "आरक्षित एवं अधिशेष" के अन्तर्गत 393.57 लाख रूपये का " अनुदान खाता" को यथा डेबिट विनियोजन किया है। इसी तरह से,	हम अंकेक्षकों के इस तर्क से सहमत नहीं है कि एमएनआरई योजना के अन्तर्गत सोलर पार्क के विकास के प्रति प्राप्त अनुदान को यथा 'प्रोत्साहन का अंशदान' व्यवहृत किया जाना चाहिये और यथा 'पूंजी आरक्षित' के दर्शाया जाना चाहिये। इस सम्बन्ध में लेखा मानक 12 का पैरा 5.2 'सरकारी अनुदान के लिये लेखांकन' में आय के दृष्टिकोण के समर्थन में तर्क निहित है जो इस प्रकार है: (i) कई सरकारी अनुदान प्रोत्साहकों के अंशदान की प्रकृति में है, अर्थात्, उन्हें उपक्रम में कुल निवेश के संदर्भ में या इसके कुल पूंजीकृत परिव्यय में अंशदान के रूप में दिया जाता है और ऐसे अनुदानों के मामलें में सामान्यतया कोई पुनर्भुगतान अपेक्षित नहीं होता है। इसलिये, इन्हें सीधे ही अंशधारकों की निधि में क्रेडिट किया जाना चाहिये। (ii) जैसा कि उन्हें अर्जित नहीं किया जाता है परन्तु सम्बन्धित लागतों के बिना सरकार द्वारा दिये गये प्रोत्साहन का प्रतिनिधित्व करते है, अतः सरकारी अनुदानों को लाभ व हानि विवरण में मान्यता देना अनुचित है। लेखा मानक 12 का पैरा 5.3 में आय के दृष्टिकोण के समर्थन में तर्क निहित है जो इस प्रकार है: (i) सरकारी अनुदान कदाचित ही निःशुल्क होते है। उद्यम उन्हें उनकी शर्तो के अनपालन और उल्लिखित दायित्वों की पूर्ति करने के माध्यम से अर्जित करता है। इसलिये, उन्हें आय के रूप में लिया जाना चाहिये और सम्बद्ध लागतों जिनकी प्रतिपूर्ति के लिये अनुदान आशयित है, के साथ मिलान किया जाना चाहिये। (ii) जैसा कि आयकर एवं अन्य कर आय के विरूद्ध प्रभार है, इसलिये लाभ व हानि विवरण में सरकारी अनुदानों का जो कि राजस्व संबंधी

	'महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां' में विरचित एवं प्रकट लेखांकन नीति के आधार पर, केन्द्रीय वित्त सहायता अनुदान की विनियोजित नहीं की गयी शेष राशि में से वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिये अग्रतर 111.30 लाख रूपये का यथा आनुपातिक राजस्व विनियोजन किया है। पूंजी अनुदान का आनुपातिक आधार पर पूर्वोक्त विनियोजन का लेखा मानक–12 "सरकारी अनुदानों का लेखांकन" के अनुसार लाभ व हानि विवरण में क्रेडिट नहीं है और इसलिये इस सीमा तक लेखा मानक की अपालना रह जाती है। अग्रतर, वर्ष हेतु 'संचालनों से राजस्व' का 111.30 लाख रूपये से अधिक कथन किया गया है और वर्ष हेतु केन्द्रीय वित्त सहायता अनुदान की राशि की इस सीमा तक न्यूनोक्ति हुई है। इसके अतिरिक्त, लाभ व हानि विवरण में आगे ले जाये गये अधिशेष को भी 'अनुदान सहायता' समूह शीर्ष के अन्तर्गत 'केन्द्रीय वित्त सहायता अनुदान' के अनुरूपी न्यूनोक्ति के साथ, 393.57 लाख रूपये से अधिक कथन किया गया है जिसे 31 मार्च, 2020 को समाप्त हुये वित्त तक वार्षिक वित्तीय विवरणों में यथा "**आरक्षित एवं अधिशेष**" के घटक के प्रकट किया है।	नीतियों के विस्तार है, भी व्यवहार करना तर्क संगत है। (iii) यदि अनुदानों को शेयरधारकों की निधियों में क्रेडिट किया जाता है, तो अनुदान के लेखांकन व्यवहार और व्यय जिसमें अनुदान संबंधित है, के लेखांकन व्यवहार के मध्य कोई पारस्परिक संबंध नहीं किया गया है। अग्रतर, प्रबन्धन द्वारा दिये गये व्यवहार के समर्थन में, यह प्रस्तुत है कि एमएनआरई से प्राप्त अनुदान परियोजना विशिष्ट थी और साथ ही विशिष्ट सोलर पार्क के निर्माण के लिये निश्चित शर्तों के साथ और पार्क की लागत के प्रतिपूर्ति करने के आशय से भी थी। और, यहां तक कि अंकेक्षक ने पूर्णतया आश्वस्त नहीं किया है कि अनुदान प्रोत्साहकों का अंशदान है या नहीं है, क्योंकि आक्षेप के प्रथम पैरा में यह कथित है कि "केन्द्रीय वित्त सहायता योजना के दिशा–निर्देशों / स्वीकृति की अपालना की स्थिति में अनुदान की वापसी / वसूली की शर्त आरोपित थी।"। इस प्रकार, पूर्वोक्त अनुदान को यथा "प्रोत्साहकों का अंशदान" विचार / व्यवहार करने के लिये अंकेक्षक का तर्क समर्थनीय / मान्य नहीं है और यहां तक कि इसे यथा पूंजी आरक्षित दर्शाना अपेक्षित नहीं है।
2	इसके अतिरिक्त, प्रतिवेदित वर्ष की समाप्ति पर अप्रयुक्त केन्द्रीय अनुदान शेष की 3984.86 लाख रूपये की राशि को "आरक्षित एवं अधिशेष" के अन्तर्गत पृथक मद यथा "अनुदान सहायता" के रूप में वार्षिक वित्तीय विवरणों में इसके 31 मार्च 2020 के प्रकटीकरण के विरूद्ध में, "दीर्घावधि दायित्व" के अन्तर्गत 3873.56 लाख रूपये और "अन्य चालू दायित्व" के अन्तर्गत 111.30 लाख रूपये के रूप में प्रकट किया गया है। अग्रतर, अप्रयुक्त केन्द्रीय अनुदान का परिवर्तित प्रस्तुतीकरण लेखा मानक–12 के अनुसार नहीं है। प्रतिवेदित वर्ष में परिवर्तन के परिणाम के रूप में, वर्ष हेतु "आरक्षित एवं अधिशेष" के कुल मूल्य की 3984.86 लाख रूपये और "अन्य चालू दायित्व" के कुल मूल्य की 111.	उपरोक्त आक्षेप के विरूद्ध दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार, पूर्वोक्त अनुदान के लिये कम्पनी द्वारा प्रस्तावित व्यवहार लेखा मानक 12 की पूर्णतया पालना करता है और लेखा मानक 12 में अन्तर्निहित आय के दृष्टिकोण का तर्क भी कम्पनी द्वारा अंगीकृत लेखांकन व्यवहार का समर्थन करता है। इस संबंध में लेखा मानका 12 के पैरा 14 में निर्दिष्ट किया गया है कि "––––विकल्पतः, मूल्य ह्रास होने वाली स्थिर आस्तियों से संबंधित अनुदानों को यथा आस्थगित आय माना जाये जिन्हें आस्ति के उपयोगी जीवन पर व्यवस्थित एवं तर्क संगत आधार पर लाभ व हानि विवरण में मान्यता दी जानी चाहिये अर्थात् ऐसे अनुदानों को अवधियों के दौरान और अनुपातों में जिसमें उन आस्तियों पर मूल्य

	30 लाख रूपये से अत्योक्ति हुई है।	ह्रास प्रभारित किया जाता है, आय के लिये आवंटित किया जाना चाहिये। इस विधि के अन्तर्गत, गैर–मूल्य ह्रास वाली आस्तियों से संबंधित अनुदान को पूंजी आरक्षित में क्रेडिट किया जाना चाहिये। तथापि, यदि गैर–मूल्य ह्रास वाली आस्तियों से संबंधित अनुदान निश्चित दायित्वों की पूर्ति की अपेक्षा करता है तो ऐसे दायित्वों की पूर्ति के लिये जिस अवधि के लिये आय को प्रभारित की गयी है उसी अवधि में अनुदान को आय में क्रेडिट किया जाना चाहिये। आस्थगित आय शेष को वित्तीय विवरणों में पृथक रूप से प्रकट किया जाना चाहिये। आगे लेखा मानक 12 का पैरा 15 निर्दिष्ट करता है कि "राजस्व से संबंधित सरकारी अनुदानों को उन संबंधित लागतों जिनकी प्रतिपूर्ति के लिये वे आशयित है, के साथ उन्हे मिलान करने के लिये आवश्यक अवधियों में लाभ व हानि विवरणों में व्यवस्थित आधार पर मान्यता दी जानी चाहिये। ऐसे अनुदानों को या तो पृथक रूप से "अन्य आय" के अन्तर्गत दर्शाया जाना चाहिये या संबंधित व्यय की रिपोर्टिंग करते समय कटौती की जानी चाहिये।' तथापि, इन तर्कों की पालना करने के लिये, कम्पनी ने इस वित्तीय वर्ष से केवल सहायता अनुदान के वर्गीकरण को परिवर्तित कर दिया है अतः कोई आरक्षित एवं अधिशेष की न्यूनोक्ति एवं दीर्घाकालीन दायित्व और यहां तक कि अन्य चालू दायित्व की अत्योक्ति नहीं है।

(डॉ. सुबोध अग्रवाल, आईएएस)
अध्यक्ष

सी.ए.डब्ल्यू.I/वि–11014/वा.ले./सौलरपार्क/2020–21/के–70 | D-1151
संख्या/No.

सत्यमेव जयते

भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग
कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II) राजस्थान
जनपथ, जयपुर–302005

INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT
OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT-II) RAJASTHAN
JANPATH, JAIPUR - 302005

दिनांक/Date 21/11/2022

अध्यक्ष
राजस्थान सोलरपार्क डवलपमेंट कम्पनी लिमिटेड,
ई–166 युधिष्ठिर मार्ग,
जयपुर 302005

विषय: राजस्थान सोलरपार्क डवलपमेंट कम्पनी लिमिटेड, जयपुर के 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

महोदय,

मुझे इस पत्र के साथ कम्पनी अधिनियम की धारा 143(6)(b) के अन्तर्गत राजस्थान सोलरपार्क डवलपमेंट कम्पनी लिमिटेड, जयपुर के 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ वार्षिक आम सभा के समक्ष कम्पनी अधिनियम की धारा 143 (6) के अन्तर्गत प्रस्तुत करने हेतु जारी करने का आदेश प्राप्त हुआ है।

उपरोक्त अवधि के वित्तीय विवरणों एवं लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की सात प्रतियां, जैसी कि साधारण सभा में रखी जावें तथा स्वीकृत की जावें, कृपया इस कार्यालय को शीघ्र भिजवाने का श्रम करें।

संलग्नः उपरोक्तानुसार

भवदीय,

उपमहालेखाकार
(लेखा परीक्षा प्रबंधन समूह –I)

Phone : 0141-2385431-36 Fax 91-141-2385230 E-mail : agauRajasthan2@cag.gov.in

राजस्थान सोलर पार्क डवलपमेंट कम्पनी लमिटेड के 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों पर कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6)(बी) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ।

राजस्थान सोलर पार्क डवलपमेंट कम्पनी लमिटेड के 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों को कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अन्तर्गत विर्निदिष्ट वित्तीय प्रतिवेदन ढ़ाचे के अनुरूप तैयार करना कम्पनी प्रबन्धन का उत्तरदायित्व है। कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 (5) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त वैधानिक अंकेक्षक / अंकेक्षकों का उत्तरदायित्व अधिनियम की धारा 143 के अन्तर्गत अधिनियम की धारा 143(10) के अधीन विहित लेखांकन के मानकों के अनुरूप इन वित्तीय विवरणों पर अपना अभिमत स्वतंत्र अंकेक्षक के आधार पर प्रकट करना है। यह उनके अंकेक्षण प्रतिवेदन दिनांक 17 नवम्बर, 2021 द्वारा किया जाना व्यक्त किया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के निमित कम्पनी अधिनियम की धारा 143 (6)(ए) के अन्तर्गत राजस्थान सोलर पार्क डवलपमेंट कम्पनी लमिटेड जयपुर के 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों का अनुपूरक अंकेक्षण किया है। यह अनुपूरक अंकेक्षण, वैधानिक अंकेक्षकों के कार्य पत्रों तक बिना अभिगमन के स्वतन्त्र रूप से सम्पादित किया गया है तथा प्राथमिक रूप से वैधानिक अंकेक्षकों तथा कम्पनी कार्मिकों से की गयी पूछताछ तथा कुछ लेखांकन अभिलेखों के चयनित परीक्षण तक सीमित है।

मेरे अनुपूरक अंकेक्षण पर आधारित, अधिनियम की धारा 143 (6) (बी) के अन्तर्गत निम्नलिखित महत्त्वपूर्ण मामलें, जो मेरे ध्यान में आये है और जो मेरे विचार से वित्तीय विवरणों व सम्बन्धित अंकेक्षण प्रतिवेदन को भली–भांति समझने के लिए आवश्यक है, को विशिष्ट रूप से दर्शाना चाहूंगाः–

अ. वित्तीय स्थिति पर टीका–टिप्पणियां
तुलन पत्र
सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण (टिप्पणी–9)
प्रगतिरत पूंजी कार्य– 4 करोड़ रू.

जैसलमेर में नोख सोलर पार्क की प्रसारण लाइनों के निर्माण के सम्बन्ध में किये गये व्यय के प्रति 31 मार्च, 2021 से पहले प्राप्त बिलों की बुकिंग नहीं करने के कारण उपरोक्त को 0.48 करोड़ रूपये से कम दर्शाया गया है। इसके परिणामतः चालू दायित्वों की इस सीमा तक न्यूनोक्ति हुई है।

भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक
के लिए एवं निमित्त
(अतूर्वा सिन्हा)
महालेखाकार
(लेखा परीक्षण–II)
राजस्थान, जयपुर।

स्थान – जयपुर
दिनांक –21.01.2022

राजस्थान सोलर पार्क डवलपमेंट कम्पनी लमिटेड के 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लेखों पर कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6)(बी) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ

	महालेखाकार के आक्षेप	प्रबन्धन का उत्तर/स्पष्टीकरण
अ.	**वित्तीय स्थिति पर टीका–टिप्पणियां** **तुलन पत्र** **सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण (टिप्पणी–9)** **प्रगतिरत पूंजी कार्य–** **4 करोड़ रू.** जैसलमेर में नोख सोलर पार्क की प्रसारण लाइनों के निर्माण के सम्बन्ध में किये गये व्यय के प्रति 31 मार्च, 2021 से पहले प्राप्त बिलों की बुकिंग नहीं करने के कारण उपरोक्त को 0.48 करोड़ रूपये से कम दर्शाया गया है। इसके परिणामतः चालू दायित्वों की इस सीमा तक न्यूनोक्ति हुई है।	31.03.2021 को समाप्त वर्ष हेतु लेखा पुस्तकों में मैसर्स मोन्टेकार्लो लिमिटेड के तथाकथित संव्यवहारों की प्रविष्टि नहीं की गयी थी क्योंकि मोन्टाकार्लो लिमिटेड के कार्य आदेश की शर्त सं. 11 की प्रतिपूर्ति नहीं हुयी थी और 31.03.2021 के पहले लेखा विभाग में अन्तिम सम्यक् रूप से सत्यापित बिल प्राप्त नहीं हुये थे। यदि कार्य आदेश की शर्तों की प्रतिपूर्ति हो जाती तो इस संव्यवहार की 'प्रगतिरत पूंजी कार्य' को डेबिट करते हुये और 'चालू दायित्वों' को क्रेडिट करते हुये प्रविष्टि की जाती। दायित्वों को बुक करने के लिये कम्पनी लगातार इसी विधि का अनुसरण करती है। चूंकि मैसर्स मोन्टेकार्लो लिमिटेड को दिये गये कार्य आदेश का खण्ड 11 स्पष्ट रूप से प्रावधान करता है कि ''परेषिती (माल पाने वाला) से सम्यक् रूप से सत्यापित और सभी तरह से पूर्ण अन्य दस्तावेजों का उसे ठेकेदारों द्वारा प्रस्तुतिकरण और अपेक्षित दस्तावेज, यदि कोई हो, सम्यक् रूप से सत्यापित द्वारा समर्थित और क्रय आदेश की आवश्यकता के अनुसार सभी संविदात्मक औपचारिकताओं की पूर्ति के साथ ठेकेदारों के बिलों की प्राप्ति की दिनांक से उचित अवधि के भीतर संदाय प्राधिकारी द्वारा भुगतान किया जायेगा।'' तद्नुसार, आपूर्ति के बिलों का भुगतान कार्य आदेश की शर्तों साथ ही अन्य मानकों की पालना, उचित सत्यापन के पश्चात् वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् किया गया था। कम्पनी ऐसे बिलों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा भुगतान की स्वीकृति के पश्चात् ही लेखों में बुक करती है।

राजस्थान सोलर पार्क डवलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड

CIN: U40102RJ2011SGC036861

31 मार्च, 2021 को तुलन–पत्र

राशि रूपयों में

विवरण	टिप्पणी संख्या		31 मार्च, 2021 को		31 मार्च, 2020 को
साम्या एवं दायित्व					
अंशधारकों की निधियां					
अंशपूंजी	1	500,000		500,000	
आरक्षित एवं अधिशेष	2	423,653,804		296,352,944	
शेयर वारण्ट के तहत प्राप्त धन राशि		-	424,153,804	-	296,852,944
अंश आवेदन धन राशि लम्बित आवंटन					
गैर–चालू दायित्व					
दीर्घावधि उधार राशिया					
आस्थगित कर दायित्व (शुद्ध)	3	83,855,238		71,182,354	
अन्य दीर्घावधि दायित्व	4	5,423,660,986		2,017,755,130	
अन्य दीर्घावधि प्रावधान			5,507,516,224		2,088,937,484
चालू दायित्व					
अल्पावधि उधार राशियां	5	-		130,000,000	
व्यापारिक देयतायें	6	13,694,336		3,149,438	
अन्य चालू दायित्व	7	112,353,802		162,559,083	
अल्पावधि प्रावधान	8	30,740,571	156,788,709	859,375	296,567,896
योग			**6,088,458,737**		**2,682,358,323**
आस्तियां					
गैर–चालू आस्तियां					
सम्पत्ती, संयंत्र एवं उपकरण	9				
मूर्त आस्तियां		1,537,077,525		1,649,089,435	
प्रगतिरत पूंजी कार्य		40,043,665	1,577,121,190	-	1,649,089,435
दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिम	10	139,612,342		139,612,342	
अन्य गैर–चालू आस्तियां	11	-	139,612,342	-	139,612,342
चालू आस्तियां					
व्यापारिक प्राप्य	12	5,108,076		41,527	
नकद एवं बैंक शेष	13	4,011,202,921		711,999,365	
अल्पावधि ऋण एवं अग्रिम	14	355,414,209		181,615,653	

अन्य चालू आस्तियां		-	4,371,725,205		893,656,546
योग			**6,088,458,737**		**2,682,358,323**
महत्वपूर्ण लेखां नीतियां					
संलग्न टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का अंगभूत भाग है।					

यह हमारी समतिथि के प्रतिवेदन में निर्देशित तुलन पत्र है।
शाह पाटनी एण्ड कम्पनी के लिये
चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस
फर्म पंजीकरण सं. 001055सी
(नितिन सेठी)
साझेदार
सदस्यता संख्या **400593**
स्थान : जयपुर
दिनांक : 17.11.2021

राजस्थान सोलर पार्क डवलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड के
निदेशक मण्डल के लिये एवं निमित्त

ह.	ह.
डॉ. सुबोध अग्रवाल	**ललित वर्मा**
अध्यक्ष	**निदेशक**
डीआईएन (06940604)	डीआईएन (09364205)

COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(6)(b) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF RAJASTHAN SOLARPARK DEVELOPMENT COMPANY LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2021

The preparation of financial statements of Rajasthan Solarpark Development Company Limited for the year ended 31 March 2021 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013 (Act) is the responsibility of the management of the company. The Statutory Auditors appointed by the Comptroller and Auditor General of India under Section 139(5) of the Act are responsible for expressing opinion on the financial statements under Section 143 of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under Section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 17 November 2021.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit of the financial statements of Rajasthan Solarpark Development Company Limited for the year ended 31 March 2021 under Section 143(6)(a) of the Act. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the Statutory Auditors and is limited primarily to inquiries of the Statutory Auditors and company personnel and a selective examination of some of the accounting records.

Based on my supplementary audit, I would like to highlight the following significant matters under Section 143(6)(b) of the Act which have come to my attention and which in my view are necessary for enabling a better understanding of the financial statements and the related Audit Report:

A. Comments on Financial Position

Balance Sheet
Property Plant and Equipment (Note 9)
Capital Work in Progress - ₹ 4 crores

The above is understated by ₹ 0.48 crore due to non booking of invoices received before 31 March 2021 towards expenditure incurred in respect of erection of transmission lines of Nokh Solar Park at Jaisalmer. This has also resulted in understatement of Current Liabilities to the same extent.

For and on behalf of
the Comptroller and Auditor General of India

Atoorva Sinha

(Atoorva Sinha)
Accountant General (Audit-II)
Rajasthan, Jaipur

Place:-Jaipur
Date:- 21/1/2022

राजस्थान सोलर पार्क डवलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड

CIN: U40102RJ2011SGC036861

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिये लाभ एवं हानि विवरण

			(राशि रूपयों में)
विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष
राजस्व			
संचालन से राजस्व	**15**	197,748,069	186,852,562
अन्य आय	**16**	123,584,602	44,680,254
कुल		**321,332,671**	**231,532,816**
व्यय:			
उपभोगित सामग्रियों की लागत			
परिचालन व्यय	**17**	25,751,838	32,113,369
कर्मचारी हित लाभ व्यय	**18**	2,965,800	2,699,232
वित्त लागतें	**19**	393	5,643,153
मूल्य ह्रास एवं परिशोधन व्यय	**9**	112,011,910	144,007,072
अन्य व्यय	**20**	2,340,415	37,048,580
कुल		**143,070,356**	**221,511,406**
अपवादात्मक एवं असाधारण मदों एवं कर के पूर्व लाभ		**178,262,315**	**10,021,410**
अपवादात्मक मदें			
असाधारण मदों एवं कर के पूर्व लाभ		**178,262,315**	**10,021,410**
असाधारण मदें	**21**	**2,426,420**	**4,872,991**
कर पूर्व लाभ		**175,835,895**	**5,148,419**
कर व्यय:			
चालू कर		35,918,372	859,375
आस्थगित कर		12,672,884	10,421,929
मेट क्रेडिट की हकदारी		-	(859,375)
पिछले वष का कम/ (अधिक) प्रावधान		(56,221)	

	निरन्तर संचालनों से अवधि हेतु लाभ/(हानि)		**127,300,860**	**-5,273,510**
	अनिरन्तर संचालनों से लाभ/(हानि)		-	-
	अनिरन्तर संचालनों के कर व्यय		-	-
	अनिरन्तर संचालनों से लाभ/(हानि) (कर पश्चात्)		-	-
	अवधि हेतु लाभ/(हानि)		**127,300,860**	**-5,273,510**
	प्रति साम्या अंश उपार्जन			
	–मूल एवं मन्दित		**2,546.02**	**-105.47**
	– अंशों का अंकित मूल्य		**10.00**	**10.00**
	लेखों पर टिप्पणियां, महत्वपूर्ण लेखां नीतियां एवं अतिरिक्त टिप्पणियां			

यह हमारी समतिथि के प्रतिवेदन में निर्देशित तुलन पत्र है।
शाह पाटनी एण्ड कम्पनी के लिये
चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस
फर्म पंजीकरण सं. 001055सी
(नितिन सेठी)
साझेदार
सदस्यता संख्या **400593**
स्थान : जयपुर
दिनांक : 17.11.2021

राजस्थान सोलर पार्क डवलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड के
निदेशक मण्डल के लिये एवं निमित्त

ह.
डॉ. सुबोध अग्रवाल
अध्यक्ष
डीआईएन (06940604)

ह.
ललित वर्मा
निदेशक
डीआईएन (09364205)

राजस्थान सोलर पार्क डवलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड
31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिये वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

(राशि रूपये में)

टिप्पणी	विवरण	31 मार्च, 2021 को			31 मार्च, 2020 को		
		अंकित मूल्य प्रति अंश	संख्या	राशि	अंकित मूल्य प्रति अंश	संख्या	राशि
1	अंशपूंजी						
	(ए) प्राधिकृत						
	साम्या अंश	10	50,000	500,000	10	50,000	500,000
			50,000	**500,000**		**50,000**	**500,000**
	(बी) निर्गमित						
	साम्या अंश—पूर्णतः प्रदत्त	10	50,000	500,000	10	50,000	500,000
			50,000	**500,000**		**50,000**	**500,000**
	(सी) अभिदत्त एवं प्रदत्त						
	साम्या अंश—पूर्णतः प्रदत्त	10	50,000	500,000	10	50,000	500,000
			50,000	**500,000**		**50,000**	**500,000**

(ए) वर्ष के प्रारम्भ में एवं अन्त में बकाया अंशों का समाधान

	31 मार्च, 2021 को		31 मार्च, 2020 को	
साम्या अंश	संख्या	राशि	संख्या	राशि
वर्ष के प्रारम्भ में शेष	50000	500000	50000	500000
जोडियेः वर्ष के दौरान निर्गमित अंश	-	-	-	-
घटाइयेः वर्ष के दौरान पुनः क्रय किये गये अंश	-	-	-	-
वर्ष के अन्त में शेष	**50,000**	**500,000**	**50,000**	**500,000**

(बी) कम्पनी में 5 प्रतिशत अंशों से अधिक धारित अंशधारक

	31 मार्च, 2021 को		31 मार्च, 2020 को	
साम्या अंश प्रत्येक 10 रूपये पुर्णतः प्रदत्त	धारित अंशों की संख्या	धारिता का प्रतिशत	धारित अंशों की संख्या	धारिता का प्रतिशत
राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड	49993	**99.99%**	49993	**99.99%**
	49,993	**99.99%**	**49,993**	**99.99%**

राजस्थान सोलर पार्क डवलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड
31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिये वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

राशि रुपये में

टिप्पणी	विवरण		31 मार्च, 2021 को		31 मार्च, 2020 को
2	संचितयां एवं अतिरेक				
	लाभ व हानि के विवरण में अतिरेक / (कमी)				
	पिछले वित्तीय विवरणों के अनुसार शेष		296,352,944		301,626,454.00
	जोड़िये: वर्ष हेतु लाभ / (हानि)		127,300,860		-5,273,510.15
	वर्ष के अन्त में शेष		**423,653,804**		**296,352,943.85**
	योग		**423,653,804**		**296,352,943.85**
3	आस्थगित कर दायित्व				
	कम्पनी अधिनियम और आयकर अधिनियम के अनुसार डब्ल्यूडीवी का अंतर		83,855,238		71,182,354.00
	योग		**83,855,238**		**71,182,354.00**
4	अन्य दीर्घावधी दायित्व				
4.1	एक मुश्त पट्टा धन राशि				
	भाडला परियोजना		354,039,138		367,805,356.68
	नोख परियोजना		393,816,043		
4.2	एक मुश्त विकास प्रभार				
	भाडला परियोजना		1,154,959,521		1,199,868,187.68
	नोख परियोजना		2,680,545,000		
4.3	जल आपूर्ति प्रणाली का एक मुश्त किराया		49,796,015		51,595,218.00
4.4	प्रतिधारण		8,753,339		
4.5	सोलर पार्क नोख के लिये केन्द्रीय वित्त सहायता*		394,395,615		
4.6	सहायता अनुदान				
	सोलर पार्क भाड़ला चरण–द्वितीय				

	के लिये केन्द्रीय वित्त सहायता				
	प्रारम्भिक शेष (नीचे लाया गया)	398,486,367		409,616,419	
	घटाइये: 12 माह में अनुदान यथा आय मान्य	11,130,052	387,356,315	11,130,052	398,486,367.29
	अन्तिम शेष (अग्रनीत)				
	(टिप्पणी संख्या 22 के पैरा संख्या ए के पैरा संख्या 5.सी देखें)				
	योग		**5,423,660,986**		**2,017,755,129.65**
	*टिप्पणी: नोख में सोलर परियोजना का प्रारम्भण प्रक्रिया में है और पूर्ण नहीं हुआ है। इसलिये, सोलर एनर्जी कार्पोरेशन इण्डिया लिमिटेड द्वारा नोख में सोलर पार्क के लिये दी गयी केन्द्रीय वित्त सहायता को यथा सहायता अनुदान के नहीं माना गया है।				
5	**अल्पावधि उधार राशियां**				
	(असुरक्षित, मांग पर देय)				
	मै. राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड (नियंत्री कम्पनी)				130,000,000
	योग		-		**130,000,000**

राजस्थान सोलर पार्क डवलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड
31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिये वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

टिप्पणी	विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
6	व्यापारिक देयतायें		
	–सुक्ष्य एवं लघु उपक्रम	-	-
	–अन्य	13,694,336	3,149,438
		13,694,336	**3,149,438**
7	अन्य चालू दायित्व		
	लेनदारों के लिये व्यय	2,951,275	2,907,549
	वैधानिक बकाया	848,137	454,212
	अन्य दायित्व	97,424,338	148,067,270
	सहायता अनुदान (देखें टिप्पणी 4.6 उपर)	11,130,052	11,130,052
	योग	**112,353,802**	**162,559,083**
	अन्य दायित्व में नियंत्री कम्पनी को देय 135011/–रू. (गत वर्ष 159507 रू.) शामिल है।		
8	अल्पावधि प्रावधान		
	आयकर के लिये प्रावधान	30,740,571	859,375
	योग	**30,740,571**	**859,375**
10	**दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिम (असुरक्षित, अच्छे माने गये)**		
	पूंजी अग्रिम	139,612,342	139,612,342
	अन्य अग्रिम	-	-
	योग	**139,612,342**	**139,612,342**
11	**अन्य गैर चालू आस्तियां**		
	सावधि जमाओं में		
	....12 माह से अधिक की परिपक्वता	-	-
	नकद एवं नकद समतुल्य (....टिप्पणी के अनुसार)		
		-	-
12	व्यापारिक प्राप्यतायें		
	छः माह से अधिक के बकाया		
	–अच्छे माने गये	-	41,527
	–संदेहप्रद माने गये	-	
		-	**41,527**
	अन्य		
	–अच्छे माने गये	5,108,076	-
	घटाइये: संदेहप्रद ऋणों के लिये प्रावधान	-	-
		5,108,076	-
		5,108,076	**41,527**
13	**नकद एवं नकद समतुल्य**		
(ए)	**नकद एवं नकद समतुल्य**		
	हस्तगत नकद		
	बैंक में शेष–चालू खातें में	29,542,328	5,006,669
	असूचियत बैंक में शेष		
	–जमा खातें में	-	-
		29,542,328	**5,006,669**
(बी)	**अन्य: बैंक में शेष :**		
	(एफडीआर–12 माह से अनधिक परिपक्वता)	3,981,660,593	706,992,696

	टिप्पणी: 4,081,660,593 रू. की एफडीआर में 662,547,692.00 रू. की एफडीआर शामिल है जिसे पावर ग्रिड कार्पोरेशन लिमिटेड को दी गयी 66.25 करोड रू. की बैंक प्रत्याभूति के तहत गिरवी रखा गया है	-	
		3,981,660,593	**706,992,696**
14	**अल्पावधि ऋण एवं अग्रिम**		
	अग्रिम कर भुगतान एवं आईटीडीएस	350,837,976	176,698,860
	जीएसटी इनपुट प्राप्य/समायोज्य	4,093,266	4,630,359
	अन्य अग्रिम एवं वसूली योग्य	482,967	286,434
		355,414,209	**181,615,653**

राजस्थान सोलर पार्क डवलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड

टिप्पणी संख्या – 9: सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण

(राशि रूपयो में)

	सकल समूह				मूल्य ह्रास एवं परिशोधन				शुद्ध समूह	
आस्तियों का विवरण	01.04.2020 को प्रारम्भिक शेष	वर्ष के दौरान अभिवृद्धियां	वर्ष के दौरान विक्रय/हस्तांतरण/समायोजन	31.03.2021 को	01.04.2020 को प्रारम्भिक	वर्ष के दौरान प्रावधित	विक्रय पर समायोजन	31.03.2021 तक कुल	31.03.2021 को	31.03.2020 को
भूमि	97,788,019			97,788,019	4,955,027	987,758		5,942,784	91,845,235	92,832,992
लीज पर 1609.2 हैक्टेयर भूमि	402,171,418	-		402,171,418	3,884,263	4,062,338		7,946,601	394,224,817	398,287,155
भूमि	91,889,037	-		91,889,037	211,063	928,172		1,139,235	90,749,802	91,677,974
220 कि.वा. जीएसएस	966,027,182			966,027,182	206,228,754	54,857,447		261,086,200	704,940,982	759,798,428
220 केवी व 132 केवी टीआर लाइनें	148,239,616			148,239,616	31,645,785	8,418,075		40,063,860	108,175,757	116,593,831
11 केवी तीन फेज प्रत्यक्ष फीडर	4,413,661			4,413,661	1,140,592	236,316		1,376,908	3,036,753	3,273,069
प्लाटों का सर्वेक्षण (चरण–द्वितीय में पिलर	3,811,412			3,811,412	3,639,623	-		3,639,623	171,789	171,789
सीसीटीवी निगरानी प्रणाली	986,796			986,796	324,892	119,805		444,697	542,099	661,904
सड़क	151,290,000			151,290,000	77,934,910	33,061,139		110,996,049	40,293,951	73,355,090
भवन एवं विश्राम गृह	39,994,000			39,994,000	2,429,958	1,829,369		4,259,327	35,734,673	37,564,042
जल आपूर्ति प्रणाली	82,682,438			82,682,438	10,152,961	6,890,300		17,043,261	65,639,177	72,529,477
एलईडी	78,000			78,000	59,657	11,585		71,243	6,757	18,343
वाटर कूलर	41,000			41,000	35,436	3,515		38,950	2,050	5,564
कम्प्यूटर एवं लेपटॉप	96,800			96,800	83,663	8,298		91,961	4,839	13,137
प्रिंटर	12,000			12,000	10,371	1,029		11,400	600	1,629
ईबीटी मीटर मड़ला	2,625,303	-		2,625,303	320,293	596,767		917,060	1,708,243	2,305,010
योग (ए)	**1,992,146,682**	**-**	**-**	**1,992,146,682**	**343,057,247**	**112,011,910.26**	**-**	**455,069,158**	**1,537,077,525**	**1,649,089,435**
प्रगतिरत पूंजी कार्य										
प्रगतिरत पूंजी कार्य– नोख		40,043,665		40,043,665					40,043,665	-
योग (बी)	**-**	**40,043,665**	**-**	**40,043,665**	**-**	**-**	**-**	**-**	**40,043,665**	**-**
सर्वयोग (ए+बी)	**1,992,146,682**	**40,043,665**	**-**	**2,032,190,347**	**343,057,247**	**112,011,910**	**-**	**455,069,158**	**1,577,121,190**	**1,649,089,435**
पिछले वर्ष	**1,499,498,404**	**497,098,521**	**4,450,243**	**1,992,146,682**	**199,050,174**	**144,007,072**		**343,057,247**	**1,649,089,435**	

राजस्थान सोलर पार्क डवलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड के
निदेशक मण्डल के लिये एवं निमित्त

ह.	ह.
डॉ. सुबोध अग्रवाल	**ललित वर्मा**
अध्यक्ष	**निदेशक**
डीआईएन (06940604)	डीआईएन (09364205)

राजस्थान सोलर पार्क डवलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड
31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिये वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

टिप्पणी	विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष
15	**संचालन से राजस्व**		
	वार्षिक संचालन एवं रख–रखाव प्रभार	100,217,118	91,106,468
	वार्षिक पट्टा किराया	23,904,653	22,766,337
	एक बार के विकास प्रभार का विभाजन	44,908,667	44,908,667
	एक बार की पट्टा धन राशि का विभाजन	13,766,219	13,766,219
	सीएफए आय	11,130,052	11,130,052
	जल आपूर्ति की आय	2,022,158	1,375,617
	जल आपूर्ति प्रणाली के किराये की आय का विभाजन	1,799,203	1,799,203
	योग	**197,748,069**	**186,852,562**
16	**अन्य आय**		
	एफडीआर पर ब्याज	121,771,580	44,465,699
	विलम्बित भुगतान पर ब्याज	-	109,555
	विविध आय	75,000	-
	टेण्डर शुल्क	425,000	105,000
	विलम्बित भुगतान पर ब्याज	624,706	-
	अपलिखित विविध शेष	628,316	-
	पूर्व अवधि की आय	60,000	-
	योग	**123,584,602**	**44,680,254**
17	**परिचालन व्यय**		
	मानव शक्ति आपूर्ति भाडला	2,216,872	1,964,452
	विद्युत एवं जल प्रभार	1,899,766	682,693
	भाडला चरण–I में पथ प्रकाश प्रभार	-	7,751,331
	मीटरिंग प्रभार	-	1,824,940
	जीएसएस के संचालन एवं रख–रखाव प्रभार	21,635,200	19,889,953
	योग	**25,751,838**	**32,113,369**

18	कर्मचारी हित लाभ व्यय		
	वेतन व्यय	2,598,940	2,367,086
	बोनस एक्स–ग्रेसिया प्रोत्साहन राशि	12,800	20,800
	पेंशन का अंशदान	215,520	206,250
	चिकित्सा व्यय का पुनर्भुगतान	138,540	105,096
	योग	**2,965,800**	**2,699,232**

राजस्थान सोलर पार्क डवलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड
31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिये वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

टिप्पणी	विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष
19	वित्त लागत		
	बैंक प्रभार	393	5,643,153
	योग	**393**	**5,643,153**
20	अन्य व्यय		
	कर अंकेक्षण शुल्क	30,000	30,000
	निरीक्षण प्रभार	-	660,000
	आन्तरिक अंकेक्षक के शुल्क	25,000	25,000
	कानूनी एवं व्यावसायिक व्यय	1,947,144	3,205,434
	कार्यालय व्यय	94,336	247,093
	वाहन व्यय	22,620	23,857
	वाहन किराया व्यय	-	28,445
	प्रचार एवं विज्ञापन	-	879,206
	प्रदत्त सेवाकर	-	1,312,727
	राज्य नवीकरणीय कोष	10,000	40,000
	दूरभाष व्यय	179,967	299,944
	एमएनआरई को ब्याज	-	30,258,290
	विपरित प्रभार के अन्तर्गत सीजीएसटी	1,602	-
	विपरित प्रभार के अन्तर्गत एसजीएसटी	1,602	-
	यात्रा व्यय	27,413	33,344
	टीडीएस पर ब्याज	731.00	5,240.00
	योग	**2,340,415**	**37,048,580**
21	**असाधारण मदें**		
	सीएसआर व्यय	1,914,000	4,275,200
	ब्याज – सामान्य विकास प्रोग्राम, बादला	512,420	597,791
		2,426,420	**4,872,991**

राजस्थान सोलर पार्क डवलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिये नकद प्रवाह विवरण

		31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष
ए	**संचालित गतिविधियों से नकद प्रवाह**		
	कर एवं अपवादात्मक मदों के पूर्व शुद्ध लाभ	178,262,315	10,021,410
	निम्न के लिये समायोजन :		
	मूल्य ह्रास एवं पूर्वावधि व्यय एवं अपलिखित व्यय	112,011,910	144,007,072
	आय कर के लिये प्रावधान		
	अपवादात्मक मदें	-2,426,420	-4,872,991
	गैर–नकद आय (सीएफए अपलिखित)	-11,130,052	-11,130,052
	कार्यशील पूंजी परिवर्तनों के पहले संचालित लाभ	**276,717,753**	**138,025,439**
	निम्न के लिये समायोजन :		
	चालू दायित्वों में वृद्धि / (कमी)	-39,660,383	-23,524,056
	गैर–चालू आस्तियों में (वृद्धि) / कमी	-	-658,510,212
	चालू आस्तियों में (वृद्धि) / कमी	-4,725,989	-135,627,301
	संचालन गतिविधियों से नकद	**232,331,382**	**-17,088,438**
	आय कर देय / प्रदत्त	**-180,120,071**	**-859,375**
	पूर्व वर्ष के प्रावधान / मेट क्रेडिट		**859,375**
	संचालन गतिविधियों से शुद्ध नकद	52,211,311	-17,088,438
बी	**निवेश गतिविधियों से नकद प्रवाह**		
	पूर्व संचालन व्यय		
	निगमन के लिये उपगत		
	स्थिर आस्तियों का क्रय	-40,043,665	-496,685,758
	निवेश गतिविधियों में प्रयुक्त शुद्ध नकद	**-40,043,665**	**-496,685,758**
सी	**वित्तीय गतिविधियों से नकद प्रवाह**		
	सरकारी अनुदान का पुनर्भुगतान		
	आस्थगित कर दायित्वों में परिवर्तन		
	प्राप्त अल्पावधि ऋण	-130,000,000	130,000,000
	विकास प्रभार एवं पट्टा किराया के तहत अग्रिम		
	दीर्घावधि दायित्वों का परिशोधन	3,417,035,908	-60,474,089
	वित्तीय गतिविधियों में प्रयुक्त शुद्ध नकद	**3,287,035,908**	**69,525,911**

नकद एवं नकद समतुल्यों में शुद्ध वृद्धि	**3,299,203,556**	**444,248,284**
नकद एवं नकद समतुल्यों का प्रारिम्भक शेष	711,999,365	1,156,247,649
नकद एवं नकद समतुल्यों का अन्तिम शेष	**4,011,202,921**	**711,999,365**
नकद एवं नकद समतुल्यों में निम्न का समावेश है		
हस्तगत नकद चैक एवं ड्राफ्ट		
अनुसूचित बैंकों के चालू खातें मे शेष	4,011,202,921	711,999,365
अनुसूचित बैंक के निक्षेप खातें में शेष		
अन्य बैंकों में शेष		
	4,011,202,921	**711,999,365**

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां एवं लेखों पर टिप्पणियां

टिप्पणियां:
नकद प्रवाह विवरण को भारत की चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस संस्था द्वारा जारी किये गये लेखा मानक–3 में यथा वर्णित ''अप्रत्यक्ष विधि'' के अधीन तैयार किया गया है।

यह हमारी समतिथि के प्रतिवेदन में निर्देशित तुलन पत्र है।
शाह पाटनी एण्ड कम्पनी के लिये
चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस
फर्म पंजीकरण सं. 001055सी
(नितिन सेठी)
साझेदार
सदस्यता संख्या **400593**
स्थान : जयपुर
दिनांक : 17.11.2021

राजस्थान सोलर पार्क डवलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड के
निदेशक मण्डल के लिये एवं निमित्त
ह.
डॉ. सुबोध अग्रवाल
अध्यक्ष
डीआईएन (06940604)
ह.
ललित वर्मा
निदेशक
डीआईएन (09364205)

टिप्पणी संख्या 22

महत्वपूर्ण लेखा नीतियां एवं लेखों पर अतिरिक्त टिप्पणियां

अ. महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

(ए) वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिये आधार

वित्तीय विवरण को कम्पनी अधिनियम, 2013 के संबंधित प्रावधानों एवं भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धान्तों के अनुसार साथ ही भारत की चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस संस्था द्वारा जारी किये गये लेखा मानकों के अनुसार, चालू समुत्थान के आधार पर जब तक अन्यथा न कहा जाए, लेखा के प्रोद्भवन के आधार पर ऐतिहासिक लागत परम्परा के अन्तर्गत तैयार किये जाते है।

(बी) आकलनों का उपयोग

भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धान्तों के अनुरूप वित्तीय विवरणों को तैयार करने हेतु प्रबंधन को निर्णय करने, प्राक्कलनों तथा पूर्वधारणाओं की आवश्यकता होती है जो कि रिपोर्टिंग अवधि के अन्त में लेखांकन नीतियों का उपयोग एवं आकस्मिक दायित्वों के प्रकटीकरण, आस्तियों एवं दायित्वों की प्रतिवेदित मूल्य एवं अवधि के दौरान राजस्व तथा व्ययों की प्रतिवेदित राशियों को प्रभावित करते है। यद्यपि, ये प्राक्कलन प्रबंधन के वर्तमान घटनाओं एवं गतिविधियों के सर्वोत्तम ज्ञान पर आधारित है, इन पूर्वधारणाओं एवं प्राक्कलनों के बारे में अनिश्चतता भावी अवधियों में आस्तियों अथवा दायित्वों की वहन राशियों में सारवान समायोजन की आवश्यकता हेतु परिणामी हो सकती है। प्रबंधन यह विश्वास करता है कि इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने में उपयोग किये गये प्राक्कलन युक्तियुक्त एवं विवेकपूर्ण है। लेखांकन प्राक्कलनों में किसी भी संशोधन को भविष्यलक्षी प्रभाव से चालू एवं भावी अवधि में मान्यता दी जाती है।

(सी) आय और व्यय की मान्यता

राजस्व को इस सीमा तक मान्यता दी जाती है कि यह संभाव्य है कि कम्पनी को आर्थिक लाभ प्राप्त होंगे और राजस्व को विश्वस्त रीति से मापा जा सके और इसकी वसूली की यथोचित निश्चितता विद्यमान हो।

1. कम्पनी द्वारा प्राप्त एक मुश्त पट्टा धनराशि, उप–पट्टा के माध्यम से भूमि उपयोग के प्रति है। एक मुश्त पट्टा धनराशि को सीधी रेखा आधार पर पट्टावधि पर लाभ व हानि विवरण में यथा आय मानयता दी जाती है। पट्टावधि के दौरान पट्टा धनरशि का विनियोजन परियोजना के प्रारम्भण और उप–पट्टा समझौता के पश्चात् किया जाता है।

2. भूमि पर सामान्य आधारभूत संरचना सुविधाओं जो कि सभी विकासकों के द्वारा उपयोग की जा सकती है, का विकास करने के लिये प्राप्त एक मुश्त विकास प्रभारों को सीधी रेखा आधार पर पट्टावधि पर लाभ व हानि विवरण में यथा आय मानयता दी जाती है। पट्टावधि के दौरान विकास की लागत का विनियोजन परियोजना के प्रारम्भण और उप–पट्टा समझौता के पश्चात् किया जाता है।

3. भूमि उपयोग के लिये वार्षिक पट्टा किराया को जब भी यह प्रोदभूत होते है अन्तर्निहित पट्टा समझौतों के निबन्धन में मान्यता दी जाती है।

4. संचालन एवं संधारण प्रभारों को जब भी यह प्रोदभूत होते है अन्तर्निहित पट्टा समझौतों के निबन्धन में मान्यता दी जाती है।

5. सोलर पार्क भाडला चरण–द्वितीय के विकास के लिये एमएनआरई से प्राप्त सीएफए को लेखा मानक– 12 के अनुसार 40 वर्ष की अवधि पर आय के अन्तर्गत परिशोधित किया है।

6. बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं में जमा पर ब्याज–आय को बकाया राशि और प्रयोज्य दर को ध्यान में रखते हुये समयानुपात प्रोद्भवन आधार पर मान्यता दी जाती है।

7. जल आपूर्ति प्रणाली से आय को उपभोक्ता से पुष्टीकरण के पश्चात् प्राप्ति आधार पर मान्यता दी जाती है।

(डी) सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण

सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण को उनकी अधिगृहण लागत में से संचित मूल्य ह्रास को कम करके दर्शाया जाता है। लागत में आस्ति के लिये प्राप्त कोई विशेष अनुदान को कम करके आस्तियों को इनकी वर्तमान स्थिति एवं स्थान पर लाने के लिये सभी उपगत व्यय शामिल है।

सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण को निस्तारण पर या आस्ति के निरन्तर उपयोग से जब कोई भावी आर्थिक लाभ होना प्रत्याशित नहीं हो, अमान्य किया जाता है। सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की अमान्यता से होने वाले लाभों या हानियों को आस्ति की वहन राशि और शुद्ध निस्तारण प्रतिफल के अन्तर से मापा जाता है और जब आस्ति को अमान्य किया जाता है इन्हे लाभ व हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

(ई) मूल्य ह्रास एवं परिशोधन

सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण पर मूल्य ह्रास को कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची द्वितीय के अधीन निर्दिष्ट जीवन के आधार पर यथा विचारित की गयी उपयोगी जीवन के आधार पर प्राप्त की गयी दर का प्रयोग करते हुये अवलिखित मूल्य पर प्रभारित किया जाता है। आस्तियों के सभी ब्लाकों के लिये कम्पनी ने उपयोगी जीवन की समाप्ति पर आस्तियों की लागत के 5 प्रतिशत को यथा अवशिष्ट मूल्य प्राक्कलित किया है। वर्ष के दौरान अर्जित/विक्रीत आस्तियों पर मूल्य–ह्रास को अर्जन/विक्रय की दिनांक तक/से लाभ व हानि विवरण में आनुपातिक आधार पर मान्यता दी जाती है।

(एफ) सेवानिवृत्ति लाभ/कर्मचारी लाभ

कम्पनी ने सेवानिवृत्ति पर ''ग्रेच्यूटी'' एवं 'अवकाश नकदीकरण'' के लाभों के लिए कोई पॉलिसी नहीं ले रखी है।

(जी) आय पर करों हेतु लेखांकन

चालू आय कर को आकलित कर योग्य आय और प्रासंगिक कर कानूनों के प्रावधानों के अनुसार संगणित कर क्रेडिट के आधार पर और निर्धारणों/अपीलों के प्रत्याशित परिणाम के आधार पर निर्धारित किया जाता है। आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 115 जेएए के अधीन न्यूनतम वैकल्पिक कर क्रेडिट एवं धारा 115 जेबी के अधीन न्यूनतम वैकल्पिक कर के प्रावधान को ध्यान में रखते हुये इसका आकलनकिया जाता है।

आस्तियों एवं दायित्वों की वहन राशि एवं उनके संबंधित कर आधार एवं तुलन–पत्र की दिनांक को आगे लाई गयी हानियां, यदि कोई हो, के मध्य समय अन्तराल के परिणामी भावी कर के लिये आस्थगित कर आस्तियों एवं दायित्वों को विवेकपूर्ण आधार पर मान्यता दी जाती है। भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्था द्वारा विहित लेखा मानक– 22 के अनुसार, तुलन–पत्र की दिनांक को अधिनियमित या मूलतः अधिनियमित कर कानूनों एवं कर दरों का उपयोग करते हुये आस्थगित कर आस्तियों एवं दायित्वों को मापा जाता है। आस्थगित कर आस्तियों एवं दायित्वों में परिवर्तनों के प्रभाव को लाभ व हानि खाता में मान्यता दी जाती है।

(एच) नकद प्रवाह विवरण

भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस संस्था द्वारा विहित लेखा मानक–3 के अनुसार नकद प्रवाह विवरण को अप्रत्यक्ष विधि का उपयोग करते हुये तैयार किया जाता है।

(आई) आस्तियों का क्षरण

यदि आन्तरिक/ बाह्य कारकों के आधार पर क्षरण का कोई संकेत है तो प्रत्येक तुलन पत्र की तिथि पर आस्तियों की वहन राशि की समीक्षा की जाती है। जहां कहीं भी आस्ति की वहन राशि इसके वसूलीयोग्य मूल्य से अधिक हो जाती है तो क्षरण हानि को मान्यता दी जाती है। वसूलीयोग्य राशि आस्ति के शुद्ध विक्रय कीमत और प्रचलित मूल्य से अधिक है। प्रचलित मूल्य निर्धारण करने में, प्राक्कलित भावी रोकड़ प्रवाहों को पूर्व–कर छूट दर का प्रयोग करते हुये उनके वर्तमान मूल्य को कम किया जाता है जो कि मुद्रा के समयपरक मूल्य और आस्ति के विशिष्ट जोखिमों के वर्तमान बाजार मूल्यांकन को प्रतिबिंबित करता है। शुद्ध विक्रय कीमत के निर्धारण करने में, यदि उपलब्ध हो, तात्कालिक बाजार संव्यवहारों को ध्यान में रखा जाता है। यदि ऐसे किसी भी संव्यवहार को निश्चित नहीं किया जा सकता है तो यथोचित मूल्यांकन मॉडल का उपयोग किया जाता है।

क्षरण के पश्चात्, इसके शेष उपयोगी जीवन पर आस्ति की संशोधित वहन राशि पर मूल्य ह्रास किया जाता हैं।

(जे) उधार राशियों की लागतें

उधार राशियों की लागत में ब्याज एवं उधार राशियों के प्रबंध करने के संबंध में की गयी सहायक लागतों का परिशोधन सम्मिलित है।

अर्हक आस्तियों के निर्माण या अधिग्रहण पर आरोप्य ऋण लागतों को उस आस्ति की लागत के यथा अंश के पूंजीकृत किया जाता है। एक अर्हक आस्ति वह है जो इसके अभीष्ट प्रयोग के लिये तैयार होने में आवश्यक रूप से काफी समय लेती है। अन्य सभी ऋण लागतों को उस अवधि में जिसमें यह उपगत होती है, यथा व्यय के मान्यता दी जाती है एवं लाभ व हानि राशि में प्रभारित किया जाता है।

(के) प्रति अंश अर्जन

मूल प्रति अंश अर्जन की गणना वर्ष के दौरान बकाया साम्य अंशों की भारित औसत संख्या से वर्ष हेतु शुद्ध लाभ या हानि को विभाजित करके की जाती है। मन्दित प्रति अंश अर्जन की गणना सभी संभव्य मन्दन साम्य अंशों के प्रभावों हेतु यथा समायोजित वर्ष के दौरान बकाया साम्य अंशो की भारित औसत संख्या से वर्ष हेतु शुद्ध लाभ या हानि को विभाजित करके की जाती है।

(एल) खण्ड रिपोर्टिंग

वर्तमान में निर्धारिती मुख्य रूप से केवल एक खण्ड अर्थात् सोलर पार्क का विकास एवं केवल एक ही भौगोलिक क्षेत्र में ही संचालन कर रहा है, अतः खण्ड रिपोर्टिंग की आवश्यकता नहीं है।

(एम) नकद एवं नकद समतुल्य

नकद प्रवाह विवरण में नकद एवं नकद समतुल्य में बैंक में और हस्त नकद, हस्तगत चैक, पारगमन में प्रेषित धन, तीन माह या उससे कम की मूल परिपक्वता वाली सावधि जमा और नकद क्रेडिट खाते में डेबिट शेष का समावेश है।

ब. लेखों पर टिप्पणियां

1 आरआरईसीएल के निदेशक मण्डल द्वारा 18.08.2011 को सम्पन्न हुयी 68वी. बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसरण में कम्पनी, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली समनुषंगी कम्पनी है एवं यह कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन 02.11.2011 को निगमित हुयी थी।

2. लेखा मानक –18 के अनुसार संबंधित पक्षकार का प्रकटीकरण

(ए) संबंधित पक्षकार एवं उनका संबंध

(i) नियंत्री कम्पनी : राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड

(ii) एसोसिएटस् : शून्य

(बी) मुख्य प्रबंधन कार्मिकः (31.03.2021 को)

(i)	डॉ. सुबोध अग्रवाल, आई.ए.एस	- अध्यक्ष
(ii)	श्री कृष्ण चन्द्र कुमावत	- निदेशक
(iii)	श्री सुनित माथुर	- निदेशक
(iv)	श्री दिनेश कुमार पहाड़िया	- निदेशक
(v)	श्री आशिष मोदी	- निदेशक
(vi)	श्री आर.के. जैन	- निदेशक
(vii)	श्री ऐ.के. सक्सेना	- निदेशक

(सी) संबंधित पक्षकारों के साथ संव्यवहार

विवरण	नियंत्री कम्पनी	
	चालू वर्ष	गत वर्ष
असुरक्षित ऋण	शून्य	13,00,00,000 रूपये
अन्य विविध भुगतान की ओर से	11,35,011 रूपये	1,59,507 रूपये

3. चालू वर्ष के दौरान कोई पूंजी सामग्री, स्टोर एवं स्पेयर पार्टस् या कोई कच्चा माल का आयात नहीं किया गया है।

4. आरएसडीसीएल नोख जिला जैसलमेर राजस्थान में 925 मेगावाट का सोलर पार्क विकसित कर रहा है। कम्पनी ने नोख सोलर पार्क में आधारभूत संरचना की सुविधा प्रदान करने के लिये फरवरी, 2020 में मैसर्स एनटीपीसी लिमिटेड के साथ 735 मेगावाट क्षमता के कार्यान्वयन एवं सहयोग समझौते को निष्पादित किया है और शेष 190 मेगावाट क्षमता के लिए एनटीपीसी लिमिटेड ने डेवलपर मोड में चालू करने के लिये मैसर्स राइजिंग सन एनर्जी (के) लिमिटेड का चयन किया है। मैसर्स राइजिंग सन एनर्जी (के) लिमिटेड ने भी 13 मई, 2021 को कार्यान्वयन एवं सहयोग समझौते का निष्पादन कर दिया है।

5. इपीसी मोड़ के अन्तर्गत 735 मेगावाट सोलर संयंत्र स्थापित करने के लिये कम्पनी ने मैसर्स एनटीपीसी को 1430.95 हैक्टेयर के सकल क्षेत्रफल वाले तीन भूमि भूखण्ड आवंटित किये है। एनटीपीसी ने चालू वित्त वर्ष के दौरान क्रमशः 39,38,16,043/- रूपये और 1,96,90,802/- रूपये का अग्रिम (अपफ्रन्ट) और वार्षिक पट्टा प्रीमियम जमा करा दिया है। परन्तु, क्षेत्र में कुछ भूमि माप के मुद्दों के कारण उप-पट्टा समझौता का निष्पादन नहीं हो सका और भूमि पर कब्जा भी हस्तान्तरित नहीं किया गया हैं। अतः धनराशि की अग्रिम प्राप्ति को यथा न्यास राशि माना गया है और राजस्व मान्यता को उप पट्टा समझौता के निष्पादन और परियोजना के प्रारम्भ होने तक स्थगित कर दिया है।

इसी तरह से, कम्पनी ने मैसर्स एनटीपीसी लिमिटेड से 2,68,05,45,000/- रूपये का एक मुश्त विकास प्रभारों को प्राप्त किया है, जिसे भी अग्रिम प्राप्ति दर्शाया गया है और राजस्व मान्यता को स्थगित कर दिया है।

6. वर्ष के दौरान, कम्पनी ने मैसर्स मोंटेकार्लो लिमिटेड को नोख सोलर पार्क में 220 केवी/दोहरा पथ एवं 132 केसी प्रसारण लाइनों के निर्माण के लिये 39.87 करोड़ रूपये की लागत की टर्नकी संविदा की है। जिसमें से कम्पनी ने 4.01 करोड़ रूपये के रनिंग बिल प्राप्त किये है जिन्हे यथा प्रगतिरत पूंजी कार्य माना गया है।

7. वर्ष के दौरान, कम्पनी ने नोख सोलर पार्क विकास के प्रति सोलर पार्क योजना दिशा-निर्देशों के अधीन सोलर एनर्जी कारपोरेशन ऑफ इण्डिया के माध्यम से 39.44 करोड़ रूपये यथा केन्द्रीय वित्त सहायता प्राप्त किये है। क्योंकि पार्क का विकास प्रगतिरत है अतः इसे यथा न्यास धनराशि यथा दायित्व के दर्शाया है।

8. भाडला के लिये सामुदायिक विकास उत्तरदायित्व के प्रति धनराशि प्राप्त कर रही है। 5.12 लाख रूपये (गत वर्ष 5.98 लाख रूपये) (कर पश्चात्) की उस निधि के प्रति अर्जित ब्याज को सामुदायिक विकास उत्तरदायित्व हेतु चिन्हित किया गया है जोकि पहले यथा भाडला सीएसआर के नाम से विदित था।

9. पूंजी संविदा/प्रतिबद्धता के संबंध में निष्पादन किये जाने वाला आंकलित दायित्व 243.28 करोड़ रूपये का होगा।

10. कोई भी कर्मचारी वर्ष की कुछ अवधि के लिये 5,00,000 रूपये या अधिक प्रतिमाह अथवा पूर्ण वर्ष के लिये 60,00,000 रूपये प्रति वर्ष की समग्र परिश्रम पर नियुक्त नहीं हुआ है।

11. वर्ष के दौरान कोई आगम/निर्गम विदेशी विनिमय नहीं है।

12. सुक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योग विकास अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत यथा परिभाषित सुक्ष्म एवं लघु उद्योगों के बकायों का विवरण

सुक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योग विकास अधिनियम, 2006 की धारा 22 के अनुसरण में कम्पनी के पास उपलब्ध सूचना के आधार पर और पहचानी गयी सीमा तक सुक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योग विकास अधिनियम के अन्तर्गत यथा परिभाषित सुक्ष्म एवं लघु उद्योगों के बकायों का विवरण नीचे दिया गया है:

विवरण	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020
प्रत्येक लेखांकन वर्ष के अन्त में किसी आपूर्तिकर्त्ता की मूल राशि और उस पर देय ब्याज की अदत्त शेष राशि	-	-
प्रत्येक लेखांकन वर्ष के नियत दिन से परे आपूर्तिकर्त्ताओं को संदत्त राशि के साथ एमएसएमईडी अधिनियम की धारा 16 के निबन्धनों में संदत्त ब्याज की राशि।	-	-
भुगतान करने में देरी की अवधि के लिये बकाया एवं देय ब्याज की राशि (जिसका वर्ष के दौरान भुगतान किया गया है परन्तु नियत तिथि के पश्चात्) लेकिन एमएसएमईडी अधिनियम के अधीन निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना।	-	-
प्रत्येक लेखांकन वर्ष के अन्त में प्रोदभूत एवं शेष अदत्त ब्याज की राशि	-	-
ई) एमएसएमईडी अधिनियम 23 के अधीन कटौती योग्य व्यय के रूप में छूट के प्रयोजनार्थ, उत्तरवर्ती वर्षों में भी शेष रही बकाया एवं देय आगे के ब्याज की राशि तब तक जब तक कि उपरोक्त ब्याज की राशि का वास्तव में छोटे उपक्रमों को भुगतान किया जाता है।	-	-

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रमों के मंत्रालय द्वारा 26.08.2008 को जारी कार्यालयीन ज्ञापन के अनुसार, जो सिफारिश करता है कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रमों को अपने ग्राहकों के साथ पत्र–व्यवहार में ज्ञापन मे दायर करने के पश्चात् यथा आवंटित उद्यमकर्ता ज्ञापन क्रमांक का उल्लेख करना चाहिये। कम्पनी ने इस संबंध में पत्र जारी करने की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी है। तथापि, कम्पनी ने आज दिनांक तक किसी भी ऐसी सत्ता से कथित ज्ञापन की प्रतिलिपि प्राप्त नहीं की है। अतः ऐसा

कोई सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रम नहीं है, जिसको कम्पनी को 31.03.2019 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रम विकास अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत को 45 दिन से अधिक के लिए देना बकाया शेष हो। इस अधिनियम के अधीन किसी आपूर्तिकर्ता से भी ब्याज का दावा कम्पनी को प्राप्त नहीं हुआ है।

13. **समाश्रित दायित्व, जिनका प्रावधान नहीं किया गया है, निम्न प्रकार है–**

ए. आयकर अधिकारी वार्ड 1 (1) जयपुर ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 143(1) के अधीन कर निर्धारण वर्ष 2017–18 के लिये कर निर्धारण आदेश दिनांक 29.12.2019 पारित किया और कुछ अतिरिक्त पर 78,54,47,791/– रूपये की मांग की जिसके विरूद्ध तथ्यों और हमारे कर सलाहकार के अभिमत की गयी मांग उचित नहीं है, के अनुसार आरएसडीसीएल ने आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील दायर की है। इसलिये कम्पनी ने कोई प्रावधान नहीं किया है। तथापि, कम्पनी ने शेष मांग के स्थगन हेतु आवेदन करने के लिये और अपील दायर करने के लिये 14.20 करोड़ रूपये जमा करा दिये है।

बी. सोलर पार्क की सोलर उर्जा परियोजनाओं से विद्युत के निष्क्रमण के लिये 925 मेवा की ग्रिड सम्बद्धता और दीर्घावधि अभिगम (एलटीए) हेतु दायर किये गये आवेदन के विरूद्ध पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड के पक्ष में कम्पनी ने 20 करोड़ रूपये और 46.25 करोड़ रूपये की राशि की दो बैंक प्रत्याभूतियां दी है। क्योंकि परियोजना के पूर्ण होने की अन्तिम दिनांक 01.04.2022 है। अतः कम्पनी ने कोई प्रावधान नहीं किया है।

14. प्रतिअंश उपार्जन

	2020–21	2019–20
साम्या अंशधारकों के लिये उपलब्ध शुद्ध लाभ/(हानि)	12,73,00,860 रूपये	(–) 52,73,510 रूपये
साम्या अंशों की भारित औसत संख्या	50,000	50,000
साम्या अंश का अंकित मूल्य	10/– रूपये	10/– रूपये
प्रतिअंश उपार्जन – मूल एवं मन्दित	2546.02 रूपये	(–) 105.47 रूपये

15. व्यापारिक देय, व्यापारिक प्राप्य, दायित्वों, ऋणों एवं अग्रिमों को उनके पुस्तक मूल्य पर लिया गया है जो कि पुष्टि और समाधान के अधीन है।

16. निदेशक मण्डल के मत में, ऋणों एवं अग्रिमों का सामान्य व्यवसाय के सामान्य क्रम में वसूली योग्य मूल्य उस राशि से कम नहीं है जिस पर इन्हें तुलन–पत्र में दर्शाया गया है और सभी विदित दायित्वों एवं संदिग्ध आस्तियों के लिये प्रावधान किया गया है।

17. जहां कहीं भी आवश्यक समझा गया है चालू वर्ष के वर्गीकरण/प्रकटीकरण के अनुरूप करने के लिये पूर्व वर्ष के आंकड़ों को पुनःसमूहित/पुनःवर्गीकृत किया गया है।

तुलन–पत्र एवं लाभ व हानि विवरण के साथ जुड़े हुये टिप्पणी 1–22 उनके अभिन्न अंग है।

राजस्थान सोलर पार्क डवलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड के
निदेशक मण्डल के लिये एवं निमित्त

ह.	ह.
डॉ. सुबोध अग्रवाल	**ललित वर्मा**
अध्यक्ष	**निदेशक**
डीआईएन (06940604)	डीआईएन (09364205)

शाह पाटनी एण्ड कम्पनी के लिये
चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस
ह.
(नितिन सेठी)
साझेदार
सदस्यता संख्या **400593**

स्थान : जयपुर
दिनांक : 17.11.2021

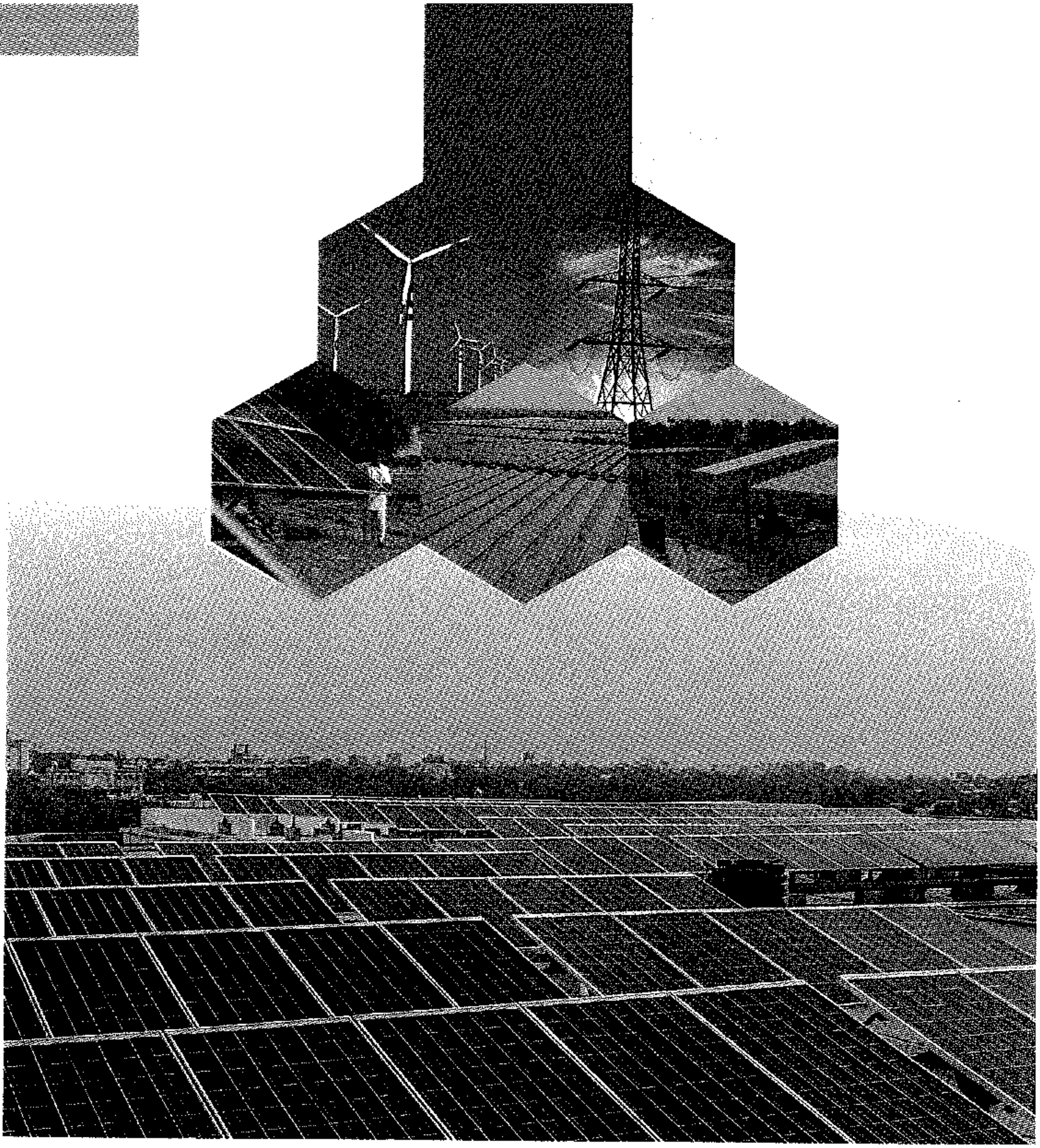

प्रिन्ट 'ओ' लैण्ड, जयपुर फोन नं. 4103132, 2210136

RRECL

राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

ई-166, युधिष्ठिर मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर

फोन - 0141-2229341, 2221650 | फैक्स 0141-2226028

वेबसाइट : www.energy.rajasthan.gov/rrecl